

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 29]

नई विल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1975 (आवाद 28, 1897)

No. 291

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1975 (ASADHA 28, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III---खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च श्यायालयाँ, निर्मन्नक और महालेकापरीक्षक, संघ लोक सेवा अध्योग, रेल विभाग और मारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयाँ द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा श्रायोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 जुन 1975

सं० ए० 32014/1/75-प्रणा०-III(II)-संघ लोक सेवा-भ्रामोग के केन्द्रीय सिव्यालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री पी० डी० श्रीवास्तव को राष्ट्रपति द्वारा 28-4-75 से 28-6-75 तक की अविध के लिए श्रयवा श्रागामी श्रादेशों तकड़ जो भी पहले हो उक्त सेवा के श्रनुभाग श्रीधकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III (III) - संघ लोक सेवा भाभोग के केन्द्रीय सचिवालयं सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री श्रार० के० मागो को राष्ट्रपति द्वारा 1-5-75 से 21-6-75 तक की श्रवधि के लिए श्रथवा श्रागामी श्रादेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के श्रनुभाग ग्रधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। M-156 GI/75

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(IV)-संब लोक सेवा श्रायोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री श्रार० एल० मदान को राष्ट्रपति द्वारा 1-5-75 से 15-6-75 तक की श्रवधि के लिए या श्रागामी श्रादेशों तक, जो भी पहले हो, इस सेवा के श्रनुभाग श्रधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रणा०-III(I)--संघ लोक सेवा धायोग के केन्द्रीय सिववालय सेवा संघर्ष के स्थायी सहायक श्री पी० एस० सभरवाल को राष्ट्रपति द्वारा 14-4-75 से 31-5-75 तक 48 दिन की ध्रवधि के लिए या ध्रागामी ध्रादेशों तक, जो भी पहले हो, इस सेवा के श्रनुभाग श्रिधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

पी० एन० मुखर्जी, स्रवर सचिव संघ लोक सेवा भागोग

(5807)

1

मई दिल्ली-11001I, विनांक 24 मई 1975

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III-इस कार्यालय की भ्राध-सूचना सं० ए० 32014/1/74-प्रशा०—-III दिनांक 5-3-75 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संबन्धे के स्थाप्यी सहायक श्री एमठ डी० जमी की, राष्ट्रपति बारा 1 👫 🖫 🤄 रें 24-3-75 तक की ग्रेसिरियन ग्रवंधि के लिए ग्रथवा श्रीकांकी श्रादेश तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के श्रन्भाग श्रधिकारी ब्रेड में स्थानापन्न रूप से कीर्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

विनोक 11 जुन 1975

सं० ए० 38013/1/75-प्रशा०-III-संघ लीक सेवा बाबीग के के० स० से० संवर्ग के स्थायी ग्रन्भाग ग्रधिकारी तथा उसी कार्यालय में स्थानापक ग्रवर सचिव, श्रीं श्रार० पी० सरकरतारिया को वाद-धंक्य निवृत्ति की भ्रायु प्राप्त होने पर राष्ट्रपति 30 अप्रेल, 1975 के भ्रपराह्न से सरकारी सेवा से निक्त होने की अनुमति सहर्ष प्रवान करते हैं।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशासन-III(V)-संघ लीक सेवा ब्रायोग में केन्द्रीय सिवयालय संवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एसं०पी० गप्त को राष्ट्रपति द्वारा 15-5-75 सें 5-7-75 तक की 52 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के श्रनुभाग श्रधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न श्राधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

ं विनांक 12 जुन, 1975

सं ए 32014/1/75-प्रशासन-III(VI)-इस कार्यालय की समसंख्यंक ग्रधिसूचना दिनांक 19-4-75 के ग्रांशिक संशोधन में संघ लोक सेवा ग्रायोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एम० एन० संगमेश्वरन को राष्ट्रपति द्वारा 3-3-75 से 9-5-75 तक 68 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थातापन्न प्राचार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

ंंं 'संं० ए० 32014/1/75-प्रशासन-III(VII)-संघ लोक से**व**ा श्रीयोंग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायंक श्री बी० भारि० बंसरा को राष्ट्रपति द्वारा 19-5-75 से 19-7-75 तक की 68 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के श्रनुभाग श्रधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न ग्राधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

ें सं० ए० 32014/1/75-प्रशासन- $III(extbf{VIII})$ -सं $extbf{q}$ सोक सेवा द्यायोग में केन्द्रीय सन्तिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एमं० एन० संगमेश्वरत को राष्ट्रपति द्वारा 12-5-75 से 8-8-75 तंक 89 दिन की श्रविध के लिए अथवा श्रागामी श्रादेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न म्राधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III(IX)-इस काम्आस की समसंख्यक प्रधिसूचना दिगांक 2.1-5-75 के प्रनुकम में संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय रोवा संवर्ग के स्थायी

सहायक श्री एस० डी० शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा 25-5-75 से 15-6-75 तक की प्रतिरिक्त अवधि के लिए भ्रथमा भ्रागामी भ्रादेशों तक, जो भी पहले हो उक्त सेवा के ब्रनुभाग ब्रधिकारी ग्रेड में स्था-नापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं ० ए० 32014/1/75-प्रकार-III/(X)---संघ लॉक सेवा अधिग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सेहाग है. श्री जी० नटराजन को राष्ट्रपति द्वारा 26-5-75 से 11-7-75 तैंक की भवंधि के लिए भ्रथवा भागामी श्रादेशीं तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के प्रनुभाग श्रिविकारी ग्रेड में स्थानीपंत्र रूप ले नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III/(XI)---इस कार्यारुय की समसंख्यक श्रधिसूचना दिनांक 19-4-75 के श्रनुकम में संघ लोक सेवा स्रायोग के केन्द्रीय सिचवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री घनीशचन्द्र को राष्ट्रपति द्वारा 1-6-75 से 31-12-75 तक की अतिरिक्त अधि के लिए अथवा आगामी ब्रादेशों तक, जो भी पहले हो, उंक्त सेवा के ब्रनुभाग ब्रधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-III/(XII)---संघ लोक सेवा श्रायोग के केन्द्रीय सिचवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एस० पी० माथुर को राष्ट्रपति द्वारा 2-6-75 से 1-9-75 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

> पी० एन० मुखर्जी, अवर सचिव प्रणासन प्रभारी, संघ लोक सेवा ग्रायोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 जुन 1975

सं ० ए० 12019/5/74-प्रशासन-II---संघ लोक भ्रायोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-4-1975 के भ्रनक्रम में सचिव, संघ लोक सेवा श्रायोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा श्रायोग के के० स० से० सैवर्ग के अनुभाग ग्रीधकारी ग्रेड में के स्थायी श्रधिकारी श्री एम० एस० छ। बड़ा, को श्रायोग के कार्यालय में 1-6-1975 से 31-8-1975 तक 3 महीने की श्रतिरिक्त श्रवधि के लिए अथवापद के नियमित ग्राधार पर भरे जाने के तंक, जो भी पहले ही कमिष्ठ विष्लोधकं के पद पर तदर्थ श्राधार पर स्थानापं भ रूप से कार्य करते रहने के लिए नियक्त करते हैं।

श्री छाबड़ा कनिष्ठ विश्लेषक के संवर्ष बाह्य पद पर प्रति-नियुक्ति पर कार्य करते रहेंगे श्रीर उनका वैतन समय-समय पर यथा संशोधित वित्त मंत्रालय के का० ज्ञां० सं०एफ० 10 (24)-ई०-III/60 दिनांक 4 मई, 1961 के उपबन्धों के श्रनसार विनियमित किया जाएगा ।

> पी० एन० मुखर्जी, प्रवर सिषव, भूते सचिव, संघ लोक सेवा ग्रायोग

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण अ्यूरो

नई विल्ली, दिनांक 17 जून 1975

सं० एन०-31/65-प्रशासन-5—एयर इंडिया, मुख्यालय, बस्बई में वरिष्ठ सतर्कता प्रधिकारी के रूप में चयन हो जाने पर, श्री एन०पी० रेगे ने दिनांक 31-5-75 के प्रपरास्त्र में पुलिस उप-प्रधीक्षक, केन्द्रीय श्रन्वेषण ब्यूरो, सामान्य प्रपराध स्कंध, बस्बई के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

दिनांक 20 जून 1975

सं० एस०-169/68-प्रशासन-5---बी० पी० ग्रार० एण्ड डी० (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली से प्रत्यावर्तन हो जाने पर, श्री एस० एन० मुखर्जी ने दिनांक 2-6-75 के पूर्वाह्म से ग्रगले ग्रादेण तक के लिए पुलिस उप ग्रधीक्षक, केन्द्रीय श्रन्थेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना, सामान्य ग्रपराध स्कंध, दिल्ली शाखा के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मं० ए०-7/74-प्रणासन-5——प्रापने मूल राज्य पुलिस विभाग में प्रस्थावर्तन हो जाने पर, श्री डी० के० एम० श्रव्युक्त रजाक, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 31-5-75 के प्रपराह्म में पुलिस उप-मधीक्षक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो, सामान्य ग्रपराध स्कंध, विशेष पुलिस स्थापना, मद्रास के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

दिनांक 25 जून 1975

सं० ए०-19021/7/75 प्रणासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रति-नियुक्त श्री बी० पी० माहा, भारतीय पुलिस सेवा (उड़ीसा) को दिनांक 13-6-75 के अपराह्म से अगले आदेण तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में अस्थायी रूप से स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

गृलजारी लाल अग्रवाल, प्रशासन श्रधिकारी (स्था) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

मसूरी, दिनांक 21 जून 1975

सं० 195-ई० ए० पी०—-श्री सी० डी० साहनी, लेखा श्रिधितारी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन श्रकादमी, मसूरी, निवृत्ति श्रवकाश दिनांक 18-8-74 से 31-10-74 तक की समाप्ति पर, दिनांक 31-10-74 श्रपराह्न से सेवा निवृत्त हो सुके हैं।

> स० पा० सि**ह** उप प्रणासन ग्रक्षिकारी

मृह मंत्रभावय

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 जून 1975

सं० 25/39/73—प्रार० जी०(ए० डी०-I)— जवाहर लाल नेहरू फैलोगिप के लिए चयन के फलस्वरूप डा० बी० के० राय बर्मन ने उपमहापंजीकार (समाज प्रध्ययन) के प्रयमार की दिनांक 16 अप्रैल, 1975 से सौंप दिया।

बद्री नाय, भारत के उपमहापंजीकार एवं पदेन उप सचिव

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय श्रौद्योगिक सुरक्षा अल

नई दिल्ली--110003, दिनांक 5 मई 19**75**

सं० ई०-38013(3)/1/75-प्रणा०-1-झिरिया से स्था-नान्तरित होने पर, श्री वाई० पी० जोगेश्वर, ने दिनांक 12 अप्रैल 75 के अपराह्म से केन्द्रीय श्रीचोगिक सुरक्षा बल यूनिट, बी० सी० सी० एल०, झिरिया, के सहायक कमाउंट पद का कार्यभार छोड़ दिया श्रीर उन्होंने दिनांक 17 श्रप्रैल, 1975 के पूर्वाह्म से केन्द्रीय श्रीचोगिक सुरक्षा बल यूनिट, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, के सहायक कमाउंट पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 17 मई 1975

सं० ई०-31013(2)/5/74-प्रणा०-1--राष्ट्रपति, निरी-क्षक डी० आर० लाल को विनांक 1 जनवरी, 75, के पूर्वाह्म से केन्द्रीय श्रीद्योगिक मुरक्षा बल यूनिट, सरकारी श्रफीम तथा क्षार निर्माण, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का स्थानाक्ष्म रूप से सहायक कमांडेंट, श्रागामी आदेश जारी होने तक, नियुक्त करते हैं, जिन्होंने उसी विनांक से पद का कार्यभार संभाल लिया।

विनांक 26 मई 1975

सं० ६०-38013(2)/1/75-प्रणा०-1--एम० ए० एम० सी०, दुर्गापुर, को स्थानान्तरण होने पर ,श्री लछमन दास, भारतीय पुसिस सेवा, ने दिनांक 5-5-75 के श्रपराह्न से, केन्द्रीय श्रीद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर, के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

विनांक 11 जून 1975

सं० ई०-16014(3)/21/73-प्रशा०-1-केन्द्रीय श्रीद्यो-गिंक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति की वर्तमान श्रवधि की समाप्ति होने पर गुजरात राज्य पुलिस संवर्ग को प्रत्यावतित होने पर, श्री श्रार० बी० चुदासामा ने विनाक 28 श्रप्रैल, 1975 के पूर्वाह्म से केन्द्रीय श्रीद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, श्राई० पी० सी० एल०, बड़ोदा, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

विनांक 13 जून 1975

सं र्ह०-16013(2)/1/75-प्रशा०-1---गुजरात राज्य से स्थानान्तरित होने पर, श्री बाई० बी० झाला, प्राई० पी० एस० ने श्री बी० के० झाला, प्राई० पी० एस०, के स्थान पर दिनांक

26 मप्रैल, 1975 के पूर्वाह्म से केन्द्रीय श्रौद्योगिक सुरक्षा बल यू नि	ट,
द्याई० पी० सी० एल०, बडौदा, के कमांडेंट पद का कार्यभार संभा	ल
्रिसया ।	

2. गुजरात राज्य संवर्ग को प्रत्यावर्तित होने पर, श्री वी० के० झाला, म्राई० पी० एस०, ने उसी दिनांक अर्थात 26 अप्रैल, .1975 के पूर्वाह्न से उपरोक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एल० एस० बिष्ट, महानिरीक्षक

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस महानिदेशालय नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 1975

सं शो०-II-401/69-ई० एस० टी०--प्रतिनियुक्ति की भविध समाप्ति के फलस्वरूप श्री के० नानू, उप पुलिस श्रधीक्षक की सेवाएं 31 मार्च, 1975 के प्रापराह्न से केरल सरकार के निपटान हेतु बदली।

दिनांक 17 मई 1975

सं० पी०-VII-4/74-ई० एस० टी०--राष्ट्रपति निम्न-लिखित सूबेदार मेजरों/सूबेदारों को उनकी पदीन्नति के फलस्वरूप भागामी भादेश जारी होने तक उप पूलिस अधीक्षक (कम्पनी कमांडर/ क्वार्टर मास्टर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

उन्होंने बटालियनों/ग्रुप ,सेन्टरों में उनके सामने लिखी हुई तिथियों से पद का कार्यभार संभाला।

क ०सं० ग्रधिकारीकानाम	 बटालियन /ग्रुप	 कार्यभार
7 4 -17-771 5 17 17 17	सेन्टर जिसमें	सम्भालने की
	तैनात हुम्रा	तिथि
- 1 2	3	4
1. श्री सरब सिंह		13-3-75
· ·	·	(पूर्वा०)
2. श्रीएम० बी० गौतम	54 बटा०	6-3-75
,		(पूर्वा०)
3. श्री चेत राम	2 बटा०	18-3-75
	- ,-,	(भ्रग०)
4. श्री मोहन सिंह	ग्रुप सेंटर किशनगढ़	11-3-75
# 41.1161.116	ig i de crivariq	(पूर्वा०)
 श्री बी० कृष्णा स्वामी 	14 बटा०	4-3-75
છે. આ આજ દુખ્યા (પાવા	14 4010	4-3-73 (ग्रप०)
6. श्री रामेश्वर सिंह	10 बटा०	13-3-75
७. जा रामस्परातह	10 9010	13-3-75 (पूर्वा०)
7. श्री सूबे सिंह	10 बटा०	13-3-75
7. जा पूजातह	10 4010	
A		(पूर्वा०)
🥦 🐗 खड़का बहादुर	2 बटा०	24-3-75
· ··•	· _ ~ ~	(श्रप०)
9. श्री जगमाल सिंह	ग्रुप सेंटर भुवनेश्र	4-3-75
	· ·	(पूर्वा०)
10. श्री सोहन सिंह	ग्रुप सेंटर ग्रवाडी	3-3-75
·		(पूर्वा०)

	····	
1 2 11. श्री बिशन दास	. <u>. 3</u> 19 बटा०	$\frac{4}{22-3-75}$
१४० जा जिसास पार्	18 4010	22-3-75 (भ्र प ०)
12. श्री जी० भ्रार० पुरोहित	ग्रुप सेंटर हैदराबाद	31-3-75
,	3 ((भ्रप०)
13. श्री ग्रमर सिंह राय	24 बटा०	6-3-75
•		(पूर्वा०)
14. श्री प्रीतम सिंह	42 बटा०	4-3-75
•		(म्रप०)
15. श्री शिव नारायण सिंह	ग्रुप सेंटर क्षिवेन्द्रम	11-3-75
16. श्री भान सिंह		(पूर्वा०)
16. श्रामान ।सह	ग्रुप सेंटर किशनगढ़	5-3-75 (पूर्वा०)
17. श्री सन्तोख सिंह	20 बटा०	12-3-75
12. 41 (1/11/41/10)	20 4010	(पूर्वा०)
18. श्री प्रहलाद सिंह	60 बटा०	25-3-75
		(पूर्वा०)
19ः श्री सागर सिंह	11 बटा०	15-3-75
		(ग्रप०)
20. श्री प्रहलाद पाटिल	47 बेठा०	10-3-75
		(पूर्वा०)
21. श्री भोपाल सिंह	5 बटा ०	4-3-75
		(भ्रप०)
22. श्री मस्त राम कण्यप	4 बटा०	14-3-75
23. श्री बलबीर सिंह	59 बटा०	(पूर्वा०) 14−3−75
25 जा पराणारात्तह	39 4510	14-3-75 (ग्र4०)
24. श्री भगवान सिंह	17 बटा०	5-3-75
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(पूर्वा०)
25. श्री निर्म ल सिंह	45 बटा०	8-3-75
·		(पूर्वा०)
2.6. श्री भ्रो०पी० शर्मा	59 बटा०	15-3-75
		(पूर्वा०)
27. श्री भूले राम सिंह	41 बटा०	15-3-75
		(पूर्वा०)
28. श्री हुकुम चन्द	41 बटा०	5-3-75
29. श्री रनबीर सिंह	1 सिगनल बटा०	(पूर्वा०) 6 3 7 5
25 आ रमबार ।सह	1 सिंगनल बटा ए	6-3-75 (भ्रप०)
30. श्री साही राम	2 सिगनल बटा०	7-3-75
	2111111111111	, ७ , ७ (पूर्वा०)
31. श्रीसी० के० भाष्कर कुरुष	र 3 सिगनल बटा० -	5-3-75
·		(श्रप०)
32. श्री मान सिंह	3 सिगनल बटा०	1-4-75
,		(पूर्वा०)
	19 जून 1975	
सं०् स्रो-II-83-70-स		
निवृत्त होने पर ले० कर्नल के केस के एक प्रशिक्त की की		गारतीय स्थल

सेना के एक श्रधिकारी हैं श्रौर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में डेपूटेशन

पर हैं ने 59 दिन की 1-2-75 से 21-3-75 तक सेवान्त छुट्टी पर जाते हुए कमांडेंन्ट ग्रुप सेंटर सी० ग्रार० पी० एफ० पूना के पद का कार्यभार 31 जनवरी, 1975 (ग्रुपराह्म) को त्याग दिया।

11

राष्ट्रपति ले० कर्नल के० एन० सैन को पुनर्नियुक्त किए जाने पर ग्रागामी ग्रादेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कमांडेंट के पद पर ग्रस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

उन्होंने 1 श्रप्रैल, 1975 के पूर्वाह्न से ग्रुप सेंटर सी० श्रार० पी० एफ० पूना में कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाला।

दिनांक 3 जून, 1975

सं० थ्रो—II—1007/75—स्था०—1—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्थ पुलिस दल डा० रंजन कुमार दास को नदर्थ रूप में पहले एक वर्ष के लिए केन्द्रीय रिजर्थ पुलिस दल में किनब्ध चिकित्सा ग्रधिकारी के पद पर उनके कार्य भार संभालने की तारीख से नियुक्त करते हैं।

डाक्टर रंजन कुमार दास को स्नार० टी० सी० नं० 2, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में नियुक्त कियां जाता है श्रीर उन्होंने स्नपन पद का कार्यभार दिनांक 11 मार्च, 1975 पूर्वाह्न से संभाल लिया है।

दिनांक 4 जून, 1975

सं० म्रो $-\Pi-1015/75$ —स्था० -1—सहानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्थ पुलिस दज डाक्टर भुरारी देहवरी को तदर्थ रूप में पहले एक वर्ष के लिए केन्द्रीय रिजर्थ पुलिस दल में किनिष्ठ चिकित्सा मिश्रिकारी के पद पर उनके कार्यभार संभालने की तारीख से नियुक्त करते हैं।

2. डाक्टर मुरारी देहवरी को 18 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में नियुक्त किया जाता है और उन्होंने श्रपने पद का कार्यभार दिनांक 18 श्रप्रैल, 1975 पूर्वाह्न से संभाल लिया है।

दिनांक 13 जून, 1975

र्सं० ग्रो-II-58/70-ईस्ट--ले० कर्नल एस० के० राय ने 7 दिन की श्रांजित छुट्टी (सेवा निवृत्त श्रवकाश) दिनांक 24-4-75 से 30-4-75 जाने के फलस्वरूप 23-4-75 के श्रपराह्म से केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस दल के ग्रुप सेन्टर नं० 2 में कमान्डेन्ट के पद का कार्यभार छोड़ा ।

 श्रवकाश की समाप्ति तथा पुनिनयुक्ति की श्रविध की समाप्ति के फलस्वरूप ले० कर्नल एस√ के० राय को उसी दिन से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल से भारमुक्त समझा जाएगा।

दिनांक जून 1975

सं० डी०-1-2/75-स्था०-आई० सी० एफ० एस० में उप-ग्रधीक्षक के पद पर नियुक्ति होने के कारण, श्री हरिशचन्द्र शूद उप ग्रधीक्षक, नियंत्रण कक्ष, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की सेवाएं 30 अर्प्रेल, 1975 पूर्वाह्न से श्राई० सी० एफ० एस० को सौंप दी गई।

दिनांक 19 जून, 1975

सं० भ्रो $-\Pi$ -963/74-स्था०—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वल ने कनिष्ठ चिकित्सा श्रिधकारी मुलतानी राम लाम्बा गरु सेन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ाल जम्मू का त्याग पत्न दिनांक 15-2-1975 पूर्वोह्न से स्वीकृत कर लिया।

दिनांक जून, 1975

सं० पी-VII-4-/74-स्था०--राष्ट्रपति, सूबेदार दुर्गाधान को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में अस्थाई रूप में अल्पावधिक रिक्ति के सामने उप-अधीक्षक के पद पर पदोक्षत करते हैं।

2. वे 2 सिगनल बटालियन के रि० पु० दल में स्थापक्ष किए जाते हैं और उन्होंने अपने पद का कार्यभार दिनांक 31-5-75 पूर्वाह्न को संभाल लिया है।

> एस० एन० माथुर सहायक निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय पुलिस श्रकादमी हैदराबाद, दिनांक 12 जून 1975

सं० 42/1/72—स्था०—गृह मंत्रालय की हिन्दी भिक्षण योजना के स्थाई हिन्दी अध्यापक श्री ए० एन० पाण्डे को हिन्दी भ्रमुदेशक (श्रेणी—H—राजपत्नित) के पद पर ६० 650-30-740-35-810—द० रो०-35-880-40-1000—द० रो०-40-1200 र० के वेतनमान में दिनांक 1-4-75 से स्थाई रूप से नियुक्त किया जाना है।

एस० एम० <mark>डा</mark>यज, निदेशक

वित्त मंत्रालय (श्राधिक कार्य विभाग) बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 3 जून 1975

सं० बी० ए न० पी०/ई०/स्पे०/36—भर्ती नियमों को श्रंतिम रूप दिए जाने पर श्री एन० सी० सेनगुप्ता स्थाई नियन्त्रण निरोक्षक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय की, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में नियंत्रण ग्रिधकारी के पद पर की गई स्थानापन्न नियुक्ति तारीख 20—3—75 (पूर्वाह्न) से 20—1—1976 (ग्रंपराह्न) तक नियमित श्राधार पर, निरन्तर की जाती है।

> डी० सी० मुखर्जी महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1975

सं० 565-सी० ए०-I/18-75--ग्रपर उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) न निम्नलिखित भ्रनुभाग ग्रिधिकारियों (वाणिज्य) को लेखापरीक्षा ग्रिधिकारियों (वाणिज्यक) के रूप में सहर्ष पदोन्नत किया है भ्रौर उन्हें प्रत्येक

भ्रनुभाग प्रधिकारी (वाणिज्यिक) का नाम	पदोन्नति से पूर्व जिस कार्या- लय में कार्यरत थे	कार्यालय जिसमें पदोन्नति पर लेखापरीक्षा भ्रधिकारी (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्ति की गई	(वाणिज्यिक	ग्रधिकारी) के रूप में करने की तिथि
1	2	3	4	
सर्व श्री			·	·
1. एम० पेन्करस	महालेखाकार, केरल	महालेखाकार, केरल	25-3-75	(पूर्वाह्न)
2. एम० एल० पन्धोत्ना	महालेखाकार, पंजाब	महालेखाकार, पंजाब	14-3-75	(पूर्वाह्स)
3. टी० एल० गुप्ता	सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली।	महालेखाकार, बिहार $ { m II}$, पटना	7-4-75	(पूर्वाह्म)
4. भ्रार० नटराजन	महालेखाकार, (तमिलनाडु) मद्रास	महालेखाकार, तमिलनाडु	1 7 3 7 5	(पूर्वाह्न)
5. बी० डी० गर्ग	महालेखाकार, मध्य प्रदेश	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, (कोयला) कलकत्ता	31-3-75	(पूर्वाह्न)
6. एस० बी० एस० भ्रग्नवाल	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणि- ज्यिक लेखापरीक्षा, कलकत्ता	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यक लेखापरीक्षा, कलकत्ता	4-4-75	(ग्रपराह्म)
7. भ्रार० पी० भाटिया	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली	महालेखाकार, बिहार II, पटना	7-4-75	(पूर्वाह्न)
8. के० जगनमोहन ग्राचार्य	महालेखाकार, ग्रान्ध्रप्रदेश	महालेखाकार, कर्णाटक	31-3-75	(पूर्वाह्न)
9. जी० सी० पाण्डे	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक, वाणि- ज्यिक लेखापरीक्षा, बम्बई के फ्रधीन सुख्य लेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, भोपाल	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रांची	31-3-75	(पूर्वाह्म)
10. पी० सैम्युल श्रश्लराज	महालेखाकार, तमिलनाडु	महालेखाकार, तमिलनाडु	17-3-75	(पूर्वाह्न)
11. ए० बी० एल० नारायणा	महालेखाकार, ग्रान्ध्रप्रदेश	सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, बंगलौर	31-3-75	(पूर्वाह्न)

सुषील देव भट्टाचार्य, उप निदेशक (वाणी०)

कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेण-प्रथम

इलाहाबाव, दिनांक 6 जून, 1975

सं० प्र०-1/H-144(IX)/70—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ने निम्नांकित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के आगे अंकित तिथि से आगाभी आदेश पर्यन्त इस कार्यालय में स्थानापत्र लेखाधिकारी नियुक्त किया है।

सर्व श्री

 राधेण्याम भग्रवाल 	21-4-1975
2. ज्वाला प्रसाद ग्रग्नवाल	12-5-1975
3. नाथू राम	9-5-1975
4. श्रोम प्रकाण नागवाल	29-5-1975
5. लाजपत राम गु ^र ता	29-5-1975

यू० रामचन्द्र राव, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्र०)

कार्यालय महालेखाकार, श्रसम, गेघालय, मिजोरम तथा श्ररूणाचल प्रदेश

शिलांग, दिनांक जून, 1975

सं० एस्ट-3/जी० भ्रो०/पी० सी०/1646-47-श्री चित-रंजन विश्वास, इस कार्यालय के श्रधीन लेखा सेवा के स्थाई सदस्य को जो उद्योग निदेशालय, नागालण्ड सरकार में लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त हैं, महालेखाकार का कार्यालय में दिनांक 26-12-74 (पूर्वाह्न) से लेखाधिकारी के पद पर (वेतनक्रम रू० 840-40-1000-द० रो०-40-1200/-) प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नित प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विश्वास ने परवर्ती निम्न नियम के ग्रन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति की संस्वीकृति के लिए जरूरी शर्ते परिपूर्ण की हैं।

[प्राधिकार—मि सं० एस्ट०-1/5-53/71-72, पृ० 17 एन में महालेखाकार का श्रादेश, दिनांक 28-5-75]

जे० कठपालिया, वरिष्ठ उपमहात्रेखाकार (प्र०)

कार्यालय महालेखाकार, (द्वितीय) मध्य प्रदेश ग्वालियर, दिनांक 3 जुन, 1975

सं० प्र०-6/रा० घ्र०-मे० नि०/362--श्री सदाणिव विठ्ठल राव बन्सी, स्थानापन्न लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार मध्य प्रदेश II, ग्वालियर, श्रधिवार्षिकी वय प्राप्त होने। पर दिनांक 31 मई 1975 श्रपराह्न से शासकीय सेवाश्रों से सेवा निवृत्त हुए।

एम० एम० नरसिंहानी, उप महालेखाकार, प्रशासन

''लेखा परोक्षा एवं लेखा. विभाग'' मीर्षक के स्रतर्गत

श्रीनगर दिनाँक

सं । महालेखाकार जम्मू व कश्मीर ने श्रागामी श्रादेश तक के लिए इस कार्यालय के ग्रधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य श्री दुर्गानाथ को 31 मई, 1975 के श्रपराह्म से लेखा श्रधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

पी० के० बोस वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रशासन तथा अधिकरण

कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० प्र०-17-14-72--- प्रधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा, के स्थाई सदस्य श्री हरचरन सिंह, श्रनुभाग श्रिष्ठकारी को श्रागामी श्रादेश तक दिनांक 27 मई, 1975 पूर्वाह्न से स्थानापन्न तौर पर मण्डल लेखा परीक्षा कार्यालय, उत्तर रेलवे, बीकानेर में लेखा परीक्षा ग्रिधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

> के० एस० रंगामूर्ति, मुख्य लेखा परीक्षक

नई दिल्ली-1, दिनांक जून, 1975

सं० प्र०-17-22/73--मुख्य लेखा परीक्षक, उत्तर रेल^{वे} ने सर्वश्री मुल्कराज ढींगरा, श्रजायद्य सिंह टाकुर, सुदर्णन चन्द्र, श्रोम प्रकाश ब्टा और राधेश्याम शर्मा को लेखा परीक्षा अधिकारी के कैंडर में दिनांक 1 मार्च, 1975 से स्थाई रूप में नियुक्त किया है।

> रामः कृष्ण वर्माः, उपमुख्य लेखा परीक्षक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

मुख्यलेखा-परीक्षक का कार्यालय गुवाहाटी-11, दिनांक 4 जून, 1975

सं० ए० डी० एम० एन०/5-16/58/63/35—श्री पी० लाहिड़ो को जो 840-40-1000 द० रो०-40-1200 ६० के बेतनमान में स्थानापन्न लेखा-परीक्षा श्रिधकारी के रूप में काम कर रहे थे, दिनांक 1-3-1975 से उसी वेतनमान म मूल रूप से नियुक्त किया जाता है।

ए० पी० घोष, मुख्य लेखा परीक्षक

मुख्य लेखा परीक्षक ना कार्यालय, मध्य रेलवे बम्बई, दिनांक 1975

श्री सी ब्लेंब भगतानी, स्थाई अनुभाग अधिकारी (लेंबा परीक्षा) जो कि इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, को एतद्द्वारा 1-3-74 से लेखा परीक्षा अधिकारी के स्थाई पद पर मूल रूप से नियुक्त किया जाता है। पी० सी० कल्ला मुख्य लेखा परीक्षक

> कार्यालय निदेशक, रक्षा परीक्षा, रक्षा सेवाएं नई दिल्ली, दिनांक 1975

सं० ए० प्रणासन/130/75—निदेणक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थाई सदस्य श्री सी० आर० गांगुली को निदेणक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली में दिनांक 16-6-75 से स्थानापन्त लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में अगले आदेश पर्यन्त सहुर्य नियुक्त करते हैं।

श्रार० भाष्यम् लेखा परीक्षा ग्रधिकारी रक्षा सेवाएं

रक्षा लेखा विभाग कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक नई दिल्ली, दिनांक 3 जुन, 1975

सं० 40011 (2)/74—प्रणा०-ए० (1)—सिविल सेवा विनियमावली जिल्द I के प्रानुष्ठिद 459 (i) के प्रावधानों के ग्रन्तगंत स्वेष्छा से निवृत्ति का नोटिस दे दिए जाने पर श्री गुरुवक्स सिंह जोहर, स्थानापन्न लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० ग्रो० 366) रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून के संगठन में सेवारत को 25 जुलाई 1975 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को ग्रन्तरित किया जाएगा।

श्री गुरूबक्स सिंह से संबंधित इस विभाग की ग्रिधिसूचना सं० 40011 (2)/74 प्रशा०-ए०-दिनांक 25-3-75 की कम सं० 6 के सामने की प्रविष्टियां रह की जाती हैं।

2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा लेखा नियंत्रक पटना के संगठन के श्री बी बी बी गांगुली, स्थाई लेखा ग्रिधकारी (रोस्टर संब्पी बी के 6-4-1975 के हुए निधन को खेद के साथ श्रीधसूचित करते हैं।

तदनुसार श्री बी० बी० गांगुली को विभाग की नफरी से 7-4-1975 पूर्विह्न से निकाला जाता है।

एस० के० सुन्दरम रक्षा लेखा ग्रपर महा नियंत्रक (प्रशा०)

रक्षा मंत्रालय भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां महानिदेशालय श्रार्डनेन्स फैक्टरियां कलकत्ता-700069, दिनांक 29 मई 1975

सं 1/75/एम०—-राष्ट्रपति, डा० डी० पी० राय, स्थाई सहायक सर्जन ग्रेड—I, राइफल फैक्टरी, ईशापुर को दिनांक 1-10-74 से एक वर्ष की सेवा, वृद्धिस्वीकृत करते हैं।

न्नार० एम० मुजुमदार महानिदेशक, श्रार्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 13 जून, 1975

सं० 21/75/जी०—वार्धक्य निवृति स्रायु प्राप्त करने पर, श्री जरनैल सिंह, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक (स्थाई स्टोर-होल्डर) दिनांक 30 श्रप्रैल, 1975 (स्रपराह्न) से सेवा निवृत हुए।

सं० 22/75/जी०—राष्ट्रपति ने श्री एस० पी० चटर्जी स्थाई सहायक प्रबन्धक (इन्स्टीट्यूट श्राफ श्रामीमेन्टस्, रांची को परखावधि पर) का त्याग पत्न दिनांक 18 श्रप्रैल, 1972 से स्वीकार किया।

न्नार० सुन्दरम् सहायक महानिदेशक

वाणिज्य भंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली, दिनांक मई 1975 ग्रायात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण स्थापना

सं० 6/276/54—प्रणा० (जी०)-I—-श्री के० एस० नागर-कट्टी, उप-मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात, पणजी (गोवा) को निवृत्ति पूर्व, 5-5-75 से 88 दिनों का श्रींजत श्रवकाण स्वीकृत कर दिया गया है श्रौर उन्हें श्रपने श्रव π ाण में 4 मई, 1975 को जो कि सरकारी शुट्टी है उसे पहले जोड़ने के लिए स्वीकृति दी गई है।

श्री नागरकट्टी सरकारी सेवा से 31-7-1975 (पूर्वाह्म) को निवृत्त होने वाले हैं।

दिनांक जुन 1975

सं० 6/898/70-प्रणा० (राज०) — सेवा निवर्तन भ्रायु प्राप्त होने पर, श्री जे० एम० सिन्हा ने 31 मई, 1975 के ग्रपराह्न को इस कार्यालय में नियंत्रक, भ्रायात-निर्यात के पद का कार्यभार सौंप दिया।

सं० 6/895/70—प्रशा० (राज०)—I——केन्द्रीय सर्चिवालय सेवा के प्रवरण श्रधिकारी वर्ग के स्थाई श्रधिकारी, श्री ए० एम० श्रीनिवासन ने सेवा निवर्तन ग्रायु होने पर, मुख्य नियंत्रक, श्रायात निर्यात के निजी सचिव के पद का कार्यभार 31 मई, 1975 के अपरास्त्र को इस कार्यालय में सौंप दिया।

बलदेव कुमार मुख्य नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक मई 1974

सं० 6/1060/74-प्रशा० (राज०)-I—मुख्य नियंत्रक ध्रायात-निर्यात इसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुक्क समाहर्त्तालय दिल्ली में निरीक्षक श्री एम० ध्रार० रत्ती को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में 9-5-75 के पूर्वाह्न से ध्रगला द्यादेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप में नियंत्रक, श्रायात-निर्यात क्लास-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) नियुक्त करते हैं।

2. श्री एम॰ श्रार॰ रती 650-30-740-35-810-द॰ ग्र॰-35-880-40-1000-द॰ ग्र॰-40-1200 रुपए के वेतनमान में नियमों के श्रनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

सं० 6/1035/74-प्रशा०(राज०)-I--मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात इसके द्वारा कृषि तथा सिचाई मंत्रालय, विपणन तथा निरीक्षण (निदेशालय में सहायक विपणन अधिकारी, श्री आर० पी० धनुदियाल को उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय पणजी, गोवा में 5-5-75 के पूर्वाह्म से अगला आदेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप में नियंत्रक, आयात-निर्यात, क्लास-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) नियुक्त करते हैं।

श्री भ्रार० पी० धनुदियाल 650-30-740-35-810-द० भ्र०-35-880-40-1000-द० भ्र०-40-1200 रुपए के बेतनमान में नियमों के श्रनुसार बेतन प्राप्त करेंगे।

ए० टी० मुखर्जी उप-मुख्य नियंत्रक कृते मुख्य नियंत्रक

वस्त्र ग्रायुक्त कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 20 मई 1975

सं० सी० ई० म्रार०/6/75—सूती वस्त्र (नियंत्रण) ग्रादेश, 1948 के खंड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से मैं एतद्द्वारा वस्त्र ग्रायुक्त की ग्रिधसूचना सं० टी० सी० (4)/58, दिनांक 7 मार्च, 1958 में निम्नलिखित ग्रितिरिक्त संशोधन करता हूं, ग्रर्थात्:— उक्त ग्रिधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तंभ 2 ग्रौर 3 में कम संख्या 20 के सामने की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जाएंगी, ग्रर्थात :--

1. निदेशक, नागरिक संभरण, पणजी

2

- 2. उप-निदेशक, नागरिक संभरण, पणजी
- 3. निरीक्षक, नागरिक संभरण
- उप-निरीक्षक, नागरिक संभरण
- 5. सहायक निरीक्षक, नागरिक संभरण
- 6. नागरिक प्रशासक, दीव
- 7. खंड विकास श्रधिकारी, दमण

गोवा, दमन श्रौर दीव का संघ ग्रासित क्षेत्र

3

दिनांक 4 जून 1975

सं० सी० ई० ग्रार०/3/75---सूती वस्त्व (नियंत्रण) श्रादेश, 1948 के खंड 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्-द्वारा वस्त्व श्रायुक्त की ग्रिधसूचना सं० सी० ई० श्रार०/3/69, दिनांक 19 सितम्बर, 1969 में निम्नलिखित श्रितिरिक्त संशोधन करता हूं, श्रर्थात्:---

उक्त ग्रधिसूचना में,--

पैराग्राफ तीन के खंड (2) के स्थान पर निम्न खन्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, ग्रर्थात :---

"(2) "संमिश्र वस्त्र" ये शब्द उस वस्त्र पर जो श्रंगतः रूई से श्रौर ग्रंगतः कृत्रिम रेशम से (ग्रार्ट सिल्क) या श्रंगतः रूई से श्रौर श्रंगतः ऊन से निर्मित हो श्रौर जिसमें रूई की मात्रा, वजन के श्राधार पर, 40% से श्रधिक लेकिन 75% से कम हो।

परन्तु यह कि विनिर्माता "संमिश्र वस्त्र" इन शब्दों के पहले प्रति भेद का प्रचलित नाम जिससे वह वस्त्र सामान्यतः जाना जाता है और वस्त्र में इस्तेमाल किए गए विभिन्न प्रकार के सूतों की वास्त-विक प्रतिशत मान्ना की मोहर लगाएगा, उदाहरणार्थ:——

'धोती-60% रूर्द 40% म्रार्ट सिल्क (पोलिएस्टर)-संमिश्र वस्त्र'

टिप्पणी:—"उपर्युक्त उदाहरण केवल निर्देशन के लिए है। मोहर लगाते समय विनिर्माता रूई के ग्रंश या भ्रार्ट सिल्क या ऊन के ग्रंश की वास्तविक प्रतिशत माला की मोहर लगाएगा जो संमिश्र वस्त्र के ताने भ्रौर बाने दोनों में इस्तेमाल की गई संपूर्ण सूत की माला के प्रतिशत के रूप में होगी। ऐती दशा में जहां कि भ्रार्ट सिल्क का सूत संमिश्र वस्त्र के एक संघटक के रूप में इस्तेमाल किया गया हो तो उसका प्रजाति नाम "भ्रार्ट सिल्क" इन शब्दों के तुरन्त बाद ही कोष्ठक में छापा जाएगा, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में बतलाया गया है।"

गौरी शंकर भार्गव संयुक्त वस्त्र ग्रायुक्त

बम्बई-20, दिनांक 23 जून 1975

सं० ई० एस० टी०-1-2(415)--सेवा निवृत्ति की स्रायु प्राप्त कर लेने पर वस्त्व स्रायुक्त के कानपुर स्थित प्रादेशिक कार्यालय के उप-निदेशक (पी० स्रीर डी०) श्री नरेशचन्द्र बन्द्योपाध्याय 30-4-1975 के स्रपराह्म से सेवा निवृत्त हो गए।

> राजेन्द्र पाल कपूर वस्त्र श्रायुक्त

पटसन श्रायुक्त का कार्यालय दिनांक 21 मई 1975

सं० जूट (ए)/490/65—पटसन श्रायुक्त इस कार्यालय के स्थानापन्न लागत लेखाकार (श्रेणी-II राजपत्नित) श्री एस० बनर्जी को दिनांक 24 जून, 1975 (श्रपराह्न) में, बम्बई स्थित भारत सरकार के टकसाल में सहायक लागत लेखाधिकारी का पद-भारसंभालने के लिए इस कार्यालय के कार्यभार से निर्मुक्त करते हैं।

एन० के० राय प्रशासनाधिकारी कृते पटसन म्रायुक्त

उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मन्द्रालय विकास श्रायुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 1975

सं० 12/678/71-प्रशासन (राज०)—पदावनः होने पर श्री गुलफाम दास साहनी ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद का कार्यभार दिनांक 1 फरवरी 1975 के पूर्वाह्म में छोड़ा।

सं० 12/700/71-प्रशासन (रिजि०)— विकास प्रायुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली, लघु उद्योग सेवा संस्थान, तिचूर में स्थायी प्रधीक्षक श्री के० ए० चन्द्रन को, लघु उद्योग सेवा संस्थान, तिचूर में, सहायक निदेशक (वर्ग-2) सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री के० ए० चन्द्रन ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, तिचूर में सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद का कार्यभार दिनांक 10 ग्रप्रैल, 1975 के पूर्वाह्म में संभाला।

दिनांक 3 जून 1975

सं० 12/632/69-प्रशासन (राजपितत)—प्राई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत मौरीशस सरकार में प्रतिनियुक्ति के प्रत्यावर्तन के प्रवात श्री ओ० सी० रिवर्डस ने बिकास आयुक्त लधु उद्योग, नई दिल्ली के कार्यालय में, 12 मई 1975 की पूर्वाह्म को सहायक निदेशक (ग्रेड-II) सिविल इंजीनियरी के पद का कार्य-भार ग्रहण किया।

दिनांक 24 जून 1975

सं० ए० 19018/178/75-प्रणा० (राज०)—विकास स्रायुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर के स्रधीक्षक श्री णिव दयाल को, प्रवकाण की स्वीकृति पाने वाले श्री पी० के० गुहा, के स्थान पर, दिनांक 5 मई, 1975 से 21 जून, 1975 तक के लिए, तदर्थ स्राधार पर, उसी संस्थान में, सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० वी० नारायणन निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली-1, दिनांक मई 1975

सं० प्र०-1/1 (1024)— महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशक, कानपुर के कार्यालय में अवरक्षेत्राधिकारी श्री जे० के० एस० पायल को 29 मार्च, 1975 के पूर्वाह्म से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी निदेशालय कानपुर में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री जे० के० एस० पायल की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति पूर्णत: ग्रस्थायी तथा श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय, दिल्ली में दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के मिर्णय के ग्रधीन होगी।

सं प्र प्र प्र | 1 (853) — उप निदेशक, लेबर ब्यूरो शिमला के पद पर निधुक्ति के लिए चुने जाने पर भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-IV के श्रिधिकारी श्री टी० सिंह ने पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय, नई दिल्ली में दिनांक 30 अर्थेल, 1975 के श्रपराह्म से सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (ग्रेड-I) का पदभार छोड़ दिया।

दिनांक 29 मई 1975

सं० प्र०-I/I(1025)— महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में भ्रवर क्षेत्र श्रक्षिकारी श्री राजपाल चौपड़ा को दिनांक 15 मई, 1975 के पूर्वाह्म से तथा श्रागामी श्रादेशों के जारी होने तक इसी महानि-निदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेंड-II) के पद पर तदर्थ श्राधार पर स्थानापम्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री चौपड़ा की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के रूप में नियुक्त पूर्णतः ग्रस्थायी ग्राधार पर तथा श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा उच्च स्यायाजय दिल्ली में दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के निर्णय के ग्राधीन होगी।

दिनांक जून 1975

सं० प्र०-1/1 (952) — महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में प्रधान लिपिक श्री बी० पद्मन को दिनांक 21 मई, 1975 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान निदेशक, बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रणासन) (ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ श्राधार पर नियुक्त करते हैं। श्री पद्मन की यह निधुक्ति श्री सी० एल० चावला सहायक निदेशक (प्रशासन) (ग्रेड-I) जो श्रवकाश पर चले गए हैं के स्थान पर श्रागामी श्रादेशों के जारी होने तक की गयी है।

सं० प्र-I/1(843)—-राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान महा-निदेणालय, नई दिल्ली में सहायक निदेणक (ग्रेड-I) (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड-III) श्री एस. के० गर्ग का सेवा से त्यागपत्न एक श्रप्रैल, 1975 से स्वीकार करते हैं।

सं० प्र०-I/1 (920) --- श्री राधाचरण ने भारतीय बन सेवा में नियुक्ति कें लिए चुने जाने पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में दिनांक 3 मार्च, 1975 के ग्रपराह्म से सहायक नि-देशक (ग्रेड-1) (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड-III) का पदभार छोड़ दिया ।

> के० एस० कोहली उपनिदेशक (प्रशासन)

प्रशासन गाखा-6

नई विल्ली, दिनांक मई 1975

स० प्र०६/247(242)/59—स्थायी सहायक निदेशक, निरीक्षण (इंजी०) श्रीर पूर्ति तथा निपटान महा- निदेशालय के ग्रधीन कलकत्ता निरीक्षण मंडल में भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी-L के ग्रेड-L में स्थानापन्न निरीक्षण निदेशक श्री के० के० दास दिनांक 30-4-75 के श्रपराह्न से निर्वतन श्रामु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० प्र0-6/247(454)/63—राष्ट्रपति, सहायक निरोक्षण प्रधिकारी (वस्त्र) श्री जी०बी० प्रमाणिक को दिर्नाक 22-4-75 से श्रागामी श्रादेशों के जारी होने तक भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी-1 के ग्रेड-111 की वस्त्र शाखा म नियुक्त करते हैं।

श्री प्रमाणिक ने दिनांक 11-4-75 के श्रपराह्म से मद्रास निरी-क्षण मंडल में सहायक निरीक्षण ग्रधिकारी (वस्त्र) का पदभार छोड़ दिया तथा 22-4-75 के पूर्वाह्म से बम्बई निरीक्षण मंडल, बम्बई में निरीक्षण ग्रधिकारी (वस्त्र) का पदभार सम्भाल लिया

सं० प्र०-6/74(4)/58-XV---राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण स्कंध के निम्निलिखित ग्रधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से निरीक्षण निदेशक के स्थायी पद पर स्थायो रूप से नियुक्त करते हैं:---

ऋम सं०	नाम	वर्त	मान पद	पद जिस पर∕ स्थायी हुए	स्थायी होते की तारी ख	श्रभ्युक्तियां
सर्वं श्री 1. एस० एन०		स्थानापन्न निदेणक	निरी क्ष ण	निरीक्षण निदेशक भारतीय निरीक्षण सेवा श्रेणी-II के ग्रेड-I	4-5-72	श्री पी० जी० वी० राव के स्थान पर जो 3-5-72 (ग्रपराह्न) से सेवा मुक्त हुए।
2. पी० के० च	कवर्ती	स्थानापन्न निदेशक	निरोक्षण (सेवा मुक्त)	बहो	27-8-72	श्री हरनाम सिंह के स्थान पर जिसका 26-8-72 को निधन हो गया।

के० एल० कोहली उप निदेशक (प्रशासन) **कृते** महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात श्रीरखान मन्त्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खनि विभाग

नागपुर, दिनांक 24 मई 1975

सं० ए० 19012 (67)/74-सिब्बन्दी ए० — प्रिक्षसूचना सं० ए० 19012 (67)/74-सिब्बन्दी ए० दिनांक 22 नवस्बर, 1974 की प्रनुवृत्ति में श्री प्रेम, श्रीवास्तव, प्रर्थ-स्थायी प्रवर तकनीकी सहायक (भूविज्ञान) को दिनांक 31-3-1975 के पूर्वाह्न से ग्रागमी ग्रादेश होने तक इस विभाग में स्थायी ग्राधार पर सहायक खनन भूवेज्ञानिक के पद पर स्थानापन्न रूप में पदोक्षति दी जाती है।

डी० एन० भागंव, नियन्त्रक

नागपुर, दिनांक मई 1975

सं०ए० 19012 (43)/71-सिब्बन्दी श्र--श्री डी० एन० घारे, स्थानापन्न उप पुस्तकाध्यक्ष को दिनांक 1 मई, 1975 के पूर्वाह्म से श्रागामी श्रादेश होने तक भारतीय खनि विभाग में पुस्तकाध्यक्ष के पद परस्थानापन्न रूप में तदर्थ श्राधार पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 7 जून 1975

सं० ए० 19011 (66)/70-स्था० ए०—-राष्ट्रपति भार-तीय खिन विभाग के सहायक धातुक प्रसाधन श्रिधकारी श्री पी० बी० बाबू को 24 मई, 1975 के पूर्वाह्म से उसी विभाग म तदर्थ श्राधार पर स्थानापन्न रूप में उप-धातुक प्रसाधन श्रिधकारी के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी यह नियुक्ति 6 मास या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नामित व्यक्ति के उस पद पर श्राने तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। सं० ए० 19012(71)/75-स्था० ए०—-श्री एच० एस० कृष्णास्वामी, स्थायी प्रवरतकनीकी सहायक (खनन) को विनाक 29-5-75 के पूर्वाह्म से ग्रागामी ग्रादेश होने तक भारतीय खनि विभाग में तदर्थ ग्राधार पर सहायक खनन इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 18 जून 1975

सं० ए० 19012 (69)/75-स्था० ए०--श्री पी० श्रीनियासुलु, स्थायी प्रवर तकनीकी सहायक (खंनन) को 31-5-75 के पूर्वाह्म से श्रागामी श्रादेश होने तक भारतीय खनि विभाग में सहायक खनन इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 19011 (33)/70-स्था० ए०—भारतीय खित विभाग के स्थायी उप-खितज अर्थशास्त्र तथा स्थानापन्न खितज अर्थशास्त्री श्री श्रार० के० सिन्हा ने माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन श्रॉक इण्डिया लि० में प्रमुख प्रबन्धक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर दिनांक 19 जून, 1975 के श्रपराह्म से इस विभाग में खिनज अर्थशास्त्री के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

> ए० के० राघवाचारी प्रवर प्रशासन ग्रधिकारी **कृते** नियन्त्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकता-13, दिनांक 1975

सं० 2222 (पी० के०)/19ए०-श्री पी० कुमारगुरु को भारतीय भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवेज्ञानिक के रूप में 650 रु० मासिक के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के के वेतनमान पर श्रस्थायी क्षमता में, श्रागे श्रादेश होने तक, 4-4-1975 के पूर्वाह्म से नियुक्त किया जाता है।

सं० 2222(के०एस०)/19 ए० श्री कुमुद शर्मा को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 650 ६० मासिक के प्रारंभिक बेतन पर 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 ६० के बेतनमान पर श्रस्थायी क्षमता में, श्रागे श्रादेश होने तक, 11-3-1975 के अपराह्म से नियुक्त किया जाता है।

सं० 2586 (बी०पी० जी० ध्रार०)/19ए०-भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशासनिक ध्रधिकारी श्री बी० पी० गुहाराय की मृत्यु 18 श्रप्रैल, 1975 को हुई।

सं० 2222(एस०सी०एम०)/19ए०-श्री सुरेश चन्द्र महरोत्ना को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-74035-810-द०रो०-35-880-40-1000 द०रो०-40-1200 रू० के वेतनमान में भ्रस्थाई क्षमता में आगे आदेश होने तक 26-2-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया गया है।

> सी० करुणाकरन महानिदेशक

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय संग्रहालय

कलकत्ता 13, दिनांक 17 मई 1975

सं० 4-107/75-स्थापना—निदेशक, भारतीय भानव-विज्ञान सर्वेक्षण, इस सर्वेक्षण के ग्रंडमान एवं निकोबार कार्यालय, पोर्ट बलेयर में श्री सुजीत सोम को 8 मई, 1975 की पूर्वाह्न से ग्रंगले आदेशों तक सहायक कीपर के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त करते हैं।

> सीं० टीं० थोमस वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग महासर्वेक्षक का कार्यालय देहरादून, दिनांक 2 जुन 1975

सं० गो० 4966/718-ए०-श्री एच० डी० चक्रवर्ती, स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्र उत्पादन केन्द्र), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद, जोकि 700-30-760-35-900 रु० के वेतन मान में हैं, को इसी संस्थान में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सा० के० से० श्रेणी-II) के पद पर 840 रु० प्रति माह्य वेतन पर 840-40-1000-द०रो०-40-1200 रु० के वेतन मान में दिनांक 25 अप्रैल, 1975 (पूर्वाह्न) से अगले श्रादेश दिए जाने तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

सं० गो० 4967/718-ए०--महासर्वेक्षक कार्यालय के निम्निलिखत स्थानापन्न प्रधीक्षकों, को स्थापना एवं लेखा ग्रधिकारी (सा० के० से० श्रेणी-II) के पद पर 840 रु० प्रतिमाह वेतन पर 840-40-1000-द०रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, उनके सामने दी गई तारीख से श्रगले ग्रादेश दिए जाने तक स्थानापन्न रूप में तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त किया जाता है :---

क्रमांक नाम	तारीख	कार्यालय जिसमें नियुक्ति की गयी
		है
1. श्री जगत सिंह	26-4-75	उत्तर पूर्वी सर्किल
	(पूर्वाह्म)	भिलोग
2. श्री बी० एन० नैथानी	29-4-75	पूर्वी सर्किल,
	(पूर्वाह्न)	कलकत्ता
		हरी नारायण

हरी नारायण महा सर्वेक्षक नियुक्ति प्राधिकारी

प्रतिभति कागज कारखाना

होशंगाबाद, दिनांक 20 जून 1975

इस कार्यालय की श्रिधसूचना क्रमांक पी० डी० 7/1438 दिनांक 15-5-75 के श्रागे श्री पीटर जाय फोरमेन को 18-6-75 से 9-7-75 की श्रोर श्रवधि के लिए प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में रु० 840-40-1000 ई०बी०-40-1200 के वेतन मान में सहायक कार्य प्रबन्धक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की श्रनुमति दी जाती है चूंकि श्री एम० पदमनाभन् सहायक कार्य प्रबन्धक छुट्टी पर हैं।

श० रा० पाठक, महाप्रबन्धक

ग्राकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1975

सं० 4(22)/75-एस-एक—महानिदेशक, श्राकाणवाणी, एतद्द्वारा श्री दीवान वीरेन्द्र मोहन श्रोसवाल को 14 मई, 1975 से अग्रेतर श्रादेशों तक, दूरदर्शन केन्द्र, श्राकाणवाणी, श्रीनगर में, श्रस्थायी श्राधार पर, कार्यत्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक जून 1975

सं० 4(51)/75-एस-एक--महानिदेशक, श्राकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री देवकुमार नाथ को 9 मई, 1975 से श्रग्नेतर ब्रादेशों सक, ग्राकाशवाणी, गौहाटी में, श्रस्थायी ब्राधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 4(52)/75-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतव्बारा श्री अविनाश सारमण्डल को 12 मई, 1975 के अप्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, रामपुर में, अस्थायी आधार पर, कार्य-क्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 11/7/68-एस-एक---धी जे० के० दोषी की भारतीय अंतरिक अनुसंधान संगठन के अहमदाबाद स्थित अंतरिक प्रयोग केन्द्र में दो वर्ष की अवधि के लिए इतर सेवा के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति होने के परिणामस्वरुप उन्होंने 2 अप्रैल, 1975 (अपराह्न) को आकाशवाणी, जयपुर में श्रोतृगण अनुसंधान अधिकारी पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 16 जून 1975

सं० 5(23)/67-एस-एक--महानिदेशक, स्राकाणवाणी, एतद्द्वारा श्री ए० के० बसु मिलक, प्रसारण निष्पादक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, श्राकाणवाणी, कलकत्ता को 3 मई, 1975 से अग्रेतर श्रादेशों तक, श्राकाणवाणी, जालन्धर में अस्थायी श्राधार पर कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 18 जुन 1975

सं० 4(118)/75-एस एक---महानिदेशक, श्राकाशवाणी, एतद् द्वारा श्री एस० एम० शमीम ग्रहमद को 29 मई, 1975 पर, ग्रग्नेतर ग्रादेशों तक, ग्राकाशवाणी, पूना में, ग्रस्थायी श्राधार कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुत्त करते हैं।

दिनांक 18 जून 1975

सं० 5(101)/67-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री बी० एच० भामरे प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, ग्रहमदाबाद को 28 मई, 1975 के अप्रेतर आदेशों तक, आकाश-वाणी, सांगली में, अस्थायी आधार पर कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करतें हैं।

सं० 5(121)/60-एस० एक—-श्री टी०एच० राव, कार्यक्रम निष्पादक, भ्राकाशवाणी, मद्रास का दिनांक 2 जून, 1975 को देहाबसान हो गया ।

सं० 4(33)/75-एस०-एक--महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती सन्तोष रजनीश को 20 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, जयपुर में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

संव 4(83)/75-एसव-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती माया इसरानी को 17 मई, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी जयपुर में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 4(93)/75-एस०-एक—महानिदेशक, स्राकाणवाणी, एतद्द्वारा श्री पी० टी० मारवेई को 27 मई, 1975 से अप्रेतर स्रादेशों तक, ग्राकाणवाणी, णिलांग में, ग्रस्थायी श्राधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

शान्ति लाल, प्रशासन उपनिदेशक कृते महानिदेशक

.नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 1975

सं० 2(4)/74 एस०-तीन — महानिदेशक, श्राकाशवाणी एतद्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ इंजीनियरी सहायकों को उनके नामों के श्रागे लिखी तारीकों से श्रग्नेतर श्रादेशों तक उनमें से प्रत्येक के नाम के श्रागे उल्लिखित केन्द्र/कार्यालय में सहायक इंजीनियर के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए नियुक्त करते हैं:—

ऋ० स० नाम	तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तिथि
 श्री एन० सी० जैन, उ० ग० थे० खामपुर, दिल्ली । 	श्चाकाशवाणी, शिलांग	1-4-75
 श्री तिलीचन सिंह कुमार, उ० ग्र० प्रे० किंग्सवे, दिल्ली । 	स्राकाणवाणी, नई दिल्ली ।	2-4-75

क०सं०	तैनातीकास्थान नियु	क्त की तारीख
 श्री बी० बी० माथुर, कार्यालय, क्षेत्रीय इंजी नियर (उत्तर) झाक वाणी, नई दिल्ली 	ाग- खामपुर ।	7-4-75
 श्री एम० सेत्वाराज, विज्ञापन प्रसारण सेवा श्राकाशवाणी, तिवेन्द्रः 		11-4-75
 श्री के० एम० जार्ज कुः ग्राकाशवाणी, त्रिवेन्द्रग्र 	•	29-4- 7 5

प्रेम कुमार सिन्हा, प्रशासन उपनिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक मई 1975

सं 3/105/60-एस-दो—महानिदेशक, श्राकाणवाणी, श्री जी के मोहन्ती, लेखाकार व मुख्य लिपिक, विज्ञापन प्रसारण सेवा साकाणवाणी, कटक को, श्री श्रार० लोकनन्दन, प्रशासनिक श्रधिकारी, जो छुट्टी पर है के स्थान पर, दिनांक 20-5-75 (श्रपराह्म) से श्राकाणवाणी, इम्फाल में, प्रशासनिक श्रधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

इन्द्र सैन पाँधी, ग्रनुभाग ग्रधिकारी, कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक मई 1975

सं ० ए०-12026/7/73-प्रशासन-1--निदेशक, प्रकाशन विभाग, श्री सी० बी० गुप्ताः व्यापार कार्यकारी को सहायक व्यापार व्यावस्थापक के पद पर 15 मई, 1975 के पूर्वाह्न से श्री नगेन्द्र मिश्रा, सहायक व्यापार व्यवस्थापक को व्यापार व्यवस्थापक नियुक्त हुए हैं, के स्थान पर नियुक्त करते हैं।

मदन लाल टंडन, उप-मिदेशक (प्रशासन)

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 20 जून 1975

सं० ए-19012/5/74-सिबन्दी-I— फिल्म प्रभाग के प्रमुख निर्माता ने श्री व्हि० व्हि० जोगलेकर, स्थाई शाखा प्रबन्ध के स्था- नांतर के कारण श्री ए० के० नारंग को फिल्म प्रभाग बम्बई विभाग में दिनांक 17 जून, 1975 के श्रपराह्म से शाखा प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया।

एम० के० जैन, सहायक प्रशासकीय श्रधिकारी, कृते प्रमुख निर्माता

स्वास्थ्य सेवा महानिवेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1975

सं० 11-3/74-एडमिन-1--राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचि-वालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री एच० एस० ढकालिया को 2 जून 1975 के पूर्वाह्न से 17 जूलाई 1975 तक 46 दिनों की अवधि के लिए श्री के० वेणुगोपाल के छुट्टी पर चले जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर केन्द्रीय सविवालय सेवा के ग्रेड-1 में स्थानापन्न रूप मे नियुक्त किया है।

2. राष्ट्रपति ने श्री एच० एस० ढकः लिया की इस निदेशालय में उपर्युक्त अवधि के लिए उपनिदेशक (प्रशासन) के पद पर भी नियुक्त किया है।

नई दिल्ली-110011, दिनांक

1975

सं० 13-1/75-हिन्दी—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने निम्न-लिखित को उनके नाम के श्रागे उल्लिखित तारीख से तथा श्रागामी श्रादेशों तक सफदरजंग श्रस्पताल, नई दिल्ली में दन्त-चिकित्सक के पद पर तदर्थ श्राधार पर नियुक्त किया है:—-

डा० श्याम लाल 28-5-75 (पूर्वाह्न)

2. डा० (श्रीमती) रमा भाटिया 26-5-75 (पूर्वाह्न) सूरज प्रकाश जिन्दल, उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० 48-19/73-सी०एच०एस०-1--जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, में संघ लोक सेवा आयोग के नामित द्वारा कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (रेडियम विज्ञान) के पद का कार्यभार सम्भाल लेने के परिणामस्वरुप तदर्थ आधार पर नियुक्त डा० बी० के० हरि ने 26 फरवरी, 1975 के अपराह्म से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 48-42/73-सी० एच० एस०-1— जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं ग्रनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, में संघ लोक सेवा ग्रायोग के नामित द्वारा कनिष्ठ चिकित्सा ग्रधि-कारी (बाल रोग) के पद का कार्यभार संभाल लेने के परिणामस्वरुप तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त डा० एम० बी० रघु ने 17 फरवरी, 1975 के ग्रपराह्न से ग्रपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

रबीन्द्र नाथ तियारी, उप-निदेशक प्रशासन

दिल्ली दुग्ध योजना

नई दिल्ली 8, दिनांक 24 मई 1975

सं० 2-20/59-स्था०-1(विशेष)--दिल्ली दुग्ध योजना के ब्रध्यक्ष ने--श्री धर्मचन्द बिदानी, सहायक-प्रशासन अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना को, 30 श्रप्रैल, 1975 (श्रपराह्न) से छः माह से अनिधक अवधि के लिए प्रशासन अधिकारी (राजपितति द्वितीय श्रेणी), बेतनमान में 840-40-1000-द०रो०-40-1200, के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ आधार पर है।

डी० बी० एलावादी, कार्मिक ग्रधिकारी

तक

भारतीय डाक-तार विभाग टेलीफोन

मद्रास, दिनांक 18 जून, 1975

सं० ए०एस०टी०/ए०ब्रो०/vi/88—मद्रास टेलीफोन जिले के महाप्रबन्धक द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापालों को मद्रास टेलीफोन जिले में स्थानापन्न लेखा ग्रधिकारी के पद पर स्थानीय व्यवस्था के श्रन्तर्गत प्रत्येक के सामने सूचित कासाव धि के लिए नियुक्त किया जाता है।

से

क्रम लेखा ग्रधिकारी के पद पर

संख्या पदोन्नति किए गए व लेखापालों के नाम	रिष्ठ	· · ·
1. श्री ए० गुरमूर्ति	19-8-74 (पूर्वाह्म)	3 1- 3- 7 5 (श्रपराह्न)
2. श्री भ्रार० राजगोपालन	19-8-74 (पूर्वाह्न)	9- 1-75 (पूर्वाह्न)
3. श्री श्रार० राजगोपालन	1 8- 1- 7 5 (म्रपराह्म)	28- 1-75 (पूर्वाह्म)
4. श्री श्रार० राजगोपालन	23-4-75 (पूर्वाह्न)	11-6-75 (पूर्वाह्म)
5. श्री एम० बालसबमण्यन	30-4-75	

सं० ए०एस०टी०/ए०ई०-5/X/104—िनम्निलिखित इंजी-नियरी पर्यवेक्षक जो टी० ई० एस० क्लास H के पद पर स्थानीय व्यवस्था के श्रन्तर्गत नियुक्त थे, प्रत्येक के सामने सूचित तारीख से श्रपने मूले संबर्ग में पदावनित किए जाते हैं।

(भ्रपराह्म)

ऋम	इंजीनियरी पर्यवेक्षक का नाम	मूलसंवर्ग में
संख्या	(स्थानीय ब्यवस्था के ग्रन्तर्गत	पदावनति की
	स्थानापन्न सहायक इंजीनियर)	तारीख
		·

 1. श्री जै० सन्तानम
 14-11-74 (पूर्वाह्म)

 2. श्री के० वी० कुंजिरामन
 30-11-74 (श्रपराह्म)

ए०एस०टी०/ए०ई०-5/X/105-मद्रास टेलीफोन जिले के महाप्रबन्धक द्वारा निम्नलिखित इंजीनियरी पर्यवेशकों को मद्रास टेलीफोन जिले में स्थानायन सहायक इंजीनियरों के पद

पर स्यानीय व्यवस्था के ग्रन्तर्गत प्रत्येक के सामने सूचित कालावधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

		·	C.C
ऋम सं०	नाम	मूल संवर्ग	तिथि
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
1.	श्रीके० वी० कृष्णामूर्ति	एस० जी०	6-1-75 के
	••	इंजीनियरी	पूर्वाह्न से
		पर्यवेक्षक	2.4-2-75 के
			पूर्वीह्न तक
2.	श्रीके० वी० कृष्णामूर्ति	11	2 6-2-75 के
			पूर्वाह्न से
			1 6- 4- 7 5 के
			पूर्वाह्म तक
3.	श्री पी० वी० सीतारामन	11	3-3-75 के
			पूर्वाह्म से
			9-5-75 के
	.4.4.		भ्रपराह्म तक
4.	श्री बी० राजगोपाल	11	2 2-3-75 के
	नाइडु .		पूर्वाह्न से
			10-5-75 के ——————
_	<u> </u>		भ्रपराह्न तक
5.	श्री एन० सुख्बारामन	"	1-4-75 के 
			पूर्वीह्न से
6.	श्री टी० ग्रार०रामानुजम	11	7-4-75 के
			पूर्वीह्न से
		•	2 4-5-75 के
	0 2 0		भ्रपराह्म तक
7.	श्रीके०वी०कृष्णामूर्ति	"	21-4-75 के
			पूर्वीह्न से
			19-5-75 के
	2 2 2 5		भ्रपरा <b>ह्न</b> शक
8.	श्री टी० जे० ई० पाल	"	5-5-75 के
			पूर्वाह्न से
9.	श्री पी० वी० वरदराजन	"	5-5-75 के
			पूर्वाह्न से
10.	बी० राजगोपाल नाइडु	77	12-5-75 के
			पूर्वाह्न से
11.	पी० वी० सीतारामन	"	1 2-5-75 के
			पूर्वाह्न से
12.	श्री सी० वी० जटराजन	"	12-5-75 के
			पूर्वाह्न से
1 3.	श्री टी० एस० नागनाथन	11	12-5-75 के
			पूर्वाह्न से

के० वी० दुर्गादास, सहःयक महाप्रबन्धक (प्रशासन) कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (प्रधान कार्यालय) फरीदाबाद, दिनांक मई, 1975

सं० फाइल 4-13(9)/74-प्रशा-I—इस निदेशालय के किनष्ठ वैज्ञानिक ग्रिधिकारी श्री श्राइ० एं० सिह्की को, जो संघ लोक सेवा श्रायोग द्वारा चयनोपरान्त खाद्य विभाग में उपनिदेशक के पद पर हैं, दिनांक 11 श्रप्रैल, 1975 के श्रपराह्न से उनके कार्यभार से मुक्त किया गया है, 3 दिन का श्रवकाश दिनांक 12 श्रप्रैल, 1975 से 14 श्रप्रैल, 1975 तक समाप्त होने पर उनका इस निदेशालय में श्रपने पद से त्यागपत्र दिनांक 14 श्रप्रैल, 1975 के श्रपराह्न से माना जायगा ।

एन० के० मुरलीधर राव, भारत सरकार के कृषि विपणन, सलाहकार

#### विस्तार निदेशालय

#### नई दिल्ली दिनांक 30 मई, 1975

सं० मि० सं० 5(2)/71-सिब्बन्दी (प्रथम)—-श्री एस० के० एस० धारीवाल, सहायक प्रदर्शनी श्रधिकारी (प्रथम ग्रेड) के छुट्टी चले जाने पर श्री पी०सी० चौधरी, सहायक प्रदर्शनी श्रधिकारी द्वितीय ग्रेड को विस्तार निदेशालय, कृषि तथा सिचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द०रो० 40-1200 रुपये के वेतनमान में 2 जून, 1975 से 5 जूलाई, 1975 तक सहायक प्रदर्शनी ग्रधिकारी (प्रथम ग्रेड) द्वितीय श्रेणी (राजपितत) (श्रलिपिक वर्गीय)पद पर स्थानापन्न तदर्थरूप से पदोन्नत किया जाता है।

पी० के० मुखर्जी, प्रशासन निदेशक

#### कृषि विभाग

## नई दिल्ली दिनांक 13 जून, 1975

सं० मि० सं० 2(7)/70-सिब्बन्दी (प्रथम)—श्री हरि शंकर गौतम, विस्तार निदेशालय, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, (कृषि विभाग) में 700-30-760-35-900 के वेतनमान में दिनांक 31 मई, 1975 से स्रागे स्रधीक्षक (प्रथम ग्रेड) श्रेणी द्वितीय (राजपवित) (लिपिक वर्गीय) के पद पर स्थानापन्न तदर्थ रूप में ग्रागे के ग्रादेश तक कार्य करते रहेंगे।

> प्र० कु० मुखर्जी, प्रशासन निदेशक

#### (खाद्य विभाग)

कानपुर, दिनांक जनवरी, 1975

सं प्रशासं व 19(6)—श्री उसमान ग्रहमद, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक की कनिष्ठ तकनीकी ग्रधिकारी (एस०टी०) के पद पर तदर्य ग्राधार पर दिनांक 1-1-1975 पूर्वाह्न से ग्रागामी ग्रादेशों तक के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है।

> एन० एस० रमय्या, निदेशक

# भाभा परमाणु श्रनुसंधान केन्द्र (कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, विनांक 9 जून, 1975

संव पी० ए०/81(26)/75-म्रार-4--भाभा परमाणु म्रानु-संधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी) भौर स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री श्रीनिवास बल्वंत-राव नादगीर को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से इसी म्रानुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक श्रधिकारी /इंजीनियरी ग्रेड एस० वी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए०/81(26)/75-म्रार-4—भाभा परमाणु ध्रनु-संधान केन्द्र के निदेशक यहां एक स्थाई कार्यप्रभारित ग्रौर स्थानापन्न फोरमैन श्री दया राम कनवर्मल हरदासानी को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वीह्न से इसी श्रनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक ग्रिधकारी/इजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

## दिनांक 10 जून 1975

स० पी० ए०/81 (56)/75-म्रार०-4--भाभा परमाणु म्रनुसधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी०) श्री म्रविनाश केशव खरे को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से म्रागामी म्रादेश तक के लिए इसी भ्रनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक म्रिधकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए० /81(60)/75-प्रार०-4—भाभा प्रमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी०) श्री चिवंबरम सुब्रमणियन को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए०/81(31)/75-श्रार०-4--भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक अस्थाई फोरमैन श्री संपिल विट्टल शेट्टी को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वज्ञानिक अधिकारी/इजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए० /81(60)/75-म्रार०-4--भाभा परमाणु म्रनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी०) ग्रीर स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी०) श्री मन्सुख धरणी वोरा को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से ग्रागामी आदेश तक के लिए स्थानापन्न रूप से इसी श्रनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक ग्रिधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

> पी० उन्नीकृष्णन उप-स्थापना ग्रधिकारी (भ)

# परमाणु ऊर्जा विभाग विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग बम्बई-400005, दिनांक 23 मई 1975

सं० पी० पी० हैं डी०/3(236)/75-प्रशासन-5339/606— निदेशक, विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग, बम्बई, इस प्रभाग के प्रस्थायी विज्ञान-सहायक 'बी' श्री एस० एम० लाम्बा को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्म से श्रागामी श्रादेश तक के लिए उसी प्रभाग में ग्रस्थायी रूप से विज्ञान-श्रिधकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

> एम० एस० राव प्रशासन-प्रधिकारी कृते निदेशक

## बम्बई-5, दिनांक 26 मई 1975

सं० एन० ए० पी० पी०/2(II)/75-प्रशसन/ 596— अस्थायी विज्ञान-अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० बी० (सिविल) श्री जी० राजकुमार ने, उनका अन्तरण भाभा परमाणु अनुस्थान केन्द्र के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग के हैदराबाद-स्थित यूनिट से नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना में होने पर, सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग के हैदराबाद यूनिट में 31 दिसम्बर, 1974 के अपराह्म से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना में उसी ग्रेड में एक पद का कार्यभार 8 जनवरी, 1975 के पूर्वाह्म से सम्भाल लिया।

2. श्री जी० राजकुमार श्रागामी श्रादेश होने तक नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना में एस० बी० ग्रेड में श्रपने पद का कार्यभार सम्भाल रखेंगे ।

> ग्रार० जे० भाटिया जनरल प्रशासन-ग्रधिकारी

# ब्रम्बई-400039, दिनांक 26 मई 1975

सं० 6(450)/70-प्रशासन / 586—श्री ए० रंगाचारी, जो इस विभाग में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त थे, की सेवाएं 22 मई, 1975 के पूर्वाह्म से भारतीय लेखा परीक्षा तथा क्षेखा विभाग को वापिस सौंप दी गई हैं।

> एस० के० चौधरो ग्रवर सचिव

3-159 GI/75

# कय एवम् भंडार निदेशालय मद्रास क्षेत्रीय कययूनिट

मद्रास-600006, दिनांक 13 मई 1975

सं०एम० स्रार० पी० यू०/200 (9)/75-प्रशासन/473— कय तथा भंडार निदेशालय के निदेशक, निदेशालय के स्थानापन्न कय सहायक श्री एन० राजगोपालन को 7 मई, 1975 के पूर्वाह्न से 21 जून, 1975 तक के लिए कय तथा भंडार निदेशा-लय के मद्रास क्षेत्र के क्ष्य यूनिट में स्थानापन्न रूप से सहायक कथ ग्रिधकारी नियक्त करते हैं।

> एस० रंगाचारी ऋष श्रधिकारी

# राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना भ्रणुशक्ति-323303, दिनांक 19 जून 1975

सं० रापविप/00101/75/प्रशासन/स्थ०/224—राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के मुख्य परियोजना ग्रिभयंता श्री एस० सी० विटले, ग्रर्धस्थायी वैज्ञानिक सहायक (सी) को उसी परियोजना में स्थानापन्न रूप से ग्रस्थायी तौर पर वैज्ञानिक ग्रिधकारी इंजीनियर ग्रंड-एस०बी० के पव पर दिनांक 1 मई, 1975 से ग्रंगले ग्रादेश तक के लिए नियुक्त करते हैं।

गोपाल सिंह प्रशासन म्रधिकारी (स्थापना)

सष्टायक सम्पदा

## कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1975

सं० ए०-38013/1/75-ई० सी०-संचार नियन्नक, वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास के कार्यालय के श्री एस० वी० राघवन, संचार श्रिधकारी ने निवर्तन श्रायु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर 31 जनवरी, 1975 (श्रपराह्न) से श्रपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

#### दिनांक 28 मई, 1975

सं० ए०-32012/3/71-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन निम्नलिखित अधीक्षकों (अराजपित्रत) को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से और स्टेशन पर तदर्थ आधार पर सहायक सम्पदा प्रबंधक (राजपित्रत श्रेणी-II) नियुक्त करते हैं। उनकी सेवाएं उन्हीं हवाई अड्डों पर उन्हीं तारीखों (अपराह्न) से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकरण को दे ही गई हैं. →

तैनाती स्टेशन

नाम

ऋम

संख्या	प्रबन्धक के पद		
	क्र	ाभार ग्रहण	
	कर	ने की तारीख	
1. श्री ज्ञान चन्द	विमानक्षेत्र कार्यालय,	1-4-72	
	पालम '	(पूर्वाह्न)	
2. श्री के० सी० जौहर	विमानक्षेत्र कार्यालय,	3-6-72	
	मद्रास	(पूर्वाह्न)	
3. श्री श्रार० मित्रा	विमानक्षेत्र कार्यालय,	20-7-72	
	कलकत्ता	(पर्वाह्न)	

(एतद्हारा इस विभाग की 11-8-72 की श्रधिसूचना सं० ए० 32012/3/71-ई० एस० रह की जाती है।)

## विनांक मई 1975

सं० ए०-32013/1/74-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री पी० सी० के० नागर, संचार सहायक को श्री एच० एस० भारद्वाज, सहायक संचार श्रीधकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली की छुट्टी रिक्ति में 7 मई, 1975 (पूर्वाह्म) से वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली में तदर्थ श्राधार पर सहायक संचार श्रीधकारी के पद पर नियुक्त किया है।

#### विनांक 1 जून 1975

सं० ए०-38013/1/75-ई० सी०—श्री एम० सुब्रमण्यम, संचार प्रधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास क्षेत्र, मद्रास ने निवर्तन ग्रायु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 31 मई, 1975 (ग्रपराह्न) से ग्रपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

## **বিনাক 13 জুন 197**5

सं० ए०-32014/3/7.5-ई० सी०---महानिदेशक नागर विमानन ने श्री टी० वी० गोपालकृष्णन, तकनीकी सहायक को श्री एम० एस० ग्रहैकलम, सहायक तकनीकी ग्रिधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता की छुट्टी रिक्ति में वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता में 21 मई, 1975 (पूर्वाह्न) से तदर्थ ग्राधार पर सहायक तकनीकी ग्रिधिकारी के पद पर निगुक्त किया है।

हरबंस लाल कोहली, उप-निदेशक (प्रशासन)

# नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 1975

सं । ए०-31013/2/73-ई० ए०---राष्ट्रपति ने, श्री हरबंस सिंह को 15 मई, 1974 से नागर विमानन विभाग में सहायक बिद्युत् ग्रीर गांत्रिकी अधिकारी के ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त किया है।

> एम० एल० हाण्डा सहायक निदेशक (प्रशासन)

## पर्यटन श्रीर नागर विमानन मंत्रालय

#### भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक

जुन 1975

सं० ई० (1) 03882-वेद्यशालाग्नों के महानिदेशक के मच्च कार्यालय, नई दिल्ली के स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, श्री एन० एम० मसन्द का 3 अप्रैल, 1975 को देहावसान हो गया।

> नतन दास, मौसम विशेषज्ञ कृते वैद्यशालाओं के महानिदेशक

# विदेश संचार सेवा अम्बई, दिनांक 17 जून 1975

सं० 1/330/75-स्था०--श्री डी० एस० पेण्डसे, स्थायी सहायक पर्यवेक्षवः, मुख्यालय, बम्बई को 21 मई, 1975 के पूर्वाह्म से श्रौर श्रागामी श्रादेशों तक बम्बई गाखा में स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

पु० ग० दामले, महानिदेशक

# केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहतिलय नई दिल्ली, दिनाक 22 मई 1975

स्थानान्तरण श्रादेश सं० 108/75—इस समाहर्ता कार्यालय श्रे कार्यालय श्राधिक्षक श्री के० एस० त्यागी को, उस तारीख से जिसको वे नए पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं, श्रगले श्रादेश होने तक, 650-30-740-35-810-द०-रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में, प्रशासन श्रधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के रूप में स्थानापन्न तौर से काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्रशासन प्रधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर, श्री के० एस० त्यागी को पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली में, वहां से स्थानान्तरित श्री एस० पी० कश्यप के स्थान पर तैनात किया जाता है।

> एम० एस० मेहता समाहर्ता

# बंगलौर, दिनांक जुलाई 1975

सं० 7/75—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निम्नलिखित स्थाई निरीक्षकों (प्र० ग्रे०) को 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के समय-मान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के स्थानापन्न अधीक्षक,

# श्रेणी-II के पद पर पदोन्तत किया गया है श्रोर उनके नामों के सामने दर्शाये गये कार्यालयों में तैनात किया गया है:——

श्रधिकारी का नाम	कार्यालय, जिसमें तैनात किया गया है	कार्यभार संभालने की तारीख
1. श्री बी० टी० पाटिल	एम० स्रो० स्रार० हुक्केरी, हुबली प्रभाग	28-4-1975
2. श्री डी० जी० कुलकर्णी	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, प्रभागीय कार्यालय, मंगलौर	28-4-1975
3. श्री क्राई एम० माल्गी	निवारक हसन मंगलौर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रभाग	1-5-1975

ई० भ्रार० श्रीकण्ठैया समाहर्ता

# पटना, दिनांक 21 जून, 1975

सं० मि० 11(7) 5-स्था०/75/6447:—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व ग्रीर बीमा विभाग), नई दिल्ली के ग्रादेश सं० 54/75-देखें मि० सं० ए० 22012/5/75 प्रशा०-II (सं-11) विनाक 9-4-1975 के मनुसरण में श्री सी० डी० साह ने जो हाल ही में ग्रधीक्षक प्रथम श्रेणी, सीमा शुल्क नगर नियारण, मुजफ्फरपुर के रूप में पदास्थापित थे, दिनांक 17 मई, 1975 के पूर्वाल में सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद, मुख्यालय, पटना का कार्यभार ग्रहरण किया।

ह० न० साहु समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद, पटना

# गुन्दुर-4, दिनांक 23 म्रप्रैल 1975 केन्द्रीय उत्पाद गुल्क स्थापना

सं० 2 --राजमुद्री आई० डी० श्रो० श्रान्ध्र कागज मिल राजमुद्री के केन्द्रीय उत्पाद णुल्क के श्रेणी-II के स्थायी श्रधीक्षक श्री बी० कामराजु विनांक 5 मार्च, 1975 से 30 जून, 1975 तक श्रथात् 118 दिन की सेवा निवस्ति से पूर्व की श्राजित छुट्टी पर चले गए हैं। वे दिनांक 30 जून, 1975 के श्रपराह्म से वार्धक्य अवस्था को प्राप्त होंगे।

> एस० के० श्रीवास्तव समाहर्ता

# नारकोटिक्स विभाग दिनांक जुलाई 1975

कम सं 14—श्री एच०सी० कपूर, जो इस समय प्रशासन अधिकारी के पद पर नारकोटिक्स प्रायुक्त के कार्यालय, श्वालियर में नियुक्त हैं, को 1 जन, 1975 से ६० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वर्तमान वेतनमान में ६० 810 के चरण पर दक्षतारोध पार करने की प्रमुमित दी जाती है।

म्रभिलाष शंकर भारतका नारकोटिक्स म्रायुक्त

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (निर्माण ग्रीर श्रावास मंत्रालय) नई दिल्ली, दिनांक 11 जुन 1975

सं० ए०-12034/6/75-प्रशा०--श्री जगदीश चन्द्र पसारिजा को राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में 7 जून, 1975 के पूर्वाह्म से ग्रगला भादेश जारी होने तक नितान्त ग्रस्थायी तौर पर परियोजमा मधिकारी के रूप में तबर्थ भाधार पर नियुक्त किया गया है।

रविन्द्र सिह निदेशक

# प्रमुख इंजीनियर कार्यालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० 33/9/73-प्रशा०-4--केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर, सर्वेश्री ए० के० गुप्त और मार० एव० खोबरागड़े को 650-30-740-35-810-दक्षता-रोक-35-880-40-1000-दक्षता-रोक-40-1200 रुपए वेतनमान में सामान्य भक्तों सहित उनके नाम के मार्ग वी हुई तिथि से मस्थायी सहायक वास्तुक नियुक्त करते हैं। श्री खोबरागड़े का वेतन उपर्युक्त वेतनमान में नियमों के मनुसार नियत किया जायेगा और श्री गुप्त का 650 रुपये प्रतिमास नियत होगा।

2. प्रमुख इंजीनियर उपर्युक्त सहायक वास्तुकों को उनके नाम के आगे दिये हुए कार्याक्षय में नियुक्त करते हैं:--

कम सं०	नाम	नियुक्तिकी तारी <b>ख</b>	कार्यालय जहां नियुक्त हुए
1	2	3	4
1. প্র	। ए० के० गुप्त	7-5-75	वरिष्ठ वास्तुक कार्या- लय, के० लो० नि० वि०, श्ररणाचल प्रदेश, शिलांग में विद्यमान रिक्त स्थान पर

1 2	3	4
2. श्री ग्रार० एच० खोबरागड़	19-5-75	मुख्य इंजीनियर (दक्षिण पश्चिम श्रंचल) कार्या लय, के० लि० नि० वि०, बस्बई के कार्यालय में विदेश गए हुए श्री एस० एस० राव के स्थान

एस० एस० पी० राव प्रशासन उप-निदेशक

#### केन्द्रीय जल श्रायोग

नई दिल्ली, दिनांक मई 1975

सं० क०-12017/1/72-प्रशा०-5:—इस प्रायोग की अधि-सूचना सं० क०-12017/1/72-प्रशा०-5 दिनांक 6 जनवरी, 1975 के कम में प्रध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्दवारा श्री टी० पी० मेगनान को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् प्रनुसंधान केन्द्र, पूना में सहायक श्रनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक-गणित ग्रुप) के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में ६० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पुनः 1-3-1975 से 31-5-1975 तक की प्रवधि के लिए श्रथवा जब तक पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, पूर्णतः श्रस्याई एवं तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 32012/4/70-प्रशा० 5:—-इस आयोग की श्रिधिसूचना सं० 32012/4/70 प्रशा०-5, दिनांक 27 फरवरी, 1975 के कम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल श्रायोग श्रमने प्रसाद से निम्नलिखित श्रनुसंधान सहायकों को केन्द्रीय जल श्रायोग में सहायक श्रनुसंधान श्रिधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतः श्रस्थाई एवं तदर्थ रूप में पुन: 3 नवम्बर, 1975 तक की अवधि के लिए श्रयवा जब तक पद नियमित रूप से भरे जाएं, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं:——

- 1. श्री भार० एस० ग्रानन्द
- 2. श्री एस० एस० सच्चर
- 3. श्री के० एन० नायर

#### दिनांक जून, 1975

सं० क-32012/5/70-प्रणा०-5 (i) :—इस स्रायोग की स्रिध्यूचना सं० क-32012/5/70-प्रणा०-5 (i), दिनांक 27 फरवरी, 1975 के ऋम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल स्रायोग अपने प्रसाद से निम्नलिखित अनुसंधान सहायकों को केन्द्रीय जल तथा त्रिद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना में सहायक अनुसंधान श्रिधकारी (वैज्ञानिक भौतिक भ्रुप), के ग्रेड में स्थानापन्त क्षमता में र० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द०-रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतः श्रस्थाई एवं तदर्थ रूप में प्रत्येक के

सामने दी गई प्रविध के लिए प्रथवा जब तक पद नियमित रूप से भरे जाएं, जो भी पहले हो, पूनः नियुक्त करते हैं:--

श्री के एस० दास श्री के० भ्रार० भैट्टाचार्य

1-5-75 से 30-6-75 1-5-75 से 30-6-75

के० पी० बी० मेनन ग्रवर सचिव

कृते प्रध्यक्ष, केन्द्रीय जल प्रायोग

# नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० क०-19012/540/75-प्रणा०-5:— प्रध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री एम एल० भल्ला, वरिष्ठ व्यावसायिक सहायक को केन्द्रीय जल आयोग में भ्रतिरिक्त सहायक निदेशक (सोख्यिकी) के रूप में स्थानापन्न क्षमता में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में 2 मई, 1975 से छः मास के लिए अथवा जब तक श्री आर० पी० साहनी की सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियन्ता के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नित द्वारा रिक्त स्थान बना रहेंगा जो भी पूर्व हो, पूर्वतः तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री एम० एल० भल्ला ने उपरोक्त तारीख तक समय से केन्द्रीय जल ग्रायोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पद का कार्य भार संभाल लिया है।

> वी० जी० मेनोन ग्रयर सचिव इ.से ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय जल ग्रायोग

#### केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून, 1975

सं० 6/16/74 प्रशासन—प्रध्यक्ष, केन्द्रीय बिजलो प्राधिकरण एतद् दवारा श्री एस० एन० मूरचिंग, वरिष्ठं भनुसंधान सहायक, को भितिरक्त सहायक निदेशक (वैज्ञानिक) के ग्रेड में, रू० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में नियुक्त करते हैं।

मूल शंकर पाठक भ्रवरसचिव

#### रेल मंद्यालय

अनुसन्धान अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ-11, दिनांक जुन 1975

सं० ई  $\Pi/$ ईएस/सी०एफ० एम०/स्रो०—श्री बजरंग सिंह की श्रनुसन्धान श्रभिकल्प और मानक संगठन में दिनाक 13 मार्च, 1975 से श्रनुभाग श्रधिकारी (हिन्दी) के रूप में स्थायी किया जाता है।

टी० वी० जोसफ महानिदेशक

## पूर्व रेलवें

## कलकत्ता, दिनांक 13 जून 1975

PART III—SEC. 1]

सं० ए० सी०/190/ए/सी०/2--पूर्व रेलवे, कलकत्ता के सेवा निर्वृत्त स्थानापन्न मुख्य खजांची श्री एस० के० चटर्जी को प्रवर वेतनमान में मुख्य खजांची के रूप में 13 मार्च, 1967 से स्थायी किया गया है।

> वी० पी० साहनी महा-प्रबन्धक

#### पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

## पाण्डू, दिनांक 13 जून 1975

सं० ई०/55/III/97 (स्रो) — निम्नलिखित स्रधिकारियों को जिन्हें भारतीय रेल लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से स्रवर लेखा स्रधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है।

ऋ०सं० नाम		जिस से किया	तारीख स्थायी गया
<ol> <li>श्री एस० बाल चन्द्रन</li> <li>श्री ग्रार० शिवदासन</li> </ol>	,		13-7-73

एम० श्रार० रेड्डी महाप्रबन्धक

#### दक्षिण मध्य रेलवे

#### सिकन्दराबाद, दिनांक 17 जून 1975

सं० पी० 185/गजट/मैंक०--श्री म्रार० म्रशोक, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के ग्रिधिकारी (परिवीक्षाधीन) को, इस रेलवे में यांत्रिक सेवा की श्रेणी-1/म्रवर वेतनमान में 16-7-1974 से स्थायी किया जाता है।

> के० एस० राजन् महाप्रबन्धक

#### कम्पनियों के रिजस्टार का कार्यालय

कम्पनी श्रिधिनियम 1956 एवं बी० पी० इंजीनियरिंग वर्क्स प्रार्हिट लिमिटेंड के विषय में ।

#### बम्बई, दिनांक 14 जून 1975

सं० 15942/590(3)—कम्पनी प्रधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के प्रनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के श्रवसान पर बी० पी० इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दिश्यत न किया गया तो रिजस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विषटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं काँप्यूटर एण्ड सिस्टीमस लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून, 1975

सं० 15760/560(3)—कम्पनी श्रिधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के श्रनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के श्रवसान पर कॉंप्यूटर एण्ड सिस्टीमस् लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दिशात न किया गया तो रिजस्टर से काट दिया जाएगा श्रौर उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी श्रधिनियम, 1956 एवं हाउसिंग एण्ड इस्टेट बिल्डरस कारपोरेशन (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 9450/560(5)—कम्पनी श्रिधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के श्रनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हार्जिसग एण्ड इस्टेट बिल्डरस् कारपोरेशन (मुंबई) प्राईवेट सिमिटेड का नाम आज रिजस्टर से काट दिया गया है स्रौर उक्त कम्पनी विषटित कर दी गई है।

कम्पनी स्रक्षितियम 1956 एवं शोभा चिटफंड एण्ड एजन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

संव 13766/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्क्षारा सूचना दी जाती है कि शोभा चिटफंड एजन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रिजस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विषटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं आर० आर० गिबसन प्राध्वेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 3140/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आर० आर० गिबसन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी श्रधिनियम 1956 एवं ग्रोंकार एन्टरप्रा**इसेज प्रा**इवेट लिमिटेड के विषय में।

## बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 12660/560(5)—कम्पनी स्रधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि स्रोंकार एन्टरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम स्राज रिजस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी प्रधिनियम, 1956 एवं न्यू मध्य प्रदेश रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, के विषय में।

# बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 14000/560(5)— कम्पनी श्रिधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यू मध्यप्रवेण रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्यनी विघटित हो गई है।

कम्पनी ऋधिनियम, 1956 एवं मैं डिप्रीन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

# बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 12209/560(5)——कम्पनी ग्रिधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के श्रनुसरण से एतस्क्षारा सूचना दी जाती है कि मेडिप्रीन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम श्राज रजिस्टर से काट दिया गया है श्रीर उक्त कम्पनी विचटित हो गई है।

कम्पनी श्रधिनियम 1956 एवं शक्ति चिट सिस्टमस् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

## बम्बई, दिनांक 21 जून 1975

सं० 13980/560 (5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना धी जाती है कि शक्ति चिट सिस्टमस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विषटित हो गई है।

> एस० नारायणन् ग्रतिरिक्त कम्पनियों का श्रतिरिक्त रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 श्रौर मैसर्स दी० अहमदाबाद स्माल स्केल इन्जीनियनिंग इन्डस्ट्रीज, एसोसिएशन लिमिटेड के विषय में । श्रहमदाबाद, दिनांक

1975

सं० 560/871—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैंसर्स दी अहमदाबाद स्माल स्केल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दिशत न किया गया तो रिजस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

.जे० गो० गाथा, प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य, श्रहमदाबाद

कम्पनी श्रधिनियम 1956 प्रेसने इंजीनियरिंग सिंडीकेट श्राइवेट लिमिटेड ।

#### हैदराबाद, दिनांक 24 मई 1975

सं० 1037 टीं० (560)—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रोसने इंजीनियरिंग सिडीकेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी श्रिधिनियम , 1956 की धारा 445 (2) के श्रिधीन सूचना ।

# हैदराबाद, दिनांक 29 मई 1975

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और दी रोहीनी प्रोडक्शन्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

सं० 1165 लिकविडेशन——सिविल भर्जी सं० 10 सन् 1972 में स्थित उच्चन्यायालय के तारीख 6 प्रप्रैल, 1973 के भ्रादेश द्वारा ''दी रोहीनी प्रोडक्शन्स (हैदराबाद) प्राईवेट लिमिटेड '' का परिसमापन करने का ग्रादेश दिया गया है।

> स्रो० पी० जैन कम्पनियों का रिजिस्ट्रार हैदराबाद

#### कटक, दिनांक 27 मई, 1975

सं० ए०/64/75-531(2)---यतः नर्रय महानदी द्रेडिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राजाग्राठ-गड़ खुन्टूणी, कटक में है, का समापन किया जा रहा है।

श्रीर यतः श्रधो हस्ताक्षरित यह विष्वास करने का युक्ति-युक्त हेतुक है कि कोई समापक कार्य नहीं कर रहा है कम्पनी के कामकाज का पूरी तौर से समापन कर दिया गया है श्रीर यह कि स्टेटमेन्ट श्राफ एकाउन्टस, (विवरणियां) जो समापक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित है, छः कमवर्ती मास के लिए न्नहीं दी गई है। श्रतः श्रव कम्पनी श्रिधिनियम 1956 (1956 का) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के श्रनुसरण में एतद्हारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास
के श्रवसान पर नर्य महानदी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड का
नाम यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दिशत नहीं किया जाता है तो
रिजस्टर से काट दिया जाएगा श्रीर कम्पनी विषटित कर दी
जाएगी ।

एस० एन० गुहा कम्पनियों का रेजिस्ट्रार उड़ीसा

. कम्पनी श्रधिनियम, 1956 श्रीर जमुना इन्टरप्राईजेस फूड प्रा० लिमिक्केट के विषय में।

दिल्ली, दिनांक 1975

सं० — कम्पनी श्रधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतव्दारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीण से तीन मास के श्रवसान पर जमुना इन्टरप्राईजेस फूड प्रा० लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दिशात न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विश्वटित कर दी जाएगी ।

सी० कपूर, कम्पनीज का सहायक रजिस्ट्रार, दिल्ली।

कम्पनी भिधितियम 1956 श्रीर बेनारजी इंजीनिभरस श्राइवेट लिसिटेंड के विषय में।

**फलकत्ता, दिनांक** 3 जून 1975

सं० 23723/560/37—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूजना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बेनारजो इंन्जीनियरस प्राइवेट लिमिटेट का नाम इसके प्रतिकृत कारण दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 श्रीर एस० ए० एस० मेनुकेक-चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 3 जून 1975

सं० 25617/560(5)—कम्पनी श्रिधिनियम, 1956 की धारा 560 थी उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एस० ए० एस० मेनुफोक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रिजस्टर से काट दिया गया और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी मधिनियम 1956 स्रीर देशबन्धु काटन मिल्स लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 3 जून 1975

सं० 3868/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के भ्रनुसरण में एतद्द्वारा मह सूचना दी जाती है कि इस तारीख़ से तीन मास के भ्रवसान पर देशबन्धु काटन मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकृल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा थ्रौर उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

> एन० ग्रार० सरकार कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार पश्चिम बंगास

कम्पनी स्रधिनियम, 1956 की धारा 445 (2) के स्रधीन सूचना स्रीर दी युनाइटेड ट्रान्सपोर्ट (ग्वालियर) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में :---

# ग्वालियर, दिनांक 3 जून 1975

सं० 855/लिक्बीडेशन—कम्पनी श्रिधिनियम की धारा 445 (2) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि दी युनाइटेड ट्रान्स-पोर्ट (ग्वालियर) प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर शाखा, ग्वालियर के आदेश दिनांक 25-4-75 के द्वारा परिसमापन करने का आदेश दिया गया ह। तथा सरकारी समापक, इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया है।

महेश प्रसाद समवाय पंजीयक मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कम्पनी घिधिनियम, 1956 और गोस्वामी नउम कोल एक ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

#### दिनांक 30 मई 1975

सं० — कम्पनी श्रिधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपघारा (3) के श्रनुसरण में एतद्दारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के श्रवसान पर गोस्वामी नउमं कोल एवं ट्रेंडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकृल कारण दिशात न किया गया तो रिजस्टर से काट दिया जाएगा श्रीर उक्त कम्पनी विषटित कर दी जाएगी।

एस० पी० वसिष्ठ, कम्पनियों का रजिस्ट्रार

# ग्राय-कर श्रमील ग्रधिकरण बम्बई-20, दिनांक 28 मई 1975

सं० एफ० 48-एडी० (ए० टी०)/75--श्री एच० सी० श्रीवास्तव, बरीय ध्राशुलिपिक, ग्राय-कर ग्रापील ग्रधिकरण जिन्हें श्रस्थायी क्षमता में तदर्थ ग्राधार पर ग्राय-कर प्रपील ग्रधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ, इलाहाबाद में सहायक रिजस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए श्रनुमति दी ग्री भी; देखिये, इस कार्यालय की श्रिध्सूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए० टी०) /74-पी० II दिनांक 22-11-1974,

उन्हें श्रस्थायी क्षमता में तदर्थ श्राधार पर ग्राय-कर श्रपील श्रिविकरण, इलाहाबाद न्यायपीट, इलाहाबाद में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1-1-1975 से 30-6-1975 तक या जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा श्रायोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुनित नहीं की जाती, जो भी शीध्रतर हो, स्थानापश्र रूप में कार्य करते रहने की श्रनुमति प्रदान की जाती है।

सं० एफ० 48-एडी० (ए०टी०)/75--श्री एम० एम० प्रसाद, ग्रस्थायी क्षमता में तदर्थ ग्राधार पर स्थानापन्न ग्रधीक्षक, ग्राय-कर अपील ग्रधिकरण, वस्वई न्यायपीठ, बस्वई, जिन्हें ग्रस्थायी क्षमता में तदर्थ ग्राधार पर ग्राय-कर ग्रपील ग्रधिकरण कटक न्यायपीठ, कटक में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए ग्रनुमित दी गयी थी, देखिए। इस कार्यालय की ग्रंधिसूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए०टी०)/73 दिनांक 25 ग्रप्रैल, 1974, उन्हें ग्रस्थायीक्षमता में, तदर्थ ग्राधार पर ग्राय-कर ग्रपील ग्रधिकरण, कटक न्यायपीठ, कटक में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 19-11-74 से 30-6-1975 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा ग्रायोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शी घतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की ग्रनुमित प्रदान की जाती है।

सं० एफ० 48 एडी० (ए० टी०)/75—श्री स्रार० सी० श्रीवास्तव, वरीय स्रधीक्षक, श्राय-कर, श्रपील श्रधिकरण बम्बई जिन्हें श्रस्थायी क्षमता में, तदर्थ स्राधार पर श्राय-कर श्रपील श्रधिकरण, बम्बई, त्यायपीठ, वम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 31-12-1974 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए श्रमुमित दी गयी थी, देखिए। इस कार्यालय की श्रधिसूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए० टी०)/74 दिनांक 14-6-1974, उन्हें श्रस्थायी क्षमता में तदर्थ श्राधार पर श्राय-कर श्रपील श्रधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर

1-1-1975 से 30-6-1975 तक या तब तक जबतक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा भायोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघनर हो स्थानापक रूप से कार्य करते रहने की श्रनुमित प्रदान की जाती है।

सं० एफ० 48 एडी० (ए०टी०)/75---श्री एस० श्रार० ग्रग्रवास, वरीय श्रधीक्षक, ग्राय-कर श्रपील ग्रधिकरण, बम्बई जिन्हें श्रस्थायी क्षमता में, तदर्थ ग्राधार पर ग्राय-कर श्रपील ग्रधिकरण, बम्बई, न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रिजस्ट्रार के पद पर 31-12-1974 (ग्रपराह्म) तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए श्रन्मित वी गयी थी, वेखिए। इस कार्यालय की ग्रधिस्त्रमा सं० एफ० 48-ए० डी० (ए०टी०)/74-पी० II दिनांक 10-10-1974 उन्हें श्रस्थायी क्षमता में तवर्थ श्राधार पर श्रायकर श्रपील ग्रधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रिजस्ट्रार के पद पर 1-1-1975 से 30-6-75 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा ग्रायोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती जो भी शी घतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की ग्रनुमित प्रदान की जाती है।

## दिनांक 19 जून 1975

सं० एफ० 48-एडी० (ए० टी०)/74-पी० II— इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 1975 में ग्रांशिक ग्राशोधन करते हुए श्री एन० के० औरसिया, जो ग्राय-कर ग्रंपील ग्रंधिकरण, दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली के स्थायी सहायक रजिस्ट्रार हैं, की सेवा-प्रवृधि छह मास के लिए ग्रंपीत 7 जनवरी, 1975 से 6 जुलाई, 1975 तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) बढ़ायी जाती है।

हरनाम शंकर, भ्रष्टयक्ष प्ररूप आई० टी० एन० एस∙--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की द्वारा 269-घ (1) के अधीन स्वना

#### भारत सरकार

कार्यालय सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 जूलाई 1975

निर्देश सं० श्रर्जन /163/गाजियाबाद/74-75/580---म्रतः मुझे, एफ॰ जे॰ बहादुर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है श्रीर जिसकी सं० के० ए० /25 है तथा जो श्रोल्ड कवीरनगर, गाजियाबाद में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुमुची में म्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 19-10-1974 को पुर्वोक्त सम्पत्ति के उजित बाजार मुख्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भ्रौर (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक छप से कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत 'उम्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्थ में कमी करने या उससे दचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अव, 'उन्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उम्त अधिनियम' की धारा 269-च की उपचारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :— (1) श्री राम कुमार वाउन्ट्रा नि० 18-बी०, सेक्टर-ए० महानगर लखनऊ। (ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती मधु कृतूर पत्नी श्री स्रमृत लाल कपूर नि० 184/6-1, कटरा हरी सिंह, स्रमृतसर, वर्तमान नि० ए० 32 ए० कृष्णापुरा। मोदीनगर।

(म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां, गुरू करता हूं।

तक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पर्दों का, को 'उक्स अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्च होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसू ची

श्रवल सम्पत्ति एक मंजिला इमारत नं० के० ए० 25, जो ग्रोल्ड कवीर नगर, गाजियाबाद में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 82,000/- में किया गया है।

> एफ० जे० बहादुर, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, कानपुर ।

तारीख: 1-7-1975

मोहर:

4---156GI/75

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की श्रारा 269-घ (1) के श्रिधीन सूचना

भारत सरकार कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० भ्रर्जन/86/सहारनपुर/74-75/581---भ्रतः मुझे, एफ० जे० वहादुर आयकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 2.69-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका से ग्रधिक उचित बाजार मुल्य 25,000/-₹৹ ग्रौर जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है तथा जो राजपुर सहारनपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, सहारनपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 16) के श्रधीन तारीख 8-10-1974 के भ्रधीन, 5-10-1974 को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृहय से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे बह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से भ्रधिक है और भ्रन्तरक (भ्रन्तरकों) श्रौर प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्धेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों को, जिल्हें भारतीय श्रायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त ग्रिधिनियम', या धन कर श्रिधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयो-जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः श्रव 'उक्त श्रिधिनियम,' की धारा 269-गृके श्रनुसरण में, मैं, 'उक्त श्रिधिशियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिबित स्पक्तिमों श्रभीत :--

- (1) श्री शोभाराम पुत्न कन्हैयाराम अरोरा नि० नुमायश कम्प, सहारनपुर। (अन्तरक)
- (2) श्री वालूराम, बलराम, ग्रीर देवीचन्द्र पुद्रगण श्री फूल सिह, सभी नि० मीहल्ला नवान गंज सहारनपुर (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप:---

- (क) इस सूजना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन की ध्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की ध्रविध, जो भी,
  अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाराया;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो 'उक्त ग्रिधिनियम,' के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

#### अमुसूची

हिक्क भूमिध्यी बाबत मवाजी 9 वीघे 16 विस्था पुछता प्रराजी मुन्दरजा तम्बरात खसरा नौ 5 वीघा 12 विस्वा व नम्बरात 13, 4 वीघा 4 विस्वा पुछता हरदीखसरा सहराई मुतालिका खाता खतीनी नं० 55 व 3 /4 भाग प्रजएम ट्यूबवैल मय बोरिंग व मोटर जो बिजली 5 हार्स पायर मय सुइच व स्टाटर न एक कोठा दक्षिण मोहाल टीन पोश मय कुग्रा श्रराजी मजकूर जिसमें ट्यूबवैल मजकूर नसब है मय हक्क कनकशन, बिजली पायर व हव्डल मीटर वगैरा वाकेहरा राजपुरा स्वाद सहारन पुर वेकम हद्द स्यूनिस्पल बोर्ड मय जुमला हक्क मुतालिका, उसके विलज इस्तसक्षपे किसी जुज्व व हक्के ग्रीर ट्यूबवैल मजकूर, की वाजारी कीमत ह० 2000/- ग्रीर श्रराजी मुबइयां की माल गुजारी क0 12 ग्रीर 34 पैसे हैं।

एफ० जे० बहादूर, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख: 1-7-1975

प्ररूप भाई०टी०एन०एस०----

म्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा-269घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 जूलाई 1975

निर्देश सं० ग्रर्जन/161/गाजियाबाद/74-75/582---ग्रतः मुझे, एफ० जे० बहादुर ग्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम'कहा गया की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है श्रौर जिसकी र सं० 1776 ए० ग्रीर 1776 वी० है तथा जो ग्रा० पौसुण्डा गाजियाबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपाधट ग्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्या-लय, गाजियाबाद में, रजिस्द्रीकरण श्रधिनियम, (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 16-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है भीर प्रन्तरक (ग्रन्तरकों), ग्रीर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाधत, 'उक्स ग्रिधिनियम,' के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अन्य/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) 'उक्त श्रधिनियम' या धनकर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: ग्रब 'उक्त ग्रधिनियम' की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में मैं, 'उक्त ग्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1)के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों प्रथीत् :--

- (1) श्री प्रेममंक्र पुत श्री खुवचन्द्र नि० मत्थान गेट, 18, 1666, कम्फाजन बी० द्वारा श्री भार० के० भानन्द, जनरस पावर भाफ भटोनी। (धन्सरक)
- (2) श्री मैसर्स कुवेर इनवेस्टमैन्ट एण्ड ट्रेडिंग प्रा० लिमि०, एम० 133 कन्नोट सरकस नई दिल्ली, द्वारा मैनेजींग डाइरेक्टर श्री के० एल० श्रयवाल (प्रोपटी ए०-87 फलिंग स्टोन ग्रोन देहली सहादरा रोड) (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए एसदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्राया;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पव्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शक्दों श्रीर पदों का जो 'उक्त श्रिधिनियम' के श्रध्याय 20-के में परिभाषित है, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस शध्याय में विया गया है।

#### भ्रन्**स्**ची

भूमिधरी भूमि एलाट नं० 1776-ए० क्षे० फ० 8 विस्त्रा तथा 1776 त्री०, 1 बीघा 11 विस्त्रा जो ग्राम पौसण्डा तह० गाजियाबाद में स्थित है तथा इसके साथ इमारत, रहायसी त्रंगला, बाग, तथा नौकरों के क्याटर्स है इसका हस्तान्तरण ६० 2,10,000/- में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्राक्यर ग्रायुक्त, निरीक्षण, श्रजेन रेंज, कानपुर।

तारीख: 1-7-1975

## प्ररूप धाई० टी० एन० एस०--

# भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के भ्रभीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजीन रेंज, कानपूर

कानपुर, दिनांक 3 जुलाई 1975

निर्देश मं० 149/अर्जन/देहरादून/74-75/583---अतः मुझे, एफ० जे० वहादुर श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रू० से श्रधिक हैं श्रौर जिसकी सं० 7-वी० है तथा जो मसूरी रोड, देहरादून में स्थित है (और इससे उपावद्व अनुसूची में श्रौर पूर्ण स्प से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,

16) के प्रधीन, तारीख 21-10-1974
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से श्रधिक है भीर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रीर श्रन्तरिती
(श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है——

देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण श्रक्षिनियम, 1908 (1908 का

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत 'उक्त श्रधिनियम', के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त श्रिधिनियम' या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट तहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

ग्रतः श्रव 'उनत श्रधिनयिम' की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, 'उनत श्रधिनियम', की धारा 269-ध की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रथीत्:—

(1) श्री लेपटीनैन्ट कर्नल समदुल सिंह रनधावा, नि॰ 7-ष्टी॰ मसूरी रोड, देहरादून। (श्रन्तरिक)

(2) श्री रिन्चेन थियोंनडप सदुतरेग, 7-बी० मसूरी रोड, राजपुर (देहरादून) (ध्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां मुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप हो तो :--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सवंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, घ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पच्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों धीर पदों का, जो 'उक्त ग्रिधिनियम', के धध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वहीं मर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची .

मकान नं० 7-बी०, का श्राधा भाग जो कि मसूरी रोड, (राजपुर) देहरादून में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 45,000/- में किया गया है।

> एफ० जे० बहादूर, सक्षम प्राधिकारी, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)। म्रर्जन रेंज, कानपुर ।

तारीख: 3-7-1975।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———— भागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजीन रेंज-5, वस्बई बम्बई, विनांक 30 जन 1975

निर्देश सं० ग्र० ई० 5/195/8/74-75—-श्रतः मुझे, जे० एम० मेहरा

सहायक आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चत् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० गली नं० 21 व 28, सिटी सर्व नं० 119 न, जो मरवली गांव में स्थित है (और इससे उपावढ़ अनुसूची में और पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 20-11-1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति के अभित वाजार मुल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है भीर मुक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनयग,' के अधीत कर देरे के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे यचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: सब, 'उक्त अधिनियम' की घारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की घारा 269-व की उपघारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:---

- (1) श्रीमती शिरीनबाई एम्० कलापेसी और अन्य (अन्तरक)
- (2) श्रीमती चतुरी एम्० महतानी (प्रन्तरिती)
- (3) श्री श्रनगिनत श्रनियमित व्यक्ति जो उक्त जगह पर छोटी मोटी इमारत खड़ी करके श्रपना वसवाट बयाना है जिनकी नाम की यथटी सालूम नहीं

(वह व्यक्ति, जिसके ब्रिधिभाग में सम्पत्ति है) को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त समाति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अद्योहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उन्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

बम्बई उपनगर जिले में बान्द्रा रजिस्ट्रेशन उप-जिले के मारवली ग्राम में वर्तमान एवम् प्रवस्थित वह समुचा भूखंड ग्रथवा भु-भाग या भु-स्थल जिसकी पैमाइश 3872 वर्ग गज यानि 3236.89 वर्ग मीटर प्रथवा उसके लगभग है तथा म ग्रभिलेखों में स्टीट नं० 21 ग्रीर 28 ग्रीर सिटी सर्वे नं 129 में रजिस्ट्रर है, सी० टी० एस्० नं 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 119/10 भ्रौर 119/11 (पुराना सर्वे नं० 35 हिस्सा नं० 7 (पार्ट) संख्याओं के एन्क्रोचमेंट को छोड़कर, तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार है श्रर्थात् पूर्व में भ्रथमा पूर्व की श्रोर श्री एम्० एल० महातने तथा एक ग्रन्य से संबद्ध सर्वे नं० 4, हिस्सा नं० 1 (पार्ट) की संपत्ति पश्चिम में प्रथवा पश्चिम की ग्रोर सर्वे सं० 35, हिस्सा नं० 6, की संपत्ति, उत्तर में ग्रथवा उत्तर की म्रोर सर्वे सं० 35 हिस्सा नं० 3 तथा दक्षिण में श्री एम्० एल० महताने तथा एक ग्रन्य से संबद्ध सर्वे सं० 24, हिस्सा नं० 1 की संपत्ति ।

> जे० एम्० मेहरा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, 5, बम्बई।

तारीख : 30-6-1975।

प्ररूप ग्राई०टी०एन०एस०-

भ्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के मधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजीन रेंज, 5 बम्बई

बम्बई, दिनांक 30-जून 1975

निदश सं० घ्र० ई० 5/197/10/74— प्रतः मुझे, जे० एम० मेहरा सहायक ध्रायकर घ्रायकत (निरीक्षण) ध्रर्जन रेंज 5 बग्बई, ग्रायकर ध्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी सं प्लाट नं 77 है, जो मुलुंड में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्री-करण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 5-11-1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति को के उचित बाजार मुल्य से प्रतिफल दृश्यमान के लिए श्रन्तरित श्रौर मुझे यह विश्वास कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत श्रधिक है श्रोर - अन्तरक (अन्तरकों) **श्रौ**र थ्रन्तरिती (धन्तरितियों) के <mark>बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए त</mark>थ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, 'उक्त श्रिधिनियम,' के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त श्रधिनियम,' या धनकर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वाराप्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

न्नतः भ्रव 'उक्त श्रधिनियम' की धारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, 'उक्त ग्रधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, भ्रथीत्:--

 (1). (1) श्री चनमलाल जोधराम भ्रौर (2) मुख्यन-लाल जोधराम (ग्रन्तरक) (2). (1) श्री भीपटलाल मोहनलाल मनीग्रर (2) नारायणदास मोहनलाल मनीग्रर (3) नटवरलाल मोहनलाल मनीग्रर (4) गुणवनतरी मोहनलाल मनीग्रर (ग्रन्तरिती) को यह सूचना जारी करके पूर्वन्ति सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं:—

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी स्राक्षेप---

- (क) इस सूजना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की श्रवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो 'उक्त ग्रिधिनियम,' के ग्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

# अनुसूची

भूमि या मेदान का वह तमाम टुकड़ा जो मुलुंड में स्थित है श्रोर जो पहले जालुका दक्षिण सालसे सालसेट रजिस्ट्रेशन जिला थाना उपजिला थाना मेथा श्रोर उसके बाद रजिस्ट्रेशन उपजिला बान्द्रा, बृहत्तर बम्बई में है श्रोर श्रब रजिस्ट्रेशन जिला उपजिला बम्बई गहर श्रोर वृहत्तर बम्बई है यहां पर हमारत सिहत जिसका प्लाट नं० 77 है श्रोर मापसे 705.83 वर्ग गज 590.07 वर्ग मीटर या उसके समकक्ष है श्रोर जो म्युनिसिपल करों एवं भावों के निर्धारक संग्रहक टि० वार्ड नं० टी० 1581 श्रोर स्ट्रीट नं० 76 जवेर रोड, श्रोर सी० टी० एस० नं० नहि है जो निम्न प्रकार से घरा हुशा है श्रथित पूर्व श्रोर दक्षिण की श्रोर से प्लाट नं० 77 का बचा हुशा भाग, पश्चिम की श्रोर से प्लाट नं० 75 जो देशमुख वाडी से जात, उत्तर की श्रोर से झवेर रोड हारा।

जे० एम्० मेहरा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, 5 बम्बई।

तारीख: 30-6-1975

प्ररूप आई० टो० एन∙ एस०-

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक श्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बंगल्र

बंगलूर, दिनांक 19 जून 1975

निर्देश सं० सी० ग्रार० 62/3175/74-75-**-श**त: मुझे, श्रार० किष्णमूर्ति भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को मह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका ्बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है न्नौर जिसकी स $\circ$  सेंट खाता न $\circ$  90/1, है, जो विट्रलनगर (डिविषन न० 24), में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), बैंगलर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि, बैंगलूर दस्तावेज नं० 3265/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन 21-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पति के उजित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीध ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की आबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम' 1957(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

श्रतः श्रव (उक्त श्रधिनियम' की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, 'उक्त श्रधिनियम' की धारा 269-म की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , श्रर्थात् :—

- (1) श्रीमती ननजमन्नि पत्नि के० श्रीनिवास राव 394/2, IX मैन, हनुमन्त नगर, बैंगलूर-19 (श्रन्तरक)
- (2) श्री बि० भ्रार० नारायणस्त्रामी यू०-60, XVII कास, पादराथनपुरा, बैंगलूर-26 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए . कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी
  अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: -- इसमें प्रयुक्त मन्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरि-भाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

सैट खाता नं० 90/1 डिविषन नं० 24, विट्ठलनगर, सैंगलूर सिटी।

सीमा

पूर्व : रोड

पश्चिमः दूसरेकी सम्पत्ति।

उत्तर: 30 रोड

दक्षिण: दूसरे की सम्पत्ति।

वस्तावेज नं 3265/74-75 ता 21-10-74।

श्चार० कृष्णमूर्ति, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्चायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्चर्जन रेंज, बैंगलुर ।

वारीख: 19-6-1975 ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज, बैंगलूर बैंगलूर, दिनांक 18 जून 1975

निर्देश सं० सि० म्रार० 62/3301/74-75--- मुने म्रार० किष्णमूर्ति
भागकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उषित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है मीर जिसकी सं० सैंट नं० 79/9 (पुराना नं० 5) है जो ननदीदुर्ग रोड, बैंगलूर डिविषन नं० 46 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, गान्धीनगर, बैंगलूर -1 दस्तावेज नं० 2966/74-75 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रधिनयम, के 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 7-10 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिये; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

स्रत: स्रव 'उक्त स्रधिनियम,' की धारा 269-ग के स्रनुसरण में मैं, 'उक्त स्रधिनियम', की धारा 269-भ की उपधारा(1) के स्रधीन निम्निविद्यत स्यक्तियों सर्यातु:---

- (1) श्री जी० रामय्या रेड्डी 157, डोमलूर बैंगलूर (श्रन्तरक)
- (2) श्री प्रहल्लाद कीशिक 25, वथा बोविनकोनट्री, रोम-00147 इटली (श्रन्तरिती) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस यूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

सैट नं० 79/9 (पुराना नं० 5) ननदीदुर्ग रोड, डिवि- वन नं० 46, बैंगलूर।

क्षेत्रफल 59'--52'--3068 वर्ग फीट। दस्तीनेज नं० 2966/74-75 ता० 7-10-1974।

> न्नार० किष्णमूर्ति, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजीन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 18-6-1975।

प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०---

म्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43)की धारा 269-घ (1) के ग्रिधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, बैंगलुर

बैंगलर, दिनांक 26 जून 1975

निर्देश सं० सी० श्रार० 62/3359/74-75--यतः मझे भ्रार ऋष्णमर्ति ष्मायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी[े] यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से ग्रधिक और जिसकी सं० 848, 849 नया नं० 26 एण्ड 26/1 ''हिल व्यू'' है, जो लोकरनजन महल रोड, नजरबाद, मैसूर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, मैसूर दस्तावेज नं० 2676/74-75 में भारतीय रजिस्ही-करण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन 28-10-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकत विलेख के श्रनुसार श्रन्तरित की गई है श्रीर मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है ग्रीर यह कि ग्रन्तरक (ग्रन्त-रकों) भ्रौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे भ्रन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:--

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, 'उक्त श्रिधिनयम' के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या भ्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त श्रिधिनियम' या धनकर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: ग्रब 'उक्त श्रधिनियम' की धारा 26 9-ग के श्रनुसरण में, में, 'उक्त श्रधिनियम' की धारा 269-थ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रयीन्:—- 5—156GI/75

- (1) श्रीमती एस० ए० गौरम्मा पत्नि लेट ए० धार् राजू नं० 137, VII मैंन रोड, V ब्लाक, जयनगर बैंगलूर-11 (श्रतलक)
- (2) (1) श्री के० जी० तिम्मेगौडा, (2) के० जी० बेनकटरमण स्वामी, (3) के० जी० सैप्रसाद, (4) के० जी• सुअमन्था, कनकापुरा, बैंगलूर जिला (ध्रतरिती)

(3) श्री बी॰ चद्रप्रकाश (यह व्यक्ति, जिसके ग्राधिभोग में संपत्ति है)

(4) (1) श्री के० ग्रार० वेनकटाचला सेट्टी (2) के० बी० राधम्मा परनी के० ग्रार० वेनकटाचला सेट्टी 40, सय-नारायण टेम्पल रोड, इट्टिगेगुड, मैसूर ।

> (वह व्यक्ति, जिसके बारे में भ्रष्टो हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के **धर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी
  अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पर्व्हींकरण --इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो 'उक्त श्रधिनियम', के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही शर्ष होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

# अनुसूची

स्थावर सम्पत्ति "हिल ब्यू" तं० 848 और 849 नया नं० 26 श्रीर 26/1, लोकरनजनमहल रोड, नजरबाद मोहल्ला मैसूर।

क्षेत्रफल  $141'+172'3''/2\times202.3\times208/2=$  32157 स्कोयार फीट

#### सीमा

पूर्व : जू गार्डन रोड पश्चिम : इष्ट्रिगेगूड में दूसरों के घर। दक्षिण : लोकरनजन महस्र रोड। उत्तर : सेन्द्रल नरसरी। दस्तावेज नं० 2676/74-75 ता० 28-10-1974।

> न्नार० किष्णमूर्ति, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रर्जन रेंज, बैंगलूर ।

तारीख : 26-6-1975।

# प्ररूप भाई • टी० एन० एस०---

धायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के श्रधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 1 जूलाई 1975

निर्देश सं० सी ० श्रार० 62/3118/74-75---यतः मझे, श्रार० किल्लाम्ति, भ्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार, मृल्य 25,000/- ६० से ग्रधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 5 (2 एकड़ 10 गुनटे) है जो सन्नेगुर, वनहल्ली, यशवन्तपुर होब्ली, बैंगलुर नार्त तालुक में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता 'ग्रधिकारी के कार्यालय, बैंगलुर नार्त तालुक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन 3-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और यह कि धन्तरक (धन्तरकों) ग्रीर भन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) मन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत 'उक्त ग्रधिनियम', के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या श्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त श्रधिनियम,' या धन-कर प्रधिनियम 1957 (1957 朝 प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने सुविधा के लिए;

मतः मन, 'उक्त मधिनियम', की धारा 269-ग के प्रनुसरण में; में, 'उन्त प्रधिनियम', की धारा 269-ध की उपधारा (1) के **प्रधीन निम्न**लिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात:----

- (1) श्री के० किष्णमूर्ति पुत्र लेट कुल्लप्पा 378 अप्पर प्यालस आरचर्डस सदासिवनगर वैंगलूर-6 (अन्तरक)
- (2) श्री (1) टी० ए० चन्नबसवय्या (2) एल्लप्पा पुत्र लेट पुट्टय्या गुरकृपा शिवनहल्ली राजाजीनगर, बैंगलूर-10 (भ्रन्तरिती)

'[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property]

Site No. Name of the Allotte

Shri Raja Ram
 Shri Ramaiah

Shri K, Bommaiah

Shri R. N. Neelakantaiah

Shri P. Gundu Rao Shri K. N. Naganna

Shri Chickkanajah

10. Shri D. Viswanath

Shri Shanmugam Achari Shri Thimmaiah

13. 14.

Shri Md. Hussain Shri K. Siddappa

Shri Ponnuswamy 17.

Shri K. O Ramakrishna

19. Shri Narasimhaiah

Shri P. Kuttappa Shri D. Narayanaswamy

Shri Rajamanikayar Achari

Shri M. Arumugam

Shri Smt, Laxmi Ammal Shri Bhuganga Setty

Shri N. B. Basavalingaiah Shri K. R. Mallaiah

33. Shri Kempalah

35. Shri N. M. Narayanappa

(बह व्यक्ति, जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों को, जो 'उक्त अधिमियम ', के प्रध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिक्त जगह सर्वे नं 5, 2 एकर 10 गुनटे जो साने गुरुवन-हल्ली, एशवन्तपुर होब्ली, बैंगलूर नार्त तालुक में स्थित है।

पूर्व: ऋष्ण सेट्टी, मोरे गौडा श्रीर श्रीनिवास मूर्ति की जमीन पश्चिमः इनजिसन्ग कालिज सोसैटी की जमीन

उत्तर: श्रन्तरक की बची जमीन

दक्षिणः ऋष्ण सेट्टी भ्रौर जक्ट्रन्न की जमीन सर्वे नं 5 दस्तावेज नं 3883/74-75 स्तर० 3-10-74

स्रार० किष्णम्ति, सक्षम प्राधिकारी, सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्चर्जन रेंज, बैंगलूर ।

तारीखा: 1-7-1975 ।

मोहरः

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०---

# भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के घषीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण),

ग्रर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० 266/एकुरे /75-76/कल—-ग्रतः मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का

कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से ग्रधिक है

ग्रीर जिसकी सं० 55/3 बी० है तथा जो बालीगंज सार्कुलार रोड, कलेक्स्ता में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, सियालदह, 24 परगणा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 21-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है और भ्रन्तरक (ग्रन्तरकों) और भ्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त ध्रिधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तिकों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ण के अनु-सरण में, में, 'उक्त अधिनियम,' की घारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

- (1) श्री विरेन्द्र किशोर रायचीधुरी 55/3 बी०, बालीगंज सार्कुलार रोड, कलकत्ता (श्रन्तरक)
- (2) श्रीमती सबिता गम्भीर 12 बी०, लर्ड सिनहा रोड, पलट-28, कलकत्ता। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

ज्ञत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध
  किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास
  लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पध्डीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

करीव 6 कट्ठा 8 छटाक 25 स्को० फुट जिमन जो 55/3 बी०, बालीगंज सार्कुलार रोड, कलकत्ता का ध्रंग ध्रौर जो सब-रिजस्ट्रार सियालदह द्वारा रिजस्ट्रीकृत दिलल सं० 1847/1674 का ध्रमुसार है।

एल० के० बालसुब्रमनियन, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-III, कलकत्ता।

तारीख : 25-6-1975

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज-V कलकत्ता-16

कलकत्ता, दिनांक 27 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० 5/एकु० र०-V-/कल०/75-76---म्रत: मुझे, एस० एस० इनामदार,

सायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्भत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- इ० से प्रधिक है श्रीर

जिप्तको सं० 132 ए०, डा० मेबनाय साहा सरनी कल० है तथा जो थाना टालीगंज, डिस्ट-24 परगणा में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रालिपुर सदर, 24 परगणा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 8-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी क्षाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के लिए।

अतः, ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अमुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नसिवित ध्यक्तियों, अर्थात:—

- (1) श्री दिवजेस चन्द्र रायचीधुरी 129, साउदार्ण एभिन्यु कलकसा-29 (भ्रन्तरक)
- (2) श्री (1) नारायन चन्द्र कोनार, (2) सुनील चन्द्र

   कोनार, (3) ग्रानिल चन्द्र कोनार 26 ए० केयातला लेन,

   कलकत्ता-29

  (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा, अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे

स्यव्हीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

#### अ<del>नुसूची</del>

करीब 3 कट्टा 7 छटाकं जिमन जो 132 ए०, डा० मेघनाथ साहा सरनी, थाना:टालीगंज, जिला 24 परगणा पर ग्रवस्थित।

> एस० एस० इनामवार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक घायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज -V, कलकत्ता-16

तारीख: 27-6-1975

प्ररूप माई० टी० एन० एस०---

# भावकर अधिनियन, 1961 (1961 का 43) की छारा 269-छ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक झायकर झायुक्त (निरीक्षण) झाई० ए० सि० (भ्रक्युसिषन) अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-16 कलकत्ता-16, दिनांक 27 जन 1975

निर्देश सं० ए० सी०-9/ग्रार०-II/कलकत्ता/74-75----ग्रतः मुझे, श्रार० वी० लालमोया, श्रायकर श्रधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त ग्रध-नियम' कहा गया है), की धारा 269-खा के म्राधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- रु० से अधिक है श्रीर जिसक़ी सं० जे एल 2, ख० सं० 189, दाग सं० 25 है तथा जो मौजा श्रौर थाना बेहाला में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद अनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन तारीख पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के धृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पनद्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (फ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक़ के वायिश्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

मत: अब उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त प्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों प्रथीत:—

- 1. श्री (1) उथा रंजन गुहा (2) सुधीर रंजन गुहा, (3) श्रधीर चन्द्र गुहा, (4) श्रीमती परिमल बाला घोष 238, ए० रास बिहारी अवन्य, कलकत्ता (श्रन्तरक)
  - कुमारी पुष्पलता चाटरजी (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां मुक्त करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारी के ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास जिखित में किये जा सकेंगे।

स्पब्दीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

### अनुसूची

जेला 24 परगणा मौजा घौर थाना बेहाला, जे० एल० सं० 2, खा० सं० 189, दाग सं० 25 में 65 डेसिमल क्षेत्रफल का जमीन।

> ग्नार० वी० लालमोया, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज-II_e कलकत्ता ।

तारीख: 27-6-1975

## प्ररूप बाई० टी० एस० एस०---

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के प्रधीन सूचना

#### मारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० 196/ग्रर्जन/कानपुर/74-75/577--ग्रतः मुझे, एफ० जे० बहादुर, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन ंसक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से प्रधिक न्नीर जिसकी सं० 110/21 है तथा जो नेहरू नगर सानपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन तारीख 18-10-1974 के पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूरूय से कम के दृश्यमान प्रतिफल के अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, असके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रति-शत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय

पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण

लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने के लिए सुकर बनाना;

अतः अब, उक्त अधिनियम की वारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की वारा 269-व की उपवारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- 1. श्री रामनरायन भ्ररोरा पुत्र श्याम लाल भ्ररोरा नि० 11-/21, नेहरू नगर कानपुर (ग्रन्तरक)
- स० सुरिन्दर सिंह पुत्र स० दीवान सिंह नि० मारेयाहु जि० जौनपुर (ग्रन्तरिती)
- 3. श्री (1) मेसर्स भारत फलौरिग, (2) मैसर्स पैरीडीलन (3) एस० के० सेठी, कृष्ण चन्द्र (4) वलबन्त सिंह, (5) धर्मवीर (6) मीटा सिंह, (7) ग्रबतार सिंह, (8) पी० महेक्बरी, (9) जे० के० गान्धी। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के (लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अविधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबज्ज
  किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
  लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पब्दीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

श्रवल सम्पत्ति नं० 110/21, जो नेहरू नगर कानपुर में स्थित है इसका हस्तान्तरण ६० 1,35,000/- में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर, सक्षम प्राधिकारी, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, कानपुर ।

तारीख: 28-6-1975

प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 28th June, 1975

J. No. I(Eg)506/74-75/Acq. File No. 199 KAKINADA; यतः मुझे, B. V. Subbarao,

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है धौर जिसकी सं० S. No. 931 है जो

Sarpavaram village, Kakinada Taluk में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय Kakinada में भारतीय रिजस्ट्रीकरण ग्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन December. 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित क्षाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत क्षिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना;

अतः, अब, धारा 269-ग का उक्त अधिनियम के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के श्राधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः--

- Sirangu Srinivasarao, Sudhapalem 2. Rao Bapanayya Rao, M/P Raja Re-rolling Mills, Sarpavaram 3. Rao Lakshmi Venkata Rangarao, Kakinada, 4. Sirangu Kukkuteswararao, Sudhapalem, 5. Akula Sivvayyanaidu, Kakinada.

  (Transferor)
- Merla Jagannadham.
   Merla Ramanna
   Merla Bulliammai.
   Merla Ramanna
   Merla Parananna
   Merla Parananna<

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एलदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हं।

सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (का) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पाद्धीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में ययापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसुची

The Schedule property namely land, Mill premises. Machinery at Sarpavaram as shown in the sale document No. 6278/74 of S.R.O., Kakinada registered in the month of December, 1974.

B. V. SUBBA RAO, संक्षम प्राधिकारी सहायक ध्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रजैन रेंज, Kakinada

दिनाँक: 28-6-1975

मोहरः

## प्ररूप भाई० टी० एन० एस०--

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

#### भारत सरकार

सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय श्राई० ए० सी ग्रर्जन रेंज-IV-16 कलकत्ता

कलकत्ता-16 दिनांक 27 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० 218/ग्रार०-IV/कल०/75-76--भर: मुझे, एस० बहाचार्या

न्नापकर प्रधिनियम, 1961 (1961

- का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000- इ० से श्रधिक है
- भौर जिसकी सं ा4 है तथा जो महात्मा गांधी रोड में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद धनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप, से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 17-10-1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पृथ्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रिधिनयम, के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के द्यायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी घन या मन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर म्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त म्रधिनियम' या घनकर अधिनियम 1957 (1957का 27) के प्रयोजनायं भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उक्त ग्रधिनियम की धारा 26 9-ग के भनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत्:—

- (1) श्री राजेन्द्र नारायन नन्दी, राधा गोविन्द नन्दी, नन्दोलाल नन्दी, राधापद नन्दी, हरिसाधन नन्दी (ग्रन्तरक)
  - (2) श्री सुभाष चन्द श्रागरवल्ला (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

ं उक्त सम्पत्ति के ग्रजंन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी ध्यक्ति द्वारा;
- (खा) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शन्दों श्रीर पद्दों का, जो उक्त ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही ग्रथं होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

ग्रविभाजित श्राधा हिस्सा 14 महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता में लगभग 5 कट्टा जमीन ग्रीर उस पर मकान का।

> एस० वट्टाचार्यां सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-IV, कलकत्ता-16

तारीख: 18-4-1975

### प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून, 1975

निषेश सं० 924--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमारः

भायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त भ्रधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ध

के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से प्रधिक है

ग्रीर जिसकी सं जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं 2836, ग्रक्तूबर, 1974 में है तथा जो मोहल्ला शेखां होशियारपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप में विणित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिक्ति, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या
- (ख) ऐसी किसी क्षाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-फर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः प्रव उक्त श्रिधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं उक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रिधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात्:— 6—156GI/75 1. डाक्टर हरबंस लाल सुपुत्र धर्मचन्द, सुपुत्र चुर्फालाल शाह, वासी णीश महल बाजार होशियारपुर। (अन्तरक)

2. श्री सीतल प्रकाश सुपुत कुन्दन लाल, सुपुत्र काशी राम जैन मोहल्ला बाजार शेखां (श्रन्तरिती)

जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन केलिये कार्यवाहियां शुरू करता है।

उकत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवड़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उन्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

मकान जैसा कि अधिकृकृत विलेख नं० 2836 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होणियारपुर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), धर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (नि ण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जुन 1975

सं० 937--यतः मुझे, रवीन्द्र कृमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) इसमें इसके पश्चात् 'उक्स श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा सक्षम प्राधिकारी 269ख के अधीन विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रीर जिसकी सं० भ्रधिकृत विलेख नं० 2904 भ्रक्तूबर, 1974 में है तथा को नजदीक स्रार्य समाज मन्दिर, होशियारपूर में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रहर प्रतिशत अधिक है थौर यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अभ्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उनत ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रतः म्रब 'उक्त म्रधिनियम' की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, 'उक्त भ्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भ्रयालु:—

- श्री जगदीश चन्द्र सुपुत्र हीरा लाल सुपुत्र लगमन दास
  श्रीर कैलाश चन्द्र सुपुत्र प्रकाश चन्द्र सुपुत्र हीरा लाल वासी नजदीक
  श्रार्थ समाज मन्दिर होशियारपुर।
   (श्रन्तरक)
- 2. श्री विद्यासागर सुपुत्र मुकन्द लाल सुपुत्र दीनीचंद वासी प्रालाद नगर। (ग्रन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

जक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

### अनुसूची

प्लाट जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 2904 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ती श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975 मोहर : प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

ग्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून, 1975

सं० ए० पी० नं० 928--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, अधिनियम, 1961 (1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) 2.69-ध के अधीन सक्षम को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु० से प्रधिक है श्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 7008 श्रक्तूबर, 1974 मों है तथा को अलीखेल मों स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्राकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है। और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

ग्रतः ग्रब उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथित :--

- श्री गुरुदेव सिंह सुपुत्र गिल सिंह गांव श्रलीखेल तहसील जालन्धर। (श्रन्तरक)
- 2. श्री ग्रमर सिंह सुपुत्र दीतू गांव गोनालपुर ग्रलाइस बीदी-पुर तहसील जालन्धर। (ग्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (वह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में हसम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां मुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण !——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

जमीन जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 7008 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना "

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975 निदेश सं० ए० पी०-929--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, म्रायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है भ्रौर जिसकी संख्या जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 7094 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा जो गांव घ्रलीखेल में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ब्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक श्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सभ्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूख्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (व) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- ्ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

 श्री गुरदेव सिंह सुपुत्र गेल सिंह गांव श्रलीखेल तहसील जालन्धर।

(भ्रन्तरक)

- श्री भ्रमर सिंह सुपुत्र दीतू सिंह गांव गोगालपुर भ्रलाईस वादीपुर । (अन्तरिती)
  - जैसा कि नं 2 में है।
     (वह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबब है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पद्धीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

जमीन जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 7094 ग्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालल्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 28 जून, 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयक्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण), म्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 जून, 1975

सं० 930---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित रुपए से अधिक बाजार 25,000/-म्रौर जिसकी सं० जैसा कि म्रधिकृत विलेख नं० 7132 म्रक्तूबर, 1974 में है तथा जो म्रलीखेल में स्थित है (भ्रौर इससे उपायन श्रनुसुची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए स्य पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधि-नियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए !

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपघारा (1) के ग्र**धी**म निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- श्री गुरुवेव सिंह सुपुत्र गेल सिंह गांव ग्रलीखेल तहसील गालन्धर। (ग्रन्तरक)
- 2. श्री श्रमर सिंह सुपुत्र दीत् गांव गोयालपुर श्रलास बीबीपुर तहसील जालन्धर। (श्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (बह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्यत्ति में रुचि रखता हो । (बह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्त्प्रक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हूं।

उनत सम्पत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अद्योहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

रवीन्द्रं कुमार, सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रजन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-1975

## प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-च (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून, 1975

निदेश सं० 931--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, प्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से श्रधिक है ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6513 ग्रक्तूबर 1974 में है तथा जो सराएखास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप में बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, अक्तूबर, 1974 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

भ्रतः श्रव धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, 'उक्त भ्रधिनियम,' की धारा 269-म की उपधारा (1) के भ्रभीत निम्निलिखित व्यक्तियों श्रर्थात् :—

 श्री गुरबक्श सिंह सुपुत्र वीरू सुपुत्र वुधु वासी सराएखास जालन्धर। (श्रन्तरक)

- श्री मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र मोहन सिंह सारएखास जालन्धर। (भ्रन्तरिती)
- 3. जैसा कि नं० 2 में है। (बह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख़ से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस बध्याय में दिया गया है।

## धमुसूची

जमीन जो कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6513 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०--

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त, (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी० 932—यतः मुझे, रबीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रिजस्ट्रीकृत विलेख नं० 3306 अक्तूबर, 1974 में लिखा है तथा को नवां गहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनु नवीं में और पूर्ण रूप में विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवांगहच में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से क्षम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलेख
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिक्षत से श्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक कप से
कथित नहीं किया गया है:—

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त श्रिधिनियम, के ग्रिधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए भौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों की, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम, या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

म्रतः अब, उक्त म्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की घारा 269-घ की उपघारा (1) के म्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

- 1. श्रीमती गिम्रानो पत्नी चानन सिंह निवासी तत्वरही जटां डाकखाना चक्क राम् (श्रन्तरक)
- 2 श्री तेजा सिंह सुपुत्न श्री जगत सिंह चानन कौर पत्नी तेजा सिंह निवासी तलवन्डी जटां। (श्रन्तरिती) गैसा कि नं० 2 में है।

डाकखाना चक्क राम् तहसील नवांशहर

(वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है।)

 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
 (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिये एतदब्रारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पब्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही शर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3306 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-75

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)
श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी० नं० 933—यतः मुझे, रवीन्त्र कुमार भ्रायकर 
प्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पण्चात् उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है ) की धारा 
269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- र० से ग्रधिक है 
श्रौर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3150 अक्तूबर, 
1974 में लिखा है, तथा को बीरगेवाल में स्थित है 
(श्रौर इसके ज्यावत्र स्वसभी में श्रौर पर्ण रूप में विणित है).

1974 में लिखा है, तथा को बीरगेवाल में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख नवम्बर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे

प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कचित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः ग्रब 'उक्त ग्रधिनियम' की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, 'उक्त ग्रिधिनियम', की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत् '--

- श्री गुरनाम सिंह सुपुत्र श्री कर्म चन्द सुपुत्र श्री कीटिया निवासी क्ष्कड़ पिन्ड जिला जालन्धर। (श्रन्तरक)
- 2. सर्वथी ज्ञान सिंह, सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री उजागर सिंह सुपुत्र श्री बसावा सिंह निवासी गांव ग्रर्जनवाल डाकखाना ग्रादपुर जिला जालन्धर। (श्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (वह व्यक्ति, जिसके श्रिधभोग में सम्पत्ति है)
  - जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
     (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवब है)

को यह सूचना जारी झरके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

#### अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 3150 नवम्बर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा गया।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम श्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-1975

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी०-934--यतः मुझे, रवीन्द्र कृमार भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-/ रु० से ग्रधिक है ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2804 श्रक्तुबर, 1974 में लिखा गया है तथा को होशियारपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपावद श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है श्रीर मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है भ्रौर भ्रन्तरक (ग्रन्तरकों) भौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नालेखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, भ्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, याधनकर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनसरण में, में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत् :—
7—156GI/75

- 1. श्री दलीप सिंह सुपुत्र श्री गोपाल सिंह सुपुत्र श्री गुरबनश सिंह निवासी सुन्देरी खुरद होशियारपुर। (श्रन्तरक)
- श्रीमती कृष्णा कान्ता पत्नी ब्रह्म प्रकाश सुपुत्र श्री सगली राम निवासी बागपुर तहसील होशियारपुर। (श्रन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
 (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारो कर के पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप --

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन की प्रविध या तत्संबधी व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी
  ग्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रथं होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

#### श्रनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2804 प्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रोंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून 1975 मोहर ; प्ररूप आई० टी० एन० एस०~— आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायकत (निरीक्षण),

श्चर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी० -935--यतः मुझे, रवीन्द्र कुनार श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है) की घारा 269 ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि

स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृकृत विलेख नं० 2729 श्रक्तूबर, 1974 में लिखा गया है तथा को निकट मिलाप नगर होशियारपुर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ़ अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्री-करण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कण के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) अम्तरण से हुई िकसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घत या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम या घत-कर अधि- नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छियाने में सुविधा के लिये;

श्रतः अब उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ए के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 1. श्री बलवन्त सिंह सुपुत्र ऊधम सिंह सुपुत्र जीवा श्री जीवा राम जी० ए० मेहर सिंह सुपुत्र ऊधम सिंह सुपुत्र जीवा निवासी जगतपुरा होणियारपुर।

(अन्तरक)

2. श्री मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री साधु सिंह सुपुत्र ईणर राम निवासी फतेहगढ़ नैरा डाकखाना तहसील होणियारपुर (श्रन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

 जो व्यक्ति सम्पत्ति में हिच रखता है।
 (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबब है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के लिए कार्यवाहियां णुरू करता हुँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप;

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पःटीकरण :-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-तियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

### अनुसूची

प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2729 ग्रक्तूबर, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम ऋधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-75

प्ररूप भा∜ं० टी० एन० एस०—-

आयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1)के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्नायकर म्नायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जुन 1975

सं० 936—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूरुय 25,000/- रुपये से ग्रधिक है
ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 2779 श्रक्तूबर,
1974 में है तथा को कोटला गनपुर तहसील होगियारपुर में स्थित
है (ग्रार इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में विणत है),
राजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय होगियारपुर में राजस्ट्रीकरण
ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख ग्रक्तूबर,

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकत्न के लिए धन्तरित

की गई है धौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्जोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्राधक है धौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) और श्रन्तरिती (श्रन्तरितयों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:---

- (क) भ्रस्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत उक्त भ्रिष्टिनयम, के भ्रधीन कर देने के भ्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या श्रन्य ग्रास्तियों, को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रीधिनियम या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 के 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

ग्रतः ग्रब, उन्त अधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं उन्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात :---

- 1. श्री गुरबचन सिंह श्रौर प्रीतम सिंह पुत्र दसौदा सिंह धासी श्रजोवास तहसील होशियारपुर (ग्रन्तरक)
- श्री गुरबचन सिंह प्रीतम सिंह सुपुत्र गोकल चन्द सुपुत्र सुन्दर दास साहनी वासी कुमालपुर, होशियारपुर (अन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके धिधभोग में सम्पत्ति है)

 कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
 (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के जिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ध्रविध या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तानि से 30 दिन की श्रविध जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारी ख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रश्लोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त श्रक्षितियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वहीं भर्य होगा, जो उस शध्याय में विया गया है।

## अमुसूची

जमीन जैसा कि स्रधिकृत विलेख नं० 2779 श्रक्तूबर, 1974 को रिजस्ट्रीकर्ती श्रधिकारी होशियारपुर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-1975

प्रकृप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, 28 जून, 1975 निदेश सं० 927---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्नात् 'उनत ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,00०/- रुपये से अधिक भ्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6978 ग्रक्तूबर, 1974 में है तथा जो माडल टाउन में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख श्रक्तुबर, 1974 सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के को पर्वोक्त दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृण्यमान प्रतिफल से ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण

- के लिए प्रतिफल. तय पाया गया निम्नसिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम'
  - (ख) ऐसी किसी आय या किसी धनया अन्य आस्तियों जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' अधिनियम, 1957 (1957 के प्रयोजनार्घ अन्तरिती प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए।

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-व की उपघारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

- 1. श्रीमती सरास्ती देवी पत्नी स्वर्गीय डाक्टर कृष्ण क्रमार, जालन्धर
  - 2. मैं सर्स यनाइटेड सेल्स कारपोरेशन, नेहरू गार्डन, जालन्धर। (भ्रन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके भ्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाणन की तारीख से 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जासकेंगे।

स्पब्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त' अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

## अनुसूची

कोठी जैसा कि प्रधिकृत विलेख नं० 6978 प्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

> रबीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 28-6-1975

प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०

श्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 938---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार भ्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) इसमें इसके पश्चातु 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, बाजार मृत्य 25,000/- रु० से ग्रधिक श्रौर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्टीकृत विलेख नं० 7004 श्रक्तुबर, 74 को रजिस्टीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनसुची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रध-कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्दीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वेक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रंधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रीर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त श्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्थ श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन कर श्रधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः, श्रब उक्त ग्रधिनियम, की घारा 269-ग के ग्रनुसरण में, में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीस्:---

- श्री कृष्ण कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल माडल हाउस बस्ती गेख जालन्धर। (ग्रन्तरक)
- 2. मैससे एस० बी० ग्राई० सुपरवाङ्गिंग स्टाफ कोग्रापरेटिय सोसायटी लि० जालन्धर। (श्रन्तरिती)
  - जैमा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. जो त्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के फ्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उम्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप --

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध िकसी अन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण ----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया हैं।

## अनुसूची

धरती जो कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7004 प्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता घ्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-1975

## प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

म्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण)

## श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर, तारीख 28 ज्न 1975

निर्देश सं० ए० पी० 939--यतः मुझे रवीन्द्र कुमार श्रायकर भिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात 'उक्त प्रधिमियम कहा गया है ) की बारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह जिल्लास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रूपये से अधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 72:37 नवम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्त्तौ मधिकारी जाबन्धर जो वस्ती शेख जालन्धर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 के ग्रधीन, तारी**ख** नवम्बर, पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके बृक्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भौर यह कि अन्तरक (अन्तरकों) वौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पावा गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (का) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए।

ग्रतः ऋब उक्त ऋधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रिधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रमीत्:—

- श्री कृष्ण कुमार सपुत श्री चमन लाल सपुत श्री मोइरी लाल माडल हाउस बस्ती शेख, (ग्रन्तरक) जालन्धर।
- मैसर्स एस० वी० ब्राई सुपरवाईजिंग (ब्रन्तरिती) स्टाफ कोंब्रापरेटिव सोसाइटी, जालन्धर।
- 3. जैसा कि नं० 2 में है

(वह ध्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ गुरू करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के प्रर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### भनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7327 नवम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजीन रेंज जालन्धर

तारीख: 28-6-75

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

भाभकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण),

### भ्रर्जन रेंज, जालन्धर

जलंधर, तारीख 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० पी० 940--यतः मुझे रवीन्द्र 1961 (1961 आयक्द अधिनियम का 43) इसमें इसके 'उपत अञ्चिनियम' पग्चास गया है) की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000√- रुपए से अधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2468 ग्रस्तुबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी गढ़णंकर है तथा जो ढाडा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय गढ़शंकर में रजिस्ट्रीकर्ण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, तारीख अक्तूबर, 1974

### को पूर्वीक्स

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि खित में धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या
- (ध) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की जुपधारा (1) के अधीन निम्निस्थित व्यक्तियों, अर्थात्:---

- श्री स्वर्ण सिंह सपुत्र श्री नगीजा निवासी
  ढाडा डाकखाना माहिलपुर तहसील (ग्रन्तरक)
  गढ़शंकर।
- श्रीमती चानन कौर पत्नी गुरबख्श सिंह गांव ढाडा (ग्रन्तरिती)
- जैसा कि वि० नं० 2 में है।
   (वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
   (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को <mark>यह सूचना जारी करके पूर्वोक्</mark>त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पक्ति के अर्जीन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टोकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

### अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2468 श्रक्तूबर, 1974को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी गृहशंकर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम ग्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28-6-1975

प्ररूप स्नाई० टी० एन० एस०----

भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)
भ्रर्जन रेज, जालन्धर

जालंधर, तारीख 28 जून 1975

निर्देश सं० 941—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार
ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख
के ग्रिधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु०
से ग्रिधिक है

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रिधकृत विलेख नं० 7048 श्रक्तूबर 1974 में है तथा जो नगेलपुरदील में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबब श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृग्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह यिश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से काश्वत नहीं किया गया है-—

- (क) अन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त अधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये।

श्रतः अब उक्त श्रिधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में मैं, उक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रिधीन निम्नलिखित व्यक्तियों श्रिथित्:...

- श्री कर्म सिंह सपुत्र राम सिंह वासी नगेलपुरदिल मुख्यारनामा श्रीफ गुजर सिंह, श्रीफ नंगेलपुरदिल (ग्रन्तरक)
- 2. श्री श्रवतार सिंह सपुत्र राम सिंह वासी नगेलपुरदिल (श्रन्तरिती)
- जैसा कि नं० 2 में है
   (बह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पति में में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबब है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

जनत सम्पत्ति के ब्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीखा से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राज त्व में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उनत अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

जमीन जैसा कि प्रधिकृत विलेख नं० 7048 प्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज. जालन्धर

तारीख : 28-6-1975

श्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीर सूचेना

भारत गरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकार श्रायकत (निरीक्षण)

श्चर्जन रेज, जालन्धर

जालन्धर तारीख 28 ज्न 1975

निर्देश सं० 942---यतः सुक्षे रवीन्द्र कुशार 1961 (1961 म्रधिनियम, 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- ए० से श्रधिक है भ्रौर जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7013 स्रक्तूबर 1974 में है तथा जो नंगेलपुरदिल में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है),रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधीन, तारीख श्रमतूबर, 1974 को के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विख्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तिरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उनत अन्तरण लिखत में चास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने था उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के लिए;

ग्रतः जब उक्त ग्रिधिनियम की, धारा 269-ग के श्रनुसरण में मैं उक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रिधीन निम्नलिखित व्यक्तियों श्रर्थात् :— 8—156G1/75

- श्री कर्म सिंह सुपृत्र राम सिंह नंगलपुरितल

  मुखतयारनामा श्रीफ गुजर सिंह सपृत

  मंगल सिंह नगलपुरितल (श्रन्तरक)
- 2. श्री गुरदीप सिंह सुपुत्र कर्म सिंह नगल पुरदिल (श्रन्तरिती)
- 3. जैसा कि लंब 3 में है।

(वह ब्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के राम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप

- (क) इस सूचना क राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म मे किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपद्म में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनसधी

धर्ती जैसा कि यधिक्रत विलेख नं ० 7013 अन्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता थ्रधिकारी जालन्धर में है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 28-6-75

### प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजेन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० ए० पी०-943--यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त श्रिधिनियम' कहा गया है ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- ६पये से अधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7130 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकृती श्रिधकारी जालन्धर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप म वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित सहेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ख्रिंपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, में, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

- भी कर्म सिंह सपुत्रश्री राम सिंह निवासी नंगल पुरिडल तहसील जालन्धर जी० ए० टु० गुजर सिंह सपुत्रश्री मंगल सिंह। (श्रन्तर्क)
  - श्रीमती जोगिन्द्र कौर पत्नी ग्रयतार सिंह नंगल पुरिंडल । जयपुर। (श्रन्तिरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में हैं।
     (बह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - जो व्यक्ति सम्पंत्ति में रुचि रखता है।
     (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतहृद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप हो तो:---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बंध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख़ से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी अन्य श्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधि-नियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7130 ग्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमा्र, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 28 जून, 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

भ्रायकर अम्लिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 944--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) इसके श्रधिनियम' पश्चात गया है) की धारा 269-घ के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 7090 श्रक्तूबर, 1974 में हैं तथा जो नंगल पुरदल में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख प्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-रितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उब्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी झाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

बत: अब, उक्त अधिनियम, घारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्निकाल व्यक्तियों, अर्थात :--  श्री कर्म सिंह सुपुत्र राम सिंह जी० के० श्रीफ गुजर सुपुत मंगलसिंह वासी नंगल पुरदिल

(भ्रन्तरक)

- 2. नच्छतर कौर पत्नी कर्म सिंह नगंल पुरदल (ग्रन्तरिती)
- जैसा कि नं० 2 में है।
   (वह व्यक्ति, जिसके श्रिधभोग में सम्पत्ति है)
- कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
   (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हूं।

जक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तिमों पर सूधना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के 'राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित**बद्ध किसी** अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टोकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20क में यथापरिमाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

धरती जैसा कि प्रधिकृत विलेख नं० 7090 ग्रक्तूंबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, जालन्धर

दिनांक: 28 जून, 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-प (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जुन 1975 -

स० 945--यतः मुक्षे, रवीन्द्र कुमार भ्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- ध्पये से अधिक है ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6734 श्रक्तूबर में है तथा जो सहोबाल नजदीक गराली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध प्रनस्ची में प्रौर पूर्ण रूप भें विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधि-कारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है ग्रीर अन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उनत ग्रन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त श्रिधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की घारा 269-घ की उपघारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---  श्री धर्म सिंह सुपुत्र ऊधम सिंह गांव सहोवाल तहसील जालन्धर ।

(अन्तरक)

2. वसंध वीहार कोश्रापरेटिव हाउस विल्डिंग सोसायटी लिम्टेड महोवाल

(भ्रन्तरिती)

जैंसा कि नं० 2 में है।
 (वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी ब्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह ब्यक्ति, जिनके बारे में घ्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोस्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप, :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों एर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टोकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्दों को, 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अयें होता, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

धरती जैसा कि स्रधिकृत विलेख नं० 6734 स्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता स्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सञम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 28 जुन, 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 946—स्यतः मृझे, रवीन्द्र कुमार ग्रायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ध के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- क० से ग्राधिक है

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रिधकृत विलेख नं० 6546 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा जो बंबईनवाल में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय जालन्धर में रिजिस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख श्रक्तबर, 1974

का 16) के स्रधीन, तारीख स्रक्तूबर, 1974 के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

के पूर्वीकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीकत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है श्रीर यह कि श्रन्तरक (श्रन्तरकों) और अन्तरिती (श्रन्तरितों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त श्रिधिनियम के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

ग्रतः श्रब उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनु-सरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रथीत :--

- श्री ग्रवतार सिंह, रणजीत सिंह सुपुत्र मोहल सिंह सिंतन्द्र सिंह, हरकीरत सिंह श्रौर बीरत सिंह गांव बंबईन
  - (भ्रन्तरकः)
  - 2. श्री नर्मल सिंह सुपुत चंचल सिंह गांव बंबईन (ग्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसुची

जमीन जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6546 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 28 जून, 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 947--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार म्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6775 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा जो भ्रनाज मन्डी जालन्धेर में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर, 1974 सम्पत्ति के उचित मुख्य से प्रतिफल के दुष्यमान लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रति-फल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (भ्रन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः 'अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित-व्यक्तियों अर्थात् —  श्री गुरदयाल सिंह स्पुत्र हरी सिंह गांव खजूर तहसील फगवाङ्गा।

(भ्रन्तरक)

- 2. श्री सनजीत कुमार सुपुत्र कृष्ण चन्द जालन्धर। (अन्तरिती)
- जैसा कि नं० 2 में है।
   (वह व्यक्ति, जिसके श्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए एतद्दारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्षत अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

दुकान जैसा कि श्रधिकृत विलेख वं० 6775 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक म्रायकर ग्रा**युक्त (निरीक्षण)** श्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 28 जून, 1975

### प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, 28 जून 1975

स० 948--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार भ्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 7136 ग्रक्तूबर, 1974 है तथा जो इन्डस्ट्रियल एरिया में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधि-कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख ग्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे कृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अम्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों;
  को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
  (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
  या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957
  का 27) के प्रयोजनार्थ अम्सरिती द्वारा
  प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
  था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

मतः म्रबं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के म्रनु-सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों सर्थात:——

- 1. श्री जे० श्रनन्द शटल कौक हाऊस द्वारा भदन लाल सुपुत्र सरदारी लाल बस्ती नौ जालन्धर । (श्रन्तरक)
  - श्री राम सारूप और राम प्रकाण श्री तुलसीराम जालन्धर (श्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में हैं ।
     (वह व्यक्ति जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
  - कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में ६चि रखता है।
     (वह व्यक्ति, जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपल्ल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वब्दीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

मकान जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 7136 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक: 28 जुन, 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

ं सं० 949—-यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात्, 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारीको यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 7042 ग्रक्तूबर 1974 में है तथा जो मंडी रोड जालन्धर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्दीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक श्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यभान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैऔर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भौर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) कें बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:--

- া. श्री कृष्ण लाल चडा ग्रीर कुन्दन लाल चडा जालन्धर। (भ्रन्तरक)
- 2. श्री जोगा सिंह स्पूत्र मंहगा सिंह गांव विलगा डिस्ट्रिक्ट जालन्धर।

(ग्रन्तरिती)

- 3. जैसा किनं० 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके श्रिधभोग में सम्पत्ति है)
- 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोवत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी**बा** से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जासकेंगे।

स्पट्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त-अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अन्सूची

सम्पत्ति जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 7042 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 28 जून, 1975

## प्रकप आई० टी० एन० एस०----

श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के श्रिधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 950----यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार म्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- ६० से ब्रधिक है भौर जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6655 अक्तूबर, 1974 में है तथा जो पठानकोट बाई पास में स्थित है (भ्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है श्रीर मुझे यह विश्वास करने कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पति का उचित बाजार मृत्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रीर अन्तरक (अन्तरकों) ग्रीर अन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) ध्रन्तरण से हुई किसी ध्राय की बाबत, उक्त घ्रधिनियम, के ध्रधीन कर देने के ध्रन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना था हिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

श्रतः श्रव 'उक्त श्रिष्ठिनियम' की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, में उक्त श्रिष्ठिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रामीत्:—— 9—156G1/75

- डाक्टर सरमजीत सिंह माना सुपुत्र ले० कर्नल एस० एस० माना 514 नम् जनाहर नगर, जालन्धर
  - (ग्रन्तरकः)
- 2. श्री प्रवीन चंद सुपुत्र ऊग्रसेन ई० पी० 243 मंडी फेटन गंज सुरिन्द्र प्रकाश सुपुत्र राम लाल श्रीफ 603 मोडल टाऊन जालन्धर (अन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (बह ध्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. कोई भी ब्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ब्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।
  - उक्त सम्पत्ति के प्रजीन के संबंध में कोई भी आक्षेप:——
    (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;
  - (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा ध्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पढों का, जो उक्त श्रधिनिथम, के श्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही श्रथं होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

### अमुसूची

सम्पत्ति जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं ० 6616 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्त्र कुमार, सक्षम ग्रिक्षकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, जालन्घर

तारीख: 28 जून 1975

प्ररूप आई० टी०एन० एस०⊸

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक द्यायकर द्यायुक्त (निरीक्षण) सर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जुन 1975

सं० .951--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार अधिनियम, 1961 (1961 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम अधिकारी यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रुपए से अधिक है ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6616 ग्रक्तूबर, 1974 है तथा जो पठानकोट बाई पास जानन्धर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्दीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अस्तूबर, 1974 को पूर्वीवत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखिन उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त प्रश्चितियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, 'उक्त अधिनियम', की घारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--  1. श्री सरबजीत सिंह बावा स्पुत्न ले० कर्नल एस० एस० वावा 518 नयू जवाहर नगर जालन्धर

(ग्रन्तरक)

- 2. श्री प्रवीन चन्द स्पुल उग्रसेन ई० पी० 243 मंडी फेलेन-गंज, सरिन्द्र प्रकाण स्पुल राम लाल 603 मोडल टाऊन जालन्धर। (अन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(बह ब्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. नोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टोकरण: -- इसमें प्रयुक्त गब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अष्टपाय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अयं होगा जो उस अष्टपाय में दिया गया है।

#### अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6616 अक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुवत (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28 जून, 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(ष) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 952—यतः मुझे, रबीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है) की
धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/ रुपये से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रिधकृत विलेख नं० 6974 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा जो जालन्धर में स्थित है, (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुस्ची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम, 1908 (1908

का 16) के ग्रधीन, तारीख श्रम्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बजने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों,
  को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
  (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
  अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं
  अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
  जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- श्री मोहन सिंह गांव गड़ा तहसील जालन्धर। (ग्रन्तरक)
- 2. श्री बलजीत सिंह एस० पी० सी० ग्रस्तिकी चंडीगढ (ग्रन्तिरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(बह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उभत सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशत की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपद में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

प्लाट जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6974 ग्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 28 जून 1975

प्ररूप धाई० टी० एन० एस०--

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व(1) के प्रधीत सूधना

भारत सरकार

कार्यांसय, संहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण),

ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० 953--- यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार प्रधिनियम, 1961 (1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की बारा 269घ के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका मूल्य 25,000/- रु० से **अधिक** है बाजार श्रीर जिसकी सं० जैसाकि श्रधिकृत विलेख नं० 6680 श्रधतुबर 1974 में है तया जो शक्तिनगर में स्थित है (ब्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रवीन, तारीख म्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त धन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, 'उक्त श्रिधिनियम,' के श्रशीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए श्रीर / या
- (क) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

मतः अब 'उक्त भविनियम,' की धारा 269-ग के स्रनुसरण में मैं, जक्त मिधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---

- 1. श्री लाल चंद ध्रश्नद स्पुत्न वंसीर लाल 200 शक्तिनगर, जालन्धर। (श्रन्तरक)
- 2. श्रीमती प्रेम कपूर पत्नी सत्तवाल नं ० एफ० 164 मोहिन्द्र मोहल्ला जालन्धर ग्रब 200 शक्तिनगर, जालन्धर (श्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं 2 में है।
     (वह ध्यक्ति, जिसके श्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पक्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए एतदबारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविधि, जो भी श्रविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पव्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उनत अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

मकान जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6680 श्रक्तूब्र, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम ग्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालधर

तारीख: 28 जून 1975

मोहरः

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 954—पत: मुझे, रवीन्द्र कुमार,
ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम श्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है
श्रीर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6681 श्रक्तूबर,
1974 में है तथा को शक्तिनगर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध
श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी
के कार्यालय जालन्धर, में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908
का 16) के श्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उकत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

- 1. श्री लाल चंद सुपुत्र बंसी लाल 200 मिनतनगर जालन्धर (ग्रन्तरक)
- 2. श्रीमती द्वारका देवी कपूर पत्नी खेम राज कपूर नं० एफ० 164 मोहिन्दरू मोहल्ला आलन्धर भ्रव 200 शक्तिनगर, जालन्धर।

(ब्रन्तरिती)

- जैसा कि नं० 2 में है।
   (यह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ध्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी भ्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्दीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों, का जो उनस श्रधिनियम के भ्रष्टयाय 20-क में यथापरिभाषित हैं, बही भ्रष्टे होगा, जो उस भ्रष्टयाय में दिया गया है।

### अनुसूची

मकान जैसा कि अधिकृत विलेखनं० 6681 अक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम श्रधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेंज, जासन्धर।

तारीखा: 28-6-1975

प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०-

ग्रायकर श्रोधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के श्रधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेज, जालन्धर

ज(लन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 955---यतः मुझे, रबीन्द्र कुमार श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त श्रधिनियम', कहा गया है) धारा 269-জ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी की को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है श्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलख नं० 6501 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा को इन्डस्ट्रियल एरिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध स्नसूची में भ्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि-कारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के बुश्यमान प्रतिफल के अन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और यह कि अन्तरक (श्रन्तरकों)श्रीर अन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में

(क) म्रन्तरण से हुई किसी म्राय की बाबत 'उक्त म्रिधिनियम' के म्रिधीन कर देने के म्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या

वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(ख) ऐसी किसी थाय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों की, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त ग्रिधिनियम' या धनकर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथं ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

श्रतः श्रव उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-ध की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रथीत् :--

- 1. श्री विजय कुमार सुपुत्र पं० बिहारी लाल मोहल्ला शिवनगर, जालन्धर। (श्रन्तरक)
- 2. मैंसर्स जय उद्योग ट्रेडर्स कारपोरेशन इन्डस्ट्रियल एरिया जालधर। (स्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (वह ब्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
    (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी
    जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो 'उक्त ग्रिधिनियम', के ग्रध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही ग्रथं होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

फैक्ट्री जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6501 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालधर, में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम ग्रधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख: 28-6-75

## प्ररूप आई० टी० एन० एस०<del>----</del>

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ(1) के अधीन भूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय सहायक भायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 956---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार म्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- ए० से अधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6520 श्रक्तुबर 1974 में है तथा को इन्डस्ट्रियल एरिया में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध स्रनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है),रजिस्ट्रीकर्ता स्रधि-कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यह मुझे विश्वास करने का कारण है कियथापूर्वीक्स सम्पत्तिका उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

श्रतः अब उक्त श्रिधिनियम की, धारा 269-ग के श्रनु-सरण में, में, उक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रिधीन निम्नलिखित व्यक्तियों श्रर्थात्:---  श्री सुरेश चन्द्र सुपुत्र बिहारी लाल मोहल्ला शिवनगर जालन्धर।

(भ्रन्तरक)

- 2. मैंस्सं जय उद्योग ट्रेडर्स कारफोरेणन इन्डस्ट्रियल एरिया, जालन्धर। (अन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (वह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में स्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन लिए एतब्द्वारा कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ध्रविध या तत्सम्बन्धी व्यवितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ध्रविध, जो भी ध्रविध के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हिसबद किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, बही श्रथं होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

प्लाट जैसाकि अधिकृत विलेख नं० 6520 ग्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम ग्रधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख: 28-6-1975 -

## प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक झायकर द्वायुक्त (निरीक्षण)
प्रजीन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 957---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार ग्रायकर ग्रिधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रिधिनियम', कहा गया है) की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- दग्ये से अधिक है श्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रिधकृत विलेख में नं० 6477 श्रक्तूबर, 1974 में स्थित है (श्रौर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में और पूर्ण रूप में विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन तारीख अक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यस विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः, प्रव उक्त श्रिधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में मैं, उक्त प्रिधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रशीतः :---

- श्री सुरजीत सिंह सुपुत्र भरहमाना गांव रसूलपुर तहसील जालन्धर।
- 2. श्री ग्रमर जीत, ग्रम्नीक सिंह सुपुद दिलबाग सिंह रहीमपुर तहसील जालन्धर।
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्तिके अर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हूं।

उवत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिन में किए जा सकेंगे।

स्पच्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6477 प्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम श्रधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर।

ता**रीखा**: 28-6**-**1975

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जुन 1975

सं० 958—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 269 ख के ग्रिधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रिधिक हैं

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6476 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा को डकरबाल (कुष्णनगर) में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण स्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख प्रक्तुबर, पूर्वोक्त सम्पत्ति 1974 के उचित बाजार मुल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल अन्तरित की गई श्रीर विष्यास क्रने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रहप्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) भीर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए,

भत: भव उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नेलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात् :--1. श्री सुरजीत सिंह सुपुत्र बाह्मना गांव रसूलपुर तहसील जालन्धर। (श्रन्तरक)

10-156GI/75

- 2. श्री दिलबाग सिंह, गुरबचन सिंह गांव रहीमपुर तहसील जालन्धर। (अन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है। (बह ब्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
    (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी
    जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शूरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ऋर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप हो तो:--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### धनुसूची

जमीन जैसाकि भ्रधिकृत विलेख नं० 6476 भ्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक 28 जून, 1975 मोहर:

भ्रायकर प्रक्षिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 959--यतः मुझे, रवीद्र कुमार ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से प्रधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि ग्रिधिकृत विलेख नं० 6818 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा को काला भईया में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पनद्रह प्रतिशत से प्रधिक है श्रीर यह कि श्रन्तरक (अन्तरकों) श्रीर श्रन्तरिती(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत 'उक्त प्रधिनियम' के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या भ्रन्य म्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त भ्रधिनियम', या धन कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

श्रतः भ्रव, 'उक्त अधिनियम' की द्वारा 269-ग के भ्रमुसरण में, मैं, 'उक्त श्रिधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रमति:—  श्री साधु सिंह सुपुत्र बन्ता सिंह गांव काला भईया तहसील जालन्धर ।

(प्रन्तरक)

- 2. श्री साध् सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह गांव इसपुर तहसील जालन्धर। (श्रन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके भ्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस संपत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में भ्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्स सम्पत्ति अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पटिकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त श्रिधिनियम' के श्रद्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

जमीन जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 6818 अक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक 28 जून, 1975 मोहर:

भायकर भिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 960--यतः मझे, रवीन्द्र कुमार, धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 25,000/ रुपये बाजार मल्य ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि प्रधिकृत विलेख नं० 6659 ग्रक्तूबर 1974 में है तथा को सिमी में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित ह), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रोष्करण ग्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम प्रतिफल के लिए अन्तरित की और मुझे यह विश्वास करने का कारण है यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पनद्रह प्रतिशत से अधिक (अन्तरकों) और अन्सरिती और अन्तरक (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधि-नियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अस्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उन्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के आधीन निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

- 1. श्री देवराज सुपुत्र भगत राम गांव भूलाराय तहसील भगवाडा। (ग्रन्तरक)
- श्री लक्ष्मन दास सुपुत्र मन्णीराम गांव सिमी तहसील जालन्धर। (श्रन्तरिती)
  - उ. जैसा कि नं० 2 में है। (बह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्प्रत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख़ से 45 विन की अवधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण—इसमें प्रयुक्त गब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनु सूची

जमीन जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6659 ग्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975 मोहर :

भ्रायकन अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भ्रारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 961—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार,
श्रायकर श्रिधिनयम, 1961 (1961 का 43),
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रिधिनियम' कहा गया है) की
धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका' उचित बाजार
मूल्य 25000/- से अधिक है
शौर जिसकी सं० जैसा कि श्रिधिकृत विलेख नं० 6660 श्रक्तूबर
1974 में है तथा को सिमी में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची
में श्रीर पूर्ण रूप में विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय
जालन्धर में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के श्रिधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीव ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयक्तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

ग्रतः अब उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- श्री मुख्यी राम सुयुद्ध भोला राम गांव सिमीयुर (श्रन्तरक)
- श्री मेजर सिंह सुपुत्र गिन्द्र सिंह गांव वीर त्व्सील नकोदर (ग्रन्तरिती)
- 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (बह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबब है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि, या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क म यथापरिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

# अनुसूची

जमीन जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6660 श्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक 28 जून, 1975

प्ररूप आई० टी∙ एन० एस०-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रजन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 962—-यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है) की धारा 260 ख के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विण्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से ग्रिधिक है

श्रीर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 7110 अक्तूबर 1974 में है तथा को नारामवाल में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध धनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख अक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं
किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्स अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्वौर/या
  - (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना धाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

प्रतः भ्रब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रथीत :---  श्री बलवन्त सिंह सुगुत्र साधु सिंह गांत्र दक्षाल गुर तहसील गालन्थर ।

(भ्रन्तरक)

2. श्री जगजीत सिंह, सुरजीत सिंह, बलबीर सिंह, जसवर्तत सिंह ग्रीर मलकीयत सिंह सुपुत्र अर्जन सिंह गांव कोहना।
(ग्रन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(बह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वहं व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

#### अनसची

जमीन जैसाकि श्रधिकृत विलेख नं० 7110 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रामकर म्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975 मोहर:

भायकर प्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के भधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 963—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार धायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/—रु० से प्रधिक है

भौर जिसकी सं० जैसा कि भ्रधिकृत विलेख नं० 7111 भक्तूबर 1974 में नरायणवती में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप में विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रिजस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, तारीख भक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, 'उक्त प्रधिनियम', के प्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या मन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त मधिनियम,' या धन-कर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिशी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः अब, 'उक्त अधिनियम' की घारा 269-ग के अनुसरण मैं, में, 'उक्त अधिनियम' की घारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्ः—

- श्री प्यारा सिंह सुपुत्र साधु सिंह गांव दीसालपुर (अन्तरक)
- 2. जगजीत सिंह, सुरजीत सिंह, जसवन्त सिंह, बलबीर सिंह ग्रीर मलिकयत सिंह सुपुत्र ग्रर्जन सिंह गांय काहोला तहसील जालन्धर (ग्रन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पट्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

### अनुसूची

जमीन जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 7111 ग्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम श्रधिकारी,

दिनांक 28 जून, 1975 सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण), म्रर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक 28-6-75

आयकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व(1) के श्रिधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज, जालन्धर जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 964--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6687 ग्रक्तूबर, 1974 में है तथा को गांव यम्यारा में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्टीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिकल के पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है और यह कि घन्तरक (घन्तरकों) भीर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अस्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बजने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयक्तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः श्रव उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रथीत :---

- श्री माना सिंह सुपुत्र ग्रंच्छर सिंह गांव यम्यारा तहसील जालन्धर । (ग्रन्तरक)
- 2. श्री बलवन्त सिंह, मनजीत सिंह सुपुत्र सम्पूर्ण सिंह गांव यम्यारा। (ग्रन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हो तो:-

- (का) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 45 विन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में दितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पन्दीकरण:--इसमें प्रयुक्त शन्दों भीर पर्दों सा, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

#### **जनुस्**ची

जमीन जैसाकि श्रधिकृत विलेख नं० 6687 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमा सक्षम श्रधिक सहायकश्चायकर श्रायुक्त (निरीक्षर ग्रजेन रेंज, जालन

तारीख : 28-6-1975

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

भ्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० १६५--यतः मुझे रवीन्द्र कुमार, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत श्रधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-ख के ग्रभीन सक्षम श्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि श्रिधकृत विलेख नं० 6703 श्रक्तूबर, 1974 को है तथा जो चिमयारा में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय; जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख प्रक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मृल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कवित नहीं किया गया है:---

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, 'उक्त भ्रधिनियम', के अधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायिस्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रन्य धास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त धिधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः भ्रव 'उन्त भ्रधिनियम' की धारा 269-ग के धनुसरण ें 'उन्त भ्रधिनियम', की धारा 269-न की उपधारा (1) भ्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रथीत्:—

- श्री श्याम सिंह सुपुत श्रच्छर सिंह गांव चम्यारा तहसील गलन्धर। (श्रन्तरक)
  - 2. श्रीमती राम कौर स्वर्गीय जसवन्त सिंह गांव चम्यारा (श्रन्तरिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उम्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ध्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रवधि जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्तिद्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त सन्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही श्रथं होगा जो उस श्रध्याय में विया गया है।

#### अमुसूषी

धरती जैसा कि मधिकृत विलेख नं० 6703 मक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता मधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्त्र कुमार, सक्षम भ्रधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, जालन्धर ।

तारीख: 28-6-75

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 966 ---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है भौर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6514 श्रक्तूबर 1974 म है तथा जो सादा चक में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर, में रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पुर्वोक्त सम्पत्तिके उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दुश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति-गत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 उपत अधिनियम का 11) या धन-कर अधिनियम, 1957 का 2.7) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित ध्यक्तियों, अर्थात्:—11—156GI/75

- श्री गंगा सिंह सुपुत्र सुन्द्र सिंह गांव मिथावाला।
   (ग्रन्तरक)
- 2. श्री बलबीर सिंह, भूपिन्द्र सिंह सुपुत्र जरनैल सिंह गांव लिदरा श्रीर चनन कौर पत्नी मलिकयत सिंह, जोगिन्द्र कौर पत्नी रंजीत सिंह, गुरदीप कौर पत्नी साधु सिंह श्रीर मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र कर्मिसह, गांव सदाचक । (श्रद्धारिती)
  - 3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके श्रिष्टिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब्द किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगें।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त गब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

जमीन जैसा कि ग्रधिकृत विलेखनं० 6514 श्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम श्रधिकारी, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर ।

दिनांक: 28 जून, 1975

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०--भ्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

(निरीक्षण) कार्यालय, सहायक ग्रायकर श्राय्वत अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1 975

सं० 967---यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,

श्रायकर अधिनियम 1961 (1961 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- ह० से भ्रधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 1129 श्रक्तुबर, 1974 में है तथा को धतां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर भूँगा में रजिस्दीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1974 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार म्ल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मृत्य उसके धृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है भ्रीर अन्तरक (ग्रन्तरकों) भ्रीर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उपत ग्रन्तरण लिखित में वास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने था उससे बचने से सविधा के लिए ; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या ग्रन्य आस्तियों को, जिन्हें शारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, श्रधिनियम, धन-कर 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्रारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के प्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रथीत :--

ं 1. श्रीमती हरजिन्द्र कौर सुपृत्र मधुसूधन सिंह वीदी वासी खिला वालंद जिला होशियारपुर

(अन्तरक)

2. श्री गुरनाय सिंह ग्रीर दरवारा सिंह सुपृत्र सजन सिंह सुपुत प्रताप सिंह गांव धुतां ।

(ग्रन्तरिती)

 जैसा कि नं ० 2 में है । (बह व्यक्ति, जिसके श्रधिकोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में एवि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके वारे में श्रशोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के धर्मन के लिए कार्यवाहियां शरू करता है।

टक्त सम्पत्ति के ग्रजिन के संबन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्तम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उकत श्रधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परि-भाषित है, बही श्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

# अनुसूची

जमीन जैसा कि भ्रधिकृत विलेख नं० 1129 भ्रक्तूवर, 1974 को रजिस्टीकर्ता ग्रक्षिकारी भूगा में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975

प्र**रूप आई० टी० एत० एत० — -** - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 968—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961

का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- २० से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 1130 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा को खयाका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप में बॉणपत है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भुगां में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1975

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विक्त राम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरिक के जिये तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाजत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बनने में सुविधा के लिए; और/गा
- (ख) ऐसी किसी आब मा किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती हारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिणाने में सुविधा के लिए।

ग्रतः श्रव उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :——

- श्री हरजिन्द्र कौर पत्नी मधुसूधन सिंह विदी बासी खियालावलांद जिला होशियारपुर। (अन्तरक)
- 2. श्री जयसिंह, तरलोक सिंह सुपुत्र सजन सिंह सुपुत्र प्रतापसिंह गाँव धुताँ (ग्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं० 2 में है।
     (वह व्यक्ति, जिसके ब्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में घिच रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति क अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस यूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि, बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में ने किसी व्यक्ति इसरा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखिए में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण --इसमें प्रयुक्त गब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वहीं क्यें होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुस्**ची**

धरती जैसा कि ऋधिकृत विलेख नं० 1130 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ऋधिकारी भुगां में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम अधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975 मोहर:

भ्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

सं० 969—यतः मुझे, रबीन्द्र कुमार, ग्रायकर ग्रिधिनयम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त ग्रिधिनयम' कहा गया हैं) की धारा 269-ख के ग्रिधीन सक्षम ग्रिधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से ग्रिधिक है

भौर जिसकी सं० जैसा कि भ्रधिकृत विलेख नं० 1438 श्रक्तूबर, 1974 में है तथा को धीसेवाल में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में विणत हैं), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय मुकेरियन में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख श्रक्तूबर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलेख के प्रनुसार श्रन्तरित की गई है श्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से श्रिधिक है यह कि अन्तरक (श्रन्तरकों) श्रीर अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:——

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत उक्त भ्रधिनियम, के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या भ्रन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

भतः भव 'उक्त श्रधिनियम' की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, में, 'उक्त श्रधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्निसिखत व्यक्तियों, धर्यात:——

 श्री श्रजीत सिंह, प्रीतम सिंह, ग्रमरीक सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह सुपुत्र सीमा सिंह र०/डी० सिंहपुर पुलिस स्टेशन हाजीपुर तहसील मुकेरियन। (श्रन्तरक)

- 2. श्री बनता सिंह सुपुत्र जयसिंह सुपुत्र निहाल सिंह वासी पंज देहरा कलां पोस्ट ग्राफिस मुकेरियन (श्रन्तरिती)
  - जैसा कि नं2 में है।
     (बह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
  - 4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता है। (बह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रद्धोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो 'उक्त श्रिधिनियम,' के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

जमीन जैसाकि श्रधिकृत विलेख नं ० 1438 श्रक्तूबर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी मुकिरियन में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम ग्रधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 28 जून, 1975 मोहर:

# आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जून 1975

निर्देश सं० 976--यतः मुझे, रवीन्द्र कुँमार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) धारा 269-घ के मधीन सक्षम प्राधिकारी यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रू०से अधिक है श्रीर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6733 भन्ट्बर 1974 को है तथा को हरीपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख श्रभटबर 1974 को सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के बृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विजेख के प्रनुसार धन्तरित की गई है धीर मुझे यह विश्वास करने का कारण यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और यह कि अन्तरक (श्रन्तरकों) और अन्तरिती

(क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत 'उक्त ग्रिधिनियम,' के ग्रिधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या

(मन्तरितियों) के भीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया

प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त धन्तरण लिखित

में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(खा) ऐसी किसी भाय या किसी घन या अन्य आस्तियों की, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'जक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिगी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

ग्रतः ग्रब, 'उक्त ग्रधिनियम' की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, 'उक्त ग्रधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रयीत्:-

- (1) श्री सोहन सिंह सपुत्न वंता सिंह जी० के० ग्रौफ वंतू श्रताईस वन्ता सिंह गोट पुत्र श्रौफ नरायण सिंह गांव हरीपुर (ग्रान्तरक)
- (2) श्री वलबीर सिंह , प्रीतम सिंह सपुत्र प्यारा सिंह वासी हरीपुर (श्रन्तरिती)
  - (3) श्री जैसा कि नं० 2 में है (बह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) श्री कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां णुरु करता हूं।

#### उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी खासे 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सर्केंगे।

स्यब्दीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त ग्रिधिनयम' के श्रष्टयाय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वहीं ग्रर्थ होगा, जो उस श्रष्टयाय में दिया गया है।

## श्रनुसूची

जमीन जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 6733 अन्टूबर 1974 को रजिस्ट्रीकृती श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम श्रधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्रजन रोंज, जालन्धर ।

तारीख: 28 जून 1975

मोहरः

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की / धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जुन 1975
निर्देश सं० 971—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर श्रधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम'
कहा गया है) की घारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास करने था कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और
जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 7145,
अक्टूबर 1974 में है तथा को किण्णगढ़ रोड में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में विणत
है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिवियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख अक्टूबर 1974 को

पूर्वोनत सम्पत्ति के उनित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित का गई हं और भुझे यह निश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोनत सम्पत्ति का उनित जाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरिण के लिये तथापाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स्त) ऐसी किसी आय या किसी धन ता अन्य आस्तियों, की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उन्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती हारा पक्षट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिनाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उनत अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उन्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

- (1) श्री कर्म मिंह संपुत गड़ां सिंह गांव चकराला नहसील जालन्धर . (श्रन्तरक)
- (2) श्री बलदेव सिंह, सुया सिंह, अजीत सिंह, साधा सिंह स्पुन्न श्रजागर सिंह गांव चकराला (श्रन्तरिती)
  - (3) श्री जैसा कि नं० 2 में है। (बह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) कोई भी व्यक्ति इस जो सम्पत्ति में रुची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति जो हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ष्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उबत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दित के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबड़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण:-इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

धर्ती जसा कि श्रधिकृत विलेखनं० 7145 ग्रक्टूबर 1974 को रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, जालन्धर।

तारीखाः 28 जून 1975

प्ररूप श्राई॰ टी० एन० एस०---

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जून 1975

निर्देण सं० 972--पतः भुझे, रघीन्त्र कुणाण, ग्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्ता अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम आधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका अचित बाजार मूल्य 25,000/- २० से अधिक है (ग्रीर जिसकी सं० जैमा कि अधिवास विलेख नं० 6762 अक्टूबर 1974 में है तथा को हरीपुण में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुमूची में ग्रीर पूर्ण रूप में स्थित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जानन्धर में रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख जानन्धर 1974 को

पूर्वोक्त समाति के उत्तित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है श्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रिथिक है श्रीर यह कि श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रीर श्रन्तरिती (श्रन्तरितयों) के बीच ऐसे झन्तरण के लिए तथ पाया गए। प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ः──

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अशीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविश्रा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आप पा किसी अन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

म्रत : ग्रब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ ही उपक्षारा (1) के म्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों प्रथित्:--

- (1) श्री सोहन सिंह सपुत्र बंता सिंह जी० टी० टू० बाद अलाईप बंता सिंह गोद पुत्र औफ नरायण सिंह गांव हरीपुर (धन्तरक)
- (3) श्री हरभन्त सिंह सपुत्र जसवन्त भिंह गांव हरी-पुर (श्रन्तरिती)
  - (3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) कोई भी व्यक्ति ं जो. इस सम्पत्ति में रची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्तत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यशाहियां गुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उंक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध फिसी अन्य व्यक्ति, दारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगें।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

जमीन जैसा कि यधिकृत विलेख नं० 6762 यक्तूबर 1974 जो रजिस्द्रीकर्ता यधिकारी जलान्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम प्रधिकारी, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रजन रेंज, जालन्धर ।

तारीख: 28 जून 1975

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जुन 1975

निर्देश सं० 973--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, भ्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के भ्रधीन सक्षम भ्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार महय 25,000 रु ग्रौर जिसकी सं० कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6968 ग्रक्तूबर 1974 में है तथा को फाज्लफुर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनसूची में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कायलिय जालन्धर करण प्रधिनियम, 1908 ( 908 का 16) के अधीन, तारीख भ्रक्तूबर 1974 को **पूर्वो**क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृ*ह्*य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है भौर मुझे कारण है कि यह विश्वास करने का सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

नहीं किया गया है:---

(का) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922(1922 का 11)या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

- (1) श्री कुलविन्द्र सिंह पुत्र बीर सिंह जालन्धर (भ्रन्तरक)
- (2) श्री काश्मीर सिंह सपुत्र गवंन सिंह गांव तहवड़ी जटान तहसील होशियार पुर (श्रन्तरिती)
  - (3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके श्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) कोई भी व्यक्ति को इस सम्पत्ति में रुची रखता है। · (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोस्हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:~

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नामील से 30 दिन की श्रवधि जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितखढ़ फिसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास निखित में फिए जा सकेंगे।

स्पव्योकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रोर पदों का, जो उक्त अधिनियम के ग्रध्याय 20क में यथापरिभाषित है, बही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

जमीन जैसा कि श्रधिकृत विलेखनं 6918 श्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम ग्रधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रोंज, जालन्धर ।

तारीख: 28 जून 1975

आपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक, 28 जुन 1975

निर्देश सं० 975--यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961

का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उनत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वारा करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृह्य 25,000/- रु० से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रधिकृत विलेख नं० 6560 श्रक्त्वर 1974 में हैं तथा को बजाला में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची नें ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जालम्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख श्रक्तुबर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उकत अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय था किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

भ्रतः अब उक्त श्रिष्ठिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त ग्रिष्ठिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों भर्थात्:—— 12—156GI/75

- (1) श्री घनस्याम दास सपुत्र महता कसमा रामवी पी मुर० तायारूपाम जोरावर सिंट सपुत्र करतार सिंह 376 मोहाल्ला प्रतापपुरा श्रन्दर सुभाष नगर करनाल (श्रन्तरक)
- (2) श्री कमल जीत कोर पुत्नी विलवाता सिंह 300 जीड गोंदुल टाऊन जालन्धर (म्रन्तरिती)
  - (3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है
- (4) कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में भ्रधीहस्ताक्षरीं जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि, बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

जमीन जैसा कि म्रधिकृत विलेख नं० 1560 म्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता म्रधिकारी जालन्धर में लिखा है।

> रविन्द्र कुमार, सक्षम स्रधिकारी, सहायक स्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), स्रर्जन रेज, जालन्धर ।

तारीखः 28 जून 1975

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० पी०नं० 900--यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार, भायकर प्रधिनिथम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक हैं श्रीर जिसकी सं० जैसा कि श्रधिकृत विलेख नं० 2446 श्रक्तूबर 1974 में है तथा जो नंगल में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्द्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय गरशंकर में रजिस्द्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख ग्रक्तुबर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित कि गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (ग्रन्तरकों) और अन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में निम्नसिखित बास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उकत अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसी किसी आय था किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, में सुविधा के लिए सुकर बनाना

अतः अव, 'उनंत अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, 'उनंत अधिनियम', की घारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् !---

- (1) श्री वलभदर सिंह सपुत्र परदुमन सिंह वासी नंगल अब बड़न तहसील गरशंकर में है (श्रन्तरक)
- (2) श्री तरलोचन सिंह सपुत्र बलवंत सिंह सपुत्र परदुमन सिंह बासी बड़न (अन्तरिती)
  - (3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)
  - (4) कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितंबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, ओ 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, ओ उस अध्याय में विमा गया है।

#### अनुसूची

धरती जैसा कि श्रिधिकृत विलेख नं० 2446 श्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी, गरणंकर में लिखा है।

> रवीन्द्र कुमार, सक्षम श्रधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), भर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख: 28 जून 1975

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)
भर्जन रेंज 2, दिल्ली-1
4-ए०/14, भ्रासक ग्राली रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1975

निर्वेश सं० प्राई० ए० सी० /एक्यु०/11/849/75-76
—यत: मुझे, एस० एन० एल० श्रग्रवाल,
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पण्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
प्रौर जिसकी सं० 7 है जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित
है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है),
राजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
प्रधीन 31-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उकत अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उंक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, के लिए सुकर बनाना।

अतः अब, उक्त श्रधिनियम धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

- (1) श्री ग्रमरजीत सिंह सुपुत्र श्री ज़िलोक सिंह निवासी एन० 46 कीर्ती नगर, नई दिल्ली (ग्रान्तरक)
- (2) श्रीमती संतोष सपरा सुपत्नी श्री चन्द्र प्रकाश सपरा निवासी ई०-29, कमला नगर, दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।

स्पद्धीकरण: इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्गगज है श्रीर जो प्लाट निं० 2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है।

> एस० एन० एल० अप्रवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीखः : 5 जुलाई 1975

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज 2, दिल्ली-1

4-ए०/14, ग्रासफ भ्रली रोड, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1975

निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्यु०/11/846/75-76—यत: मुझे, एस० एन० एन० प्रग्रवाल, प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- ६० से अधिक है श्रीर जिसकी सं० 7 है, जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, तारीख 31-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पिल के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पिल का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्छ प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिश (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः श्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, में, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269 भ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-~

- (1) श्री सुरिन्द्र जीत सिंह सुपुत्र श्री विलोक सिंह निवासी एन०-46 कीती नगर, नई दिल्ली (ग्रन्तरक)
- (2) (1) श्रीमती संतोष सपरा सुपत्नी श्री चन्द्र प्रकाश निवासी ई०-29 कमला नगर, दिल्ली (2) श्रीमती वरयाम कौर सुपत्नी श्री करम सिंह (3) श्री ग्रमरजीत सिंह (4) श्री ग्रवतार सिंह निवासी 5476 बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली, (5) श्री सुदर्शन लाल सुपुत श्री शिवन दित्ता मल निवासी 13, राजपुर रोड, दिल्ली (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिशा की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभा-षित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

# अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्ग गज है ग्रीर जो प्लाट नं० 2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है।

> एस० एन० एल० श्रग्नवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 5 जुलाई 1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक द्यायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज 2, दिल्ली-1 4-ए०/14, ग्रासक ग्रली रोड, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1975

निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्यू०/11/848/75-76---यतः मुझे, एस० एन० एल० श्रग्रवाल आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ख के अधीत सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है श्रीर जिसकी सं० ७ है, जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रन्सुची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्देशिकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 31-10-1974 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के भ्रनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफलका पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्त-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखिल में वास्तविक रूप से कथित नहीं कियागयाहै:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

श्रतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, में, 'उक्त अधिनियम', 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) श्री परमजीत सिंह सुपुत्र श्री विलोक सिंह निवासी एन० 46 कीर्ती नगर, नई दिल्ली (ग्रन्तरक)
- (2) श्री सुदर्शन लाल सुपुत्र श्री शिवन दित्ता मल निवासी 13 राजपुर रोड, दिल्ली (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

- (क) इस सूचना के राजपन्न के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

## अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्गगज है ग्रीर जो प्लाट नं० 2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है।

> एस० एन० एल० श्रग्रवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 5 जुलाई 1975

प्रकप माई० टी० एन० एस•--

भायकर ग्रिप्तिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के ग्रिप्तीन सूचना

भारत संस्कार

कार्बालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)
भर्जन रेंज 2, दिल्ली-1
4-ए०/14, श्रासफ भ्राली रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 5 ज्लाई 1975

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यु०/11/847/75-76—यतः मुझे, एस० एन० एल० भग्रवाल भायकर श्रिधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अविनियम' कहा गया है) की धारा 269-ज के भश्चीन संज्ञन प्राण्डिकारी को, वह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्व 25,000/- रू० से भिष्ठ श्रीर ग्रीर जिसकी सं० 7 है, जो राजपुर मार्ग, दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद भनुसूची में पूर्ण रूप से विजत है), राजस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय राजस्ट्रीकरण ग्रिधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय राजस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन 31-10-1974 को

पूर्वोक्त सम्वत्ति के उचित बाजार मूल्य के कन के दृश्यमान अतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उत्तके वृश्यमान प्रतिफल से ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरिक (अन्तर्कों) और अन्तरिती (अन्तरितिवों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि खित में वास्तविक कप से किवत नहीं किया वया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की वाबस, 'उक्त ग्रिवित्यम' के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी वन या भन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर भिधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त भिधिनियम, वा वनकर भिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा अकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-व के भनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-व की उपधारा (1) के भधीन निम्नलिखित अर्थासः—

- (1) श्री कंवरजीत सिंह सुपुत्र श्री विलोक सिंह निवासी एन 46 कीर्ती नगर, नई दिल्ली (ग्रन्तरक)
- (2) (1) श्रीमती वरयाम कौर सुपत्नी श्री करम सिंह (2) श्री श्रमरजीत सिंह सुपुत श्री करम सिंह (3) श्री श्रवतार सिंह सुपुत्र श्री करम सिंह सारे निवासी प्लाट नं० 5 मकान नं० 5476, वस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के सिए कार्ववाहियां करता हुं।

उन्त सम्बक्ति के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (वा) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, ध्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंने।

स्थळी करण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो आयकर ग्रिशियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं ग्रंथें होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

जमीन (1055 वर्ग गज) के टुकड़े का 1/4 हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 263-75 वर्गगज है घौर जो प्लाट नं० 2 ग्रुप नं० 1, 7 राजपुर मार्ग, दिल्ली पर स्थित है।

> एस० एन० एल० ध्रप्रवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रजन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 5 जुलाई 1975

प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०--

ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4/14-ए०, श्रासफ श्राली रोड, नई दिल्ली-1 नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 1975

निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्यु०/11/850/75-76/ 1472--यतः मुझे, एस० एन० एल० प्रग्नवाल, ग्रायकर ग्रिधनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनयम' कहा गया है), की धारा 269-खं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ ६० ते अधिक है और जिसकी सं० 3167, कूचा तारा चन्द है, जो दरयागंज, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16-10-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिणत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, 'उक्त ग्रिधिनियम', के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी वन या मन्म म्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उन्त श्रधिनियम', ग्रिधितियम, धनकर 1957 (1957 या के प्रयोजनार्थ 27) भन्तरिती द्वारा प्रकटनहीं किया गया या, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

मतः भव 'उक्त मधिनियम', की धारा 269-ग के मनुसरण में, मैं 'उक्त मधिनियम', की धारा 269-त्र की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात्:—

- (1) श्री गोस्वामी बाल किष्ण दास, सुपुत्र श्री गोस्वामी रघुबर दयाल (2) श्री गोस्वामी क्रोज मोहन (3) श्री गोस्वामी मदन मोहन (4) श्री गोस्वामी सुरिन्द्र मोहन सुपुत्र श्री गोस्वामी बाल किष्ण दास, निवासी 3166, कूचा तारा चन्द, दरयागंज, दिल्ली (ग्रन्तरक)
- (2) श्रीमती गणेश देवी, पत्नी श्री देवी सहाय, निवासी 3167, कुचा तारा चन्द, दरयागंज, दिल्ली (श्रन्तरिती)
- (3) (1) श्री देस राज, (2) शेर सिंह (3) चिन्ता राम (4) श्रोम प्रकाश (5) प्रेम चन्द (6) सेवा राम (7) माहेन्द्रा (8) दावेन्द्रा (9) वास देव साहनी (10) वेदना नाथ (11) श्याम जाल (12) शक्षी लाल (13) केलाश चन्द (14) शेर तिंह (15) परशोतम नारायण (16) माम राज (17) राज  $\mathfrak{g}^{50}$ ण (18) नारेन्द्रा प्रकाश (19) राम श्रधर (20) सन्या नारायण (21) बसन्ती देवी (22) श्रान्ती देवी।

(बहु व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को बह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजीन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों वर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दितबद किसी प्रत्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पन्धीकरण:---इसमें प्रयुक्त शन्दों श्रौर पदों का, जो 'उन्त ग्रीधिनियम', के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं शर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया नया है।

# वनुसूची

्लाट पर तीन मंजीला ब्लिंडिंग जिसका क्षेत्रफल 461 कर्ग गज है तथा जोकि 3167, कूचा तारा चन्द, दरयागंज, दिल्ली में स्थित है।

> एस० एन० एल० ग्रग्नवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रजैन रेंज--2, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीबा: 9 जुलाई 1975

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस० -

# भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269व (1) के प्रधीन सुचना भारत सरकार

सहायक स्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण) का कार्यालय श्चर्जन रेंज श्रम्तसर

श्रम्तसर, दिनांक 23 जून 1975

निर्देश सं० ए० एस० ग्रार०/98/75-76---यतः मुझे वी० श्रार० सगर श्रायकर, श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो गांव धुम्मनपूरा तहसील ग्रमृतसर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबब श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तहसील अमृतसर में रजिस्द्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीखं अक्तूबर 1974 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार

दुश्यमान प्रतिफल से कम के श्रन्तरित की गई है म्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) भीर अन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा ्केलिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 195**7** (1957 দ্বা प्रयोजनार्थ अन्तरिती नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

श्रत: अब, 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त भ्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के मधीन निम्नलिखित ध्यक्तियों मर्थात:--

- (1) कुशारी मिश्र जशत्रीत कीर सपूत्री महिन्द्र सिंह उपाय वासी लारैस रोड श्रम्तसर (श्रव 22 फिरोज गाँधी रोड नई दिल्ली)
- (2) श्री सरदूल सिंह, दलजीत सिंह स्पुतान श्री पूरन सिंह वासी वड़ाली गुरु, तहसील श्रमृतसर (श्रन्तिरती)
  - (3) श्री जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - (4) श्री कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवढ़ है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भाक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी ध्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित। बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दियागया है।

#### अनुसूची

भुमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6406 श्रवतूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी पहसील ग्रमृतसर में है ।

> वी० घार० सगर, सक्षम प्रधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायकत (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, श्रमृतसर ।

तारीख: 23-6-1975

मोहरः

# प्रकृष आई० टी० एन० एस०----

# आसम्बद्ध प्रश्वितियम, 1961 (1961 क्षा 43) की कारा 269-घ (1) के मधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेंज, श्रमृतसर

श्रमृतसर, दिनांक 23 जुन 1975

निर्देश नं० ए० एस० ग्रार०/99/75-76---यतः मुझे भार० सगर भायकर 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परधात 'उन्त अधिनियम,'कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रुपये से अधिक है श्रीर जिसकी सं० भूमि है तथा जो गाँव घुम्मनपुरा तहसील भगतसर में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में धीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय तहसील अमृतसर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीखं ग्रन्तूबर 1974 के उचित बाजार मूल्य सेकम के को पूर्वोक्त सम्पक्ति दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (का) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया ग्रस्त था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः श्रव 'उन्त श्रधिनियम', की धारा 269 - ग के श्रनु-सरण में, मैं, 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269 - ध की उपधारा (1) के भधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रर्थात् :-13-156GI/75

- (1) कुमारी मिस जसप्रीत कौर सपुत्ती महिन्द्र सिंह वासी लारैंस रोड श्रमृतसर (श्रब 22 फिरोज गाँधी रोड नई दिल्ली ) द्वारा राम सिंह उप्पल सपुत्र नरायण सिंह उप्पल, मुख्तारे--खांस लारैंस रोड, श्रमृतसर (श्रन्तरक)
- (2) श्री हरबंस सिंह, शाम सिंह सपुतान श्री पूरन सिंह वासी बड़ाली गुरु तहसील श्रमृतसर। (श्रन्तरिती)
  - (3) श्री जैसा कि नं० 2 में है। (बह व्यक्ति, जिसके ब्रधिभोग में सम्पत्ति है)
  - (4) श्री कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया मुक्त करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आधोप:-

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्णोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, बही अर्थे होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूधी

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6882 अक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी तहसील असृतसर में है।

> वी० श्रार० सगर, सक्षम श्रधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, श्रमृतसर।

तारी**ख** : 23-6-1975/d

मोहरः

भ्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, श्रमृतसर

श्रम्तसर, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० एफ० डी० के०/100/75-76---यत/ मुझे बी० भ्रार० सगर **भायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे** इसमें इसके पश्चात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का फारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु० से श्रिधिक है ग्रौर जिसकी सं० भूमि है तथा जो मिशन ग्राऊँड कोटकपूरा रोड, मुक्तसर में स्थित है (स्रोर इससे उपाबढ़ म्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण ऋधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख प्रक्तूबर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार म्ल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत श्रधिक है और श्रन्तरक (श्रन्तरकों) भौर भन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए

(क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, 'उक्त द्याधिनियम', के श्रधीन श्रन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या

तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उनत ग्रन्तरण

लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(ख) ऐसी किसी घाय या किसी घन या भ्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त भ्राधिनियम', या धनकर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः भ्रव 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, में, 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रधीत:——

- (1) श्री शिवतन्दन लाल श्ररोड़ा सगन लाल श्राहुणा तथा दयाल सिंह सन्धू मुक्तसर (श्रन्तरक)
- (2) श्री कशमीरी लाल सपुत्र श्री श्ररजन दास मुक्तसर (श्रन्तरिती)
  - (3) श्री जैसा कि नं० 2 में है। (बह व्यक्ति, जिसके श्रिधभोग में सम्पत्ति है)
  - (4) श्री कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रखना है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ध्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन की श्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी
  श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
  हितबद्ध किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी
  के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

ह्पण्टीकरण --इसमें प्रयुक्त गब्दों ग्रीर पदों का, जो 'उक्त श्रधिनियम', के श्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही श्रथं होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2127 ग्रक्तूबर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी मुक्तसर में है।

> वी० श्रार० सगर सक्षम श्रधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, श्रमृतसर

तारीख: 24 जून 1975।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 8 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सी० -6/एक्व० ग्रार०--- Vकल०/75-76 ---श्रतः मुझे, एस० एम० इनामदार भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें म्रधिनियम['] कहा इसके पश्चात 'उक्त गया की 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है ग्रौर जिसकी सं० 522/1 ग्र० है तथा जो जी० टी० रोड, महेश, हुगली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उन्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

म्रतः ग्रव, 'उक्त ग्रधिनयिम', की धारा 269-ग के ग्रनु-सरण में, मैं, 'उक्त ग्रधिनियम', की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत्:- (1) श्री सन्याल दास श्रग्रवाल

(भ्रन्तरक)

् (2) (1) श्री सचीन पाल (2) देवारसी प्रामाणिक (मायनर), गार्डीयन, लोकनाथ प्रामाणिक (म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 43 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त गब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

522/1 अ०, जी० टी० रोड, महेश, जि०हुगली सी० एस० प्लोट सं० 3158, सी० एस० एव० आर० एस० खटीयः सं० 241, रौजी 3876 3 कट्टा 14 छटाँक 4 स्कबर फीट एवं दो मंजीली मकान।

एस० एम० इनामदार, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज 5, कलकत्ता ।

तारीख़ : 8-7-1975 ।

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 को 43) की धारा 269-घं (1) के ग्रेधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, संहायक भ्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज 2, दिल्ली-1 4/14-ए०, श्नासफ ग्राली रोड, नई दिल्ली -1

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 1975

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यु०/1/एंस० ग्रार- $\Pi I$ / जनवरी/574(6)/74-75----1461/ यतः, मुझे, चं० वि० संजे

प्रचात् प्रिवितयम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रचात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000-/ से प्रधिक हैं प्रौर जिसकी सं० ए०-8 है, जो ग्रैटर कैलाण, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद भ्रनुसूची में पूर्व रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 2-1-1975 को

पूर्विक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त श्रधिनियम', या धनकर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः ग्रब 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपघारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तिमों, श्रर्थात्:—

- (1) श्री प्रातृल कन्द्रा सेन, सुपुंत्र स्वर्गीय डा०बी०सी० सेन, स्वयं के लिए पत्नी श्रीमती ग्रारती सेन के लिए तथा नाबा-लिंग पुत्र मास्टर इन्द्रजीत सेन के लिए करता एच० यू० एफ० (2) श्रीमती ग्रारती सेन, पत्नी श्री पी० सी० सेन, निवासी एल०-2, साउथ एक्सटेन्शन पार्ट-11, रिंग रोड नई दिल्ली (श्रन्तरक)
- (2) श्री मनोहर लाल गुप्ता, मुंपुत्र स्वर्गीय श्री चरण दास ए०-8, ग्रेटर कैलाश,-1, नई दिल्ली (भ्रन्तिर्ती) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के खिए कार्यवाहियां गुरु करता है।

उनत सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीख से 45 विन की श्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितंबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, श्रेष्ठोहस्ताक्तरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो 'उक्त श्रिधिनियम', के श्रध्याय 20-क में यथा-परि-भाषित है, वही श्रर्थ हीगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

## **अनुसूची**

प्लाट को भूमि जसका नं० 8 तथा ब्लाक नं० ए०' है तथा क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है जोकि ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में निम्म प्रकार से स्थित है:---

पूर्व:सङ्क

पश्चिम: मकान नं० ए०-9

उत्तर : सड़क दक्षिण : सर्विस लेन

> चं० वि० गुप्ते, सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज-1, विल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख: 8 जुलाई 1975 ।

प्ररूप बाई॰ टी॰ एन॰ एस॰--

# भायकर मिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के मधीन सूचना

#### भारत सरकार

भ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय भ्रजीन रेंज, कानपूर

कानपुर, दिनांक 7 जुलाई 1975

एफ० जे० वहादूर **आ**यकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पश्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से प्रधिक है ग्रौर जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है, तथा जो मेरठ गहर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन तारीख 10-10-1974 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल मधिक है ग्रौर ग्रन्तरक का पन्द्रह प्रतिशत रकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ब्राय की बाबत 'उक्त ग्रधिनियम' के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या प्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922का 11) या 'उक्त ग्रधिनियम,' या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

श्रतः श्रव 'उक्त श्रधिनियम,' की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, में, उक्त 'श्रधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रथीत :---

- (1) श्री सरदार हरी सिंह पुत्र सरदार गोपाल सिंह उर्फ गोपी सिंह नि० हाल 173, सोकेट मेरठ (ग्रन्तरक)
- (2) श्री मेजर हरीभगवान तिवारी पुत्र स्व० श्री बुख्तावर सिंह नि० 105, एयर डिफेन्स रेजीमेन्ट द्वारा 56 ए० पी० श्रो० वर्तमान 294, जत्तीवारा, मेरठ शहर (श्रन्तरित)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां मुरू कस्ता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मांक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रविध या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रविध, जो भी भ्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितन के किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी के भास सिखित में किये जा सकेंगे।

स्थष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

श्रवल सम्पत्ति नं० 87, 88, श्रौर 90 जो माधव नगर, मेरठ गहर में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 47,500/-में किया गया।

> एफ जे वहादुर, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रजन रेंज, कानपुर।

तारीख : 7-7-1975 ।

# आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-य (1) के अधीन सूचना

#### भारत तरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 जुलाई 1975

निर्देश सं० अर्जन/16/उन्नाव/74-75/591--अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम ईसके पण्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विष्यास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- क्पये से अधिक है थ्रौर थ्रौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो ग्राम शेख-पुर, पर० तहब्ब जि० उन्नाव में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्षत अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयंकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-थ उपधारा की (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

- (1) श्री स्टैण्डर्ड रेफिनरी एण्ड डिस्टीलेरी लिमि० 26, ब्रेबोर्न रोड, कलकता-1 (श्रन्तरक)
- (2) श्री करम चन्द थापर एण्ड ब्रायर्स प्रा० लिमि० (कौल सेल) 25, ब्रेबोर्न रोड, कलकता-1 (ब्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन, के लिए कार्यवाही करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पतों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अमुस्ची

ग्राम शेखपुर पर० तह० व 'जिला उन्नाव में स्थित भूमिखण्ड जिसकी माप लगभग 29.02 एकड़ है जिसमें फैक्टरी विल्डिंग मशीनरी फिटिंगस एण्ड फिक्सचर्स ग्रादि है। जिसका हस्तान्तरण रु० 5,65,000/- में हुन्ना है।

> एफ० जे० वहादुर, सक्षम श्रधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर ।

तारीख: 4-7-1975।

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, जालन्धर

कलकत्ता, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० 267/एक्यु०-III/75-76/कल०--ग्रतः मझे, एल० के० बालसुब्रमनियन अधिनियम, 1961 (1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है) अधीन की धारा 269-घ के सक्षम को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और भ्रौर जिसकी सं० 36/4 है तथा जो पूर्णदास रोड, कलकत्ता-26 में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सियालदह में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 16-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम'' की घारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की घारा 269-घ की उपघारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

- (1) श्री मनोज कुमार श्रजित सारिया, नाबालक पिता प्रह्लाद राइ, श्रजितसारिया द्वारा फेन्सी बाजार गौहाटि, ग्रासाम (ग्रन्तरक)
- (2) श्री श्ररण कुमार श्रजितसारिया 36/4, पुणेंदास रोड रोड, कलकत्ता-26 (श्रन्तरिती)
- (4) (1) श्री लाडुलाम म्राजितसारिया, (2) रामेध्वर म्राजितसारिया, (3) हरिबक्स म्राजितसारिया 36/4, पुर्णदास रोड, कलकत्ता-26

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में श्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबब है)

को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजेंन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से .45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, बहो अथं होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

करींब 14 कट्टा 5 स्कों ए पुट जीमन का ग्रिबिभक्त 1/4 ग्रंग ग्रीर नींच तल्लाका ग्रिबिभक्त 1/8 ग्रंग साथ गेराज, में जानिन फ्लोर रुमस, सिंडि लेन्डि स्थान तिन तल्ला पर ग्रीर निर्द्धिट तिनतल्लाका समुचा साथ तिनतल्ला जानेवाला सिंडिका ग्रिधिकार साथ तिनतल्ला भोग करनेका पुरा प्रासंगिक ग्रिधिकार जो 36/4 पुर्णदास रोड, कलकत्ता पर ग्रंथ स्थित ग्रीर जो सब-रेजिस्ट्रार सियालद द्वारा रेजिस्ट्रीकृत दिलल सं० 1767/1674 में विणित तपशील का ग्रमुसार हैं।

एल० के० बालसुत्रमनियन, सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायक्षर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16।

तारीख: 28-6-1975।

प्रका माई० टो० एन० एन०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 20 मई 1975 निर्देश सं० म्रर्जन/49 (ए०)/म्रलीगढ़/74-75/406---ग्रतः मुझे, एफ० जे० बहादुर श्रधिनियम 1961 (1961 新 **ग्रा**यकर (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- २० से अधिक है ग्रौर जिसकी सं ग्रनुसूची के श्रनुसार है तथा जो मौहल्ला गोवालपूरी सासनी गेट अलीगढ़ में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, प्रालीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 2-11-1974 सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से को पूर्वीयत कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधि-नियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयक्तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उन्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उन्त अधिनियम', की घारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उन्त अधिनियम', की घारा 269-थ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

- (1) श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री खरग सिंह नि० मौहल्ला सासनी गेट श्रक्तिगढ़ वर्तमान नि० मौहल्ला विश्वनुपुरी, कोठी नं० 2/438, श्रक्तिगढ़ । (श्रन्तरक)
- (2) श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा नि० मौहल्ला सराय मियां श्रलीगढ़। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्येषाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की कारी खा से 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सर्कोंगे।

स्पद्धीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिमाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

मौहल्ला गोपालपुरी सासनी गेट ग्रलीगढ़ में स्थित मकान जिसका म्युनिस्पिल नं० 11/76 तथा उससे सम्बन्धित भूमि जिसका हस्तान्तरण रु० 45,000/- में किया गया है।

> एक० जे० बहादुर, सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण), म्रजैन रेंज, कानपुर ।

तारीख: 20-6-1975।

प्ररूप भाई ० टी ० एत ० एस ०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

**सखनऊ, दिनां**क 13 जून 1975

निर्देश सं० 48-ग्रार०/ग्रर्जन---ग्रतः मुझे बिशम्भर नाथ भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम, कहा गया है) की धारा 269ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- ६० से अधिक है ग्रीर जिसकी सं० 532/510 है तथा जो ग्रराजी 300 व 301 वनारसी टोल लखनऊ में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अन्सूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधि-कारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 2-11-1974 को सम्पक्ति के उचित बाजार मुख्य के दश्यमान प्रतिकल के कम लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्तिका उचित बाजार मूख्य उसके दुश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुश्यमाम प्रतिफल के पन्द्रह प्रक्षिशत से अधिक है और अ़न्तरक (अन्तरकों) और अस्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तर्ण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) अम्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/था
- (का) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

म्नतः श्रव, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के श्रनु-सरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों श्रयात:--14---156 GI/75 (1) श्री ग्रब्दुल माजिद

(घन्तरक)

(श्रन्तरिती)

(2) श्री रन्नी देवी मिश्रा व ग्रन्य

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतब्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पन्धीकरण--इसमें प्रयुक्त गन्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

एक फिता दो मंजिला मकान नै० 532/510 जो कि ग्रराजी ने० 300 व 301 पर बना है। यह मो० बनारसी टोला श्रासी गंज लखनऊ में स्थिति है।

> बिशस्भर नाथ, सक्षम श्रधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख: 13 जून 1975

(2) श्री विशन दयाल

लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

(भ्रन्तरिती)

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

(1) श्री कैवल सिंह (भ्रन्तरक)

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायकत (निरीक्षण),

श्रार्जन रेंज.

लखनऊ, दिनांक 30 जुन 1975

निर्देश सं० 16-वी० श्रर्जन--श्रतः मुझे विशम्भर नाथ भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का (जिसे इंसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, विसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है ग्रीर जिसकी सं० ---- है तथा जो पालया लखीमपुर में स्थित है (भ्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय निधासन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के **भ**धीन, तारीख 2-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई के दश्यमान है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृस्थ, उसके दश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दश्यमान प्रतिकल का पन्त्रहे प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कवित महीं किया गया है: ---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उपत अधिनियम के अधीन इर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या
- (ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयशर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं उन्त धिधनियम की धारा 269-च की संपधारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रचीत :---

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के

उन्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपस्त्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाराः
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:-इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, जो उकत प्रविनियम, के मध्याय 20-क में परिभाषित है, वही धर्य होगा, जो उस भ्रष्ट्याय में दिया गया है।

# अनुसूची

एक गोदाम पुस्ता एक दुकान, एक कमरा, एक बरान्डा, एक बड़ा कमरा साथ दो शटर ऊपर की मंजिल में एक कमरा, एक बरान्डा, एक रसोई व गुस्तखाना जो पलिया जिला लखीमपूर में स्थित है।

> बिशम्भर नाथ. सक्षम ग्रधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ।

सारीच : 30-6-1975

नोहर:

प्ररूप भाई॰ टी॰ एन॰ एस॰--

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के घ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन, रेंज, लखनऊ

लखनऊ, विनांक 30 जून 1975

निर्देश सं० 42-बि०/ग्रर्जन---ग्रतः मुझे बिशम्भर नाथ मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उन्त ध्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पल्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से भीर जिसकी सं० --- है तथा जो मी० पालया, लखीमपूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय निधसन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 2-11-1974 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित **बाजार मृ**ल्य से दुश्यम(न प्रतिफल के लिए की गई है और यह विषय)स करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति उभित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुश्यमाम प्रतिफल पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और प्रन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तिती (म्रन्सरितियों) के बीच ऐसे म्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखिल में वास्तविक रूप से

(क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त ग्रिधिनियम, के ग्रिधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या

कथित नहीं किया गया है:---

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या भ्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम, या भ्रनकर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः —

(1) श्री केवल सिंह

(ग्रन्तरक)

(2) श्री बजरंग लाल

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास शिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

#### अनुसूची

एक गोदाम पुरुता एक दुकान, व एक कमरा व एक वरान्ड़ा व एक बड़ा कमरा साथ दो शटर ऊपर की मंजिल में एक कमरा व एक वरान्डा व एक रसोई व गुस्लखाना जो मौजा पलिया जिला लखीमपुर में स्थित है।

> बिणम्भर नाथ, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ ।

तारीख: 30-6-1975

# भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

#### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन, रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 जून 1975

निर्देश सं० 33-के०/म्रर्जन---म्रतः मुझे बिशस्भर नाथ ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीम सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है श्रीर जिसकी सं० 136/142 है तथा जो श्रजाद स्कवायर इलाहाबाद में स्थित है (ग्रीर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्या-लय, इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अप्रधीन, तारीख 4-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उक्तित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पतिका उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पायागया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या;
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अध्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपामे में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम, की बारा 269-ग के अनुसरण में, में, जिक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्मलिखिल व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री बी० के० चटर्जी व ग्रन्य (ग्रन्तरिक)
- (2) श्री कृष्ण चन्द्र (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया गुरू करता हूँ।

उनत सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारी आप से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्यारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रमुक्त शब्दों श्रौर पद्दों का, जी उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अमुसुची

एक किता दो मिजला मकान नं० 136/142 जिसका रकबा 2691 वर्ग फिट है। जिसमें दस कमरें है। यह ग्रजाद स्कवायर इलाहाबाद में स्थिति है।

> विशम्भर नाथ, सक्षम श्रधिकारी राहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजंन रेंज, लखनऊ।

तारीख: 19 जून 1975

प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०----

आयकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269- थ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 30 जनवरी 1975

निर्देश सं० 174/ए० सी० क्यु० 23-257/198/74-75--- ग्रतः मुझे पी० एन० मित्तल भायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्त अधिनियम' नहा गया है) की घारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से प्रधिक है ग्रौर जिसकी सं० ब्लोक नं० 11 प्लिट नं० 15 से 18 है, तथा जो उधना इन्डस्ट्रीयल को० श्रोपरेटिथ सोसायटी, उधना सूरत में स्थित है (ग्रौर इसके उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्दीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, भूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 4-11-1974 पुर्वेश्वित सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए ग्रम्लरित की गई है और मुझे यह विश्वास करनेका कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है भीर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय वा किसी घन या भ्रन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय धाय-कर धिधनियम, 1922(1922 का11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती दारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के धनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, धर्षातुः---

- (1) श्री प्रिन्सीपाल श्रांफिसर इन्डस्ट्रीयल डेबेलपमेन्ट एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी प्रा० लि० 202, लास बहातुर शास्त्री मार्ग, बम्बई (ग्रन्तरक)
- (2) श्री मे० जे० एन्ड के० इन्टस्ट्रीज रोड नं० 4 जवाहर रोड, उद्यना इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, उद्यना सूरत की श्रोर से उसके बहीवरकर्ता भागीदार, श्री गिरधारी लाल हिमतलाल गांधी (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां ग्रुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की धविध मा तत्संबंधी ध्यक्तिमों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धविध, जो भी धविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे:

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त श्रिधिनयम, के भध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, कही धर्ष होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

खुली जमीन ब्लोक नं० 11 प्लोट नं० 15 से 18 जिसका कुल भाप 2400 वर्ग गज है श्रीर जो उधना इन्डस्ट्रीयल को० श्रापरेटिय सोसायटी, उधना सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता श्रीधकारी, सूरत के नवस्वर 197/ के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2102 में प्रदिशत है।

षी० एन० मित्त सक्षम प्राधिक सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्ष ग्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाब

तारीख: 30-1-1975

प्ररूप ब्राई० टी० एन० एस०---

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर भायुक्त (निरीक्षण) श्रजीन रेंज-II, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 28 मई 1975

निर्देश सं० 222/ए० सी० न्यु० 23-403/6-1/74-75--यतः मुझे पी० एन० मिसल म्रायकर भिधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु० से ग्रधिक जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त अधिनियम कहा गया है। भौर जिसकी सं० सर्वे नं० 532/63 प्लोट नं० 62 है, तथा जो विश्वास कालोनी रेस कोर्स रोड, बडोदा में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध भनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण म्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन 5-11-पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) श्रीर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी द्याय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम, या धन कर श्रिधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

भतः श्रव उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के श्रनुसरण मैं, उक्त श्रिधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) श्रधीन, निम्नलिखिस व्यक्तियों, ग्रथीत्:—

- (1) श्री मनमोहनदास पुरुशोत्तमदास वोरा, दामोदरदास पुरुशोत्तमदास वोरा, तीकमदास पुरुशोत्तमदास वोरा श्रीर चन्द्रबदन पुरुशोत्तमदास वोरा कोई क्यू, वर्षगेद, वम्बई (श्रन्तरक)
- (2) श्री नरेन्द्र कुमार बृजलाल जनेरी वज्भाई हाउस', 152/58, शेख भेमन स्ट्रीट, बम्बई-2 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर कम्पति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी है के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त श्रक्षिनियम, के श्रध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसची

खुली जमीन, सर्वे नं० 532/63, प्लोट नं० 62 जिसका कुल माप 5917 वर्ग फुट है और जो विश्वास कालोनी, रेस कोर्स रोड, बड़ोदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के 5-11-1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4769 में प्रदिशात है।

्षी० एन० मित्तल, सक्षम ग्रधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रजन रेंज-11, ग्रहमदाबाद।

तारीख : 28-5-1975

प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०----

## धायकर भ्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-ष(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायक्र श्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेज-I, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, विनांक 21 ग्रप्रैल 1975

निर्धेश सं० ए० सी० क्यु० 23-1-400(169)/11-6/ 74-75---यतः मुझे जे० कथुरिया श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात उन्त ग्रिधिनियम कहा गया है), की धारा 269ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु० से प्रधिक है श्रीर जिसकी सं० सर्वे नं० 141 है, तथा जो भारतपरा के निकट सालुका वेरावल में स्थित है (ग्रीर इसके उपाबद्ध **श्रनुसुची** में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्सा श्रधिकारी के कार्यालय वेरावल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 5-11-1974 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत प्रधिक है और यह कि भन्तरक (भन्तरकों) भीर भ्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त भिधिनियम, के अधीन कुर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः श्रव उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में भैं, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-च की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रयांत:--

- (1) मैसर्ज रघुबीर खाँडसरी स्युगर उद्योग गाँव, भालपरा, सालुका वेरावल, श्रपने भागीदार द्वारा:—
- (1) श्री गुणवंतराय लक्ष्मीदास, (2) श्री रजनीकान्त लक्ष्मीदास, (3) श्री धीरजलाल लक्ष्मीदास, (4) श्री जयवंत कुमार नौतमलाल, (5) श्री ग्रमृतलाल त्रीकमजी, (6) श्री रतीलाल त्रीकमजी, (7) श्री पोपटलाल त्रीकमजी,
- (8) श्री जयश्री विठलदास, (9) श्री ललीत कुमार कल्याणजी (10) श्रीमती सरला विनोदराय, (11) श्री दुर्लभजी भीमजी,
- (12) श्री जगजीवन दुर्लभजी, (13) श्री सुरेशघंद दुर्लभजी,
- (14) श्री कांतिलाल बीमोयन वास, (15) श्री दामोदर मथुरादास, (16) श्री जमनादास लालजी (ग्रन्तरक)
- (2) मैंसर्ज श्रमर केमीकरुस, भारूपरा, तलाला रोड, तालुक वेरावल, ग्रपने भागीदार द्वारा:
- (1) माह ललीत कुमार प्रेमजी, (2) माह महेन्द्र कुमार प्रेमजी (श्रन्तरिती) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिये एसवृद्धारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। जक्त सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप:—
  - (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
  - (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पर्वाकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त प्राधिनियम, के श्रव्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं धर्ष होगा, जो उस श्रव्याय में दिया गया है।

### अनुसुची

फेक्टरी बिल्डींग, माउंट हाउस सहित जो 3 एकड़ और 21 गुंठा जमीन पर स्थित है और जिसका सर्वे नं० 141 है भीर जो भालपरा गाँव के निकट तालुका वेरावल में स्थित है तथा जिसकी सीमाएँ निम्नलिखित है:---

पूर्व: बुसरों की सम्पत्ति
पश्चिम: वेरावल तलाला रोड,
उत्तर: भगवान जादव की सम्पत्ति
दक्षिण: भगवान नारण की सम्पत्ति।

जे० कथूरिया, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद ।

तारीख: 21-4-1975

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जनं रेंज-1, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 21 श्रप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यु० 23-1-419(170)/1-1/74-75--यतः मझे जे० कथूरिया आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- क० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 3109 टी० पी० स्कीम नं० 3 है, तथा जो एलिस श्रीज, ग्रहमदाबाद में स्थित है (श्रौर इसके उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 11-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उन्त भ्रधिनियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; /या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम या धनकर श्रिधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

सतः स्रव उक्त स्रधिनियम की धारा 26 9-ग के अनुसरण में, में, उक्त स्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के स्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, स्रथीत् :--- (1) श्री योगेन्द्र वालाभाई वेंकर, (2) श्रीमती लीला-वती वालाभाई भोगीलाल की विधवा, देवजी सरैया की पोल साँकड़ी शोरी, ग्रहमदाबाद (3) श्री चंद्रवदने वालाभई वेंकर "चंद्रभुवन", सरदार पुरुष के निकट ग्रहमदाबाद

(ग्रन्तरक)

(2) श्री विक्रम विकास गंडल ग्रोनर्स एसोग्रीएणन, एलिस न्नीज, ग्रहमदाबाद (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त श्रवितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपद्ध में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
  हितवद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी
  के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का; जो उक्त ग्रिधिनयम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

### अमुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 28 गुंठा (यानी 3388 वर्ग गज) है ग्रीर जिसका फयनल प्लाट नं० 109 टी० पी० स्कीम नं० 3 है ग्रीर जो एलिस श्रीज, ग्रहमवाबाद में स्थित है। तथा जिस की सीमाएं निम्नलिखित है:

उत्तर: फायनल प्लाट नं० 108 क्षिण: फायनल प्लाट नं० 110 पूर्व: 30 फुट चौड़ी टी० पी० एस० सड़क पश्चिम: 100 फुट चौड़ी पेन ग्राश्रम रोड।

> जे० कथूरिया, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-1, ग्रहमदाबाद ।

**तारीख: 21-4-1975** 

प्ररूप आई०टी०एन०एस०----

भ्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-**ष** (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, विनांक 17 जून 1975

निर्देश सं० 46-ए०/ग्रर्जन—ग्रत: मुझे विशम्भर नाथ श्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- हपये से ग्रिधिक है

भ्रौर जिसकी सं० सी० के० 30/8 है तथा जो मो० मरली गली वाराणसी में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 6-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-फल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त अधि-नियम, के अधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या भ्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्राय-कर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धनकर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः, श्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 269ग के श्रनुसरण में, मैं 'उक्त श्रधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों। श्रथीत् :-। 15—156G1/75

(1) श्री लल्लू राम व प्रन्य

(श्रन्तरक)

(2) श्री श्ररुणा देवी

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं:—

उन्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप,---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्रष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त गब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाधित हैं,वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिवा गया है।

### अनुसूची

एक फिता मकान नं० सी० के० 30/8 मय जमीन के जो कि मोहल्ला मुरली गली चौक शहर वाराणसी में स्थिति है।

> बिशम्भर नाथ, सक्षम श्रधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख: 17-6-1975

### प्ररूप भाई०टी०एन०एस०----

भायकर भाधानियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के श्रधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1, ग्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० नयु० 23-1-411(191)/1-1/ 74-75--यतः मझे पी० एन० मित्तल **भा**यकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- ६० से प्रधिक है श्रीर जिसकी सं० सर्वे नं० 578-14 से 578-15 से 578-15-2 एफ० पी० नं० 578, एस० पी० नं० 3 का है, जो टी० पी० एन० नं० 3, छंदाबाड, ग्रहमदाबाद में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय ग्रहमदाबाद में रजिस्ट्रीकंरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 6-11-1974 पुर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) भीर श्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक से रूप कथित नहीं किया गया है :--

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त ग्रिधिनियम, के ग्रिधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

म्रतः, मब, 'उन्त अधिनियम' की घारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, 'उन्त अधिनियम' की घारा 269-म की उप-घारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः

- (1) श्रीमती कुंजबाला हरिष्ध भाई, "मंदार" ला कालेज के पिछे एलिस ब्रिज, ग्रहमदाबाद (श्रन्तरक)
- (2) श्री रमेशचन्द नन्दलाल कोठारी मैसर्ज ग्रदिती एपार्टमैन्ट के हेतु तथा उसकी श्रोरसे ए०-5, मीनीता एपार्टमैन्ट, न्यु० सैन्ट झेवियर्स हाईस्कुल रोड, नवरंगपुरा, श्रहमदाबाद (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्तिके धर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की सारीख से 45 दिन की भ्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही ग्रथं होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

एक श्रचल सम्पत्ति जमीन जिसका क्षेत्रफल 420-165 वर्ग गज है श्रौर जिसका सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578, सब प्लाट नं० 3 का प्लाट नं० 4 है श्रौर जो टी० पी० एस० नं० 3 छदाबाड श्रहमवावाद में स्थित है श्रौर जिसका पूर्ण विवरण विश्री दस्तावेज नं० 13988 दिनांक 6-11-1974 में सब रजिस्ट्रार श्रहमदाबाद द्वारा दिया गया है।

पी० एन० मित्तल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-1, ग्रहमदाबाद ।

तारीख: 28-6-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

### भ्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेज-1, महमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० वसु० 23-1-412(192)/1-1/ 74-75---यतः मुझे, पी० एन० मित्तल, आयकर अधिनियम, (जिसे इसमें (1961 का 43) परचात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मुल्य. 25,000/- रु० अधिक है से भीर जिसकी सं० सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578, सब प्लाट नं० 3 के प्लाट नं० 3 है, तथा जो टी० पी० एस० नं० 3 छदाबाड, ग्रहमदाबाद में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्द्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 6-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृख्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसरी बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपब्रारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) श्री हरिसिध्ध भाई गोविन्दलाल "मंदार" लॉ कालेज के पिछे, एलिस ब्रिज, ग्रहमदाबाद (ग्रन्तएक)
- (2) श्री रमेण चन्द्र नन्दलाल कोठारी, मैसर्ज अदितो एपार्टमैन्ट के हेतु तथा उसकी स्रोर से ए०-5 मीनिता एपार्ट-मैंट न्यु० मैंट झेवियर्स हाई स्कुल रोड, नवरंगपुरा, ग्रहमदाबाद-141 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्विक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रति ग्राक्षेप:

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की सारीख से 4 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वध्दीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो जक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

> पी० एन० मित्तल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक स्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-1, ग्रंहमदाबाद ।

तारीख : 28-6-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजीन रेंज-I, म्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यु० 23-1-413(193)/1-1/ 74-75---यतः मुझे पी० एन० मित्तल अधिनियम, 1961 **मायकर** (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्तम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका मृल्य 25,000/- रुपये से अधिक है उचित बाजार **ग्रौर** जिसकी सं० सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578, सब प्लाट नं० 3 के प्लाट नं० 2 तथा 1 है, जो टी० पी० एस० नं० 3 छदावाड ग्रहमदाबाद में स्थित है (भ्रोर इससे उपाबद श्रनुसूची में श्रो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 5-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्यसे कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और के दीच ऐसे अन्तरण के (अन्तरितियों) तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त मधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त प्रधिनियम', की धारा 269-ष की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः :—

(1) श्री चन्द्रकान्ताबेन गोविन्दलाल "मंदार" लॉ कालेज के पिछे एलिस ब्रिज, श्रहमदाबाद-6 (ग्रन्तरक) (2) श्री रमेशचन्द्र नंन्दलाल कोठारी मैंसर्ज श्रदिती एपार्टमैन्ट के हेतु तथा उसकी भ्रोर से ए०-5, मिनिता एपार्ट मैन्ट न्यु० सैंट झेवियर्स हाई स्कुल रोड, ग्रहमदाबाद-14 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां मुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अनिध या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अनिध, जो भी अनिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

एक ग्रचल सम्पत्ति जमीन जिसका क्षेत्रफल 840.330 वर्ग गज है भ्रौर जिसका सर्वे नं० 578-13, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578 सब प्लाट नं० 3 के प्लाट नं० 2 भ्रौर 1 है भ्रौर जो टी० पी० एस० नं० 3 छदावाड ग्रहमदाबाद में स्थित है श्रौर जिसका पूर्ण विवरण बिकी दस्तावेज नं० 13913 तथा 13914 दिनांक 5-11-1974 में सब रजिस्ट्रार ग्रहमदाबाद द्वारा दिया गया है।

पी० एन० मित्तल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-1, ग्रहमदाबाद ।

तारीख : 28-6-1975

प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०---

म्रायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के मधीन सुचना

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 28 जून 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यु० 23-1-414(194)/1-1/ 74-75---यत:, मुझे, पी० एन० मित्तल ग्रधिनियम, (1961 軒 43) 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 25,000/-से ग्रधिक है ग्रौर जिसकी ₹० मुल्य सं० सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2, एफ० पी० नं० 578, प्लाट नं० 5 तथा 6 सब प्लाट नं 3 है, जो टी० पी० एस० नं० 3, छदावाड अहमदाबाद में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ऋधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 8-11-1974 को पूर्वीक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्तिका उचित बाजार भूत्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत अधिक है भीर मन्तरक (मन्तरकों) ग्रौर मन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी थ्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रीधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रीधिनियम, या धन-कर ग्रीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः भ्रव उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के भ्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों अर्थात:—

- (1) श्री हरिसिध्ध भाई गोविन्द लाल स्व० श्री भूपेन्द्र गोविन्द लाल के बसियतनामे के एक्झीक्युटर (2) श्रीमती कुंजबाला हरिसिध्ध भाई, स्व० श्री भूपेन्द्र गोविन्द लाल के बसियतनामे के उपभोग ग्रहिता मंदार लॉ कालेज के पिछे एलिसब्रिज श्रहमदाबाद (श्रन्तरक)
- (2) श्री रमेणचन्त्र नन्दलाल कोठारी, मैसर्ज श्रदिती एपार्टमैन्ट के हेतु तथा उसकी ग्रोर से ए०-5, मीनिता एपार्टमैन्ट, न्यु० सैंट झेवियर्स हाईस्कुल रोड, नवरंगपुरा ग्रहमदाबाद (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टोकरण:-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में यथापरिभाषित ह, बही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

एक प्रचल सम्पत्ति जमीन जिसका क्षेत्रफल 840.330 वर्ग गज है श्रौर जिसका सर्वे नं० 578-14, 578-15 से 578-15-2, फायनल प्लाट नं० 578 सब प्लाट नं० 3 के प्लाट नं० 5 तथा 6 श्रौर जो टी० पी० एस० न० 3 छदाबाड श्रहमदाबाद में स्थित है श्रौर जिसका पूर्ण विवरण बिकी दस्तावेज नं० 14223 तथा 14224 दिनांक 8-11-1974 में सब रजिस्ट्रार श्रहमदाबाद द्वारा दिया गया है।

पी० एन० मित्तल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रजन रेंज-1, श्रद्धमदाबाढ

तारीख: 28-6-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269 च (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 3 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-410 (196)/1-1/74-75-यतः मझे, जे० कथ्रिया, भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त ग्रधिनियम कहा गया है), की धारा 269 खंके प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ए० से अधिन है और जिसकी संख्या सर्वे नं० 46 है, तथा जो मौजे भ्रोकाफ, श्रहमदाबाद में स्थित है (भ्रौर इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 6-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई मुझो यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त का उर्जित बाजार मृत्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक का से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

श्रतः, जब उक्त श्रधिनियम की धारा, 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों श्रथितः—

- श्री भानुभाई हिम्मतलाल देसाई, 34, चैतन्य सोसायटी, स्टेडियम के निकट, नवरंगपुरा, ग्रहमदाबाद। (ग्रन्तरफ)
- 2. रत्नम इलैक्ट्रो मैटल्स प्राईवेट विमिटेड, रैलचे क्रांसिंग के निकट, सानंद रोड, सरखेज, श्रहमदाबाद। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पच्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरि-भाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

एक अवल सम्पत्ति जो 2500 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और जिसका सर्वे नं० 46 है और जो श्रहमदाबाद से विरमगाम राज-मार्ग पर, सरखेज रेलवे कासिंग के निकट, गांव श्रोकाफ में स्थित है।

> जे० कथूरिया, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाबाद।

तारीख: 3-7-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

### आयकर मिस्रिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-थ (1) के श्रधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-चार, बम्बई

बम्बई, दिनांक 29 मार्च 1975

निर्देश सं० श्रो० पी० 206/श्राई० ए० सी० ए० श्रार०-4/ 74-75---ग्रतः मुझे, श्री ग० सो० राव, सहायक ग्रायकर ग्रायकत (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-चार, बम्बई, श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रु० से श्रधिक है श्रौर जिसकी सं० सर्वेक्षण नं० 151/152 है, जो वरसोवा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध म्रानसूची में म्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता म्रधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन तारीख 7-11-1974 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भीर भन्तरक (म्रन्तरकों) भौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर वेने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रत: श्रब उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रथीत :---

- 1. श्री रहीम करीम मिस्त्री ग्रीर ग्रन्य, मिस्त्री कोट, दिनशा वाछा रोड, बम्बई-20। (ग्रन्तरक)
- 2. इन्दू पार्क को० ग्रा० हाउसिंग सो० लि०, 151/152 चार बंगला रोड, वरसोवा, बम्बई-61। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

हपट्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

जमीन का वह तमाम टुकड़ा या जमीन का खींग या जमीन जो गांव वरसोवा, साउथ सालसेट, बृहत्तर बम्बई, जो रजिस्ट्रेशन उप-जिला बान्द्रा जिला बम्बई उपनगर, माप में 10,000 वर्ग गज जो 8,360 वर्ग मीटर्स या कुछ ज्यादा घौर कम होगी, जिसका सर्वेक्षण नं० 151 घौर 152 सिटी सर्वेक्षण नं० 1330 घौर 1331 घौर जो घिरा है :— पूर्व की घोर से पब्लिक मार्ग द्वारा, पश्चिम की छोर से जमशेदजी डोशाभाई करेन्स की मिलकत द्वारा, उत्तर की घोर से पब्लिक मार्ग घौर घमोल किरीक द्वारा और दक्षिण की छोर से पब्लिक मार्ग घौर निचके छोर से सर्वेक्षण नं० 100 वरसोवा द्वारा।

ग० सो० राव सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण) श्रुर्जन रेंज-चार बम्बर्ड

तारीख: 29-3-1975

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०--

म्रायकर म्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के म्रिधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यालय सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज-II भ्रहमदाबाद

भ्रहमदाबाद, दिनांक 18 भ्रप्रैल 1975

निर्देश सं० 217/ए० सी० क्यु०-23/308/7-4/74-75---यत:, मुझे, पी० एन० मित्तल, श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त श्रधिनियम कहा गया है), की धारा 269ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- इ० से प्रधिक है भीर जिसकी सं० रे० सर्वे० नं० 255/ 2, वार्ड नं० 1 है, तथा जो श्राशा बाग, दुधिया तालाब रोड, नवंसारी में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय नवसारी में रजिस्ट्रीकरण म्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन 6-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए भ्रन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) भौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्सरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, 'उक्स ग्रिधिनियम', के ग्रिधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या मन्य भ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्रायकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त भ्रधिनियम', या धनकर भ्रधिनियम', 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रत:, अब उक्त म्रधिनियम की धारा 269-ग के म्रनुसरण में में, उक्त म्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के म्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्थात :—

- 1. श्री बिपिनचन्द्र भगवानदास भावसार रमाबेन, भगवान दास हरीभाई की विधवा, बम्बई। (श्रन्तरकः)
- 2. श्री नथुभाई कल्याणदास गांधी (एच० यू० एफ० का कर्ता) नवसारी। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, ओ उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, ओ उस श्रध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

श्रवल सम्पत्ति (जमीन व मकान सहित) जिसका रे० सर्वे० नं० 255 पैकी, प्लाट नं० 2, म्यु० वार्ड० नं० 1, कुल माप 8760 वर्ग फुट है ग्रीर जो श्राशा बाग, दूधिया तालाब रोड, नवसारी, जिला बलसार में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी नवसारी के नवम्बर 1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2589 में प्रदर्शित है।

> पी० एन० मित्तल ्सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेंज-II, श्रहमदाबाद ।

तारीख: 18-4-1975

कार्यवाहियां गुरू करता है।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-च (1) के अधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यानय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-1, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 10 ग्रप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० मी० क्यू० 23-1-399 (164)/16-6/74-75--यत: मुझे, जे० कथूरिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961

का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को. यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित्त बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 1-जी/4, प्लाट नं० 15, स्वस्तिक सोसायटी है, तथा जो आयुर्वेदिक कालेज के पीछे, जामनगर में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8-11-74

को पूर्वेक्ति सम्पक्ति के उचित वाजार कम दुश्यमान प्रतिफल लिए अन्तरित की गई ₹ और मुझे विश्वास यह करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और भन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत 'उक्त ग्रिधिनियम', के ग्रिधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (बा) ऐसी किसी भाय या किसी धन या भ्रन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्राय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त प्रधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

धतः श्रव, 'उन्त अधिनियम' की धारा 269-ग के धनुसरण में, मैं, 'उन्त श्रधिनियम' की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-16—156GI/75

- श्री गुणवंतराय वीरजी पंडित, सुदामा चौक, पोरवंदर। (अन्तरक)
- 2. श्री भरतकुमार नरसिंहप्रसाद छोटाई, पटेल कालोनी, जामनगर। (श्रन्तिरिती) को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पति के अर्जन के जिए

तकत सम्पत्ति के श्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की श्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, को भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी धन्य क्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पद्यों का, जो 'उक्त ग्रधि-नियम', के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं प्रयं होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

### धनुसूची

जमीन मकान सहित, जिसका क्षेत्रफल 7500 वर्ग फुट है भ्रौर जिसका सर्वे नं० 1-जी०/4, स्वस्तिक सोसायटी का प्लाट नं० 15 है श्रौर जो श्रायुर्वेदिक कालेज के पीछे, जामनगर में स्थित है ।

> जे० कथूरिया, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-!, ग्रहमदाबाद।

**वारीख**: 10-4-75

प्ररूप भाई० टी० एन० एस० --

भागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 10 श्रप्रैल 1975

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन समम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है भ्रौर जिसकी सं० प्लाटनं० 6 का हिस्सा है तथा जो स्वामी नारायण गुरुकुल की उत्तरी भ्रोर, ढेबर रोड, राजकोट में स्थित है (भ्रौर इसके उपाबद अनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन तारीख 18-11-1974 को पूर्वीकत सम्पत्ति के उचित

का पूर्वाक्त सम्पत्त के उपक्त बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है. और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आधि-नियम, के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविद्या के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अतः, 'उन्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुमरण में; में, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ध की उपधारा (1) के बक्षीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

- 1. श्री जेठालाल रामचंद भाटिया, 'गंगा विहार', सरदारनगर, राजकोट । (श्रन्तरक)
- श्री मनहर लाल जवेरचंद देसाई, 93, मरीन ड्राइब,
   18, श्रहरा महाल, बम्बई-2। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उन्त सम्पत्ति के श्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपद्म.में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की प्रारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

एक मकान जो 228-00 वर्ग गज भूमि पर स्थित है श्रौर जो प्लाट नं० 6 का हिस्सा है श्रौर जो वार्ड नं० 7, स्वामीनारायण गुरुकुल की उत्तरी श्रोर ढेवर रोड, राजकोट में स्थित है श्रौर जिसकी सीमायों निम्नलिखित हैं:——

पूर्व :-- ढेवर भाई रोड पश्चिम--जयतकुमार माधवजी की जमीन। उत्तर--प्लाट नं० 5। दक्षिण--श्रनील कुमार विनोदराय कामदार का मकान।

> जे० कथूरिया, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, श्रहसदाबाद ।

तारीख : 10-4-1975

प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०----

ग्नायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ(1) के प्रधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

म्रहमदाबाद, दिनांक 4 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-1-608 (198)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथुरिया .

श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रिधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्तिः जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक हैं श्रौर जिसकी संज फायनल प्लाट नं 517-2-बी० टी० पी० एस० नं 0 3, तथा जो नेहरू ब्रिज के निकट, श्राक्षम रोड, श्रहमदाबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन तारीख 11-11-74

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, वा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

धतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ध्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थान्:—

- 1. मैसर्ज साधुराम गोरधनलाल फर्म के हेतु तथा उसकी स्रोर से --
  - (1) श्री साधुराम वी० ग्रंदानी,
  - (2) श्री गोरधनलाल एस० ग्रंदानी
  - (3) श्री किशनलाल एस० ग्रंदानी
  - (4) कुमारी भाग्यवंती एस० ग्रंदानी

नेताजी क्लाथ मार्केट, कालुपुर कोटनी रांग, ग्रहमदाबाद। (ग्रन्तरक)

2. मुरलीधर ग्रोमकारनाथ मानेक चौक, महोरत पोल, श्रहमदाबाद। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूबना के राजान्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो जक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

एक श्रचल सम्पत्ति जिसका दुकान नं ० एसं ०/35 ए श्रीर जो कॅपीटल कमर्गल सॅंन्टर के भुमंजिले पर ब्लाक बी में स्थित है श्रीर जिसका फायनल प्लाट नं ० 517-2-बी ० टी ० पी ० एस० नं ० 3 है श्रीर जो नेहरू श्रिज केनिकट, श्राश्रम रोड, ग्रहमदाबाद में स्थित है।

> जे० कथूरिया, सक्षम प्राधिकारी, सहायक द्यायकर क्रायुक्त (निरीक्षण) क्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद ।

तारीख: 4-7-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

मायकर प्रमितियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के प्रधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ब्रायकर ब्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-, श्रहमदाबाद श्रहमदाबाद, दिनांक 4 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-609 (199)/1-1/75-76—-यतः, मुझे, जे० कथूरिया

ग्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43),

(जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सञ्जम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

भौर जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 517-2-बी० टी० पी० एस० नं० 3 है, तथा जो नेहरू बिज के निकट, श्राश्रम रोड, श्रहमदा-बाद में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूण रूप से विणत हैं), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख 1-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक कप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अस्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त प्रधितिथम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ध्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्षे अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:—

म्रतः अब उन्तं स्रधिनियम की धारा 269-म के स्रनुसरण में मैं, उक्त स्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के स्रधीन निम्नलिखित ब्यक्तियों स्रथीत् :—

- मैंसर्ज साधुराम गोरधनलाल फर्म के हेतु तथा उसकी श्रोर से——
  - (1) श्री साधुराम वी० ग्रंदानी,
  - (2) श्री गीरधनलाल एस० ग्रंदानी,
  - (3) श्री कीशनलाल एस० ग्रंदानी
  - (4) कुमारी भाग्यवंती एस० घंदानी

नेताजी क्लाथ मारकेट, कालुपुर कोटनी रांग, ग्रहमदाबाद । (श्रदारक)

- (2) दामोदरदास करसनदास श्रक्नुवाला, एडवोकेट, बी० नं० 4 ए०, राजहंस सोसायटी, एलिज क्रिज, श्रहमदाबाद। (श्रन्तरिती)
- 3. मैसर्ज प्रविण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (वह व्यक्ति, जिसके भ्रिधभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्येगाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप,

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधिया तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबड़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकें।

स्पच्टीकरण .--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, जा उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिकाणित हैं, वहीं अर्थे हागा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जिसका श्राफिस नं ० ए०/58 है श्रीर जो कैपीटल कमर्शल सैन्टर के चीथे मंजले पर ब्लाक ए में स्थित हैं श्रीर जिसका फायनल प्लाट नं ० 517-2-बी०, टी० पी० एस० नं ० 3 हैं श्रीर जो नेहरू अज के निकट, श्राश्रम रोड, श्रहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया ्सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज-], म्रहमदाबाद ।

तारीख: 4 जुलाई 1975

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के भधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ध्रायकर ध्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० श्रार०/सतना/10-11-74--श्रतः मुझे, बी० के० सिन्हा, **भा**यकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षय प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य ६० 25,000/- से श्रधिक है श्रीर जिसकी सं० खुला प्लाट है, जो बम्हनगवा में स्थित है (श्रीर इससे उपायद अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, सतना में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 10-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत प्रधिक है ग्रीर यह कि श्रन्तरक (अन्तरकों) भौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त भ्रधिनियम, के भ्रधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी स्राय या किसी धन या भ्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धनकर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रतः भव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों श्रथीत :---

- श्रीमती दुर्गावती पति रामलाल कायात, निवास बम्हनगवा संतना । (ग्रन्वरक)
- 2. श्रीमती जसोदा बाई, पित विलोक चन्द, (2) राजेन्द्र कुमार पिता विलोकचन्द, (3) श्री इंदरलाल पिता जमायत राव, सतना। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के प्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन की ग्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रविध, जो भी
  ग्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में
  हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी
  के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में विया गया है।

### अनुसूची

खुला प्लाट भूमि बम्हनगवां सतना, एरिया 8800 स्क्वायर फीट।

> वि० कु० सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, भोपाल ।

तारीख: 1-7-75

ंप्रकप आई० टी∙ एन० एस०----

### भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-च (1) के मधीन सूचना

### भारत सरकार

कायांलय, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० भ्रार०/जबलपुर/ 8-11-74—म्ब्रतः मुझे, बी० के० सिन्हा,

म्नायकर म्रिमियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं खुला प्लाट है, जो चेरी ताल वार्ड में स्थित है (श्रीर इससे उपाबत अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत ग्रधिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 8-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे

दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह्म प्रतिशत प्रधिक है भौर यह कि

मन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे

अन्तरण के लिये प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन कर अधिनियम, 1957(1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः भ्रब उन्त मधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त मधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भ्रयीत :---

- 1. श्री बद्रीप्रसाद पिता जीवनलाल, निवास मङ्गान नं० 2, जीवन कालोनी, जबलपुर। (श्रन्तरक)
- 2. श्री णिवप्रसाद पिता फूलचन्द, (2) राम किशान पिता फूलचन्द, 357 ईस्ट निवाङ्गंज, जवलपुर। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां णुरू करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पब्दीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

### अनुसूची

खुला प्लाट बना हुआ, पीतलवार्ड, जबलपुर एरिया 38250 वर्ग फीट।

> वि० कु० सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, भोपाल।

**सारीख: 1-7-75** 

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक ब्रायकर भायका (निरीक्षण) का कार्यालय श्चर्जन रेंज, भीपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एस० ग्रार०/ग्वालियर/20-11-74---ग्रतः मुझे, व्ही० के० सिन्हा, श्रधिनियम, श्रायकर 1961

(1961 का 43) श्रधिनियम' (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त गया है ), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है उचित श्रीर जिसकी सं० मकान नं० 1 ए० है, जो निमालकर की गोट में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्दीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 20-11-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पनद्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी भरने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की घारा 269-व की उपग्रारा (1) के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

- श्री कृशना कुमार भ्रग्रवाल पिता विश्भवर प्रसाद अग्रवाल निवास नयाबजार, लक्कर, ग्वालियर।
- 2. श्री पं० ग्रोमप्रकाश मिश्र, पिता पं० हद्रदत्त मिश्र निवास निमालकर की गोट, ग्वालियर। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतृर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थे होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

मकान नं ० 19/261 निमालकर की गोट, लश्कर, गवालियर।

वि० कु० सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल । -

तारीख: 1-7-75

प्ररूप आई∙ टी० एन० एस०-

### आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक घ्रायकर घ्रायुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय, अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं०एस० श्रार०/ग्वालियर/21-11-74—श्रतः मुझे, व्ही० के० सिन्हा,

श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के श्रिधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है श्रार

जिसकी संख्या सं० मं० नं० 37/53 हैं, जो कुदालकर की गोट, ग्वालियर में स्थित हैं (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-11-74 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यचापूर्वोचन सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह्र प्रतिशत अधिक है और यह कि अग्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितीं) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में बास्तविक कप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त प्रधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त प्रधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः अब, 'उक्त ग्रिधिनियम' की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ज की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- 1. श्री नन्दलाल पिता गोपी चन्द्र, श्रमरपुरीः, निवास टोपी बाजार, लक्कर, ग्वालियर। (श्रन्तरक)
- श्री बैजनाथ अग्रवाल पिता श्री गनेशराम अग्रवाल, चीफ कैशियर, यूनाइटेड कर्माशियल बैंक लिमिटेड। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेत्र : -

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामी का से 30 दिन की अविधि जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्तियों में से विसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ने 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य ब्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के ऋध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

### अनुसूची

मकान नं० 37/53 कुवालकर की गोट, लक्कर, ग्वालियर।

वि० कु० सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, भोपाल ।

तारीख 1-7-1975 मोहर: प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

### आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के ग्रधीन सूचना

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल भोपान, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० भ्रार०/जबतपुर/28-11-74—-प्रतः सुझे, बी० के० सिन्हा,

आयकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसर्वे इसके पश्चात 'उक्त अधितियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करते का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकात तं० 307 है, जो सराफा वार्ड, जबलपुर में स्थित है (म्रौर इससे उपावद अनुसूची में म्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत ग्रधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-11-74 को विक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा।वॉक्त मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-फल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य क्ष अन्तरण लिखित में यास्तविक रूप से क्ष्यित नहीं किया ग्रा है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनयम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिगाने में सुविधा के लिए सकर बनाना।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——
17—156GI/75

- 1. श्री भुवनलाल चीरियमा, तिवास हिरदयनगर, संदेलाहाल, जबहापुर। (अन्तरक)
- 2. श्रीमती उमिला देवी जीजे चतुर्भुज चौरिमया साकित गढ़कोटा रहली, जिला सागर हाल, जबलपुर। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई मी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीखं से
  45 दिन की अवधि या तत्त्वं की व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
  अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से
  45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अवंहस्ताक्षरी के
  पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में अधावरिकाणित है, वही अधं होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है।

### अनुगूची

मकान नं० ३०७, **३०**७-ए० श्रीर <mark>३०८ साठियाकुग्रा, सराफा</mark> वार्ड, जबलकुर ।

> वि० कु० सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्राबुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

ता्रीख : 1-7-75

प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०----

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1975

निर्वेश सं०एम० म्रार०/विलासपुर/18-11-74---श्रतः, भुझे, **वी० के०** सिन्हा,

**भायभर भिधिनियम,** 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ध्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-/ ह० से अधिक है भीर जिसकी सं० मकान है, जो जून विलासपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, विलासपुर में रजिस्ट्रीकृत ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 18-11-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दुग्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत श्रधिक है श्रीर यह कि श्रन्तरक (भ्रन्तरकों) प्रौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से प्रन्तरण िश्वित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त श्रिधिनियम, के श्रिधीन कर देने के श्रन्तरक के दायिन्व में कमी करने या उससे बचने में स्मृतिका के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम, या धनकर श्रिधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः भव उन्त अधिनियम की घारा 269-ग के धनुसरण में, मैं, उन्त अधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के भधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:— 1. श्रीमती जैंतूनवी विधवा सफदर ग्रली, (2) श्रीमती मैंमनाबाई जौजे हातिमभाई, (3) श्रीमती मुगराबाई, दुर्ग। (ग्रन्तरक)

2. श्री मनसूर श्रली पिता भ्रब्बासभाई, खपरगंजं, विलासपुर । (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
  45 दिन की अविध या तत्सबंधी व्यक्तियों पर
  सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी
  अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
  व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्होकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों बा, जो जक्त अधिनियम के श्रध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, बही श्रथं होगा जो उस श्रश्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

मकान बना हुम्रा जून विलासपुर, मकान नं० 110 ए, **खस**रा नं० 202, विलासपुर।

> वि० कु० सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपास

**तारीख** : 1-7-75

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 24 जून 1975

निर्देश सं० 23-1/578(190)/5-1/75-76—-श्रतः मुझे पी० एन० मित्तल,

ग्रधिनियम, 1961 ग्रायकर (1961 দা 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनयिम' कहा गया है) की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित रु० से अधिक है ग्रीर बाजार मत्य 25,000/-जिसकी सं० सिटी, सर्वे सानंद नं० 2199-बी०, प्लाट है, तथा जो नं 17, बीर भद्र नगर, भावनगर में स्थित है (भ्रौर उसके उपाबद्ध श्रनसुची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्दीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकृत श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 12-11-74 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये श्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे बुश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से शधिक है ग्रीर धन्तरक (धन्तरकों) ग्रीर धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच एसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर दैने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती क्षारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः अब, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के अनुकरण में। मैं, उक्त अधिनियम की घारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:--

- रतीलाल वनमाली शर्मा, मार्फत रिभाई वशराम भाई का घर, सेठ हाई स्कूल के सामने, वाणियावाडिनं० 3, राजकोट (ग्रन्तरक)
- 2. डा० किशोरकान्त वनमालीदास शर्मा, संघेडीया बाजार, भावनगर। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबढ़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क मैं यथापरिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

### ध्रनुसूची

दो भाग मकान, 432 वर्ग मीटर्स जमीत पर बंध:येल: है, जो सिटी सर्वे सानंद तं० 2199 बी०, प्लाट नं० 17 वीरभद्र नगर भावनगर में हैं। जैसा कि रिजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी भावनगर द्वारा ता० 12-11-1974 को किये गये रिजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1741 में प्रदेशित है।

पी० एन० मित्तल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

तारीख: 24-6-1975

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

अधिकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

### भारत सरकार

'कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनङ, दिनांक 17 जुन 1975

निर्देश सं० 22-जे ०/धर्मन---ग्रतः पूर्वः, विशम्पर नाथः, आयकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के ग्रधीन सक्षम ग्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसंका उचित बाजार मृल्य 25,000/- ५पये मे अधिक है ग्रौरे जिसकी सं० ---- है तथा जो मोहल्ला नरकुला गंज, बरेली में स्थित है (ग्रौर इससे उपावड ग्रनुसुची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्दीकर्ता अधिकारी के कायालय बरेती में रजिस्टीकृत ग्रिधिनियम, 1908 ( 1908का 16) के अर्धान लारीख 12-11-74 सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि क्यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यगान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिकत, निम्न-लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरन लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ओर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कः. जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर 1957 (1957 का 27) प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. थीं ज़ज बहाद्र जौहरी

(अन्तर्क)

2. श्री जगदीश प्रसाद व ग्रन्य

(अन्तरिती)

को यह सुवना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन ः १११ कार्यवाहियां शुरू करता हं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्ते अधिनियम', के अध्याय 20-क में दथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

### अनुसूची

एक किता मकान का ग्राधा भाग जिसका कुल रकवा 360 वर्ग गज है, जिसमें 9 कमरे, मोटर गैरेज, गुस्लखाना, पाखाना तथा आंगत म्रादि शामिल हैं। यह मोहल्ला नरकुलागंज बरेली में स्थित है।

> विश्म्भर नाथ, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर भ्रायक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख: 17-6-1975

### UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 12th June 1975

No. A. 32014/1/75-Admn.III./(II). —The President is pleased to appoint Shri P. D. Srivastava a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 28-4-75 to 28-6-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(III).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Mago a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 1-5-75 to 21-6-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III(IV).—The President is pleased to appoint Shri R. L. Madan, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 1-5-75 to 15-6-75 or until further orders, whichever is earlier,

P. N. MUKHERJEE Under Secretary, Union Public Service Commission

### New Delhi-110011, the 24th May 1975

No. A. 32014/1/75-Admn.III.—In continuation of this office notification No. A. 32014/1/74 -Admn. III dated 5-3-75, the President is pleased to appoint Shri S. D. Sharma, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 16-2-75 to 24-5-75 or until further orders, whichever is earlier.

### The 11th June 1975

No. A. 38013/1/74-Admn.III.—The Preside it is pleased to permit Shri R. P. Satkartaria, a permanent Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission and officiating as Under Secretary in the same office, to retire from Govt, service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April, 1975.

### The 12th June 1975

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(VI).—In partial modification of this office notification of even number dated 19-4-75, the President is pleased to appoint Shri M. N. Sangameswaran, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 68 days from 3-3-75 to 9-5-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(V).—The President is pleased to appoint Shri S. P. Gupta, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 52 days from 15-5-75 to 5-7-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(1).—The President is pleased to appoint Shri P. S. Sabherwal, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 48 days from 14-4-75 to 31-5-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(VII).—The President is pleased to appoint Shri B. R. Basra, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 68 days from 19-5-75 to 19-7-75 or until further orders, whichever is earlier

No. A. 32014/1/75-Admn.III/(VIII).—The President is pleased to appoint Shri M. N. Sangameswaran, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 89 days from 12-5-75 to 3-8-7+ or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn.HI/(1X).—In continuation of this office notification of even No. dated 24-5-75, the President is pleased to appoint Shri S. D. Sharma, a permanent Assistant of the Central Secretar at Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 25-5-75 to 15-6-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(X).—The President is pleased to appoint Shri G. Natarajan a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 26-5-75 to 11-7-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(XI).—In continuation of this office notification of even number dated 19-4-75, the President is pleased to appoint Shri Dhanish Chandra, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 1-6-75 to 31-12-75 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/75-Admn. III/(XII).—The President is pleased to appoint Shri S. P. Mathur, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service calire of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period from 2-6-75 to 1-9-75 or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE Under Secretary (Incherge of Administration) Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 13th June 1975

No. A. 12019/5/74-Admn.IJ.—In continuation of the Union Public Service Commission's Notification of even number dated 4-4-1975, the Secretary. Union Public Service Commission, hereby appoints Shri M. S. Chhabra, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission to continue to officiate on an ad hoc basis, as Junior Analyst in the Commission's office for a further period of 3 months with effect from 1-6-1975 to 31-8-1975, or until the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

Shri Chhabra will continue to be condeputation to an ex-cadre post of Junior Analyst and his pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O.M.No. F. 10 (24)-E.III/60 dated the 4th May, 1961, as amended from time to time.

P. N. MUKHERIEE
Under Secretary
For Secretary
Union Public Service Commission

### CABINET SECRETARIAT

## (DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMN. REFORMS)

### CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110001, the 17th June 1975

No. N. 31/65-AD.V.—Consequent on his selection as Senior Vigilance Officer in Air India, H. Q. Bombay, Shri N. P. Rege relinquished charge of the Office of Dy. S. P./C.B.I. GOW, Bombay on the afternoon of 31-5-75.

### The 20th June 1975

No. F. No. S-169/68-AD.V.—Consequent on his repatriation from the Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs), New Delhi, Shri S. N. Mukherjce, has taken over charge of the office of Dy. S. P., CBI, SPE, GOW Delhi Br. on the afternoon of 2-6-75 until further order.

### The 21st June 1975

No. A. 7/74-AD.V.—Consequent on his repatriation to his parent State Police Department, Shri D.K.M. Abdul Razak, Dy. S. P., C. B. I. relinquished charge of the office of Dy. S. P., C.B.I. GOW/SPE/Madras on the afternoon of 31-5-75.

### The 25th June 1975

No. A. 19021/7/75-AD.V.—The President is pleased to appoint Sh. B. P. Saha, I.P.S. (Orissa), on deputation, to C.B.I., S.P.E. to officiate at Supdt, of Police, Central Bureau of Investigation, Special Police Estt. in a temporary capacity with effect from the afternoon of 13-6-75 until further orders.

G. L. AGARWAL Administrative Officer (E) C. B. I.

## LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION

Mussoorie, the 21st June 1975

No. 195-ESP.—On the expiry of leave preparatory to retirement with effect from 18-8-74 to 31-10-74, Shri C. D. Sahni Accounts Officer, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, retired from service with effect from 31-10-74 (AN).

S. P. SINGH Deputy Administrative Officer

### MINISTY OF HOME AFFAIRS

### OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 19th June 1975

No. 25/39/73-Ad.I.—Consequent on his selection for Jawahar Lal Nehru Followship, Dr. B. K. Roy Burman relinquished charge of the post of Deputy Registrar General (Social Studies) with effect from the forenoon of 16 April 1975.

BADRI NATH

Deputy Registrar General, India & ex-officio Deputy Secv.

### OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

### CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 5th May 1975

No. E-38013(3)/1/75-Ad.I.—On transfer from Jharia, Shri Y. P. Jogeswar, Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, BCCL, Jharia relinquished the charge of the post with effect from the Afternoon of 12th April, 1975 and assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Bhilai Steel Plant, Bhilai with effect from the forenoon of 17th April 1975.

### The 17th May 1975

No. E-31013(2)/5/74-Ad.I.—The President is pleased to appoint Inspector D. R. Lal to officiate as Assistant Commandant/ Central Industrial Security Force, CISF Unit Govt. Opium and Alk Works, Ghazipur (Uttar-Pradesh), with effect from the forenoon of 1st January, 1975, until further orders, who assumed the charge of the post with effect from the same date.

### The 26th May 1975

No. E-38013(2)/1/75-Ad.1.—On transfer to MAMC, Durgapur, Shri Lachaman Dass, Indian Police Service, Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Durgapur Steel Plant, Durgapur, relinquished the charge of the post with effect from the Afternoon of 5th May, 1975

### The 11th June 1975

No. E-16014(3)/21/73-Ad.I.—On repatriation to Gujarat State Police Cadre on the expiry of his present term of deputation in the Central Industrial Security Force, Shri R. B. Chudasama relinquished the charge of the post of Commandant Central Industrial Security Security Force Unit IPCL Baroda with effect from the forenoon of 28th April 1975.

### The 13th June 1975

No. E-16013(2)/1/75-Ad.I.—On transfer from Gujarat State, Shri Y. B. Jhala, IPS, assumed the charge of the post of Commandan t Central Industrial Security Force Unit IPCL, Baroda, with effect from forenoon of 26th April 1975 vice Shri V. K. Jhala, IPS.

2. Shri V. K. Jhala, IPS, on repatriation to the Gujarat State Cadre, relinquished the charge of the above mentioned post with effect from the forenoon of the same date viz. 26th April 1975.

L. S. BISHT Inspector General

## DIRECTORATE GENERAL CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110001, the 16th May 1975

No. O.II-401/69-Estt.—Consequent on the expiry of his term of deputation, the services of Shri K. Nanu, Dy. SP are replaced at the disposal of the Govt. of Kerala wef the afternoon of 31st March. 1975.

### The 17th May 1975

No. P. VII-4/74-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion, the following Subedar Majors/Subedars of CRP Force to the post of Deputy Superintendent of Police (Company Commander/Quarter Master) in a temporary capacity until further orders.

2. They took over charge of the post in the Battalions/Group centres on the dates noted against each : --

S. No.	Name of the Officer		Bn/GC to which post- ed	Date over	of taking charge
1. Sh	ri Sarab Sìngh .		17th Bn	13-	3-75 (F.N.)
2. Shi	i M. B. Gautam .		54th Bn	6-	3-75 (F.N.)
3. Shi	i Chet Ram		2nd Bn	18-	3-75 (A.N.)
4. Sh	i Mohan Singh		GC (k)	11-	3-75 (F.N.)
5. Shi	i B. Krishna Swamy		14th Bn	4-:	3-75 (A.N.)
6. Shr	ri Rameshwar Singh	,	10th Bn	13-	-3-75 (F.N.)
7. Shi	i Sube Singh .		10լհ <b>Bո</b>	13	-3-75 (F.N.)
8. Shi	i Kharka Bahadur 💎 .		2nd Bn	24-	3-75 (A.N.)
9. Sh	i Jagmal Singh .		GC BBSR	4-	3-75 (F.N.)
10. Shi	i Sohan Singh .		GC Avadi	3-	3-75 (F.N.)
11. Shr	i Bishan Dass .		19th <b>B</b> n	22-	3-75 (A.N.)
12. Shr	i G. R. Purohit .		GC Hyd.	31-	3-75 (A.N.)
13. Shr	i Amar Singh Rai	,	24th Bn	6-	3-75 (F.N.)
14. Shr	i Pritam Singh .		42nd Bn	4-2	3-75 (A.N.)
15. Sh	i Shiv Narain Singh		GC Tym.	11-	-3-75 (F.N.)
16. Shi	i Bhan Singh .		GC(K)	5-	3-75 (F.N.)
17. Shi	i Santokh Singh		20th Bn	12-	3-75 (F.N.)
18. Shi	ri Prahlad Singh .		60th Bn	25-	3-75 (F.N.)
19. Shr	i Sagar Siugh .		ilth Bu	15-3	3-75 (A.N.)
20. Shi	i Prahlad Patil .	-	47th Bn	10-3	3-75 (F.N.)
21. Shr	j Bhopal Singh .		5th Bn	4-3	3-75 (A.N.)
22. Shr	i Mast Ram Kashyap		4th Bn	14-	3-75 (F.N.)
23. Shr	i Balbir Singh .		59th Bn	14-	3-75 (A.N.)
24. Shi	i Bhagwan Singh .		17th Bn	5-	3-75 (F.N.)
25. Sh	ri Nirmal Singh .		45th Bn	8-	3-75 (F.N.)
26. Shr	i O. P. Sharma		59th Bn	15-	3-75 (F.N.)
27. Sh	ri Bhule Ram Singh		41st Bn	15-	-3-75 (F.N.)
28. Sh	ri Hukam Chand 🛊	-	41st <b>Bn</b>	5-	-3-75 (F.N.)
29. Shr	ri Ranbir Singh	٠	1st Sig Bn	6-	3-75 (A.N.)
30. Shr	i Sahi Ram .	•	2nd Sig Bn	7	-3-75 (F.N.)
31. Shr	i C. K. Bhaskara Kurup	)	3rd Sig Bn	5-	3-75 (A.N.)
32. Shr	ri Man Singh •	-	3rd Sig Bn	1	4-75 (F.N.)

### The 19th May 1975

No. O.II-83/70-Estt.-While proceeding on 59 days leave preparatory to retirement from 1-2-75 to 21-3-75 Lt. Col. K. N. Sen (Retd) an officer of the Indian Army on deputation to the CRP Force relinquished charge of the post of Commandant GC CRPF Poona on the afternoon of 31st. January, 1975.

### $\mathbf{II}$

The President is pleased to appoint on re-employment Lt. Col. K. N. Sen (Retd) as Commandant in the CRPF in a temporary capacity until further orders.

He took over charge as Commandant GC CRPF Poona on the forenoon of 1st April. 1975.

### The 2nd June 1975

No. O.II-991/74-Estt.—Consequent on the acceptance of his resignation Dr. Ramesh Keshao Rao Kadam relinquished charge of the post of JMO 26th Bn. CRP Force on the afternoon of 5th May, 1975.

### The 3rd June 1975

No. O.II-1007/75-Estt(CRPF).—The Director General, CRP Force is pleased to appoint Dr. Ranjan Kumar Das as J.M.O. in the CRP Force, on an ad hoc basis initially for a period of one year with effect from the forenoon of 11th March, 1975.

2. Dr. Ranjan Kumar Das, is posted to R.T.C. II, C.R.P.F., Avadi (Madras).

### The 4th June 1975

No O.II-1015/75-Estt(CRPF).—The Director General, CRP Force is pleased to appoint Dr. Murari Dehury as J.M.O. in the CRP Force, on an ad hoc basis initially for period of one year with effect from the forenoon of 18th April, 1975.

2. Dr. Murari Dehury, is posted to 18th Bn., C.R.P.F.

#### The 13th June 1975

No. D.I-2/75-Estt.—Consequent on his appointment as Deputy Superintendent of Police in the ICFS, the Services of Shri H. C. Sood, Dy. SP of Control Room, Dte. General. CRPF are placed at the disposal of the ICFS wef the afternoon of 30th April, 1975.

#### The 17th June 1975

No. O.II-58/70-Estt.—Lt. Col. S. K. Roy, relinquished charge of the post of Commandant Group Centre No. II CRPF Ajmer on the afternoon of 23rd April, 1975, while proceeding on 7 days Earned Leave (LPR) wef 24-4-75 to 30-4-75.

2. Lt. Col. S. K. Roy, will be deemed to have relieved from the CRPF wef 30-4-75 (AN) on expiry of his leave and term of re-employment on the above date.

### The 18th June 1975

No. O.II-963/74-Estt.—The Director General, CRPF. pleased to accept the resignation tendered by Dr. Multani Ram Lamba, JMO GC CRPF Jammu wef the forenoon of the 15th Feb. 1975.

### The 19th June 1975

No. F.2/34/75-Estt.(CRPF).—The President is pleased to appoint on promotion on ad-hoc basis, Shri R. S. Yadav DY, SP (Coy Cmodr./Quarter Master) as Assistant Commandant in the CRP Force in a temporary capacity until further orders.

2. He handed over charge of the post of DY, SP (Coy. Comdr/Quarter Master) 17th Bn CRPF on the afternoon of 17th May, 1975 and took over charge of the post of Assistant Commandant 44th Bn CRP Force on ad hoc basis on the forenoon of 20th May, 1975.

No. P.VII-4/74-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion Subedar Durgadhan as DY, SP (Cov. Comdr/QM) in the CRPF w.e.f. the forenoon of the 31st May, 1975 in a temporary capacity in leave vacancy until further orders.

2. He is posted to 2nd Signal Bn and has taken over charge of his post on the forenoon of the same date.

S. N. MATHUR, Asstt. Dir. (Adm.)

### SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE **ACADEMY**

### Hyderabad, the 12th June 1975

No. 42/1/72-Estt.—Shri A. N. Pande, a permanent Hindi Teacher under the Hindi Teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs is appointed substantively to the post of Hindi instructor (Class II Gazetted) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000— _40-_1200 from 1-4-1975. EB-

S. M. DIAZ, Director.

### MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS BANK NOTE PRESS

Dewas, the 3rd June 1975

F. No. BNP/E/Spl/36.—The Recruitment Rules having been finalised, the officiating appointment of Shri N. C. Sengupta. Permanent Inspector Control, India Security Press as Control Officer in the Bank Note Press, Dewas is continued on regular basis w.c.f. 20-3-75(FN) to 20-1-1976(AN).

D. C. MUKHERJEA, G.M.

### SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad, the 20th June 1975

No. Pd-7 '3639.—Further to this office Notification No. Pd-7/1438 dated 15-5-1975, Shri Joy Peter, Foreman is allowed to continue to officiate as Assistant

Works Manager in the Security Paper Mill, Hoshangabad in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 for a further period from 18-6-1975 to 9-7-1975 vice Shri M. Padmanabhan, Assistant Works Manager on leave.

> S. R. PATHAK .General Manager

### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDIT GENERAL OF INDIA

New Delhi, the 18th June 1975

No. 565/CA.I/18-75—The Additional Deputy Comptroller and Auditor General (C) has been pleased to promote the following Sectional Officers (Coml.) as Audit Officers (Coml.) and appoint them to officiate as Audit Officers (Coml.) and post them as such in the offices noted against each name in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 below, until further orders:-

Name of the Section Officer (Com!.)								Office where working before promotion	Office where posted on promotion as audit Officer (Coml.)	Date of posting as offg. Audit Officer (Coml.)	
1. Shri M. Painkras			-	•					A.G. Kerala	A.G. Kerala	25-3-75 (F.N.)
2. Shri M. L. Panghotra									A.G. Punjab	A.G. Punjab	14-3-75 (F.N.)
3. Shri T. L. Gupta	•	٠	•	•	٠	•		•	MAB & EO DCA., New Delhi	A.G. Bihar-II, Patna	7-4-75 (F.N.)
4. Shri R. Natarajan									A.G. (T.N.) Madras	A.G. Tamil Nadu	17-3-75 (F.N.)
5. Shri B. D. Carg		ē	٠	٠	٠	•	•		A.G.M.P.	MAB & E.O.DCA, (Coal) Calcutta	31-3-75 (F.N.)
6. Shri S. B. S. Agarwal			•	٠		•		•	MAB & E.O. DCA, Calcutta	MAB & E.O. DCA, Calcutta	4-4-75 (A.N.)
7. Shri R. P. Bhatia	٠	•	•	٠	٠	•		•	MAB & E.O.DCA, New Delhi	A.G. Bihar-II, Patna	7-4-75 (F.N.)
8. Shri K. Jagan Mohan	Ach	ary							A.G.A.P.	A.G. Karnataka	31-3-75 (F.N.)
9. Shri G. C. Pandey	•	•	•	٠			٠	•	C.A.C.A., Bhopal under MAB & E.O. DCA., Bombay	MAB & E.O. DCA, Ranchi.	31-3-75 (F.N.)
10. Shri P. Samuel Aral R	<b>L</b> aj								A.G. (Tamil Nadu)	A.G. Tamil Nadu	17-3-75 (F.N.)
11. Shri A. V. L Narayan	a	•			٠	•			A.G.A.P.	MAB & E.O.DCA., Bangalore.	31-3-75 (F.N.)

S. D. BHATTACHARYA Dy. Director (Commercial)

### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, WEST BENGAL

Calcuta-1, the 2nd June 1975

The Accountant General, West Bengal, has been pleased to appoint the following permanent Section Officers, to offiofficiating ciate as Accounts Officers in temporary and capacity with effect from the date/dates on which they actually take over charge hereafter as Accounts Officers in the office of the Accountant General, Central Calcutta until furher orders :-

- 1. Shri Gopal Chandra Das.
- ., Sukhendra Nath Saha. ,, Debabrata Biswas.

Shri Goral Chandra Das on being relieved by the R.A.O., K P. Bankura may report to the Sr. D.A.G. (Admn) of this office for taking over charge as Accounts Officer before proceeding to the control of Sr. D.A.G. (W) for final posting against vacancy in W.A.D.

Shri Sukhendra Nath Saha, on being released from his Shri Sukhendra Nath Saha, on being released from his deputation post of Asstt. Accounts Officer under Govt. of West Bengal, Labour Deptt., E.S.I.(MB) Scheme and Shri Debahra'a Biswas on being released by Sr. D.A.G(RA), office of the Accountant General West Bengal, may report to Dv. Accountant General (Admn), Office of the Accountant General, Central for taking over charge as Accounts Officer against the existing vacancies in his office.

The Accountant General, West Bengal, has also been pleased to grant Shri Debendra Nath Bera, permanent Secrica Officer on deputation to Calcutta Improvement Trust proforms promotion as Accounts Officer in the scale of Rs. 840-1200'- in temporary and officiating capacity with effect from the date on which his immediate Junior Shri Gopal Chandra Dan takes over charge as Accounts Officer in the office of the Accountant General, West Bengal and until further order. All the conditions precedent to the grant of

promotion under the "Next Below Rule" stand fulfilled in this case and the Accountant General is pleased to declare the post held by Shri Bera on deputation to be outside the ordinary line of service under the second proviso to FR 30(1).

3. The inter-se-seniority of the officers will be indicated in due course.

G DAS

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL. UTTAR PRADESH I

Allahabad, the 6th June 1975

No. Admn. I/11-144(XI)/69.—The Accountant General, Uttar Pradesh 1, Allahabad has appointed the following Section Officers to officiate as Accounts Officers in this Office with effect from the dates noted against each till further orders :-

- 1. Shri Radhey Shyam Agrawal, 21-4-75.
  - Jwala Prasad Agrawal 12-5-75. Nathu Ram, 9-5-75. Om Prakash Nagpal, 29-5-75.

- Laipat Rai Gupta, 29-5-75.

U. RAMCHANDRA RAO, Sr. Dy. A.G. (Admn.)

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ASSAM, MEGHALAYA, MIZORAM, ARUNACHAL PRADESH

Shillong-1, the 19th June 1975

No. Estt.3/GO/PC/1646-47.—Shri Chitta Ranjan Biswas a permanent Section officer of this office who is on deputation as Accounts Officer in the Directorate of Industries. Government of Nagaland, has been given Proforma Officiating promotion as Accounts promotion as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200/in the officer of the Accountant General with effect from 26-12-74 (F.N.),

It is certified that Shri Biswas has fulfilled the necessary conditions for grant of Proforma promotion under the next below rule. It is also certified that but from his deputation he would have continued to officiate as Accounts Officer.

[Authority:— AG's Orders dated 28-5-75 at P/17 in file No. Estt.1/5-53/71-72.]

(Sd) ILLEGIBLE Sr. Dy. A.G.(A)

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT CENERAL MADHYA PRADESH-II

Gwalior, the 3rd June, 1975

No. OE.VI/Gos-RTD/362.—Shri Sadashiv Vittalrao Baxi, Officiating Accounts Officer in the Office of the A.G.M.P. II Gwalior, retired from Govt, service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31-5-75 (AN).

M. M. NARSINGHAM, Dy. A.G. (Admn.)

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL JAMMU AND KASHMIR Srinagar, the 4th June 1975

No. Admn.I/60(74)75-76/818-819.—The Accountant General Jammu and Kashmir, has appointed Shri Durga Nath a permanent Section Officer of this office to officiate as Accounts Officer with effect from the afternoon of 31st May. 1975 until further orders.

P. K. BOSE, Sr. Dy. A.G. (A & E)

## OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, NORTHERN RLY. New Delhi, the June 1975

No. Admn./17-14/72.—Shri Harcharan Singh, Section Officer (Audit) a permanent member of Subordinate Railway Audit Service is appointed to officiate as Audit Officer at Divisional Audit Office, Northern Railway. Bikaner w.e.f. 27-5-75 (F.N.) until further orders.

K. S. RANGAMURTI, Chief Auditor

New Delhi, the June 1975

No. Admn./17-22/73.—The Chief Auditor, Northern Railway is pleased to appoint S/Shri Mulk Raj Dhingra Ajaib Singh Thakur, Sudershan Chandra, Om Parkash Broota and Radhey Shiam Sharma offg. Audit Officer in a substantive capacity in the Audit Officers grade w.e.f. 1-3-1975.

R. K. VARMA, Dy. Chief Auditor

## OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, N.F. RAILWAY Gauhati-11, the 4th June 1975

No. Admn./5-16/58/63/35A.—Shri P. Lahiry, officiating Audit Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200/- is appointed in a substantive capacity in the same scale with effect from 1-3-1975.

A. P. GHOSH, Chief Auditor

## OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, CENTRAL RAILWAY

Bombay, the 1st May 1975

G.O.C. No. 330.—Shri C. J. Bhagtani, a permanent Section Officer (Audit) officiating as Audit Officer in this office is hereby appointed to a permanent post of Audit Officer in substantive capacity with effect from 1-3-74.

P. C. CALLA, Chief Auditor,

## OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT. DEFENCE SERVICES

New Delhi the 23rd June, 1975

No. 1702/A-Admn/130/75.—The Director of Audit, Defence Services, New Delhi is pleased to appoint Shri C.R. Ganguli, Substantive member of the S.A.S. to officiate as Audit Officer in the office of the Director of Audit, Defence Services, New Delhi with effect from 16-6-75 (F.N.) until further orders.

R. BASHYAM, Audit Officer. DS

## REFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 3rd June 1975

No. 40011(2)/74-AN-A.—(1) Having given notice of voluntary retirement from service under the provisions of Article 459 (i) Civil Service Regulations, Volume I, Shri Gurbux Singh Johar, Officiating Accounts Officer (Roster Number O/366), serving in the organisation of the Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun will be transferred to pension establishment with effect from the forenoon of 25th July 1975.

Entries against scrial No. 6 in this department notification No. 40011(2)/74-AN-A dated 25-3-1975 relating to Shri Gurbux Singh Johar are cancelled.

(2) The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of Shri B. B. Ganguly, Permanent Accounts Officer (Roster Number P/574) in the organisation of the Controller of Defence Accounts, Patna on 6-4-1975.

Shri B. B. Ganguly is accordingly struck off the strength of the department from the forenoon of 7-4-1975.

S. K. SUNDARAM
Addl. Controller General of Defence Accounts
(AN)

# MINISTRY OF DEFENCE INDIAN ORDNANCE FACTORIES DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-700069, the 29th May 1975

No. 1/75/M.—The President is pleased to grant extension of service for one year with effect from 1-10-74 to Dr. D. P. Roy. Permt. Asstt. Surgeon Grade I, Riffe Factory, Ishapore.

R. M. MUZUMDAR Director General, Ordnance Factories

### **IOFS**

Calcutta, the 13th June 1975

No. 21/G/75.—On attaining the age of superannuation, Shri Jarnail Singh, Offg. Asstt. Manager (Pt. Store-Holder) retired from service with effect from 30th April, 1975 (A/N).

No. 22/75/G.—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. P. Chatterjee, Permt. A. M. (on deputation to Institute of Armaments, Ranchi) with effect from 18th April, 1972.

R. SUNDARAM,
Assistant Director General,
Ordnance Factories

## ADDL. DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

### ORDNANCE EQUIPMENT FACTORIES GROUP

Kanpur-5, the 29th May 1975

Sub:—Cazette Notification—Amendment of—Shri G. C. Dass, Ex. Offg. ADG Gr. I

No. 85/A/G/OEF.—The following amendment is hereby made to this office Gazette Notification No. 1/75/OEF dt, 23-5-75 circulated under this office letter No. 85/A/G/OEF dt, 23-5-75 is as under:—

Line 2:

For ; 'Oflg. ADGOF Gr. II' Read ; 'Oflg. ADGOF Gr. I'

-18—156GI/75

3

Union

Territory of Goa,

Daman

and Diu

### Kanpur-5, the 3rd June 1975

Sub: Gazette Notification—Amendment of Shri G. D. Suri, Offg. Dy. Manager

No. 63/A/G/OEF.—The following amendment is hereby made to this office Gazette Notification No. 2/75/OEF dated 23-5-75 circulated under this office letter No. 63/A/G/OEF, dated 23-5-75 is as under:—

Line 2:

For: "......30th Dec. 1974 (AN)"
Read: "......31st Dec. 1974 (AN)"

S. K. DUTT Asstt. Dir. Gnl. Ordnance Factories

### MINISTRY OF COMMERCE

## OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

New Delhi, the 30th May 1975

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL
(ESTABLISHMENT)

No. 6/276/54-Admn(G)/3541—Shri K. S. Nagarkatti, Dy. Chief Controller of Imports & Exports, Panjim (Goa) has been granted earned leave for 88 days wef 5-5-75, preparatory to retirement with permission to prefix to his leave the 4th May 1975 being a closed holiday.

2. Shri Nagarkatti is due to retire from Government service on 31-7-1975 (AN).

### The June 1975

No. 6/898/70.Admn.(G)/3934.—On attaining the age of superannuation, Shri J. M. Sinha relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st May, 1975.

### The 19th June 1975

No. 6/895/70-Admn(G)/3892.—On attaining the age of superannuation, Shri A. M. Srinivasan an officer permanent in the Selection Grade of the CSSS relinquished charge of the post of Private Secretary to the Chief Controller of Imports & Exports, in this office on the afternoon of the 31st May, 1975.

B. D. KUMAR Chief Controller of Imports & Exports

### New Delhi, the 2nd June 1975

No. 6/1060/74-Admn(G)/3551.—The Chief Controller of Imports & Exports hereby appoints Shri M. R. Ratti, Inspector in the Central Excise Collectorate, Delhi as Controller of Imports & Exports Class II (Non-CSS) in the office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay in an officiating capacity with effect from 9-5-75 (forenoon), until further orders,

2. Shri M. R. Ratti will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.

### The 3rd June 1975

No. 6/1035/74-Admn(G)/3577.—The Chief Controller of Imports & Exports hereby appoints Shri R. P. Dhanudiyal, Assistant Marketing Officer, Ministry of Agriculture and Irrigation, Directorate of Marketing and Inspection Guntur, as Controller of Imports & Exports Class II (Non-CSS) in the Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports, Panjim, Goa in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5-5-75 until further orders.

2. Shri R. P. Dhanudiyal will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

A. T. MUKHERJEE Dy. Chief Controller of Imports & Exports for Chief Controller of Imports & Exports

### OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400020, the 20th May 1975

No. CER/6/75.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, and with the previous sanction of the Central Government, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No TC(4)/58, dated the 7th March 1958, namely:—

In the Table appended to the said Notification in columns 2 and 3 for the existing entries against serial No 20 the following shall be substituted, namely:—

(i) Director of Civil Supplies, Panaji.

- (ii) Dy. Director of Civil Supplies, Panaji.
- (iii) Inspectors of Civil Supplies.
- (iv) Sub-Inspectors of Civil Supplies.
- (v) Asst, Inspectors of Civil Supplies,
- (vi) Civil Administrator, Diu.
- (vii) Block Development Officer, Daman,

The 4th June 1975

No. CER/3/75.—In exercise of the powers conferred on me by Clauso 22 of the Cotton Textiles (Control) Order 1948 1 hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CER/3/69 dated the 19th September, 1969, namely:—

In the said Notification,-

For Clause (2) of paragraph III, the following clause shall be substituted, namely:---

"(2) The words "BLENDED FABRIC" on cloth manufactured partly from cotton and partly from art silk or partly from cotton and partly from wool and containing more than 40% but less than 75% of cotton by weight.

Provided that the manufacturer shall stamp the name of the variety by which the cloth is commonly known and also the exact percentage of the different types of yarn used in the fabric before the words "BLENDED FABRIC" as illustrated below:—

'Dhoti-60% cotton 40% art silk (Polyester)-BLENDED FABRIC'

Note.—The example given above is only for the purpose of illustration. Manufacturers shall stamp the actual percentage of cotton content or the art silk or wool content as the case may be in the blended fabric while stamping, expressed as percentage to the total yarn content of both warp and weft yarn put together. In the case where art silk yarn is used as one of the component in the blended fabric, its generic name shall be stamped in brackets immediately after the words "art silk" as indicated in the illustration above."

G. S. BHARGAVA
Joint Textile Commissioner.

### Bombay-20, the 23rd June 1975

No. EST-I-2(415),—Shri N. C. Bandopadhyaya, Deputy Director (P & D) in the Regional Office of the Textile Commissioner, Kanpur, retired from Service w.e.f. 30-4-1975 (afternoon) on attaining the age of superannuation

R. P. KAPOOR Textile Commissioner

### OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

### Calcutta, the 21st May 1975

No. Jute(A)/490/65.—The Jute Commissioner hereby releases Shri S. Banerjee, Officiating Cost Accountant (Class II Gazetted) in this office with effect from the afternoon of the 24th June, 1975 to take charge of the post of Assistant Cost Accounts Officer in the India Government Mint, Bombay.

This is in supersession of this office Notification of even number dated 7-5-75.

N. K. ROY Administrative Officer for Jute Commissioner

# MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

### (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 3rd June 1975

No. 12/632/69-Admn (G).—On return from deputation under ITEC Programme to Government of Mauritius, Shri O. C. Richards assumed charge of the post of Assistant Director (Grade II) (Civil Engineering) in the office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi on the forenoon of 12th May, 1975.

### The 24th June 1975

No. A 19018/178/75-Admn(G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries, is pleased to appoint Shri Shiv Dayal, Superintendent, Small Industries Service Institute, Jaipur, to officiate as Assistant Director (Grade II) in the same Institute on ad loc basis with effect from 5th May, 1975 upto 21-6-1975, vice Shri P. K. Guha, granted leave.

K. V. NARAYANAN Director (Admn.)

### New Delhi, the 5th June 1975

No. 12/678/71-A(G)—On reversion, Shri Gulfam Das Sahney has relinquished charge of the post of Assistant Director (Gr. II) Small Industries Service Institute, New Delhi on the forenoon of 1st February 1975.

No. 12/700/71-Admn(G).—The Development Commissioner Small Scale Industries, New Delhi is pleased to appoint Shri K. A. Chandran, permanent Superintendent, Small Industries Service Institute, Trichur to officiate as Assistant Director (Gr. II) in Small Industries Service Institute, Trichur. He assumed charge as Assistant Director (Gr. II) at Small Industries Service Institute, Trichur on the forenoon of 10th April, 1975.

K. V. NARAYANAN for Director (Admn.)

#### DEPARTMENT OF EXPLOSIVES

### Nagpur the 5th June 1975

No. A-12011/2/74-Exp.—Shri K. S. Marwaha relinquished charge of the post of Administrative Officer, in the Department of Explosives, Nagpur, on 30-4-75 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

2. Shri B. B. Das Sarma, Offg. Superintendent in the Department, is promoted to officiate, on ad-hoc basis, as Administrative Officer, w.e.f. 28-5-75 (F.N.) vice Shri K. S. Marwaha retired.

I. N. MURTY Chief Controller of Explosives

### DEPARTMENT OF SUPPLY

### DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

### New Delhi-1, the 20th May 1975

No. A-1/1/(1024).—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri J. K. S. Payal, Junior Field Officer in the office of Director of Supplies & Disposals, Kanpur to officiate on ad-hoc basis as Assistant Director of Supplies (Grade II) in the same office at Kanpur with effect from the forenoon of 29th March, 1975 and until further orders.

The appointment of Shri J. K. S. Payal as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and subject to the results of Civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppuswamy in the High Court of Delhi.

### The 13th June 1975

No. A-1/1(952).—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints Shri B. Padman, Head Clerk in the office of the Director of Inspection, Bombay to officiate on local ad-hoc basis as Assistant Director (Administration) (Gr. II) in the office of the Director of Supplies & Disposals, Bombay with effect from the forenoon of 21st May, 1975 vice Shri C. L. Chawla, Assistant Director (Administration) (Grade I) proceeded on leave and until further orders.

### The 21st June 1975

No. A-1/1(843).—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri S. K. Garg. Assistant Director (Grade 1) (Grade III of the Indian Supply Service) in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi with effect from the 1st April, 1975 (forenoon).

K. L. KOHLI, Dy. Director (Admn.)

### New Delhi-1, the 28th May 1975

No.  $\Lambda$ -1/1(853).—On his selection for appointment to the post of Deputy Director, Labour Bureau, Simla, Shri T. Singh, Grade IV-Officer of the Indian Statistical Service relinquished charge of the post of Assistant Director (Statistics) (Grade I) in the DGS&D, New Delhi on the afternoon of the 30th April, 1975.

### The 29th May 1975

No. A-1/1(1025).—The Director General, Supplies & Diaposals hereby appoints Shri Raj Pal Chopra, Junior Field Officer in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi to officiate on ad-hoc basis as Assistant Director of Supplies (Grade II) in the same Directorate General at New Delhi with effect from the forenoon of 15th May, 1975 and until further orders.

The appointment of Shri Chopra as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and subject to the result of Civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppuswamy in the High Court of Delhi.

### The 20th June 1975

No. A-1/1(920).—On his selection for appointment to the Indian Forest Service, Shri Radha Charan relinquished charge of the post of Assistant Director (Grade I) (Grade III of the Indian Supply Service) in the DGS&D, New Delhi on the afternoon of the 3rd March, 1975.

### The 23rd May 1975

No. A-6/247(242)/59.—Shri K. K. Das, a permanent Assistant Director of Inspection (Engg.) and officiating Director of Inspection in Grade I of the Indian Inspection Service Class I in the Calcutta Inspection Circle, under the Directorate General of Supplies & Disposals retired from Govt. service on the afternoon of 30-4-75 on attaining the age of superannuation.

No. A-6/247(454)/63.—The President has been pleased to appoint Shri G. B. Pramanick, Assistant Inspecting Officer (Tex.) to officiate in the Textile Branch of Grade III of the indian Inspection Service, Class 1, from 22-4-75, until further orders.

Shri Pramanick, relinquished charge of the post of Assistant Inspecting Officer (Textile) in the Madras Inspection Circle on the afternoon of 11-4-75 and assumed charge of the post of Inspecting Officer (Textile) in the Bombay Inspection Circle, Bombay on the forenoon of the 22-4-75.

No. A-17011(4)/71A.6.—Consequent on the acceptance of his resignation from service, Shrl Surjit Lal relinquished charge of the post of Assistant Director of Inspection (Met.) in Grade III of Indian Inspection Service Class 1 (Met. Branch) in the Jamshedpur Inspection Circle of this Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi w.e.f. the afternoon of the 28th May, 1975.

### The 31st May 1975

No. A-6/76(4)/58/XV—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Inspection Wing of the Directorate General of Supplies & Disposals substantively in the permanent posts of Director of Inspection with effect from the date indicated against the name of each officer:—

S. No.	Name Post held		Post in which con- firmed	Date of confirmation	Remarks					
1. Shri S. N. Vohra			•			Officiating Director of Inspection	Director of Inspec- tion Grade-1 of the Indian Inspection Service Class-1	4~5-1972	Vice Shri P. G.V. Rao, retired from service w.e.f. 3-5-72	
2. Shri P. F	Chakravarty.	•	•	•	•	Officiating Director of Inspection (Retired)	Do.	27-8-1972	(A.N.).  Vice Shri Harnam  Singh expired on 26-8-72.	

K. L. KOHLI
Deputy Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

### MINISTRY OF STEEL AND MINES

## (DEPARTMENT OF MINES) INDIAN BUREAU OF MINES

### Nagpur, the 24th May 1975

No. 19012(67)/74-Estt.A.—In continuation of the notification No. A19012(67)/74-Estt.A dated the 22nd November, 1974, Shri Prens Srivastava, Quasi Permanent Senior Technical Assistant (Geology) is promoted to officiate as Assistant Mining Geologist, in this Department on a regular basis with effect from the forenoon of 31-3-75 until further orders.

> D. N. BHARGAVA Controller

### Nagpur, the 3rd June 1975

No. A-19012(43)/71-Eatt.A.—Shri D. N. Ghare, officiating Deputy Librarian is appointed to officiate as Librarian in the Indian Bureau of Mines on ad-hoc basis with effect from the foregon of 1st May, 1975, until further orders.

### The 17th June 1975

No. A-19011 (66) / 70-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri P. V. Babu, Assistant Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines to officiate as Deputy Ore Dressing Officer in the Indian Bureau of Mines on ad-hoc basis for 6 months or till a nomine of the Departmental Promotion Committee joins the post whichever is earlier with effect from the foremon of 24th May, 1975.

No. A-19012(71)/75-Estt.A.—Shri H. S. Krishnaswamy, Permanent Senior Technical Assistant (Mining) is appointed to the post of Assistant Mining Engineer in the Indian Bureau of Mines on ad-koc basis with effect from the forenoon of 29-5-75 until further orders.

### The 18th June 1975

No. A-19012(69)/75-Estt.A.—Shri P. Sreenivasulu, permanent Senior Technical Assistant (Mining) is appointed to the post of Assistant Mining Engineer in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 31-5-75 until further orders.

### The 19th June 1975

No. A-19011(33)/75-Estt.A.—On his deputation to the Mica Trading Corporation of India Ltd., as Chief Manager, Shri R. K. Sinha, Permanent Deputy Mineral Economist and officiating Mineral Economist of this department has relinquished the charge of the post of Mineral Economist with effect from the afternoon of 19th June, 1975.

A. K. RAGHAVACHARY-Sr. Administrative Officer for Controller

### GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

### Calcutta-13, the 23rd May 1975

No. 4075/B/2222(PK)/19A.—Shri P. Kumaraguru is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 4-4-1975, until further orders.

No. 4078/B/2222(KS)/19A.—Shri Kumud Sharma is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of the J1-3-1975, until further orders.

### The 30th May 1975

No. 4191/B/2586(BPGR)/19A.—Shri B. P. Guha Roy. Administrative Officer, Ceological Survey of India died on the 18th April, 1975.

### The 12th June 1975

No. 4359/B/2222(SCM)/19A.—Shri Suresh Chandra Mehrotra is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 26-2-1975, until further orders.

C. KARUNAKARAN Director General

## ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA INDIAN MUSEUM

Calcutta-13, the 17th May 1975

No. 4-107/75/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Sujit Som to a post of Assistant Keeper at Andaman & Nicobar Station of this Survey, Port Blair, on a temporary basis, with effect from the forenoon of 8th May, 1975, until further orders.

C. T. THOMAS Senior Administrative Officer

### SURVEY OF INDIA

Dehra Dun, the 2nd June 1975

No. C-4966/718-A.—Shri H. D. Chakraborty. Officiating Office Superintendent, Survey Training Institute (CST&MP), Survey of India, Survey Training Institute of pay of Rs. 700-30-760-35-900 is appointed to officiate in the post of Establishment & Accounts Officer (GCS Class II), in the same Institute, on ad-hoc basis on pay of Rs. 840/- p.m. in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 25th April, 1975 (F.N.) until further orders.

No. C-4967/718-A.—The undermentioned officiating Superintendents, Surveyor General's Office, are appointed to officiate in the post of Establishment & Accounts Officer (G.C.S. Class-II) on *ud-hoc* basis in the Survey of India on pay of Rs. 840/- p.m. in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from the dates as stated against each until further orders:—

Name	With effect from	Office to which posted		
1. Shri Jagat Singh	26-4-75 (F.N.)	North Eastern Circle, Shillong.		
2. Shri B. N. Naithani .	29-4-75 (F.N.)	Eastern Circle, Calcutta.		

HARI NARAIN
Surveyor General of India
(Appointing Authority)

### MINISTRY of INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 3rd June 1975

No. A.12026/7/73-Admn.I.—The Director Publications Division is pleased to appoint Shri C. B. Gupta, a temporary Business Executive to officiate as Assistant Business Manager in this Division on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 15th May, 1975 vice Shri Nagendra Mishra appointed as Business Manager.

M. L. TANDON
Deputy Director (Admn.)
for Director

### FILMS DIVISION

Bombay-26, the 20th June 1975

No. A-19012/5/74-Est.1.—The Chief Producer, Films Division, has appointed Shri A. K. Narang to officiate as Branch Manager in Distribution Wing, Films Division, Bombay with effect from the 17th June, 1975 (FN), until further orders vice Shri V. V. Joglekar, Offg. Branch Manager, transferred to Hyderabad.

M. K. JAIN
Assistant Administrative Officer
for Chief Producer.

### DIRECTORATE GENERAL. ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 5th June 1975

No. 4(22)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Dewan Virander Mohan Oswal as Programme Executive, TV Centre, All India Radio, Srinagar, in a temporary capacity with effect from the 14th May. 1975 and until further orders.

No. 4(51)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Deba Kumar Nath as Programme Executive, All India Radio, Gauhati in a temporary capacity with effect from the 9th May, 1975 and until further orders.

No. 4(52)/75-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Avinash Sarmandal as Programme Executive, All India Radio, Rampur in a temporary capacity with effect from the 12th May, 1975 and until further orders.

No. 11/7/68-SI.—Consequent on his deputation as on foreign service with the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Indian Space Research Organisation for a period of two years, Shri J. K. Doshi, Audience Research Officer, All India Radio, Jaipur relinquished charge of his post on the afternoon of the 2nd April, 1975.

### The 16th June 1975

No. 5(23)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri A. K. Basu Mallik, Transmission Executive, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Calcutta as Programme Executive, All India Radio, Jullundur, in a temporary capacity with effect from the 3rd May, 1975 and until further orders.

### The 18th June 1975

No. 4(118)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. M. Shamim Ahmad as Programme Executive, All India Radio, Patna in a temporary capacity with effect from the 29th May. 1975 and until further orders.

No. 5(101) /67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri V. H. Bhamare, Transmission Executive, All India Radio, Ahmedabad as Programme Executive, All India Radio, Sangli in a temporary capacity with effect from the 28th May, 1975 and until further orders.

No. 5(121)/60-SI.—Shri T. H. Rao, Programme Executive, All India Radio, Madras expired on the 2nd June, 1975.

No. 4(33)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Smt. Santosh Rajnish as Programme Executive, All India Radio, Jaipur in a temporary capacity with effect from the 20th May 1975 and until further orders.

No. 4(83)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Smt. Maya Israni as Programme Executive, All India Radio, Jaipur in a temporary capacity with effect from the 17th May, 1975 and until further orders.

No. 4(93)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri P. T. Marwein as Programme Executive, All India Radio, Shillong in a temporary capacity with effect from the 27th May 1975 and until further orders.

SHANTI LAL
Dy. Director of Administration
for Director General

### New Delhi, the 6th June 1975

No. 2(4)/74-SIII.—The Director General, All India Radio hereby appoints the following Senior Engineering Assistants to officiate in the grade of Assistant Engineers with effect from the dates mentioned against each at the Stations/offices of All India Radio is shown against their names, until further orders:—

SI. No	Name	Place of posting	Date of Appoint- ment		
1	2	3	4		
1.	Shri N. C. Jain, HPT, AIR Khampur, Delhi	AIR, Shillong	1-4-75		
1	Shri Tarlochan Singh, Ku- mar HPT, AIR, Kings- way, Delhi.	AIR, New Delhi	2-4-75		
	Shri V. B. Mathur, Office of RE(N), AIR, New Delhi	HPT, Khampur	7-4-75		
	Shri M. Selvaraj, CBS, AIR, Trivandrum.	AIR, Agartala	11-4-75		
	Shri K. M. George Kutty AIR, Trivendram	AIR, Silchar	29-4-75		

P. K. SINHA Dy. Director of Admn. for Director General.

New Delhi-1, the 3rd June 1975

No. 3(105)/60-SII.—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri G. K. Mohanty, Accountant-cum-Headclerk, Commercial B' casting Service, All India Radio, Cuttack to officiate as Administrative Officer, All India Radio, Imphal on ad-hoc basis with effect from 20-5-75 (A.N.) vice Shri R. Loganandan, Administrative Officer granted leave.

I. S. PANDHI Section Officer for Director General

### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 11th June 1975

No. 11-3/74-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri H. S. Dhakalia, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the C.S.S. to officiate in Grade I of the C.S.S. for a period of forty six days with effect from the forenoon of 2nd June, 1975 to 17th July, 1975, vice Shri K. Vanugopal proceeded on leave.

2. The President is also pleased to appoint Shri H. S. Dhakalia as Deputy Director (Administration) in this Directorate for the above period,

### The 24th June 1975

No. 13-1/75-Admn.I.—The Directorate General of Health Services is pleased to appoint the following to the post of Dental Surgeon at the Safdarjang Hospital, New Delhi with effect from the dates mentioned against each, on ad-hoc basis and until further orders:—

- (1) Dr. Shyam Lal-28-5-75 (F.N.).
- (2) Dr. (Mrs.) Rama Bhatia-26-5-75 (F.N.).

S. P. JINDAL, Dy. Director Admn. (O&M)

### New Delhi, the 24th May 1975

No. 48-19/73-CHS.I.—Consequent on assumption of charge of the Post of Junior Medical Officer (Radiology) in the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry by a U.P.S.C. nominee, Dr. V. K. Hari, an ad-hoc appointee to the post is relieved of his duties on the afternoon of 28th February, 1975.

No. 48-42/73-CHS.I.—Consequent on assumption of charge of the post of Junior Medical Officer (Paediatrics) in the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry by a nominee of the U.P.S.C., Dr. M.B. Raghu an ad-hoc appointee to the post, is relieved of his duties on the afternoon of the 17th February, 1975.

R. N. TEWARI, Dy. Director Admn. (CHS).

### DELHI MILK SCHEME

New Delhi-8, the 22nd May 1975

No. 2-20/59-Estt.I.(Spl).—Chairman, Delhi Milk Scheme is pleased to appoint Shri D. C. Bidani, Assistant Administrative Officer to officiate as Administrative Officer (Class II Gazetted) in the pay scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 on a purely temporary and ad-hoc basis with effect from the afternoon of 30th April, 1975 for a period not exceeding six months.

D. B. ALLAWADI, Personnel Officer

### INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Madras-600001, the 18th June 1975

No. AST/AO/VI/88,—The General Manager, Madras Telephones is pleased to appoint the under mentioned Senior Accountants to officiate as Account Officers in local arrangement in

Madras Telephone District for the periods indicated against each :—

Sl. Name of the Senior Ac No. promoted to Account Grade in local arran	Of:	lice	rs	From	То
1. Sri A. Grumurthy				19-8-74 F/N 3	1-3-75 A/N
<ol><li>Sri R. Rajagopalan</li></ol>				19-8-74 F/N 9	9-1-75 F/N
<ol><li>Sri R. Rajagopalan</li></ol>				18-1-75 A/N 2	8-1-75 F/N
4. Sri R. Rajagopalan			-	23-4-75 F/N 1	1-6-75 F/N
5. Sri M, Balasubramaniam				30-4-75A/N-	_

No. AST/AE-5/X/104.—The following Engineering Supervisors who are promoted to Telegraphs Engineering Service Class-II in local arrangement stand reverted to their parent cadre with effect from the dates mentioned against each:—

Sl. No.	(officiating as Asst	Name of Engineering Supervisor (officiating as Asstt. Engineer in local arragement)									
J, Sr.	i J. Santhanam .				14-11-74 F/N.						
2. Sr	i K. V. Kunhiraman				30-11-74 A/N.						

No. AST/AE-5/X/105.—The General Manager, Madras Telephone is pleased to appoint the undermentioned Engineering Supervisors to officiate as Assistant Engineers in local arrangement in Madras Telephone District for the periods indicated against each :—

SI. Name No.							 	Present cadre	From	То
1. Shri K. V. Krishnamurthy				,			 	SGES.	6-1-75 F/N	24-2-75 F/N
2. Shri K. V. Krishnamurthy								**	26-2-75 F/N	16-4-75 F/N
3. Shri P. V. Seetharaman								**	3-3-75 F/N	9-5-75 A/N
4. Shri B. Rajagopal Naidu								**	22-3-75 F/N	10-5-75 A/N
5. Shri N, Subbaraman	,		,				-	*1	1-4-75 F/N	
6. Shri T, R. Ramanujam		,			,			**	7-4-75 F/N	24-5-75 A/N
7. Shri K. V. Krishnamurthy				-	,	,		**	21-4-75 F/N	19-5-75 A/N
8. Shri D. J. E. Paul ,								**	5-5-75 F/N	
9. Shri P. V. Varadarajan								**	15-5-75 F/N	
10. Shri B. Rajagopal Naidu								**	12-5-75 F/N	
11. Shri P. V. Seethat aman								2 *	12-5-75 F/N	
12. Shri C. V. Natarajan								**	12-5-75 F/N	
13. Shri T. S. Naganuthan								**	12-5-75 F/N	

K. V. DURGADAS Asstt. General Manager (Admn.)

## MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

### DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION Faridabad, the 21st May 1975

No. F,4-13(9)/74-A.I.-Consequent on the selection of Shri I. A. Siddiqi, Junior Scientific Officer of this Directorate as Deputy Director in the Department of Food through Union Public Service Commission, he has been relieved of his duties with effect from 11th April 75 (A.N.). He will be deemed to have resigned from his post in this Directorate with effect from 14-4-75 (A.N.) on expiry of leave for three days from 12-4-75 to 14-4-75.

### N. K. MURALIDHARA RAO,

Agrl. Marketing Adviser to the Govt. of India.

## (DEPARTMENT OF AGRICULTURE) DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi-1, the 30th May 1975

No. F.5(2)/71-Estt.(I).—Shri P. C. Chaudhary, Assistant Exhibition Officer (Grade II), is promoted to officiate as Assistant Exhibition Officer (Grade I), Class II (Gazetted) (Non-Ministerial), in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000

—EB—40—1200, in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), on ad-hoc basis, with effect from the 2nd June, 1975 upto 5th July, 1975, vice Shri S. K. S. Dhariwal, Assistant Exhibition Officer (Grade I) proceeding on leave.

### The 13th June 1975

No. F.2(7)/70-Estt.(1).—Shri H. S. Gautam will continue to officiate as Superintendent (Gr I), Class II (Gazetted) (Ministerial), in the pay scale of Rs. 700—30—760—35—900, in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), on ad-hoc basis, beyond the 31st May, 1975 until further orders.

P. K. MUKHERJI, Dir. of Admn.

### (DEPARTMENT OF FOOD)

### NATIONAL SUGAR INSTITUTE Kanpur, the 2nd January 1975

No. Estt.19(6)/11265.—Shri Usman Ahmed, Senior Technical Assistant at National Sugar Institute is appointed to officiate as Junior Technical Officer (Sugar Technology) on Ad-hoc basis with effect from the forenoon of 1-1-1975 till further orders,

N. A. RAMAIAH, Director,

## BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE (PERSONNEL DIVISION)

Bombay-400085, the 9th June 1975

No. PA/81(26)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Srcenivas Balwantrao Nadgir, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(26)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Dayaram Kanwarmal Hardasani, a permanent Chargehand and officiating Foreman in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

### The 10th June 1975

No. PA/81(56)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Avinash Keshav Khare a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(60)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Chidambaram Subramanian, a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forencon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(31)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Sampila Vittal Shetty a temporary Foreman in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

No. PA/81(60)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Mansukh Dharshi Vora, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

P. UNNIKRISHNAN, Dy. Establishment Officer (R)

### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay-400039, the 26th May 1975

No. 6(450) /70-Adm.—The services of Shri A. Rangachari, on deputation to this Department as Director, have been replaced at the disposal of the Indian Audit and Accounts Department with effect from the forenoon of May 22, 1975.

S. K. CHOUDHARY, Under Secv.

### POWER, PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-400005, the 23rd May 1975

No. PPED/3(236)/75-Adm.5339.—Director, Power Project Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri S. M. Lamba, a temporary Scientific Assistant 'B' in this Division as Scientific Officer/Engineer Grade SB, in the same Division, in a temporary capacity, with effect

from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

M. S. RAO, Admn. Officer for Director

### Bombay-5, the 26th May 1975

No. NAPP/2(11)/75-Adm.—On his transfer from Civil Engineering Division Hyderabad Unit, Hyderabad BARC to Narora Atomic Power Project, Shri G. Rajkumar, a temporary Scientific Officer/Engineer-Grade SB (Civil) relinquished charge of his post in Civil Engneering Division, Hyderabad Unit, Hyderabad on the afternoon of 31-12-1974 and assumed charge of the same grade in NAPP on the forenoon of January 8, 1975.

2. Shri G. Rajkumar shall continue to hold of his post in grade SB in NAPP until further orders.

R. J. BHATIA, General Admn. Officer

### DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES MADRAS REGIONAL PURCHASE UNIT Madras-600006, the 13th May 1975

No. MRPU/200(9)/75-Adm.—The Director, Purchase and Stores is pleased to appoint Shri N. Rajagopalan, an officiating Purchase Assistant in Directorate of Purchase and Stores as Assistant Purchase Officer in Madras Regional Purchase Unit of Directorate of Purchase and Stores in an officiating capacity with effect from the forenoon of May 7, 1975 till June 21, 1975.

S. RANGACHARY, Purchase Officer

### RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

Anushakti, the 19th June 1975

No. RAPP/00101/75-Adm/R/S/678.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri S. C. Chitale a Quasi-Permanent, Scientific Assistant(C) to officiate as Scientific Officer/Engineer Grade SB in a temporary capacity, in the same Project with effect from May 1st, 1975, until further orders,

GOPAL SINGH, Admn. Officer(E)

## OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 28th May, 1975

No. A-32012/3/71-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Supeintendents (nongazetted) as Assistant Estate Manager (Gazetted Class-II) with effect from the date and at the station shown against each on ad-hoc basis & until further orders. Their services have been placed at the disposal of the International Airport Authority of India at the same Airport from the Afternoon of the same dates:—

S. Name No.		Stat	ion of posting	Date of assump- tion of charge as Assistant Estate Manager	
1. Shri Gian Chan	d .		Aerodrome Office,	1-4-72	
a ai : 17 A			Palam.	(F.N.)	
2. Shri, K. C. Jou	nar ,	•	Aerodrome Office,	3-6-72	
			Madras	(F.N.)	
3. Shri R. Mitra .	-		Aerodrome Office,	20-7-72	
			Calcutta	(F.N.)	

(This is in supersession of the notification No." A.32012/3/71-ES dated 11-8-72

H. L. KOHLI, Dy. Director of Admn.

#### New Delhi, the 21st May 1975

No. A.38013/1/75-EC.—Shri S. V. Raghavan, Communication Officer in the office of the Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Madras Airport, Madras relinquished charge of his office on the 31st January, 1975 (A.N.) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

No. A.32013/1/74-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri P. C. K. Nair, Communication Assistant to officiate as Assistant Communication Officer at the Aeronautical Communication Station, Safdarjung Airport, New Delhi with effect from the 7th May, 1975 (F.N.) on a purely ad-hoc basis vic. Shri H. S. Bhardwaj, Assistant Communication Officer, Aeronautical Communication Station. Safdarjung Airport, New Delhi granted carned leave.

#### The 1st June 1975

No. A.38012/1/75-FC.—Shri M. Subramanian, Communication Officer in the office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport relinquished charge of his office on the 31st May, 1975 (A.N.) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

#### The 13th June 1975

No. A.32014/3/75-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri T. V. Gopalakrishnan, Technical Assistant to officiate as Assistant Technical Officer at Aeronautical Communication Station, Calcutta with effect from the 21st May, 1975 (Fore-noon) on a purely ad-hoc basis vide Shri M. S. Adaikalam, Assistant Technical Officer, Aeronautical Communication Station, Calcutta granted leave.

Dy. Director (Admn.)

for Director General of Civil Aviation

#### New Delhi, the 22nd May 1975

No. A31013/2/73-EA.—The President is pleased to appoint Shri Harbans Singh in a substantive capacity in the grade of Assistant Electrical & Mechanical Officer in the Civil Aviation Department with effect from the 15th May, 1974.

M. L. HANDA, Asstt. Director of Administration

## MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 4th June 1975

No. E(1)03882.—Shri N. M. Masand, Officiating Assistant Meteorologist, Headquarters Office of the Director General of Observatories, New Delhi expired on 3-4-1975.

NOOTAN DAS,

Meteorologist

for Director General of Observatories

#### OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 17th June 1975

No. 1/330/75-EST.—Shri D. S. Pendse Permanent Assistant Supervisor, Headquarters Office, Bombay, is appointed as Supervisor in an officiating capacity in the Bombay Branch with effect from the forenoon of the 21st May, 1975 and until further orders.

P. G. DAMLE, Director General,

#### COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 3rd June 1975

#### (ESTABLISHMENT)

No. 61.—Shri K. S. Tyagi, Office Superintendent of this Collectorate appointed to officiate as Administrative Officer, Central Excise & Customs in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, took over charge of the office of Administrative Officer, Palam Airport, New Delhin the forenoon of 26-5-75 from Shri S. P. Kashyap, Administrative officer shifted.

#### The 20th June 1975

No. 73.—Shri Nand Gopal Bhatia, Inspector (SG), Central Excise Collectorate, Delhi appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class-II in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, took over charge of the office of Superintendent, Central Excise, MOD-II(I.G.I), New Delhi in the forenoon of 24-5-1975 from Shri G. D. Malhotra, Superintendent, shifted,

No. 74.—Shri Y. L. Malik, Inspector (SG), Central Excise Collectorate, Delhi appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class-II in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, took over the charge of the office of Superintendent, Air Cargo Unit, Palam in the forenoon of 27-5-75 from Shri P. P. Proothi, Superintendent shifted.

M. S. MEHTA, Collector.

#### Bangalore, the 22nd May 1975

No. 7/75.—The following permanent Inspectors of Central Excise (S.G.) have been promoted to officiate as Superintendents of Central Excise, Class-II in the time scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, and posted to the formations noted against their names.

Name of the Officer	Formation to which posted	Date of Joining.
- ,		
1. Shri B. T. Patil	M.O.R. Hukkeri Hubli Division	28-4-75
2. Shri D. G. Kulkarni	Central Excise Divisional Office Mangalore.	28-4-75
3. Shri I. M. Malgi	Preventive Hassan Mangalore Central Excise Division	1-5-75

E. R. SRIKANTIA Collector

#### Patna, the 21st June 1975

C. No. II(7)5-ET/75/6447.—In pursuance of Govt. of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue and Insurance) New Delhi's order No. 54/75 vide F. No. A 22012/5/75-Ad.II (Vol-II) dated 9-4-75, Shri C. D. Sah, lately posted as Superintendent Class-I, Customs City Preventive, Muzaffarpur has assumed charge as Assistant Collector Central Excise, Hqrs. Office Patna in the fore-noon of 17-5-75.

H. N. SAHU, Collector of Central Excise.

### (CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT) Guntur-4, the 23rd April 1975

No. 2.—Shri V. Kamaraju, Permanent Superintendent of Central Excise, Class II, Andhra Paper Mills, Rajahmundry of I.D.O. Rajamundry has proceeded on carned leave for 118 days from 5-3-75 to 30-6-75 preparatory to retirement. He is due to attain the age of superannuation on 30-6-75 A.N.

S. K. SRIVASTAVA, Collector.

#### CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS

NON TO STATE OF THE PROPERTY O

#### NARCOTICS DEPARTMENT

Gwalior-6, the 23rd June 1975

S. No. 14.—Shri H. C. Kapoor, Administrative Officer, Narcotics Commissioner's Office, Gwalior is allowed to cross the efficiency bar at the stage of Rs. 810/- in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from 1st June, 1975.

A. SHANKER, Narcotics Commissioner.

#### DEPARTMENT OF SPACE CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560025, the 16th June 1975 CORRIGENDUM

No. 10/7(226)/73-CED(H).—The date of appointment of Shri Y. Rangaiah indicated as "June 29, 1973" in Notification of even number dated July 16, 1973 may be corrected to read as "June 20, 1973 (FN)".

P. J. U. NAMBIAR, Admn. Officer.

## MINISTRY OF WORKS & HOUSING NATIONAL BUILDINGS ORGANISATION

New Delhi, the 11th June 1975

No. A.12034/6/75-Adm.—Shri Jagdish Chandra Pasarlja has been appointed as a purely temporary project officer on ad-hoc basis in the National Buildings Organ sation from the forenoon of 7th June, 1975 until further orders,

RABINDER SINGH, Director.

#### OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF

#### CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 20th June 1975

No. 27-E/B(7)/69-ECI.—Shri Bhagwan Parkash, Executive Engineer previously working in Delhi Development Authority upto 24-5-75 proceeded on L.P.R. with effect from 25-5-75 to 31-5-75 and retired from service on 31-5-75 on attaining the age of superannuation.

P. S. PARWANI, Dv. Director of Administration

#### New Dolhi, the 23rd June 1975

No. 33/9/73-Admr.IV.—The Engineer-in-Chief. C. P.W.D. is pleased to appoint S/Shri A. K. Gupta and R. F. Khobragade as temporary Assistant Architects in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 plus usual allowances, with effect from the dates mentioned against each. The nav of Sh. Khobragade will be fixed in the above scale according to rules and that of Shri Gupta at Rs. 650/- p.m.

2. The Engineer-in-Chief is further pleased to post the above Assistant Architects in the offices noted against each:—

S. No.	Name	Date of apptt.	Office where posted.
1. Shri A.	K. Gupta	7-5-75	Office of the Senior Architect, C.P.W.D. Arunachal Pradesh, Shillong, against an existing vacancy.
2. Shri R	.H. Khobragade	19-5-75	Office of the Chief Engineer (South- Western Zone), C. P.W.D., Hombay, vice Shri S. S. Rao Dy. Architect, gone abroad.

S. S. P. RAU, Dy, Director of Admn.

#### CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 21st May 1975

No. A-12017/1/72-Adm.V.—In continuation of this Commission's Notification No. A-12017/1/72-Adm.V, dated the 6th January, 1975, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri T. P. Yegnan to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Mathematics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the scale of Rs 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, on a purely temporary and ad-hoc basis, for a further period from 1-3-1975 to 31-5-1975 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

#### The 4th June 1975

No. A-32012/4/70-Adm.V.—In continuation of this Commission's Notification No. A-32012/4/70-Adm.V. dated 27-2-75, the Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint the following Research Assistants to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific—Chemistry Group) in the Central Water Commission, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-310-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-, on a purely temporary and ad-hoc basis for a further period upto 3-11-75, or till such time as the posts are filled, on a regular basis, whichever is earlier:—

- 1. Shri R. S. Anand.
- 2. Shri S. S. Sachar.
- 3. Shri K. N. Nair.

#### The 5th June 1975

No. A-32012/5/70-Adm.V(i).—In continuation of this Commission's Notification No. A-32012/5/70-Adm.V(i) dated 27-2-75, the Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint the following Research Assistants to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Physics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—FB—40—1200/-, on a purely temporary and ad-hoc basis, for further periods as indicated against each, or fill such time the post is filled on a regular basis, whichever in earlier:—

- 1. Shri K. S. Das-1-5-75 to 30-6-75.
- 2. Shri K. R. Bhattacharjee-1-5-75 to 30-6-75.

K. P. B MENON. Under Secretary, for Chairman, C. W. Commission

#### New Delhi-22, the 16th June 1975

No. A-19012/540/75-Adm.V.—The Chrirman, Central Water Commission is pleased to appoint Shri M. L. Malla, Senior Professional Assistant to officiate as Extra Assistant Director (Statistics) in the Central Water Commission in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/-, on a purely cd-hoc basis for a period of six months with effect from 2-5-1975 or till the resultant vacancy caused by ad-hoc promotion of Shri R. P. Sawhney to the grade of Assistant Director/Assistant Executive Engineer lasts, whichever is earlier.

Shri M. L. Malla took over charge of the office of Extra Assistant Director (Statistics), Central Water Commission with effect from the above date and time.

V. G. MENON, Under Secretary, for Chairman, C. W. Commission

#### CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 11th June 1975

No. 5/16/74-Adm. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri S. N. Moorching. Senior Research Assistant to the grade of Extra Assistant Director (Scientific) in the scale of pay of Rs. 650-30—740-35—810—EB—35—880—40—1000—FB—40—1200/- in the Central Electricity Authority, Central Power Research Institute, Bangalore w.c.f. the forenoon of 28-5-75.

M. S. PΛΤΗΛΚ, Under Secretary For Chairman

### MINISTRY OF RAILWAYS RESEARCH DESIGNS & STANDARDS ORGANISATION

Lucknow-11, the 18th June 1975

No. EII/ES/CFM/O.—SHRI BAJRANG SINGH is confirmed as Section Officer (Hindi) with effect from 13th March, 1975 in the Research, Designs and Standards Organisation

T. V. JOSEPH, Director General

#### EASTERN RAILWAY

Calcutta, the 13th June 1975

No. AC/190/A/C/II.—Shri S. K. Chatterjee, retired Officiating Chief Cashier, Eastern Railway, Calcutta has been confirmed in his appointment as Chief Cashier, in the Senior Scale with effect from 13th March, 1967.

V. P. SAWHANEY, General Manager

#### NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

Pandu, the 13th June 1975

No. E/55/III/97(O),—The following officers who were appointed as Probationers in the Indian Railways Accounts Service are confirmed as Junior Accounts Officer from the date shown against each:

- Sl. No., Name and Date from which confirmed,
  - 1. Shri S. Balachandra—13-7-73.
  - 2. Shri R. Shivadasan-2-2-74.

M. R. REDDY, General Manager

#### SOUTH CENTRAL RAILWAY

Secunderabad, the 17th June 1975

No. P. 185/GAZ/Mech.—Shri R. Asoka, an officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineer (on probation) is confirmed in Class I/Junior Scale of that service on this Railway with effect from 16-7-1974.

K. S. RAJAN, General Manager

#### OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. B. P. Engineering Works Private Limited

Hombay-2, the 21st June 1975

No. 15642/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the M/s. B. P. Engineering Works Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Computer Ald Systems Limited

Eombay-2, the 21st June 1975

No. 15780/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the M/s. Computer Aid Systems Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Housing & Estate Builders Corporation (Bombay)
Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 9450/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s, Housing & Estate Builders Corporation (Bombay) Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s, Shobha Chit Fund & Agencies Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 13766/550(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shobha Chit Fund & Agencies Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. R. R. Gibson Private Limited

Hombay-2, the 21st June 1975

No. 3140/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. R. Gibson Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Omkar Enterprises Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 12660/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Omkar Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. New Madhya Pradesh Roadways Private Limited The Rohini Productions (Hy

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 14000/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Madhya Pradesh Roadways Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Mediprint Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 12209/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mediprint Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956, and of M/s. Shakti Chir Systems Private Limited

Bombay-2, the 21st June 1975

No. 13980/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shakti Chit Systems Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. NARAYANAN Addl. Registrar of Companies, Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. The Ahmedahad Small Scale Engineering Industries
Association Limited

Alimedabad, the 29th May 1975

No. 871/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. The Ahmedabad Small Scale Engineering Industries Association Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sd. ILLEGIBLE Registrar of Companies, Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Presne Engineering Syndloate Private Limited

Hyderabad, the 24th May 1975

No. 1037/T (560).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of Presne Engineering Syndicate Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

Notice pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956

AND

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. The Rohini Productions (Hyderabad) Private Limited (In Liquidation))

Hyderabad, the 29th May 1975

No. 1165/Liq.—By an order dated the sixth day of April, One thousand nine hundred and seventy three in C.P. No. 10 of 1972, of the High Court of Judicature of Andhra

Pradesh at Hyderabad, it has been ordered to wind up. "The Rohini Productions (Hyderabad) Private Limited."

O. P. JAIN Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad.

Notice under Section 560(4) of the Companies Act, 1956 AND

In the matter of M/s. North Mahanadi Trading Company Private Ltd.

Cuttack, the 28th May 1975

No. A. 164/75-531(2).—Whereas M/s, North Mahanadi Trading Company Private Ltd., having its registered office at Raja Athagard P.O.: Khuntuni, Dt.: Cuttack wound up,

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting the affairs of the company have been completely wound up, and that Statements of Account (returns) required to be made by the Liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now therefore in pursuance of the provisions of subsection (4) of section 560 of the companies Act, 1956 (i of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of M/s. North Mahanadi Trading Company Private Ltd., will unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

S. N. GUHA Registrar of Companies, Orissa.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Jamuna Enterprises Foods Pvt. Limited

Delhi, the 7th June 1975

No. 51/32/5074,—Notice is hereby given to subsection (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Jamuna Enterprises Foods Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sd. ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of companies,
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Banerjee Engineers Private Limited

Calcutta, the 3rd June 1975

No. 23723/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Banerjee Engincers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of SAS Manufacturing Company Private Limited

Calcutta, the 3rd June 1975

No. 25647/560(5).—Notice is hereby given pursuant to the sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the SAS Manufacturing Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Deshbandhu Cotton Mills Limited

Calcutta, the 3rd June 1975

No. 3868/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Deshbandhu Cotton Mills Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. R. SIRCAR Asstt. Registrar of Companies, West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956, and of the United Transport (Gwalior) Private Limited

Gwalior, the 3rd June 1975

No. 255/Liqn.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1976 that the United Transport (Gwalior) Private Limited, Gwalior, has been ordered to be wound up by an order dated 25th April 1975 passed by the High Court of M.P. Bench at Gwalior and the Official Liquidator, Indore has been appointed at the liquidator of the company.

MAHESH PRASAD Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Goswami Neinong Coal & Transport Company Private Limited

Shillong, the 30th May 1975

No. 1016/560/652-53.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of Goswami Neinong Coal & Transport Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. VASHISHTHA Registrar of Companies Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Shillong

## DIRECTORATE OF ORGANISATION & MANAGEMENT SERVICES (INCOME-TAX)

New Delhi, the 19th May 1975

F. No. 9/317/75-DOMS/682.—On his transfer from the charge of the Commissioner of Income-tax, Hyderabad, Shri M. K. Krishnaswamy Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, assumed the

charge of the Deputy Director, in the Directorate of Organisation & Management Services (Income-tax) New Delhi on the forenoon of 16th May, 1975.

H. D. BAHL
Director of Organisation &
Management Services (Income-tax)
New Delhi

#### INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-20, the 28th May 1975

No. F. 48-Ad(AT)/75.—Shri H. C. Srivastava, Senior Stenographer, Income-tax Appellate Tribunal who was continued to officiate on ad hoc basis in a temporary capacity as Assistant Registrar in the Income-tax Appellate Tribunal, Allahabad Benches, Allahabad vide this office notification No. F. 48-Ad-(AT)/74-P.II dated 22-11-1974 is now permitted to continue to officiate on ad hoc basis in a temporary capacity as Asstt. Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Allahabad Benches, Allahabad for a further period from 1-1-1975 to 30-6-1975 or till the post is filled up by regular appointment, whichever is earlier.

No. F. 48-Ad(AT)/75.—Shri M. M. Prasad, officiating Superintendent on ad hoc basis in a temporary capacity in the Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay who was continued to officiate on ad hoc basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench, Cuttack vide this office notification No. 48-Ad-(AT)/73 dated 25th April, 1974 is now permitted to continue in the same capacity as Asstt. Registrar, ITAT, Cuttack Bench on ad hoc basis for a period from 19-11-1974 to 30-6-1975 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

No. F.48-Ad(AT)/75.—Shri R. C. Srivastava, Senior Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on ad hoc basis in a temporary capacity upto 31-12-1974 vide this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/74 dated 14-6-1974 is now permitted to continue to officiate on ad hoc basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay from 1-1-1975 to 30-6-1975 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

No. F. 48-Ad(AT)/75.—Shri L. R. Aggarwal, Senior Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay, who was continued to officiate as Asstt. Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on ad hoc basis in a temporary capacity upto 31-12-1974 (afternoon) vide this office notification No. F. 48-Ad(AT)/74-P.II dated 10-10-1974, is now permitted to continue to officiate on ad hoc basis in a temporary capacity as Assistant Registrar,

Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay for a further period from 1-1-1975 to 30-6-1975 or till the post is filled up by regular appointment, whichever is earlier.

#### The 19th June 1975

No. F. 48-AD(AT)/74-P.II.—In partial modification of this office notification of even number dated 22nd January, 1975, Shri N. K. Chaurasia, a permanent Assistant Registrar in the Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi is granted an extension of service for a period of six months from the 7th January, 1975 to 6th July, 1975, both days inclusive.

HARNAM SHANKAR
President

## INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

#### **CORRIGENDUM**

In the notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) dated 5-3-1975 in respect of Plot No. 8-A/2, situated on Oswal Road also known as Gupta Foad, Ludhiana, for the transferces read Sarvshri Romesh Kumar and Rajinder Kumar minor sons of Shri Jagdish Rai, through their father and natural guardian Shri Jagdish Rai in place of Sarvshri i. Romesh Kumar, ii. Rajinder Kumar, sons of Shri Jagdish Rai.

G. P. SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Chandigarh

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 1st July 1975

Ref. No. F. Acq/163/Gbd/74-75/580.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,

being the Competent Authority under

Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hercinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. KA/25 situated at Old Kavinagar, Ghaziabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at

Ghaziabad on 19-10-74,

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursurance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Ram Kumar Baundra, R/o 18-B, Sector-A Mahanagar, Lucknow.

(Transferor)

(2) Smt. Madhu Kapoor w/o Shri Amrit Lal Kapoor, r/o 184/6-1, Kutra Hari Singh, Amritsar. At present A-32-A Krishnapura, Modinagar.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Immovable property Single storeyed property No. KA-25, Old Kavinagar, Ghaziabad, transferred for apparent consideration for Rs. 82,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpu

Date: 1-7-75

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 1st July 1975

Ref. No. Acq./86/Saharanpur/74-75/581.—Whereas, I, F. J. BAHADUR

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at Rajpura, Saharanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saharanpur on 8-10-74,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arssing from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Shri Shobha Ram
 Sho Shri Kanhaiya Ram Arora,
 Numaish Camp, Saharanpur.

(2) Shri Balluram, Shri Balram and Shri Devi Chand All sons of Shri Phool Singh, Mohalla Nawabganj, Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Bhumidhari rights in agricultural land in 9 Bighas 16 Biswa Pukhta comprising 5 Bighas and 12 Biswa in Khasra No. 9 and 4 Bigha 4 Biswa in Khasra No. 13 Pukhta and 3/4 part in one Tubewell with boring, Electric Motor 5 H.P., switch starter one Kotha and Tin shed at Rajpura, Saharanpur transferred for an apparent consideration of Rs. 60,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date: 1-7-75

Seal :

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 1st July 1975

Ref. No. Acq.161/Ghaziabad/74-75/582.--Whereas. I, F. J. BAHADUR,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax 'Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to

believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

1776-A & 1776-B situated at Vill. Pasunda, Ghaziabad (and more fully described

in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ghaziabad on 16-10-74.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

20-156GI/75

(1) Shri Prem Shanker s/o Shri Khub Chand, r/o Malthangate-18, 1666 Comphagen through Shri R, K. Anand, General Power of Afforney.

(Transferor)

(2) M/s. Kuber Investment & Trading Pvt, Ltd., M-133, Camnaught Circus, New Delhithrough Managing Director Shri K. L. Agarwal (Property at Furlong stone 7 on Delhi-Sahadara Road).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Bhumidhari land Plot No. 1776-A, area 8 Bishwa, 1776-B area 1 Bigha 11 Bishwa in Village Pasaunda, Tehsil Ghaziabad with building residential Bungalow, garden, servant quarter built thereon, transferred for apparent consideration of Rs. 2,10.000/-.

> F. J. BAHADUR, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Date : 1-7-75

#### FORM ITNS----

 Shri Lt. Samdul Singh Randhawa, r/o 7-D Mussorie Road, Rajpura, Dehradun,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Rinchen Theondop Sadutrhang, 7-B Mussorie Road, (Rajpur) Dehradun.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 1st July 1975

Ref. No. F. No. Acq/149/D. Dun/74-75/583.—Whereas, I, F. J. BAHADUR.

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sàid Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

7-B, situated at Mussorie Road, Dehradun (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act.

1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dehradun on 21-10-74.

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following cersons. namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette for a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Half portion of House No. 7-B, situated in Mussorie Road (Rajpur) Dehradun transferred for an apparent consideration of Rs. 45,000/-.

F. J. BAHADUR.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date: 3-7-75

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 30th June 1975

Ref. No. AR.V/195/74-75.—Whereas, I, J. M. Mehra, the Inspecting Asst. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range, Bombay,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

St. No. 21 & 28 City S. No. 119 situated at Village Maravli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred unde the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 20-11-1974,

for an apparent consideratino which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Shirinbai M. Kalapesi & Ors. (Transferor)
- (2) Mrs. Chaturi M. Mahtaney & Ors. (Transferee)
- (3) Unauthorised persons by way of encroachment. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate, lying and being in the village of Maravli in the Registration Sub-District of Bendra District Bombay Suburban containing by admeasurement 3872 sq. yds. equivalent to 3237.49 sq. mtrs. or thereabouts and registered in the land Records in the Street No. 21 and 28 City survey No. 119 subject to the encroachments bearing CTS Nos. 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10 and 119/11 (old survey No. 35, Hissa No. 7 (part) and bounded as follows: that is to say on or towards the East by property bearing survey No. 4, Hissa No. 1 (part) belonging to Shri M. L. Mahataney and another on or towards the west by survey No. 35 Hissa No. 6 on or towards the North by survey No. 35 Hissa No. 3 and on or towards the south by Survey No. 24 Hissa No. 1 belonging to Shri M. L. Mahtaney and another.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V,
Bombay

Date: 30-6-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 30th June 1975

Ref. No. AR.V/197/74/10.—Whereas, I, J. M. Mehra the Inspecting Asst. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range, Bombay,

being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-rand; bearing

Plot No. 77 situated at Mulund

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 5-11-74

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Chimanlal Jodharam and . Makhanlal Jodharam.

(Transferor)

- (2) Shri Popatlal Mohanlal Maniar & Others.
  (Transferce)
- (3) Shri Popatlal Mohanlal Maniar & Others.
  (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate at Mulund formerly in Taluka South Salsette in the Registration District Thana in Sub-District Thana and thereafter in the registration Sub-District of Bandra District Bombay Suburban and now in the Registration District and Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban within the limit of Greater Bombay, being portion of plot No. 77, admeasuring 705.83 sq. yds. equivalent to 590.07 sq. meters or thereabouts together with the structure standing thereon being assessed to Municipal rates Taxes under T Ward No. T 1581 and Street No. 76 Zaver Road, and bears No. C.T.S. Number bounded as follows:—That is to say on or towards the East and South by the remaining portion of the Plot No. 77 on or towards the West by Plot No. 75 known as Deshmukhwadi and on or towards the North by Javer Road.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V,
Bombay

Date: 30-6-1975

Scal:

#### NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 19th June 1975

No. CR. 62/3175/74-75/ACQ(B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

The property being a vacant site bearing Municipal Khata No. 90/1 (Corporation Division No. 24) situated at Vittal Nagar, Bangalore City

(and more fully described in the Schedule annexed

hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Basavangudi, Bangalore-4, DOC No. 3265/74-75 on 21-10-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shrimati Nanjamanni, W/o K. Srinivasa Rao, 394/2, 9th Main Road, Manumantha Nagar, Bangalore-19.

(Transferor)

(2) Shri B. R. Narayanaswamy S/o late Shri A. B. Ramaiah, U-60, 17th Cross, Padarayanapura, Bangalore-26.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

The property being a vacant site bearing Municipal Khata No. 90/1 (Corporation Division No. 24), Vittal Nagar, Bangalore City.

#### **BOUNDARIES**

EAST: Road

WEST: Another's property

NORTH: 30' Road

SOUTH: Another's property

DOC No. 3265/74-75, dt. 21-10-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 19-6-1975

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore, the 28th June 1975

No. CR.62/3301/74-75/Acq(B).—Whereas, I. R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Incometax, Acquisition Range, Bangalore-27,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. The property being a vacant site bearing No. 79/9 (Old No. 5), Nandidurg Road, situated at (Division No. 46). Bangalore City,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under

the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Gandhi Nagar, Bangalore-9 DOC. No. 2966/74-75 on 7-10-1974.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri G. Ramaiah Reddy, No. 157, Domblur, Bangalore.

(Transferor)

(2) Shri Prahlad Koushik 25, Via Bonincontri, Rome-00147 Italy.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

The property being a vacant site bearing No. 79/9, (Old No. 5) Nandidurg Road, (Division No. 46), Bangalore City. Site area=59 ft. × 52 ft. =3068 sq. ft. Doc. No. 2966/74-75, dt. 7-10-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bangalore.

Date: 18-6-1975

#### NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, **BANGALORE-27**

Bangalore the 26th June 1975

No. CR.62/3359/74-75/ACQ(B).—Whereas, I. R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Building premises known as 'Hillview' bearing door No. 848, 849 New Nos. 26/26/1 situated at Lokaranjan Mahal Road, Nazrabad Mohalla, Mysore.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Hd. Ors. Sub-Registrar, Mysore DOC No. 2676/74-75 on 28-10-1974.

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Shrimati S. A. Gowramma, W/o, late A. R. Rajoo, No. 137, 7th Main Road, V Blacck, Jayanagar, Bangalore-11.
  - (Transferor)
- (2) 1. Shri K. G. Thimmegowda, Land Lord, S/o late

Stiff K. G. Timmlegowda, Land Lord, 5/6 rate Sri Gurukara Venkataramanegowda,
 Shri K. G. Venkataramanaswamy,
 Shri K. G. Saiprasad,
 Shri K. G. Subramanya, Minor by Guardian and father Shri K. G. Thimmegowda, All are residing at Kanakapura Dist. Bangalore

(Transferee)

- (3) Shri B. Chandra Prakash. (Person(s) in occupation of the property)
- (4) 1. Shri K. R. Venkatachala Setty.
- (2) Smt. K. V. Radhamma W/o Shri K. R. Venkata-chala Setty No. 40, Satyanarayana temple Road, Ittigegud Mysore City.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Building premises known as 'Hill View' bearing Door No. 848 and 849. New Nos. 26 and 26/1, Lokaranjana Mahal Road, Nazrabad Mohalla, Mysore.

 $\frac{141'+172'-3''}{2}$  ×  $\frac{202'.30''+208'}{2}$ Site area

32157 sq. ft.

Boundaries

East: Zoo garden Road. West: Ittigegud Pvt. Houses

South: Lokaranjana Mahal Road, North: Central Nursery, DOC, No. 2676/74-75, dt. 28-10-1974,

#### R. KRISHNAMOORTHY,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Baugalore.

Date: 26-6-1975

feal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE,

**BANGALORE-27** 

Bangalore, the 1st July 1975

No. CR.62/3118/74-75/Acq.(B).—Whereas, I. R. Krishnamoorthy Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Dry land measuring 2 acres and 10 cuntos, in Survey No. 5, Sanneguruvanhalli, situated at Yeshwantapura Hobli, Bangalore North Taluk

(and more fully described in

the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bangalore North Taluk DOC. No. 3883/74-75 on 3-10-1974.

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income OI any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

(1) Shri K. Krishnamoorthy, S/o. late Shri Kullappa, No. 378, Upper Palace Orchards, Şadashiyanagar, Bangalore-6.

(Transferor)

(2) Shri I. T. A. Channabasavaih, 2. Shri Yellappa, S/o. late Shri Puttaiah, "Gurukrupa" Shivanahalli, Rajaji Nagar. Bangalore-10.

(Transferee)

(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Site No. Name of the allottee

1. Shri Raja Ram

Ramaiah

" K. Bommaiah

B. N. Neelakantaiah 6.

P. Gundu Rao

" K. N. Naganna

" Chickkanaiah

" D. Viswanath 10.

12. 13. Shanmugam Achari

" Thimmalah

Md. Hussain

" K. Siddappa 16.

17. Ponnuswamy

" K. O. Ramakrishna 18, " Narasimhaiah

" P. Kuttappa

" D. Narayanaswamy

" Rajamanikayar Achari 24.

" M. Arumugam

" Smt Laxmi Ammal 27.

" Bhuganga Setty 28.

" N. B. Basavalingalah 31.

" K. R. Mallaiah 32.

" Kempaiah 33.

" N. M. Narayanappa

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned --

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- other person interested in the said (b) by any immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Dry land measuring 2 acres and 10 Cuntas in Survey No. Sanne Guruvanahalli, Yeshwantapura Hobli, Bangalore North Taluk.

Boundaries

East: Land belongs to Sri Krishna Setty, Shri More Gowda and Shri Srinivasa Murthy,

West: Land belongs to the Society of Engineering College North: Remaining portion of the land belongs to the vendor,

South: Land belongs to Krishna Setty and Jakkanna belonging to the Survey No. 5.

DOC. No. 3883/74-75, dated 3-10-1974.

R. KRISHNAMOORTHY, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore.

Date: 1-7-1975

## NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III 54 RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16.

Calcutta, the 25th June 1975

Ref. No. 266/Acq. R-III/75-76/Cal.—Whereas, I, L. K. Balasubramanian,

being the competent Authority under Section 269B of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 55/3B, situated at Ballygunge Circular Road, Calcutta (and more fully described in

the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Scaldah, 4-Parganas on 21-10-1974.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

21-156 GI/75

(1) Shri Birendra Kishore Roy Chowdhury, 55/3B. Ballygunge Circular Road, Calcutta.

(Transferor)

(2) Smt. Savita Gambhir, Flat No. 28, 12B, Lord Sinha Road, Calcutta-16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

All the piece and parcel of vacant land measuring 6 cottahs 8 chittacks 25 sq. ft, more or less situated at and being a portion of premises 55/3B, Ballygunge Circluar Road, Calcutta as per deed No. 1847 of 1974 registered before the Sub-Registrar Sealdah.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
54 Raft Ahmed Kidwal Road (3rd floor),
Calcutta-16.

Date: -25-6-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-V, CALCUTTA

Calcutta, the 27th June 1975

Ref. No. AC-5/Acq. R-V/Cal/75-76.—Whereas, I, S. S. Inamdar.

being the competent authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25000/- and bearing

No. 132A, Dr. Meghnath Saha Sarani situated at P. S. Tollygunge, Dist-24-P.

(and more fully described

in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act. 1908 (16

of 1908) in the office of the Registering Officer

at Alipore Sadar, 24P on 8-10-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market

value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties

has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of...

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Dwijesh Ch. Roy Chowdhury 129, Southern Avn., Cal-29.

(Transferor)

(2) 1. Narayan Ch. Konar,

2. Sunil Ch. Konar,
3. Anil Ch. Konar, All of 26A, Keyatola Lane,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

132A Dr. Meghnath Saha Sarani, P. S. Tollygunge, Dist-24-Pgs. Land measuring more or less 3 cottahs 7 chattaks.

S. S. INAMDAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V,
Calcutta.

Date: 27-6-1975

#### NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 54, RAFI AHMED KIDWAJ RD., CALCUTTA-16

Calcutta the 27th June 1975

Ref. No. AC-9/R-II/Cal/75-76.--Whereas, I, R. V. Lalmawia,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Kh. No. 189, J.L. No. 2, Dag No. 25 situated at Mouza & P. S. Behala

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:

(1) 1. Shri Usha Ranjan Guha 2. Sri Sudhir Ranjan Guha, 3. Sri Adhir Ranjan Guha, &

4. Smt. Parimal Bala Ghosh, all of 238A, Rash Behari Avenue, Calcutta.

(Transferor)

(2) Kumari Puspalata Chatterjee, of 189, Acharyya Prafulla Ch. Rd. Calcutta-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land measuring 65 dec. in J.L. No. 2, Kh. No. 189, Dag No. 25, Mouza & P. S. Behela, 24-Prgs.

R. V. LALMAWIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16.

Date: 27-6-1975

Scal.

(1) Shri Ram Narain Arora s/o Shyam 110/21, Nehru Nagar, Kanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri S. Surender Singh s/o S. Diwan Singh r/o Mariahu District Jaunpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

*(3) Shri M/s Bharat flooring M/s Parrydeals
 S. K. Sethi Krishna Chand

4. Balwant Singh

5. Dharmveer

6. Mota Singh 7. Autar Singh

may be made in writing to the undersigned :-

8. P. Maheshwari 9. J. K. Gandhi.

(Person in occupation of the property),

Objections, if any, to the acquisition of the said property

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur the 24th June 1975

Ref. No. Acq./196/Kanpur/74-75/577.—Whereas, I F. J. Bahadur,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 110/21 situated at Nehru Nagar Kanpur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer

at Kanpur on 18-10-74

for an apparent consideration which is less than the market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the sald Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Immovable property H. No. 110/21 situated at Nehru Nagar, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 1,35,000/-.

> F. J. BAHADUR, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner, of Income-Tax, Acquisition Range, Каприг.

Date: 24-6-1975.

Scal:

#### NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th June 1975

Ref. No. I.(EG)506/74-75-Acq.F.No. 199.—Whereas. I, B. V. Subbarao,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason

to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 931 situated at Sarpavaram Village Kakinada Taluk, (and more fully

described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer

at Kakinada in December, 1974

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not

been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro-

perty by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to following persons, namely:—

(1) 1. Shri Sirangu Srinivasarao Sudhapalem

2. Rao Bapanayya Rao M/P Raja Re-rolling Mills, Sarpayaram

3. Ruo Lukshmi Venkata Ranga Rao, Kakinada

4. Sirangu Mukkuteswararao, Sudhapalem 5. Akula Sivvayyanaidu, Kakinada.

(Transferor)

(2) 1. Merla Jagannadham

2. Merla Ramanna

3. Merla Venkayya Chowdary

Merla Bulliammai
 Merla Jogayyamma

6. Yarlagadda Umamaheswararao.

Partners in Sarbana Re-rolling Mills, Sarpavaram, Kakinada Taluk.

(Transferee)

Obections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

The Schedule property namely land Mill premises, Machinery at Sarpavaram as shown in the sale document No. 6278/74 of S. R.O. Kakinada registered in the month of December, 1974.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Kakinada.

Date: 28-6-1975.

Seal .

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 27th June 1975

Ref. No. AC-218/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I, S. Bhatta-charyya,

being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/_ and bearing No. 14 situated at Mahatma Gandhi Road

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908)

in the office of the Registering Officer

at Calcutta on 17-10-1974.

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such, apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the sald Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Rajendra Narayan, Nandi, Radha Govinda Nandi, Nandial Nandi, Radhapada Nandi. Harrisadhan Nandi.

(Transferor)

(2) Shri Subhas Chand Agarwalla.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Undivided half share of land measuring 5 Cottahs more or less and building thereon at 14, Mahatma Gandhi Road, Calcutta.

S. BHATTACHARYYA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-IV,

54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 27-6-1975.

Scal:

#### FORM ITNS----

 Sh. Balbhadar Singh S/o Parduman Singh R/o Nangal, now Badon, Teh. Garh Shankar.

(Transferor)

5973

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP900/Carh-Shankar/75-76.--Whereas I, Ravinder Kumar,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

ceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. See schedule
situated at Vil. Nangal
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the
office of the Registering Office at
Garh Shankar in Oct., 74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(2) Sh. Tarlochan Singh S/o Balwant Singh C/o Parduman Singh R/o Baddon.

(Transferce)

(3) As above in Sr. No. .
[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2446 of October, 1974 of the Registering Authority Garh Shankar.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

FORM I.T.N.S,---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP926 .-- Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Mohl. Seikhan Hoshiarpur (6 Marla) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated is the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Sald Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Dr. Harbans Lal s/o Dharam Chand s/o Chunni Lal Shah, R.O. Shish Mehal, Br. Hoshiarpur. (Transferor)
- (2) Sh. Sital Parkash s/o Kundan Lal s/o Kanshi Ram Jain Mohl. Br. Seikhan Hoshiarpur. (Transferee)
- (3) As above in Sr. No. 2.

  [Person in occupation of the property]
- (4) Any person interested in the property.

  [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act; shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

House as mentioned in Regd. deed No. 2836 of October, 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE JULILUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP927.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule

situated at Model Town, Jullundur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the sald Act to the following persons, namely :__

22-156GI/75

(1) Smt. Sarasti Devi w/o Late Dr. Krishan Kumar, Jullundur.

(Transferor)

- (2) M/S United Sales Corp. Nehru Garden, Jullundur. (Transferee)
- (3) Any other person interested in the Kothi. [Person in occupation of the property].
- (4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the propertyl.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- person interested in the said (b) by any other immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Kothi as mentioned in Regd. deed No. 6978 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

> RAVINDER KUMAR, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975

#### FORM I.T.N.S.--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 928.—Wherens, I. Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. As per schedule

situated at Ali Khail, Jullundur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
  of the transferor to pay tax under the said Act in
  respect of any income arising from the transfer;
  and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-ta_x Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Sh. Gurdev Singh s/o S. Gehl Singh of Vill. Ali Khail, Teh. & Distt. Jullundur.

(Transferor)

(2) Sh. Amar Singh s/o Sh. Ditto of Copalpur alias Bidhipur, Teh. Jullundur.

(Transferee)

- (3) As above in Sr. No. 2. [Person in occupation of the property].
- (4) Any other person interested in the land. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd, deed No. 1008 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

#### NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 929.—Whereas, I. Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule

situated at Ali Khail

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Juliundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of in any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely:—

- Sh. Gurdev Singh s/o Gehl Singh of vill. Ali Khail, Teh. Jullundur.
  - (Transferor)
- (2) Sh. Amar Singh s/o Ditto Singh, Vill. Gopalpur alias Bidipur.

(Transferce)

- (3) As above in Sr. No. 2. [Person in occupation of the property].
- (4) Any other person interested in the land, [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7094 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,

Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

#### FORM I.T.N.S.---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullandur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-930.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule

situated at Ali Khail, Teh. & Distt. Jullundur.

(and more fully

described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration

Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to bilieve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Sh. Gurdev Singh s/o Gehl Singh of Vill, Ali Khail, Teh. & Distt, Jullundur.

(Transferor)

(2) Sh. Amar Singh s/o Ditto of Vill. Gopalpur alias Bidhipur, Teh. & Distt. Jullundur.

(Transferee)

- (3) As above in Sr. No. 2. [Person in occupation of the property].
- (4) Any other person interested in the land. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7132 of Oct., 1974 of Registering Authority, Juliundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur,

Date: 28-6-1975.

#### FORM ITNS ---

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullandar, the 28th June 1975

Ref. No. AP 931.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

and bearing
No. As per schedule
situated at Sarai Khas.
(and more fully described in the
schedule amexed hereto), has been transferred under the
Registration Act. 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) S. Gurbaksh Singh s/o Beru s/o Budu of Sarai Khas, Teh. Jullundur,

(Transferor)

- (2) S. Mohinder Singh s/o S. Mohan Singh Sarai Khas, Teh, Jullundur. (Transferce)
- (3) As above in Sr. No. 2. (Person in occupation of the property).
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazettee.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6513 of Oct., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28-6-1975.

#### NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 932.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,0000/- and bearing

No. As per schedule

situated at Vill. Talwandi Jattan

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Nawanshehr in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the sald Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of the 'Said Act', to the following persons namely:—

- (1) Smt. Giano w/o Chaman Singh, R/O Talwandi P.O. Chak Ramoo.

  (Transferor)
- (2) Shri R. Teja Singh s/o Jagat Singh & Chanana Kaur w/o Teja Singh, R/O Talwandi Jatan, P.O. Chak Ramoo.

(Transferce)

- (3) As above in Sr. No. 2.

  (Person in occupation of the property).
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 3306 of October, 1974 of Registering Authority, Nawanshehr.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28-6-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 933.—Whereas I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Bheekhowal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Hoshiarpur in Nov. 1974

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri R. Gurnam Singh s/o Karam Chand s/o Wazirea R.O. Kukar Pind.

(Transferor)

(2) S/R Gian Singh and Surjit Singh s/o Ujagar Singh s/o Basawa Singh, R.O. Vill. Arjanwal, P.O. Adampur, Teh. Jullundur.

(Transferce)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

As mentioned in Regd. Deed No. 3150 of Nov., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975

Scal:

#### NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 934.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. As per schedule

situated at Sutheri H/puer

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

 Sh. Dalip Singh s/o Gopal Singh s/o Gurbax Singh, R.O. Sutheri Khrud, Hoshiarpur.

(Transferor)

(2) Smt. Krishan Kanta w/o Brahm Parkash s/o Sagli Ram R.O. Baghpur, Teh. Hoshiarpur.

(Transferee)

(3) As per St. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land, (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 2804 of October, 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

### NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 935.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing, No. As per schedule. situated at Near Milapnagar, Hoshiarpur.

situated at ocar inhaphagai, nosmarpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registraton Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Hoshiarpur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—
23—156GI/75

G.A. To Mehr Singh s/o Udham Singh s/o Jiwa, R.O. Jagat Pura, Hoshiarpur.

(Transferor)

(1) Shri Balwant Singh s/o Udham Singh s/o Jiwa Ram

- (2) Sh. Mohinder Singh s/o S. Sadhu Singh s/o Isher Ram, R.O. Fateh Garh Naira, P.S. Teh, Hoshiparpur, (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the plot.

  (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The 'terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 2729 of Oct., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Rel. No. AP 936.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule.

situated at Kotla Ghanpur, Teh. Hoshiarpur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269-C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

- (1) S/Shri Gurbachan Singh & Pritam Singh Ss/o Dasonda Singh R.O. Ajjowal Teh. Hoshiarput. (Transferor)
- (2) Gurbachan Singh, Sh. Pritam Singh Ss/o Gokalchand S/o Sunderdass Swini, R.O. Moh, Kumalpura, Hoshiarpur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
  (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 2779 of Oct., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commission of Income-tax,
Acquisition Range, Jullandut.

Date: 28-6-1975.

#### FORM I.T.N.S.-

## NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 937.—Whereas, I. Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule.

situated at Near Arya Samaj Mandir, Hoshiarpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the falr market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Sh. Jagdish Chander s/o Hira Lal s/o Lachhman Dass and Kailaschand s/o Parkash Chand s/o Hira Lal r/o Near Arya Samaj Mandir, Hoshiarpur.

(Transferor)

- (2) Sh. Vidya Sagar s/o Mukand Lal s/o Dini Chand, R.O. Prahalad Nagar, Hoshiarpur, through Sh. kam Parkash s/o Mukand Lal, r/o Prahalad Nagar. (Transferce)
- (3) As per Sr. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the plot. (Person who the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter,

#### THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 2904 of Cct., 1974 of Registering Authority, Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullandur.

Date: 28-6-1975.

## NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th June 1975

Rcf. No. AP/938.-Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. As per schedule. situated at Basti Sheikh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullandur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instru-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

ment of transfer with the object of :---

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely:—

 Sh. Krishan Kumar s/o Sh. Chiman Lal. Model House, Basti Sheikh, Jullundur.

(Transferor)

 M/S SBI Supervising Staff Cooperative Society, Ltd., Jullundur.

(Transferce)

- (3) As per Sr. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land, (Person who the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7004 of October, 1974 of Registering Authority, Jullandur.

RAVINDER KUMAR, Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP939.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing,

No. As per schedule.

situated at Basti Sheikh, Teh, Jullundur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur in Nov. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
  of the transferor to pay tax under the said Act in
  respect of any income arising from the transfer;
  and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Kishan Kumar s/o Chiman I al s/o Mohri Lal in Model House in Basti Sheikh Jullundur.

(Transferor)

 M/S SBI Supervising Staff Cooperative Society Ltd., Jullundur.

(Transferce)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be intervested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

#### THE SCHEDULE

As mentioned in Regd. deed No. 7237 of Nov., 1974 or Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range Jullandur.

Date: 28-6-1975,

#### FORM I.T.N.S.--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullandur, the 28th June 1975

Ref. No. AP940.—Whereas, I, Ravinder Kumar,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule. situated at Dhadda. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Garshankar in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer

as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

 Shri R. Swarn Singh s/o Nagina, R.O. Dhada, P.S. Mahilpur.

(Transferor)

- (2) Smt. Chanan Kaur w/o Gurbax Singh, Vill. Dhadda. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 2468 of October, 1974 of Registering Authority, Garshankar.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975. Seal :

## NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULIJUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP941.—Whereas, I. Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule, situated at Nangal Purdill,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer Jullundur in Oct. 1974

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Sh. Karam Singh s /o Ram Singh of Nangal Purdill as General Attorney of Gujjar Singh of Nangal Purdill.

(Transferor)

- (2) Sh. Avtar Singh s/o Ram Singh of Nangal Purdill.

  (Transferce)
- (3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7048 of October, 1974 of Registering Authority, Juliundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

#### FORM JTNS---

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP942.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,006/- and bearing

No. As per schedule, situated at Nangal Purdil

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- Sh. Karam Singh s/o Ram Singh, Nangal Purdil, General Attorney of Gujjar Singh s/o Mangal Singh, Nangal Purdil.
  - (Transferor)
- (2) Sh. Gurdip Singh s/o Karam Singh of Nangal Purdil. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above,

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7013 of Oct. 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-6-1975.

Scal:

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP943.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. As per schedule, situated at Nangal Purdil

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- Sh. Karam Singh s/o Ram Singh R/o Nangal Purdil (Teh. Jullundur) G.O. to Guijar Singh s/o Mangal Singh.
  - (Transferor)
- (2) Smt. Joginder Kaur w/o Avtar Singh, Nangal Purdil.
  (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7130 of October, 1974 of Registering Authority, Juliundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Seal:

24-156GI/75

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullandar, the 28th June 1975

Ref. No. AP944.—Whereas, I. Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule

situated at Nangal Purdil

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax. Act, 1922 (11 of 1 922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. Karam Singh s/o Ram Singh CA of Gujjar s/o Mangal Singh, R.O. Nangal Purdill.

(Transferor)

(2) Smt. Nachhatar Kaur w/o Sh. Karam Singh, Nangal Purdill.

(Transferee)

- (3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7090 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

> RAVINDER KUMAR Competent Authority. Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Scal:

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP945.—Whereas, I. Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. As per schedule,

situated at Sahowal, Near Garali

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the

Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in

the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269°D of the said Act to the following persons namely:—

(1) Sh. Dharm Singh s/o Sh. Udham Singh, Vill. Sahowal, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Vasant Vihar Cooperative House Building Society,

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
  (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd, deed No. 6734 of Oct., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,

Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION ACQUISITION RANGE JULLUNDUR.

Juliundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP946.-Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax. Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule.

situated at Bambianwal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Shri Avtar Singh, Ranjeet Singh s/o Mohan Singh, Satinder Singh, Herkirat Singh & Virat Singh of Bambianwal.

(Transferor)

- (2) Nirmal Singh s/o Chanchal Singh of Bambianwal. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No 6546 of October, 1974 of Registering Authority, Juliundur.

> RAVINDER KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

## FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP947.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule.

situated at Grain Market, Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Sh. Gurdial Singh s/o Hari Singh, V.P.O. Khjur, Teh. Phagwara.

(Transferor)

(2) Sh. Sanjeet Kumar s/o Krishan Chand, Jullundur. (Transferce)

(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the shop. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Shop as mentioned in Regd. deed No. 6775 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

> RAVINDER KUMAR Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Jullundur,

Date: 28-6-1975.

Seal ·

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP948.—Whereas, I. Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 23,000/- and bearing

No. As per schedule.

situated at Industrial Area

(and more fully

described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' is respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269°C, of the Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely:—

(1) J. Anand Shotal Kock House through Madan La s/o Sardari Lal, Basti Nau, Jullundur,

(Transferor)

(2) Sh. Ram Sarup & Ram Parkash, Sh. Tulsi Ram in Jullundur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd deed No. 7136 of Oct. 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Juliundur,

Date: 28-6-1975.

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP949.-Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule.

situated at Mandi Road, Jullundur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Regis-

tering Officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the Issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Sh. Krishan Lal Chadha & Kundan Lal Chadha of Jullundur City.

(2) Sh. Joga Singh 8/0 Mehnga Singh, Vill. Bilga, Distt. Jullundur.

(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property as mentioned in Regd. deed No. 7042 of October, 1974 of Registering Authority, Juliundur.

> RAVINDER KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

### FORM JTNS--

(1) Dr. Sarabjit Singh s/o Lt. Col. S. S. Bawa, Jullundur,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullandur, the 28th June 1975

Ref. No. AP950.—Whereas, I Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/_ and bearing No. As per schedule.

situated at Bye Pass, Chougutti, Near Pathankot Bye-pass, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Jullundur in Oct. 1974.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of

the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the

Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(2) (1) Parveen Chander s/o Uggarsain, Mandi Fantan Gunj, Jullundur. (2) Shri Surinder Parkash s/o Sohan Lal, 603 Model Town, Jullundur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the plot.
  (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
  - (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 6655 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28-6-1975.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP951.—Whereas, I. Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (herein after referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000%- and bearing

No. As per schedule.

situated at Pathaukot Byepass, Jullundur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely:—

--156GI/75

- (1) Dr. Sarbjeet Singh Bawa s/o Lt. Col. S. S. Bawa, 518 New Jawahar Nagar Juliundur.

  (Transferor)
- (2) Sh. Parveen Chand s/o Uggarsain, EP 243 Mandi Fentan Gunj, Surinder Parkash s/o Ram Lal of 603 Model Town, Jullundur. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the plot, (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Property as mentioned in Regd. deed No. 6616 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28-6-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME.TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-952.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. As per schedule situated at Jullundur

in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Juliundur in October 1974

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) S. Mohan Singh, Vill. Garha, Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Sh. Baljit Singh, S.P. CID Pb. Chandigarh,

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any of the person interested in the sald immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 6974 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Comm ssioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975,

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-953.-Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Shaktinagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundar in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfor with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indiant Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Lal Chand Anand s/o Sh. Bansi Lal, 200, Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Pre.n Kapoor, w/o Sh. Sat Pal, N.F. 164, Mohendru Mohalla, Now: 200 Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the building. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. decd No. 6680 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28 June 1975.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Juliundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-954.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. As per schedule situated at Shakti Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jullundur in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Lal Chand s/o Bansi Lal 200 Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Dwarka Devi Kapoor w/o Khem Raj Kapoor, N.F. 164, Mohindru Mohalla, Jullundur, Now 200 Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above, (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the building.
  (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used hereit as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. deed No. 6681 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-955.--Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. As per schedule situated at Industrial Area, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Vijay Kumar s/o Pt. Bihari Lal, Mohalla Shiv Nagar, Jullandur.

(Transferor)

(2) M/s. Jai Udyeg Traders Corporation, Industrial Area, Jullunduz.

(Transferce)

- (3) As per Sr. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in (A Factory) plot. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter,

## THE SCHEDULE

(A Factory) plot as mentioned in Reg.l. deed No. 6501 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975. Seal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-956.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Industrial Area, Jullundur (and more fully described in

the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sut-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely:—

 Shri Suresh Chand s/o Bihari Lal, Mohalla Shiv Nagar, Jullundur.

(Transferor)

(2) M/s. Jay Udyog Traders Corporation Industrial Area, Jullundur.

(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above, (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the plot. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, nay be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Plot as mentioned in Regd. deed No. 6520 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

#### FROM ITNS---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULIUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-957.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Daferwal, Jullundur (and more fully des.

cribed in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Juliundur in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Surjeet Singh s/o Bharahmana, Vill. Rasulpur, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Sh. Amarject Singh, Amrik Singh Ss/o Dilbagh Singh, Rahimpur, Teh, Jullundur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  - (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforcsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. dccd No. 6477 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

#### FORM I.T.N.S.---

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX.

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-958.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. As per schedule situated at Dafarwal (Kishangarh) Jull. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Juliundur in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the followin mannely:—

(1) Sh. Surjeet Singh s/o Bharahmana, Vill. Rasulpur Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Dilbagh Singh, Gurbachan Singh, Vill, Rahimpur, Teh, Jullundur,

(Transferee)

terested in the property)

(Person whom the undersigned knows to be in-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(4) Any other person interested in the land

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6476 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-959.-Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Kala Bahia (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the Said Act, to the following

persons, namely :-

- (1) Sh. Sadhu Singh s/o Banta Singh, Vill. Kala Bahia, Teh. Jullundur, (Transferor)
- (2) Sh. Sadhu Singh s/o Harnam Singh in Vill. Isspur, Teh, Jullundur, (Transferee)
- *(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd, deed No. 6818 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.

Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975,

 Shri Dev Raj s/o Bhagat Ram of Bhula Rai, Teh. Phagwara.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Lachhman Dass s/o Munshi Ram of Semi, Teh, Jullundur,

(Transferee)

### GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above, (Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

(4) Any other person interested in the land (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Jullundur, the 28th June 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

Ref. No. AP-960.—Whereas, I Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax

- Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000 /- and bearing No. As per schedule situated at Scmi (Jull.)
- Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974

(and more fully described in the

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealthtax Act, 1957 (27 of 1957).

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd, deed No. 6659 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur,

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons. namely:—

Date: 28 June 1975,

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP-961.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Semi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in October 1974 for an apparent consideration which is less than

for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by
more than fifteen per cent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely:—

- (1) Sh. Munshi Ram s/o Bhola Ram V. Jullundur.
  (Transferor)
- (2) S. Major Singh s/o Ginder Singh Bir Pind, Teh. Nakodar.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6660 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 962.-Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / and bearing No. As per schedule situated at Naram wal (Jull.)

(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely:--

(1) Sh. Balwant Singh s/o Sh. Sadhu Singh, Vill. Dasalpur, Teh, Jullundur,

Singh, Balbir at Singh Ss/o (2) S/Sh. Jagjit Singh, Surjit Singh. Jaswant Singh and Malkiat Singh, Vill. Kohala.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other persons interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7110 of Oct., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

> RAVINDER KUMAR Competent Authority. Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax. Acquisition Range, Jullandur

Date: 28 June 1975,

(Transferor) Seal: FORM I.T.N.S.-

## (1) Sh. Piara Singh s/o Sadhu Singh, Vill. Desalpur. (Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

#### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Juliundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 963.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

No. As per schedule situated a Narainwati (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (2) S/Sh. Jaggit Singh, Surjit Singh, Jaswant Singh, Balbir Singh & Malkiat Singh s/o Arjan Singh, Vill. Kahola Teh. Jullundur, (Transferee)
  - (TIMBICIO)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land, [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7111 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28th June 1974.

(2) S/Shri Balwant Singh, Manjit Singh Ss/o Sampuran Singh of V. Chamiara.

(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

#### GOVERNMENT OF INDIA

(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

Jullundur, the 28th June 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. AP 964.—Whereas, I Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Chamiara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

### (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

#### THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or and moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957). Land as mentioned in Regd, deed No. 6687 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons. namely:—

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

(1) Shri Shana Singh s/o Achhar Singh of Vill, Chamiara, Teh, Jullundur.

Date: 28 June 1975.

Scal:

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 965.—Whereas, I Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs .25.000/- and bearing No.

As per schedule situated at Chamiara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Juliundur in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Sh. Sham Singh s/o Achhar Singh of V. Chamiara, Teh. Jullundur,

(Transferor)

(2) Smt. Ram Kaur wd/o Jaswant Singh s/o Arjan Singh, Smt. Manjit Kaur w/o Jaswant Singh, Vill. Chamiara.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6703 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28 June 1975.

Scal:

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 966.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Sada Chak (Pkot Road) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Juliundur in Oct, 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Ganga Singh s/o Sunder Singh, Vill. Mihan-wala.

(Transferor)

- (2) Shri Dalbir Singh, Bhupinder Singh Ss/o Jarnail Singh, Vill. Lidhran & Chanan Kaur w/o Maliat Singh, Joginder Kaur w/o Ajit Singh, Gurdip Kaur w/o Sadhu Singh & Mohinder Singh s/o Karam Singh, Sadachak, (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above, (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land.
  (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6514 of October, 1974 of Registering Authority. Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28 June 1975

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 967.-Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule sitated at Dhootan (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Humga in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:

27-156GI/75

 Smt. Harjinder Kaur w/o Madhu Sudan Singh Bedi, R.O. Khaila Baland, Distt. Hoshiarpur.

(Transferor)

(2) Shri Gurnam Singh & Darbara Singh Ss/o Sajan Singh s/o Partap Singh Dhootan.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land, (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. dccd No. 1129 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28th June 1974.

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 968.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Dhootan (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhungha in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act; 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely;—

- (1) Smt. Harjinder Kaur w/o T. Madhu Sudan Singh Bedi, R.O. Khiala Balanda, Distt. Hoshiarpur. (Transferor)
- (2 S/Sh. Jai Singh, Tarlok Singh Ss/o Sajan Singh s/o Partap Singh, Dhootan.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above, (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 1130 of October, 1974 of Registering Authority, Bhunga.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28th June 1975,

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 969.-Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

As per Schedule situated at Dherowal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the

Registering Officer at

Mukarian in Oct. 1974

for an apparent consideration which is less than the tair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in tespect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

(1) S/Sh. R. Ajit Singh, Pritam Singh, Amrik Singh Ss/o Harnam Singh s/o Sabha Singh, R.O. Singhpur, P.S. Nazipur,

(Transferor)

- (2) Shri Banta Singh s/o Jai Singh s/o Nihal Singh, R.O. Panj Dhera Kalan, P.O. Mukarian.
  - (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions med herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd, deed No. 1438 of October, 1974 of Registering Authority, Mukarian,

> RAVINDER KUMAR Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Jullundur

Date: 28th June 1975.

(1) Sh. Sohan Singh s/o Banta Singh G.A. of Banta alias Banta Singh adopted son of Narain Singh, Haripur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Dalbir Singh, Pritam Singh Ss/o Piara Singh, R.O. Haripur.

(Transferee)

#### GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

(4) Any other person interested in the land, (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Jullundur, the 28th June 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

Ref. No. AP 970.—Whereas, 1 Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Said Act),

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule situated at Haripur

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in Oct. 1974

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

Land as mentioned in Regd. deed No. 6723 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

Date: 28 June 1975

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOMETAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 971.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing As per schedule situated a Kishangarh Road (and more full described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the eferencial property and X have reason to

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Sh. Karam Singh s/o Ganda Singh of vill, Chakrala, Teh. & Distt, Jullundur.

(Transferor)

- (2) Sh. Baldev Singh, Sucha Singh, Ajit Singh, Sadha Singh, Ss/o Ujagar Singh, Vill. Chakrala (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other persons interested in the land, (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 7145 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28th June 1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 972.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Haripur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the 'said Act,' I herb initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Sh. Sohan Singh s/o Banta Singh G.A. to Bantu Alias Banta Singh adopted s/o Narain Singh, Haripur.

(Transferor)

(2) Sh. Harbhajan Singh, Jagat Singh r/o Bul. Div. Jullur/dur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
  (Person in occupation of the property)
- (4) Any other persons interested in the land, (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6762 of October 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28th June 1975.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullandur, the 28th June 1975

Ref. No. AP 973.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Fazalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundur in Oct. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have

reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of Hability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act'. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons namely:—

- (1) Sh. Kulwinder Singh s/o S. Bir Singh of Jullundur. (Transferor)
- (2) Sh. Kashmir Singh s/o Chanan Singh of Vill. Talwani Jantan, Teh. Hoshiarpur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above, (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6918 of October, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28 June 1975.

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullandar, the 28th June 1975

Ref. No. AP 974.—Whereas, I Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Wadala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur in Oct, 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object:—

- (a) faciliating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'said Act', I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely:—

- (1) Sh, Ghansham Dass s/o Mehta Vesma Ram, G.P. Aty. of Joravar Singh S/o Kartar Singh, 376 Mohan Partapura inside Subash Nagar, Karnal. (Transferor)
- (2) Smt. Kamaljit Kaur d/o Dilbagh Singh, 300-L Model Town, Jullundur.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above, (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the land. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given that Chapter.

### THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 6560 of October. 1974 of Registering Authority, Jullundur,

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date: 28th June 1975.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II 4-A/14, ASAF ALI ROAD CENTRAL REVENUES BUILDING, 3RD FLOOR DELHI/NEW DELHI.

New Delhi, the 5th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/849/75-76.—Whereas I, S. N. L. Agarwala,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Delhi on 31-10-1974,

28-156GI/75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Amarjit Singh, s/o Sh. Tarlok Singh r/o N-46, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Santosh Sapra w/o Shri Chander Parkash Sapra r/o E-29, Kamla Nagar, Delhi.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

One fourth share in plot measuring 1055 sq. yds (i.e. 263,75 sq. yds) known as Plot No. 2 Group No. 1 at 7 Rajpur Road, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range,
Delhi/New Delhi.

Date: 5-7-1975

Seal;

# NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II 4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR NEW DELHI

New Delhi, the 5th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/846/75-76.—Whereas I, S. N. L. Agarwala,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer

at Delhi on 31-10-1974,

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

 Shri Surinderjit Singh s/o Shri Tarlok Singh, r/o N-46, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferor)

- (2) Smt. Santosh Sapra w/o Shri Chander Parkash, r/o 29-E, Kamla Nagar Delhi.
  - 2. Smt. Waryam Kaur w/o Sh. Katam Singh r/o 5476, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Delhi,
  - 3. Sh. Amarjit Singh.
  - 4. S. Avtar Singh sons of Sh. Karam Singh r/o 5476, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Delhi.
  - 5. Sh. Sudhershan Lal s/o Shri Shivan Ditta Mal r/o 13. Rajpur Road, Civil Lines, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

One fourth share in measuring 1055 sq. yds (i.e. 263.75 sq. yds) known as Plot No. 2 Group No. 1 at 7, Rajpur Road, Delbi

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi,

Date: 5-7-1975

(1) Shri Paramjit Sjngh s/o Shri Tarlok Singh r/o N-46 Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

# GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II 4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR

New Delhi, the 5th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/848/75-76,—Whereas, I. S. N. L. Agarwala,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1971) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 31-10-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the said parties has not been truly

stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
  of the transferor to pay tax under the said Act in
  respect of any income arising from the transfer;
  and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C here-

by initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act,

to the following persons, namely:-

(2) Shri Sudershan Lal s/o Shri Shivan Ditta Mal r/o 13 Rajpur Road, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

One fourth share in plot measuring 1055 sq. yds (i.e. 263.75 sq. yds) known as plot No. 2 Group No. 1 at 7 Rajpur Road, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi.

Date: 5-7-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-11 4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR

New Delhi, the 5th July 1975

Ref. No. 1AC/Acq.II/847/75-76.Whereas, I, S. N. L. Agarwala,

being the competent authority under section 269B

of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 7 situated at Rajpur Road, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Delhi on 31-10-1974,

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Kanwarjit Singh s/o Shri Tarlok Singh, r/o N-46 Kirti Nagar, New Delhl.

(Transferor)

(Transferee)

 Smt. Waryam Kaur w/o Sh. Karam Singh.
 Sh. Amarjit Singh s/o Sh. Karam Singh.
 Shri Avtar Singh s/o Sh. Karam Singh, ALL Residents of Plot No. 5, House No. 5476, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

One fourth share in plot measuring 1055 sq. yds (i.e. 263.75 sq. yds) known as Plot No. 2 Group No. 1 at 7 Rajpur Road, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date: 5-7-1975

# NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II 4-A/14, ASAF ALI ROAD 3RD FLOOR

New Delhi, the 9th July 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/850/75-76/1472.—Whereas, 1, S. N. L. Agarwala

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to

believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 3167 situated at Kucha Tara Chand, Darya Ganj, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 16-10-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

- (1) Shri Gosami Bal Kishan Dass s/o Shri Gosami Ragubar Dayal,
  - 2. Sv/Shri Gosami Brij Mohan,
  - 4. Gosami Madan Mohan and
  - 4. Gosami Surinder Mohan sons of Sh. Gosami_Bal Kishan Dass, all residents of 3166, Kucha Tara Chand, Darya Ganj Delhi-6.

(Transferor)

(2) Smt. Ganesh Devi w/o Sh. Devi Sahai, r/o 3167, Kucha Tara Chand, Darya Ganj, Delhi-6.

(Transferee)

- (3) (Person(s) in occupation of the property).
- 1. Des Raj
- Sher Singh
- 3. Chinta Ram
- 4. Om Prakash
- Prem Chand
- Sewa Ram Mahendra
- 8. Devendra
- Vedna Nath
- Vas Dev Sahai
- 11. Shyam Lal
- Shadhi Lal
   Kailash Chand
- 14. Sher Singh
- 15. Parshotam Narayan
- 16. Mam Raj 17. Raj Krishan
- 18. Narendra Parkash
- 19. Ram Adhar
- Satya Narain Basanti Devi
- 22. Shanti Devi

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

3 Storeyed building constructed on a plot of land measuring 461 sq. yds and located at 3167, Kucha Tara Chand, Darya Ganj Delhi-6.

> S. N. L. AGARWALA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Date: 9-7-1975

Scal:

# NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 23rd June 1975

Ref. No. ASR/98/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/_ and bearing No. Land situated at V. Gumanpura Teh. Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Amritsar (Tehsil) in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Miss Jasprit Kaur d/o S. Moinder Singh Uppal r/o Lawrance Road, Amritsar (Now 22 Feroze Gandhi Road, New Delhi).

(Transferor)

(2) Shri Sardul Singh, Daljit Singh ss/o Shri Puran Singh r/o Wadali Guru Teh. Amritsar.

(Transferee)

- *(3) As at S. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- *(4) Any person interested in the property.

  (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 6406 of October, 1974 of the Registering Authority, Amritsar (Tehsil).

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 23-6-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 23rd June 1975

No. ASR/99/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Land situated at V. Gumanpura Teh. Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar (Tehsil) in October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Miss Jasprit Kaur d/o Shri Mohinder Singh r/o Lawrance Road, Amritsar (at present 22 Feroze Gandhi Road, New Delhi) through Shri Ram Singh Uppal s/o S. Narain Singh Uppal, Mukhtiare-Khas, r/o Lawrance Road, Amritsar.

(Transferor)

(2) Shri Harbans Singh, Sham Singh ss/o Shri Puran. Singh r/o Wadall Guru Teh. Amritsar.

(Transferee)

- (3) As per Sr. No. 2 above.

  (Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

# THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 6882 of October, 1974 of the Registering Authority, Amritsar (Tehsil).

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 23-6-1975,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1), OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX. ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 24th June 1975

Ref. No. FDK/100/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. Land situated at Mission Ground Kothkapura Road, Muktsar

(and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Muktsar in October 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Shivnandan Lal Arora, Sagan Lal Ahuja & S. Dayal Singh Sandhu Muktsar,

(Transferor)

- (2) Shri Kashmiri Lal s/o Shri Arjan Dass Muktsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

# THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2127 of October, 1974 of the Registering Authority, Muktsar.

V. R. SAGAR,

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Amritsar.

Date: 24-6-1975,

Scal:

# NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-V, CALCUTTA

Calcutta, the 8th July 1975

Ref. No. AC-6/Acq.R-V/Cal/75-76,---Whereas, I, S. S. Inamdar.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act,

1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-

able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 522/1A, situated at G.T. Rd., Mahesh, Hooghly (and more fully described in the Schedule

annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 19-10-74

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as

agreed to between the parties

has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1), of section 269°D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Sanyal Das Agarwal, P-30, C.I.T. Rd., Scheme XM, Cal.

(Transferor)

(2) 1. Shri Sachin Pal, 2. Shri Deharsi Parmanik (minor) represented by his natural guardian father Lok Nath Pramanik, 522/1A, G.T. Rd., Mahesh, Hooghly.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

522/1A, G.T. Rd., Mahesh, Dist-Hooghly being C.S. plot No. 3159, C.S. & R.S. Khatian No. 241 Jl. No. 15 Touji 3876—Area 3 cottabs 14 chattaks 4 sft, including two-storied building.

S. S. INAMDAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range-V, Calcutta.

Date: 8-7-1975

Seal;

29-156GI/75

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,

# NEW DELHI

New Delhi, the 8th July 1975

Ref. No. IAC Acq.I/Sr.III/Jan I/1461.—Whereas, I, C. V. Cupte,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act,) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. A/8 situated at Greater Kailash, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the

Registering Officer at

New Delhi on 2-1-1975,

for an apparent consideration which is less than

the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of, the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Protul Chandra Sen s/o Late Dr. B. C. Sen as Kaita of the H.U.F. consisting of himself his wife Smt. Arti Sen and his minor son Master Inderjit Sen R/o L-2, South Extension Part II, Ring Road, New Delhi & Smt. Arti Sen w/o Sh. P. C. Sen L-2, South Extension Part II, Ring Road, New Delhi as the confirming party.

(Transferor)

(2) Shri Manohar Lal Gupta S/o Late Shri Charan Dass, A-8 Greater Kailash-I, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

A plot of land bearing plot No. 8, Block 'A' measuring 600 Sq. Yds. together with the building constructed thereon situated in Greater Kailash No. I, New Delhi and bounded as under:—

On the North by: Road, On the South by: Service Lane, On the East by, Road, On the West by: H. No. A-9.

C. V. CUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, Delhi/New Delhi.

Date: 8-7-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th July 1975

Ref. No. Acq/136/Mrt/74-75/595,—Whereas, I. F. J. Bahadur,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule situated at Meerut City

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at

Meerut on 10-10-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Sardar Hari Singh s/o Sardar Gopal Singh, called Copi Singh r/o Hall 173, Saket Meerut City.
  - (Transferor)
- (2) Shri Major Hari Bhagwan Tiwari s/o 1.ate Shri Bukhtawar Singh r/o 105 Air Defence Regiment through 56 A.P.O. present 294—Jattiwara, Meerut City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any of the person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Immovable property Nos. 87, 88, 89 & 90 situated at Madho Nagar, Meerut City transferred for an apparent consideration of Rs. 47,500/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date: 7-7-1975.

(1) Standard Refinery & Distillery Ltd., 26, Brabourne Road, Calcutta-I.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Karam Chand Thapar & Bros. (P) Ltd. (Coal Sale), 25. Brabourne Road, Calcutta-I.

(Transferec)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th July 1975

Ref. No. Acq/16/Unnao/74-75/591.—Whereas, I. F. J. Bahadur

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. as per schedule situated at Vill. Sheikhpur, Parg, Teh. Distt. Unnao

(and more fully

described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Unnao on 16-10-74

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that chapter.

#### THE SCHEDULE

Land measuring about 29.02 acres, factory building, machinery, fittings and fixtures, situated in village Sheikhpur, Parg., Teh. & Distt. Unnao transferred for an apparent consideration of Rs. 565,000/-

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date: 4-7-1975.

(2) Shri Arun Kumar Ajitsaria, 39/4, Purnadas Road, Calcutta-29.

(Transferce)

# NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, 54 RAFI AHMED KIDWAI

ROAD, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 28th June 1975

Ref. No. 267/Acq.R-III/75-76/Cal.—Whereas, I. L. K. Balasubramanian.

being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 39/4, situated at Purnadas Road, Calcutta-29

(and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of

1908) in the Office of the Registering Officer at Sealdah on 16-10-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
  of the transferor to pay tax under the said Act
  in respect of any income arising from the transfer;
  and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1)Shri Monoj Kumar Ajitsaria, minor by father Prahladrai Ajitsaria, Fancy bazar, Gauhati, Assam.

(Transferor)

(4) S/s. 1. Laduram Ajitsaria. 2. Rameswar Ajitsaria. 3, Haribux Ajitsaria, all of 39/4 Purnadas Road, Cal-29.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

# THE SCHEDULE

Undivided 1/4th share in all the piece and parcel of land measuring 14 cottahs 5 sq. ft. and an undivided 1/4th share in the ground floor of the building thereon including garage, mezzanine floor rooms in the same premises as also in the staircase and landing thereof leading to the 3rd floor and the entirety of the divided 3rd floor together with the right to use the staircase leading the said 3rd floor with all other-rights incidental to the full enjoyment of the 3rd floor at premises No. 39/4, Purnadas Road, Calcutta as per deed No. 1797 of 1974 registered before the Sub-Registrar, Sealdah.

L. K. BALASUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax
Acquisition Range-II, 54, Rafi Ahmed
Kidwai Road (3rd floor), Calcutta-16.

Date: 28-6-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

# GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 20th May 1975

Rcf. F. No. Acq/49(a)/Aligarh/74-75/406.—Whereas, I, F. J. Bahadur,

being the Competent Autho-

rity under-section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Moh. Gopalpuri, Sasni Gate,

Aligarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16

of 1908) in the Office of the Registering Officer at Aligarh on 2-11-74

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of

the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Shri Chandra Pal Singh S/O Sri Kharag Singh, R/O Moh. Sasni Gate, Aligarh presently R/O Mohalla Vishnupuri, Kothi No. 2/438, Aligarh.

(Transferor)

(2) Shri Shiv Kumar Sharma, S/O Sri Hira Lal Sharma, R/O Moh. Sarai Mian, Aligarh.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of, 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

House bearing municipal No. 11/76 and land adjacent to it, situated in Mohalla Gopalpuri, Sasni Gate, Aligarh, transferred for apparent consideration of Rs. 45,000/-.

> F. J. BAHADUR Competent Authority. Inspecting Assistant Commissioner of Incomotax, Acquisition Range Kanpur.

Date: 20-5-1975,

(1) Shri Abdul Majid.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Ranno Devi and others,

may be made in writing to the undersigned :-

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 13th June 1975

Rcf. No. 48/ACQUISITION.—Whereas, I. Bishambhar Nath.

being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

House No. 532/510 situated on Arazi No. 300 and 301 at Banarsi Tola Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Lucknow on 2nd Nov. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or 'evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of

Objections, if any, to the acquisition of the said propert

- (a) by any of the aloresaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which-ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

A double storeyed building No. 532/510 situated on arazi No. 300 and 301 at Banarsi Tola Ali ganj Lucknow.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow,

Date: 13-6-1975.

(2) Shri Vishun Dayal.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 30th June 1975

Ref. No. 16-V/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

situated at Palia Distt, Lakhimpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer on 2-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, mamely:—

(1) Shri Kewal Singh.

(Transferor)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that chapter.

# THE SCHEDULE

A godown consisting of following: situated at village Palia Distt. Lakhimpur.

- 1. A shop
- 2. A Room
- 3. A Varandah
- 4. A big room with two shutters

Ist. Floor

- 1. A Room
- 2, A Varandh
- 3. Kitchen and bath room, situated in village Palia Distt. Lakhimpur Kheri.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date: 30-6-1975.

Seal;

(1) Shri Kewal Singh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Bajrang Lal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 30th June 1975

Ref. No. 42-B/Acq.—Whereas, I. Bishambhar Nath, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing situated at Vill Palia Distt. Lakhimpur No. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Neghason on 2-11-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated In the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

A godown consisting of following is situated at village Palia, Distt. Lakhimpur.

- 1. A shop.
- 2. A room.
- 3. A varandh
- 4. A big room with two shutters.

1st Floor

- 1. A room
- 2. A varandh
- 3. Kitchen and bathroom.

situated in village Palia, Distt, Lakhimpur Kheri.

BISHAMBHAR NATH

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, I ucknow.

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:-

30-156GI/75

Date : 30-6-1975

(1) Shri B. K. Chatterji & others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Krishna Chandra,

(Transferce)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th June 1975

Ref. No. 33-K/Acquisition,—Whereas, I Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 136/142 situated at Azad Square Allahabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on 4-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said, immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

A double storeyed House No. 136/142 measuring 2691 Sqr. fts. having ten rooms situated at Azad Square, Allahabad.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date: 19-6-1975.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 30th January 1975

Ref. No. PR. 174/Acq.23-257/19-8/74-75.—Whereas, I. P. N. Mittal,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

bearing No. Block No. 11—Plot No. 15 to 18 situated at Udhna Industrial Co-operative Society, Udhna—Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 4-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ough to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Principal Officer,
 Industrial Development & Investment
 Company Pvt. Ltd.,
 202, Lal Bahadur Shastri Marg,
 Ghatkopar, Bombay.

(Transferor)

(2) M/s. J. & K. Industries, Road No. 4, Jawahar Road, Udhna Industrial Estate, Udhna, Surat through its partner—Shri Girdharilal Himatlal Gandhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Open land Block No. 11—Plots No. 15 to 18 admeasuring 2400 Sq. yds. situated at Udhna Industrial Cooperative Society, Udhna, Surat—as mentioned in the registered deed No. 2102 of November 1974—of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date: 30th January 1975.

### FORM I.T.N.S .--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

# (2) Shri Narendrakumar Vrajlal Jhaveri; 'VAJUBHAI HOUSE,, 152/58 Sheikh Memon Street, Bombay-2.

(Transferee)

#### **GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th May 1975

Ref. No. PR.222/Acq.23-403/6-1/74-75.—Whereas, I, P. N. Mittal,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

S. No. 532/63, Plot No. 62 situated 'at Viswas Colony, Race Course Road, Baroda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Baroda on 5-11-1974,

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Manmohandas Pursottamdas Vora; Shri Damodardas Pursottamdas Vora; Shri Trikamdas Pursottamdas Vora; Shri Chandravadan Pursottamdas Vora. Court View, Churchgate, Bombay. Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 532/63, Plot No. 62 admeasuring 5917 Sq. ft. at Viswas Colony. Race Course Road, Baroda as fully described in sale deed registered under No. 4769 dated 5-11-74 by registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date: 28-5-1975

Seal:

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 21st April 1975

Ref. No. Acq. 23-I-400(169)/11-6/74-75.—Whereas, I, J. KATHURIA.

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 141 situaled at Near Bhalpara, Taluka Veraval

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Veraval on 5-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act. 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons. namely:—

- M/s. Raghuvir Khandsari Sugar Udyog, Village Bhalpara, Taluka Veraval, through its partners—
  - 1. Shri Gunvantrai Laxmidas,
  - 2. Shri Rajnikant Laxmidas,
  - 3. Shri Dhirajlal Laxmidas,
  - 4. Shri Jayvantkumar Nautamlal,
  - 5. Shri Amratlal Trikamji,

- 6. Shri Ratilal Trikamji,
- 7. Shri Popatlal Trikamii,
- 8. Smt. Jaysri Vithaldas,
- 9. Shri Lalitkumar Kalyanji.
- 10. Smt. Sarla Vinodrai,
- 11. Shri Durlabhji Bhimji,
- 12. Shri Jagjiwan Durlabhji,
- 13. Shri Sureshchandra Durlabhji,
- 14. Shri Kantilal Tribhovandas.
- 15. Shri Damodar Mathuradas,
- 16. Shri Jamnadas Lalji.

(Transferor)

- (2) M/s. Amar Chemicals, Bhimpara, Talab Road, Tal. Veraval, through its partners.
  - 1. Shah Lalitkumar Premii
  - 2. Shah Mahendrakumar Premii

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Facory building along with cut-house, standing on land admeasuring 3 Acres 21 Guntas, bearing Survey No. 141 situated Near Bhalpara Village Taluka Veraval and bounded as under:—

East; Other's property.

West: Veraval Talala Road.

North: Property of Bhagwan Jadav. South: Property of Bhagwan Naran,

> J. KATHURIA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-i.

> > Ahmedabad,

Date :21-4-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 21st April 1975

Ref. No. Acq. J, J. KATHURIA, 23-1-419(170)/1-1/74-75.—Whereas,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No. F.P. No. 109 T.P. Scheme No. 3 situated at Ellis-

bridge, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ahmedabad on 11-11-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly

stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

- (1) Shri Yogendra Balabhai Banker,
  - 2. Smt, Lilavati widow of Balabhai Bhogilal, Devji Saraiyani Pole, Sarakdi Sheri, Ahmedabad.
  - 3. Shri Chandravadan Balabhai Banker, "Chandra Bhuvan" Mr. Satdar Bridge, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Vikram Vikas Mandal Owner's Association, Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Land admeasuring 28 Gunthas (i.e. 3388 sq. yards) bearing Final Plot No. 109 of T.P. Scheme No. 3 and situated at Ellisbridge, Ahmedabad and bounded as under: :-

North: F.P. 108

South: F.P. No. 110 East; 30' wide T.P.S. Road

West: 100' wide main Ashram Road.

J. KATHURIA, Competent, Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range-I,

Ahmedabad.

Date: 21-4-1975

(1) Shri Lalloo Ram and others,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Aruna Devi.

(Transferce)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
LUCKNOW

Lucknow, the 17th June 1975

Ref. No. 46-A/ACQUISITION.—Whereas, I, Bishambhar Nath,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

CK 30/8 situated at Moh. Murli Gali, Varanasi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 6-11-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A house No. CK 30/8 alongwith situated at Mohalla Murli Gali Chowk Shahr, Varanasi,

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow.

Date: 17-6-1975

#### FORM I.T.N.S.—-

# NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th June 1975

Ref. No. Acq. 23-I-4-11(191)/1-1/74-75.—Whereas, I P. N. Mittal,

being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereihafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 4 of S.P. No. 3 situated at T.P.S. No. 3, Chhadawad Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Ahmedabad on 6-11-1974.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

 Smt Kunjbala Harisiddhbhai, "Mandar", Behind Law College, Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) For and on bhalf of M/s. Aditi Apartment, Partners: Shri Rameshchandia Nandlal Kothari, A-5 Minita Apartment, New St. Xaveris' High School Road, Navrangpura, Ahmedabad-14.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

#### THE SCHEDULE

An immovable property being open plot of land admicasuring 420.165 sq. yards bearing Survey No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 4 of S.P. No. 3, situated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the sale deed bearing registration No. 13988 dated 6-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 28-6-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th June 1975

Ref. No. Acq. 23-I-412—(192)/1-1/74-75.—Whereas, I, P. N. MITTAL.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 3 of S.P. No. 3 situated at TPS 3, Chhadawad, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 6-11-1974.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269°C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

31-156GI/75

(1) Shri Harisiddhbhai Govindlal, "Mandar" Behind L'aw College, Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) For and on behalf of M/s. Aditi Apartment, Partners: Shri Rameshchandra Nandlal Kothari, A-5. Minita Apartment, New St. Xaviers' High School Road, Navrangpura, Ahmedabad-14.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

# THE SCHEDULE

An immovable property being open plot of land admeasuring 420.165 sq. yards bearing Survey No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot No. 3 of S.P. No. 3, situated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the sale deed bearing registration No. 13989 dated 6-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date: 28-6-1975

Seal .

# FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269-D (I) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMI-

SIGNER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 28th June 1975

Ref. No. Acq. 23-I-413(193) I-1/74-75.—Whereas. P. N. MITTAL,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos. 2 & 1 of S.P. No. 3 situated at T.P.S. No. 3, Chhadawad, Ahmedabad

(and more fully described in the

schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

Ahmdeabad on 5-11-974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. Chandrakantabahen Govindlal, "Mandar" Behind Law College, Ellisbridge Ahmedabad-6.

(Transferor)

(2) For and on behalf of M/s. Aditi Apartment, Partners: Shri Rameshchandra Nandlal Kothari, A-5, Minita Apartment, New St. Xaviers' High School Road, Navrangpura, Ahmedabad-14.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein ns are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

An immovable property being open plot of land admeasuring 840.330 sq. yards bearing Survy No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos: 2&1, of S.P. No. 3, situated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the sale deed bearing registration No. 13913 and 13914 dated 5-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Lacome-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date: 28-6-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-330009

Ahmedabad-380009, the 28th June 1975

Rf. No. Acq. 23-I-4-14(194)1-1/74-75.—Whereas, I, P. N. MUTAL,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos. 5 & 6 of S.P. No. 3 situated at TPS No. 3 Chhadawad, Anmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ahmedabad on 8-11-1974.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Sald Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice uncler sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely:—

 Shri Harsiddhbhai Govindlal, Executor of Will of deceased, Shri Bhupendra Govindlal,
 Smt. Junjbala Harsiddhbhai, Beneficiary of Will of deceased, Bhupendra Govindlal, "Man lar", Behind Law College, Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) For and our behalf of M/s. Aditi Apartment, Partners. Shri Rameshchandra Nandlal Kothari, A-5. Minita Apartment, New St. Xaviers' High School Road, Navrangpura, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expites later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

At immovable property being open plot of land admeasuring 840.33) sq. yards bearing Survey No. 578-14, 578-15 to 578-15-2, F.P. No. 578, Plot Nos. 5&6 of S.P. No. 3, Stuated at Chhadawad, T.P.S. No. 3, Ahmedabad as fully described in the sale deed bearing registration No. 14223 and 14224 dated 8-11-1974 of Sub-Registrar, Ahmedabad.

P. N. MITTAL,
Competent. Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Ahmedabad.

Date: 28-6-1975

# NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 18th April 1975

Ref No. PR.217/Acq. 23-308/7-4/74-75.—Whereas, I, P. N. MITTAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Rev. Sur. No. 255/2 Ward No. 1 situated at Ashabaug, Dudhia Talao Road, Navsari

(and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Navsari on 6-11-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Bipinchandra Bhagwandas Bhavsar, Ramaben Wd/o Bhagwandas Haribĥai, Bombay,

(Transferor)

(2) Nathubhai Kalyandas Gandhi, (as Karta of HUF), Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

An immovable property (comprising land and building) bearing Rev. Sur. No. 255 Paiki Plot No. 2 Muni. Ward No. 1 admeasuring 8760 sq. ft. situated at Ashabaug, Dudhia Talao Road, Navsari, Dist. Bulsar as mentioned in the registered deed No. 2589 of November, 1974 of the Registering Officer, Navsari.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner,
of Income-tax,
Acquisition Range-11,
Ahmedabad.

Date: 18-4-1975.

# NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 3rd July 1975

Ref. No. Acq. 23-I-410(196)/1-1/74-75.—Whereas, 1, J. KATHURIA,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 46, situated at Moje Okaf, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at

Ahmedabad on 6-11-1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Bhanubhai Himatlal Desai, 34, Chaitanya Society, Navrangpura, Near Stadiura, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Ratnam Electro Metals (P) Ltd., Near Railway Crossing, Sanand Road, Sarkhei, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

# THE SCHEDULE

An immovable property standing on land admeasuring 2500 sq. yards bearing Survey No. 46, situated at Village Okaj on the State Highway from Ahmedabad to Viramgam, Near Sarkhej Railway Crossing.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date: 3-7-1975

# NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,

BOMBAY-20

Bombay-20, the 29th March 1975

Ref. No. AF. 206/IAC.AR.IV/74-75.—Whereas, I, Shri G. S. Rao.

being the Competent Authority under Section 269B of of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. Nos. 151/152 situated at Versova

(and more fully described in the

schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Bombay on 7-11-1974,

for an apparent consideration which is less

than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Rahim Karim Mistry & Ors. Mistry Court, Dinshaw Vachha Road, Bembay-20.

(Transferor)

(2) Indu Park Co-op, Housing Society Ltd, 151/152 Four Bungalow Road, Versova, Bombay-61.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

# THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land OR ground situate lying and being in the village of Versova, south Salsette, Greater Bombay, in the Registration Sub-District of Bandra District, Bombay Suburban containing by admeasurement 10,000 sq. yds. equivalent to 8360 sq. mts. OR thereabouts be the same more or less and bearing Survey Nos. 151 and 152 City Survey Nos. 1330 and 1331 and bounded as follows: that is to say on or towards the East by public passage on or towards the west by the property of Jamshedji Dosabhoy Currance, on or towards the North by public passage and beyond that by Amoles Creek and one or towards the South by public passage and beyond that by Amoles Creek and one or towards the South by public passage and beyond that by Survey No. 190 Versova.

G. S. RAO,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range-IV,

Bombay.

Date: 29-3-1975.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 10th April 1975

Ref. No. Acc. 23-I-399(164)/10-1/74-75.—Whereas, J. KATHURIA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 1-G/4 Plot No. 15 of Swastic Society, situated at Behind Ayurvedic College, Jamnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamnagar on 8-11-1974. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid proporty and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following perms namely:—

(1) Shri Gunvanarai Virji Pandit, Sudamachowk, Porbandar.

(Transferor)

(2) Shri Bharatkumar Narsinghprasad Chhotai, Patel Colony, Jamnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (b) by any other person interested in the said of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land with building admeasuring 7500 sq. ft. bearing Survey No. 1-G/4, Plot No. 15 of Swastic Society, Behind Ayurvedic College, Jamnagar.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Incomé-tax,
Acquisition Range-1,
Ahmedabad.

Date: 10-4-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmcdabad-380009, the 10th April 1975

Ref. No. Acq. 23-I-425(165)/16-6/74-75.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961)

(herein after refetred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs, 25,000/- and bearing No.

Part of Plot No. 6, situated at Northern side of Swaminarayan Gurukul, Dhebar Road, Rajkot.

(and more fully described in the Schdule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 18-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealmen of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Jethalal Ramchand Bhatia, "Ganga Vihar", Sardar Nagar, Rajkot,

(Transferor)

Shri Manharlal Zeverchand Desai,
 Marine Drive, 18, Ahura Mahal,
 Bombay-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (2) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Ac shall have the same meaning as given in that chapter.

# THE SCHEDULE

A building standing on land admeasuring 228-00 sq yds. bearing part of Plot No. 6 in Ward No.7, situated at Northern side of Swaminarayan Gurukul, Dhebhar Road, Rajkot and bounded as under:—

East: Dhebarbhai Road.

West: Land of Shri Jayantkumar Madhavji.

North: Plot No. 5.

South · Bldg, of Anilkumar Vinodrai Kamdar.

J. KATHURIA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date: 10-4-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 4th July 1975

Ref. No. Acq. 23-I-608(198)/1-1/75-76.—Whereas, I J. Kathuria,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Final Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3 situated at Near Nehrubridge, Ashram Road, Ahmedabad

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 11-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction OL evasion. of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:-32-156GI[75

- (1) 1. Shri Sadhuram V. Andani,
  - Shri Gordhanlal S. Andani, Shri Kishanlal S. Andani,
  - 4 Kumari Bhagyawanti S. Andani, For & on behalf of the firm of M/s. Sadhuram Gordhanlal, Netaji Cloth Market, Kalupur Kotnirang, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Murlidhar Omkarnath. Chowk, Mahorat Pole Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

An immovable property being shop No. S/35 in Block 'B' on the ground floor of Capital Commercial Centre, bearing final Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3 situated near Nehrubridge, Ashram Road, Ahemedabad

J. KATHURIA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range-I Ahmedabad

Date: 4-7-1975

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR,

Ahmedabad-380009, the 4th July 1975

HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ref. No. Acq. 23-I-609(199)/1-1/75-76.—Whereas, I J. Kathuria,

being the competent authority under section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Final Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3 situated at Near Nehrubridge, Ashram Road, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Ahmedabad on 1-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid propety and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) J. Shri Sadhuram V. Andani, 2. Shri Gordhanlal S. Andani,

3. Shri Kishanlat S. Andani,

4. Kumari Bhagyawanti S. Andani, For and on behalf of the firm of M/s Sadhuram Gordhanlal, Netaji Cloth Market, Kalupur Kotnirang, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Damodardas Karsandas Akruwala, Advocate, B-No. 4, A Rajhuns Society, Ellisbridge, Ahmedabad-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

An immovable property being office No. A/58 in Block 'A' on the fourth floor of Capital Commercial Centre, bearing flinal Plot No. 517-2-B, T.P.S. No. 3, situated near Nehrubridge, Ashram Road, Ahmedabad,

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date: 4-7-1975

(1) Smt. Durgawati W/o Kayastha, R/o Ramlal Bamhangawa, Satna. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) 1. Smt. Jasodabai W/o Tilokchand, 2. Shri Rajendra Kumar S/o Tilokchand, 3. Shri Indlal S/o Jamiyatrai Rijiwani, R/o Satna.

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76,—Whereas, 1 V. K. Sinha being the competent authority under

section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. open plot of land at Bamhangawa, Satha area 8800 sq. ft, situated at Satna

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Satna on 10-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/ ОΓ
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

Open pot of land at Bamhangawa, Satna area 8800 sq. ft.

V, K, SINHA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:-

Date: 1-7-75

# NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE 'NCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

# OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred to as The said Act') have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No, open plot situated at Cheritalward, Jabalpur area 38250 sq. ft. situated at Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Jabalpur on 8-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely:—

 Shri Badriprasad S/o Jeewanlal Agrawal, R/o House No. 2, Jiwan Colony, Cheritalward, Jabalpur.

(Transferor)

(2) J. Shri Shivprasad S/o Phoolchand Kesari, 2. Shri Ramkrishna S/o Phoolchand Kesari, both r/o 357 East Niwardganj, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

# THE SCHEDULE

Open plot situated at Cheritalward, Jabalpur area 38250.

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal

Date: 1-7-75

(1) Shri Krishna Kumar Agarwal S/o Shri Vishwambhar Prasad Agarwal, R/o Naya Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

(2) Pt. Om Parkash Misra S/o Pandit Rudra Dutta Misra, Nimbalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior, (Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

Bhopal, the 1st July 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

No. House No. 19/261 Heembalkar-ki-Goath, Lashkar Gwalior situated at Gwalior

Gwalior situated at Gwalior
(and more fully described in the Schedule

annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908

(16 of 1908) in the office of the Registering Officer Gwalior on 20-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/

# THE SCHEDULE

House No. 19/261 Neembalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

V. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Bh. pal

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Date: 1-7-75

(1) Shri Nandlal S/o Shri Gopi Chand Amarpuri R/o Topi Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Baijnath Agarwal S/o Shri Ganesh Ram Agarwal, Chief Cashier United Commercial Bank, Ltd., Bhind,

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. house No. 37/53 at Kudalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior situated at Gwalior

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Gwalior on 21-11-74

for an appa-

rent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from and transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

House No. 37/53 at Kudalkar-ki-Goath, Lashkar, Gwalior

V. K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tar
Acquisition Range, Bhopa

Date: 1-7-75

# NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha

being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred to as The said Act') have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. House No. 307, 308, and 307/A situated Satia Kuwa, Sarafa Ward, Jabalpur situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 28-11-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to

ween the parties has not been fully stated in the said instrument

of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

 Shri Bhuvanlal Chourasia R/o Haridaya Nagar, Tch. & Distt. Mandla at present Satia Kuwa Sarafa Ward, Jabalpur.

(Fransferor)

(2) Smt. Urmiladevi W/o Shri Chatturbhuj Chourasia, R/o Gada Kotta, Teh. Rehli, Distt, Sagar at present Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

House No. 307, 307-A and 308 at Sathia Kuvan, Sarafa Ward, Jabalpur,

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date: 1-7-75

Seal ;

(2) Shri Mansoor Ali S/o Shti Abbas Bhai R/o Kaparganj, Teh. & Distt, Bilaspur,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1975

Ref. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred) to as The said Act') have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. house situated at Avadi Juna, Bilaspur House H. No. 110A, Kh., No. 202, Bilaspur situated at Bilaspur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bilaspur on 18-11-74

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Smt. Jatoonbi Wd/o Safdar Ali, 2, Smt. Memna Bai W/o Shri Hathim Bhai, 3. Smt. Mugra Bai R/o Durg.

Date: 1-7-75

Seal:

(Transferor)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

## THE SCHEDULE

House situated at Avadi Juna, Bilaspur House H. No. 110A, Kh. No. 202, Bilaspur.

V. K. SINHA.

Competent Authority.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bhopal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

#### GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 24th June 1975

Ref. No. Acq. 23-I-578(190)/5-1/75-76.—Whereas I P. N. Mittal,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing **

No. City Survey Sanand No. 2199-B, Plot No. 17, situated at Virabhadranagar, Bhavnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Bhavnagar on 12-11-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—
33—156GI/75

 Shri Ratilal Vanmalidas Sharma, C/o Haribhai Vashram Bhai's House Opp: Sheth High School, No. 3, Vania Wadi, Rajkot.

(Transferor)

 Dr. Kishorekant Vanmalidas Sharma, Sanghedia Bazar, Bhavnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLINATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

A two storeyed building standing on land admeasuring 432 sq. metres, bearing City Survey Sanand No. 2199-B, Plot No. 17, situated at Virabhadranagar, Bhavnagar and as fully described in the sale deed bearing No. 1741 dated 12-11-1974 of the Registering Officer, Bhavnagar.

P. N. MITTAL,
Competent, Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Datt: 24-6-1975.

FORM ITNS----

(1) Shri Braj Bahadur Jauhari.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Jagdish Prasad & others.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX* ACQUISITION RANGE, LUCKNOW.

Lucknow, the 17th June 1975

Ref. No. 22-J/Acquisition.—Whereas, I Bishambhar Nath being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (here in after referred to as The said Act') have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. situated at Mohalla Narkula Ganj, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on 12-11-74 for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to beween the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

#### THE SCHEDULE

A half portion of house total measuring 366 Sqr, Yards having including 9 rooms, motor garage, toilet, latrines, verandah etc. situated in Mohalla Narkula, Bareilly.

BISHAMBHAR NATH

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow

Date: 17-6-1975